ISSN 0970-9312

प्राथमिक शिक्षक

शैक्षिक संवाद की पत्रिका

वर्ष 45 अंक 1 जनवरी 2021

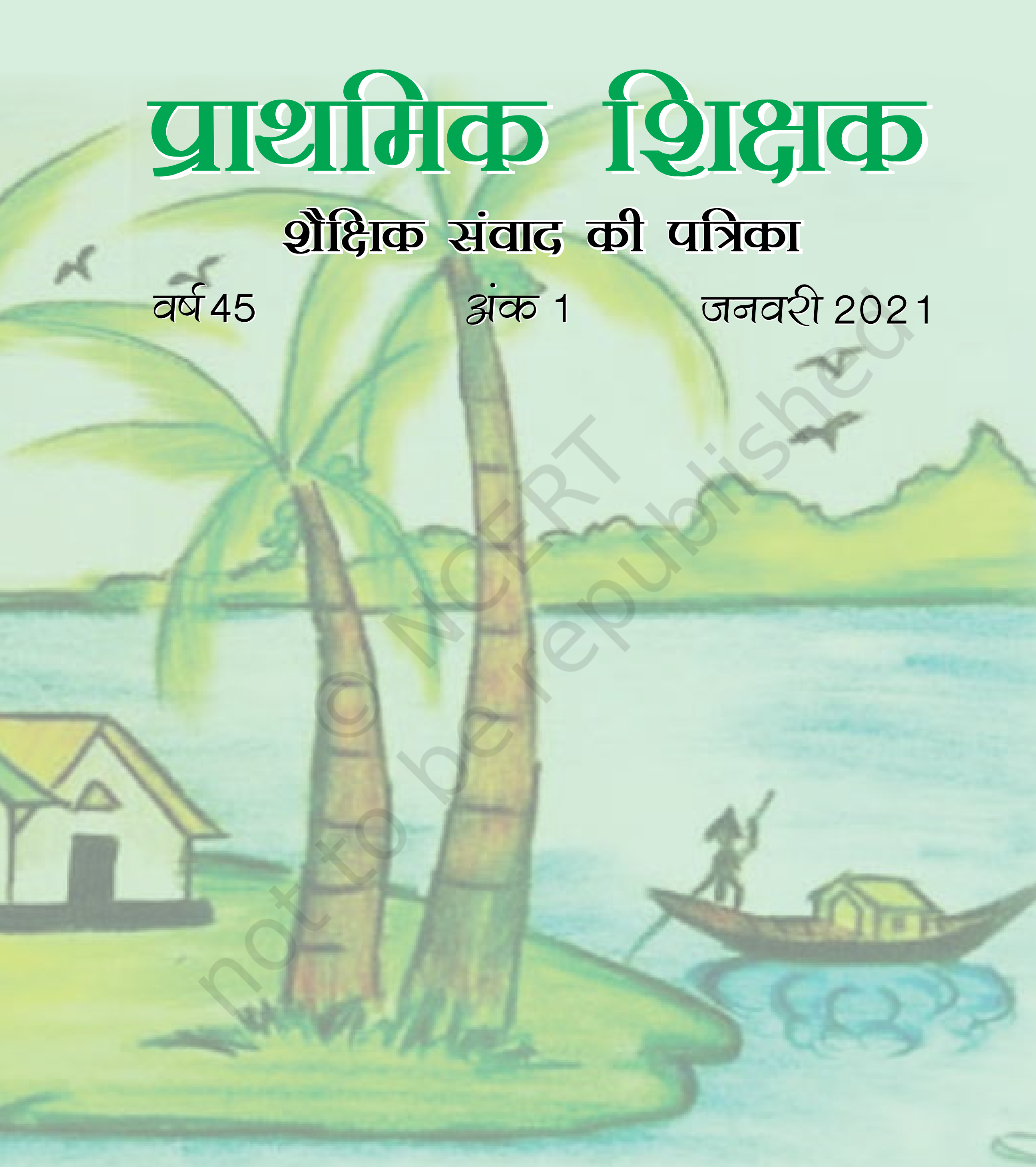

© NCERT
not to be republished

पत्रिका के बारे में

प्राथमिक शिक्षक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की एक त्रैमासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षकों और संबद्ध प्रशासकों तक केंद्रीय सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित जानकारियाँ पहुँचाना, उन्हें कक्षा में प्रयोग में लाई जा सकने वाली सार्थक और संबद्ध सामग्री प्रदान करना और देश भर के विभिन्न केंद्रों में चल रहे पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों आदि के बारे में समय पर अवगत कराते रहना। शिक्षा जगत में होने वाली गतिविधियों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए भी यह पत्रिका एक मंच प्रदान करती है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के अपने होते हैं। अत: यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक चिंतन में परिषद् की नीतियों को ही प्रस्तुत किया गया हो। इसलिए परिषद् का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

© 2021. पत्रिका में प्रकाशित लेखों का रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित है। परिषद् की पूर्व अनुमति के बिना, लेखों का पुनर्मुद्रण किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा।

सलाहकार समिति

निदेशक (प्रभारी) एन.सी.ई.आर.टी. : श्रीधर श्रीवास्तव
अध्यक्ष, डी.ई.ई. : सुनीति सनवाल
अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : अनूप कुमार राजपूत

संपादकीय समिति

अकादमिक संपादक : पद्मा यादव एवं उषा शर्मा
मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल

प्रकाशन मंडल

मुख्य व्यापार प्रबंधक : विपिन दीवान
मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा
संपादन सहायक : ऋषिपाल सिंह
उत्पादन सहायक : ओम प्रकाश

आवरण

अमित श्रीवास्तव

आवरण चित्र

परी शर्मा, 14 वर्ष, ऋषिकुलशाला
(अनौपचारिक शिक्षा केंद्र), राजस्थान

रा.शै.अ.प्र.प. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
होस्केरे हल्ली एक्सटेंशन
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फ़ोन : 079-27541446

सी. डब्ल्यू. सी. कैंपस
धनकल बस स्टॉप के सामने
पनिहटी
कोलकाता 700 114 फ़ोन : 033-25530454

सी. डब्ल्यू. सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021 फ़ोन : 0361-2674869

मूल्य एक प्रति ₹ 65.00 **वार्षिक ₹ 260.00**

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के लिए प्रकाशित तथा चन्द्रप्रभु ऑफ़सेट प्रिंटिंग वर्क्स प्रा. लि., सी – 40, सैक्टर – 8, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

© NCERT not to be republished

ISSN 0970-9312

प्राथमिक शिक्षक

वर्ष 45 **अंक 1** **जनवरी 2021**

इस अंक में

संवाद

लेख

1	कहानी अध्ययन-अध्यापन में चयन, नैतिक मूल्य एवं शिक्षा का द्वंद्व	ऋतु बाला	7
2	शिक्षा चॉक एंड डस्टर के इर्द-गिर्द	पवन सिन्हा	14
3	आधारभूत साक्षरता का घटक 'पढ़ना' सृजन एवं संवर्धन	संध्या संगई	22
4	राजकीय एवं निजी विद्यालयी प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों का तुलनात्मक अध्ययन	अमित कुमार दवे	30
5	राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुभाषावादी पहल	रितिका	41
6	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन	नरेश कुमार	47
7	चकई की चकदुम	सुरेश कुमार मिश्रा	57
8	पुस्तकालय विद्यालय का शैक्षणिक केंद्र	मूर्तिमती सामंतराय	63
9	कोविड–19 महामारी में पुस्तकालय की बदलती भूमिका	पूजा जैन	72
10	सामान्य अध्ययन द्वारा प्राथमिक स्तर के बच्चों में संवाद, समझ और सामर्थ्य का विकास	आनंद कुमार मिश्र	79

© NCERT not to be republished

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी NCERT

विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है।

परस्पर आवेष्टित हंस राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) के कार्य के तीनों पक्षों के एकीकरण के प्रतीक हैं– (i) अनुसंधान और विकास, (ii) प्रशिक्षण, तथा (iii) विस्तार। यह डिज़ाइन कर्नाटक राज्य के रायचूर ज़िले में मस्के के निकट हुई खुदाइयों से प्राप्त ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के अशोकयुगीन भग्नावशेष के आधार पर बनाया गया है। उपर्युक्त आदर्श वाक्य *ईशावास्य उपनिषद्* से लिया गया है जिसका अर्थ है– विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है।

11	उत्तराखंड के प्राथमिक स्तर के छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर अबेकस सीखने के प्रभाव का एक अध्ययन	अवनीश उनियाल सुदीप जोशी	87
12	अवधारणा मानचित्रण द्वारा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन का शिक्षण-अधिगम तथा आकलन	अंजुली सुहाने	93
13	शिक्षा की भारतीय दृष्टि	उषा शर्मा	105
14	बहु-सांस्कृतिक समाज का विद्यालयों पर प्रभाव.	विश्वास	111
विशेष			
15	विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण		124
बालमन कुछ कहता है			
16	हमारी ऑनलाइन क्लास	त्रीवेणी संगम	150
कविता			
17	खेल-खेल में	कविता बिष्ट	151

© NCERT not to be republished

संवाद

शिक्षा से जुड़ी राष्ट्रीय नीति न केवल व्यक्ति को प्रभावित करती है बल्कि समाज और राष्ट्र को भी प्रभावित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनेक अनुशंसाएँ हैं जिनके बारे में जानना, समझना उनके क्रियान्वयन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मानव-निर्माण और मूल्य विकास इस नीति के मुख्य सिद्धांतों में से एक हैं। 'कहानी अध्ययन-अध्यापन में चयन, नैतिक मूल्य एवं शिक्षा का द्वंद्व' लेख पाठ्यपुस्तक में शामिल कहानियों के विस्तृत फलक की समीक्षा करते हुए भाषा शिक्षण संबंधी अनेक संभावनाओं को उजागर करता है। भारतीय सिनेमा और समसामायिक सामाजिक स्थितियाँ जिस तरह से एक-दूसरे को उद्घाटित करती हैं और परस्पर भावी संभावनाओं को मनोबल प्रदान करती हैं— वह अद्वितीय है। 'शिक्षा— चाक एंड डस्टर के इर्द-गिर्द' लेख इन्हीं संभावनाओं और उससे पूर्व कठोर यथार्थ को प्रस्तुत करता है। पढ़ना मात्र एक क्रिया ही नहीं है अपितु एक कौशल भी है। पढ़ने के कौशल का छोटी उम्र से विकास, बच्चों के समग्र विकास में सहायक होता है। 'आधारभूत साक्षरता का घटक 'पढ़ना'— सृजन एवं संवर्धन' लेख बच्चों में पढ़ने के कौशल को बढ़ाने के तरीकों और उसमें शिक्षकों एवं परिजनों की भूमिका को रेखांकित करता है। पढ़ने के साथ-साथ लिखने के कौशल का विकास भी बच्चों में किया जाना आवश्यक है। 'राजकीय एवं निजी विद्यालयी प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों का तुलनात्मक अध्ययन' लेख, तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से वर्तनीगत त्रुटियों का विश्लेषण करते हुए उसके कारणों और निवारणों को उल्लेखित करता है।

व्यक्ति के जीवन में उसकी मातृभाषा एक विशेष स्थान रखती है। मातृभाषा में आंचलिकता का पुट विद्यमान होता है। यही पुट भाषा को मात्र भाषा तक ही सीमित नहीं रखता अपितु उसे संप्रेषण का एक ऐसा माध्यम बना देता है जिसमें समाज, संस्कृति और सभ्यता का अंश बहुत ही सूक्ष्मता से विद्यमान होता है। मातृभाषा का महत्व बहुभाषी देश भारत में और भी बढ़ जाता है जिसका उल्लेख 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुभाषावादी पहल' लेख में किया गया है। यह लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित भाषा संबंधी नीतियाँ विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार लाभदायक साबित हो सकती हैं, इसकी चर्चा करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा के साथ-साथ भारतीय कला, सभ्यता और संस्कृति के विकास से संबंधित भी कई प्रावधान किए गए

not to be republished © NCERT

हैं। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन' लेख भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नताओं, आवश्यकताओं और महत्व को ध्यान में रखते हुए किए गए इन्हीं प्रावधानों की विवेचना करता है।

बालगीतों का बच्चों के जीवन में विशिष्ट महत्व होता है। 'चकई की चकदुम' लेख बच्चों की दुनिया में बालगीतों की उपयोगिता को उजागर करता है। एक ओर बालगीत बच्चों के भाषा ज्ञान, शब्द भंडार और साहित्य के प्रति रुचि को तो बढ़ाते हैं वहीं दूसरी ओर उन्हें सामाजिक भी बनाते हैं। यह बच्चों में अपने आसपास के वातावरण से लगाव और परिजनों व मित्रों के प्रति अपनत्व की भावना को भी बढ़ाते हैं। बाल साहित्य के अनेक महत्व हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अच्छा बाल साहित्य उपलब्ध करवाना बेहद आवश्यक है। कोई भी शिक्षण संस्थान पुस्तकालय के बिना अधूरा है। पुस्तकालय वह अनुपम संसाधन है जो हमें पुस्तकों जैसी अमूल्य निधि प्रदान करता है। 'पुस्तकालय— विद्यालय का शैक्षणिक केंद्र' नामक लेख विशेषकर विद्यालयों में पुस्तकालयों की अपरिहार्य भूमिका को बताता है। कोविड–19 महामारी जैसी विकट स्थिति में पुस्तकालय बच्चों के अध्ययन में किस प्रकार अपना सहयोग प्रदान कर सकता है इस पर 'कोविड–19 महामारी में पुस्तकालय की बदलती भूमिका' लेख चर्चा करता है।

'सामान्य अध्ययन द्वारा प्राथमिक स्तर से बच्चों में संवाद, समझ और सामर्थ्य का विकास' लेख कुछ गतिविधियों के द्वारा सामान्य अध्ययन के संवर्धन पर प्रकाश डालता है। इसके साथ ही यह लेख सामान्य अध्ययन का ज्ञान कैसे उनमें जिज्ञासा और आत्मविश्वास को बढ़ाता है बिंदु पर भी चर्चा करता है। बच्चों का संख्यात्मक ज्ञान दीर्घकालिक और गहन होना चाहिए जिसके लिए उचित गतिविधियों और उपकरणों का चुनाव किया जाना चाहिए। अबेकस आधारभूत संख्यानात्मक ज्ञान को सुदृढ़ करने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 'उत्तराखंड के प्राथमिक स्तर के छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर अबेकस सीखने के प्रभाव का एक अध्ययन' लेख संज्ञानात्मक विकास में अबेकस की भूमिका को रेखांकित करता है। ज्ञानार्जन का महत्वपूर्ण स्रोत हमारा पर्यावरण यानी हमारा आसपास होता है। अवधारणा मानचित्र की समझ और उसका प्रयोग पर्यावरण अध्ययन में एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकता है। 'अवधारणा मानचित्रण द्वारा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन का शिक्षण-अधिगम तथा आकलन' लेख अवधारणा मानचित्र की उपयोगिता एवं इसके उपयोग संबंधी प्रशिक्षण के महत्व को उजागर करता है। शिक्षा, संस्कृति और समाज एक दूसरे के साथ अभिन्न रूप से संबंद्ध हैं। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है और शिक्षा इसी समाज और संस्कृति को पोषित करती है। 'शिक्षा की भारतीय दृष्टि' लेख शिक्षा से जुड़ी इन्हीं बारीकियों को न केवल प्रस्तुत करता है अपितु भारतीय

© NCERT not to be republished

समाज की शिक्षा और शिक्षा की भारतीयता को विस्तार देता है। विद्यालय को समाज का लघुरूप माना जाता है और समाज की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव विद्यालय पर भी पड़ता है। विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति समाज का दृष्टिकोण बहुत महत्व रखता है। यहाँ तक कि विद्यालय की दीवारें भी इससे अछूती नहीं हैं। 'बहु-सांस्कृतिक समाज का विद्यालयों पर प्रभाव' लेख इसी प्रभाव को उजागर करता है।

प्रस्तुत अंक में 'विशेष' के अंतर्गत निष्ठा कार्यक्रम के प्रशिक्षण मॉड्यूल के पाँचवें अध्याय 'विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण' को शामिल किया गया है। उम्मीद है कि इस अध्याय का अध्ययन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

आशा है कि आपको यह अंक पसंद आएगा।

अकादमिक संपादक

© NCERT not to be republished

फार्म 4

(नियम 8 देखिए)

प्राथमिक शिक्षक

1.	प्रकाशन स्थान	नयी दिल्ली
2.	प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3.	मुद्रक का नाम	चन्द्र प्रभु ऑफ़सेट प्रिंटिंग वर्क्स (प्रा.) लि., सी-40, सैक्टर-8, नोएडा - 201 301 (उ.प्र.) द्वारा मुद्रित।
	(क्या भारत का नागरिक है?)	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश का पता पता	लागू नहीं होता
4.	प्रकाशक का नाम	अनूप कुमार राजपूत
	(क्या भारत का नागरिक है?)	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश का पता	लागू नहीं होता
	पता	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग नयी दिल्ली 110 016
5.	अकादमिक मुख्य संपादक का नाम	पद्मा यादव एवं उषा शर्मा
	(क्या भारत का नागरिक है?)	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश का पता	लागू नहीं होता
	पता	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग नयी दिल्ली 110 016
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 (शिक्षा मंत्रालय की स्वायत्त संस्था)

मैं, अनूप कुमार राजपूत, *अध्यक्ष,* प्रकाशन प्रभाग एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर लिखे विवरण सत्य हैं।

अनूप कुमार राजपूत

प्रकाशन प्रभाग

© NCERT not to be republished

लेख

कहानी अध्ययन-अध्यापन में चयन, नैतिक मूल्य एवं शिक्षा का द्वंद्व

ऋतु बाला*

प्रस्तुत शोध-पत्र कहानी कहने-सुनने एवं पढ़ने-पढ़ाने की संस्कृति के साथ शिक्षणशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से संलग्न होने का एक प्रयास है। यह शोध-पत्र शिक्षणशास्त्रीय प्रश्न रखता है, जैसे— (1) पाठ्यपुस्तक में शामिल की जाने वाली कहानी के चुनाव के समय क्या पैमाना होना चाहिए? दूसरे शब्दों में पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने के लिए एक अच्छी कहानी का पैमाना क्या हो? (2) पाठ्यपुस्तक में कहानी की प्रस्तुति करते समय कौन-से मुद्दे हमारे सामने होते हैं? (3) कहानी के पठन-पाठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? (4) विद्यालय स्तर पर हिंदी की कहानी अध्ययन-अध्यापन के संदर्भ में किस तरह का शिक्षणशास्त्रीय विमर्श उपलब्ध होता है? प्रस्तुत शोध-पत्र भाषा के सामान्य उद्देश्यगत विमर्श एवं कहानी के शिक्षणशास्त्रीय विमर्श से प्रस्तुत शोध के लिए परिप्रेक्ष्य एवं विश्लेषण का तरीका विकसित करता है। भाषा के दर्शनशास्त्र से इस शोध-पत्र में अनुप्रयुक्त अवधारणाएँ हैं— हेर्मेनेउटिक्स और सामाजिक सांकेतिकता (Hermeneutlcs and Social Semiotics)। इसके अतिरिक्त कहानी की प्रस्तुति का तुलनात्मक विधि से विश्लेषण किया गया है। शोध-पत्र का क्षेत्र स्कूल के दो भिन्न भाषाई जगत (हिंदी और अंग्रेज़ी) हैं। शोध में यह भी देखने की कोशिश की गई है कि कहानी की एक समान विषय-वस्तु के साथ दो भिन्न भाषाई प्रस्तुति का शिक्षणशास्त्रीय निहितार्थ क्या है।

© NCERT not to be republished

पाठ्यपुस्तक की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है और वह जीवन, समाज और देश पर अपना प्रभाव छोड़ती है। पाठ्यपुस्तक में पाठों का चयन एक विशिष्ट उद्देश्य को केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में हिंदी पाठ्यपुस्तक निर्माताओं के सामने पाठ निर्माण के समय कौन सी मुख्य बातें होती होंगी, इस बात को समझने के लिए कहानी विधा तक शोध-पत्र को सीमित किया गया है। सामान्य तौर पर पाठ्यपुस्तक निर्माताओं के सामने पाठ निर्माण के समय अग्रलिखित बिंदु होते हैं—

1. कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों को वांछित मूल्य दिए जा सकते हैं।
2. कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों में भाषिक क्षमताओं का विकास किया जा सकता है, जैसे—
   - शब्द भंडार में वृद्धि
   - व्याकरणिक समझ
3. कहानी के विस्तृत फलक की प्रतिनिधि कहानियों से परिचय कराना, जैसे—
   - कहानी की समयावधि को आधार बनाकर

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

- लोक कहानी के प्रतिनिधि के आधार पर
- विभिन्न विषयों के आधार पर
- संवेदना और मुद्दों की विविधता के आधार पर
- विभिन्न संस्कृतियों से परिचय कराने के संदर्भ में
- सर्वमान्य श्रेण्य कहानियों से परिचय

उपर्युक्त के अतिरिक्त कहानी का शिक्षणशास्त्र भी महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अकसर संज्ञान के क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। पाठ्यपुस्तक बनाते समय शिक्षणशास्त्र के केंद्रीय महत्व को एक प्रश्न के माध्यम से समझा जा सकता है। वह प्रश्न यह है कि कहानी के संकलन एवं कहानी की पाठ्यपुस्तक में क्या अंतर होता है। इसका एक उत्तर यह है कि पाठ्यपुस्तक में शामिल कहानी के अंत में कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।

उपर्युक्त सवाल के कुछ उत्तर निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं—

1. पाठ्यपुस्तक में शामिल कहानी का संबंध विद्यार्थियों की उम्र से होता है जो कि कक्षाबद्ध होता है।
2. उत्तरोत्तर कक्षा विकास के साथ पाठ्यपुस्तकों की कहानी सरल से जटिल की ओर बढ़ती रहती है।
3. कई मामलों में कहानी द्वारा भाषाई लक्ष्य उल्लिखित होते हैं, जैसे— व्याकरण।
4. कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों में तयशुदा मूल्य दिया जा सकें।

उपर्युक्त उत्तरों के आधार पर यह माना जा सकता है कि इन बातों में शिक्षणशास्त्र शामिल किया जा चुका है। परंतु अगर भाषा के शिक्षणशास्त्र पर और अधिक विचार किया जाए तो उपर्युक्त कसौटियाँ न केवल भाषा शिक्षणशास्त्र के दर्शन के अधूरेपन को दिखाती हैं बल्कि कई मायनों में विरोधाभासी भी हैं।

भाषा के शिक्षणशास्त्र के केंद्रीय सरोकारों में से कुछ सरोकार निम्न हैं—

1. विषयवस्तु के साथ विद्यार्थियों को अपने साथ संलग्न होने का अवसर देना।
2. कहानी की संरचना का ऐसा होना जिसमें कहानी का अंत पूर्व में सरलता से अनुमानित न किया जा सके।
3. कहानी की बुनावट ऐसी हो जिसमें कोई एक सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत, पूर्व निर्धारित अंत न हो।
4. कहानी में उस खुले आकाश का होना जिसमें विद्यार्थी उसके अनेकानेक विश्लेषण कर सकें।

कहानी के चयन के संदर्भ में अगर उपर्युक्त अनिवार्य तत्वों को शामिल न किया जाए तो ऐसी स्थिति में कहानी को पढ़ने में रचनावादी उपागम का सिमट जाना या ऊपरी तौर पर होना इसकी नैसर्गिक परिणति हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर एक निजी विद्यालय में कक्षा 6 में हिंदी की मुख्य पाठ्यपुस्तक के साथ लगाई गई पूरक पठन की किताब *पिटारा* की कहानी को लिया जा सकता है। कहानी कुछ इस प्रकार है।

संगति का प्रभाव

एक वृक्ष पर तोते के दो बच्चे रहते थे। दोनों एक ही जैसे थे— हरे हरे पंख, लाल चोंच, चिकनी और कोमल देह। जब बोलते तब दोनों के गले से एक ही जैसी ध्वनि निकलती थी। एक का नाम था सुपंखी और दूसरे का नाम था सुकंठी।

सुपंखी और सुकंठी दोनों एक ही माँ की कोख से पैदा हुए। रंग रूप भी समान था, दोनों व्यवहार में

© NCERT not to be republished

भी एक जैसे ही थे। एक दिन आसमान काले-काले बादलों से घिर गया और उस दिन तेज़ आँधी-तूफ़ान की वजह से वे दोनों भी तेज़ आँधी से उड़कर कहीं दूर चले गए। सुकंठी एक पर्वत से टकराकर बेसुध हो ऋषियों के आश्रम में जा गिरा। सुपंखी आँधी से उड़ता हुआ चोरों की बस्ती में जा गिरा। दोनों की परवरिश अलग-अलग वातावरण में हुई। सुकंठी की परवरिश ऋषियों के पास हुई थी और सुपंखी की परवरिश चोरों की बस्ती में हुई।

कई वर्ष बीत जाने के बाद एक बार वहाँ का राजा घोड़े पर सवार होकर पशुओं के पीछे दौड़ता हुआ थककर सरोवर के पास विश्राम करने लगा। राजा को नींद आ गई। अभी वह आधी नींद में ही था कि किसी की तेज़ आवाज़ से उसकी नींद टूट गई, "पकड़ो, पकड़ो। यह जो व्यक्ति सो रहा है, यह राजा है। इसके गले में आभूषण है, इसे लूट लो, सब कुछ लूट लो। इसको मार के झाड़ी में डाल दो।"

राजा हड़बड़ा कर बैठा। सामने पेड़ की डाल पर एक तोता बैठा था। वही कटु वाणी में यह सब कुछ बोल रहा था। राजा को आश्चर्य हुआ। साथ ही उसे भय भी लगा। वह उठ खड़ा हुआ। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और जैसे ही चलने लगा तो तोता फिर बोला, "राजा जाग गया। देखो, देखो वह भागा जा रहा है। लो राजा गया। इसके आभूषण छीन लो" राजा वहाँ से बहुत दूर निकल गया और एक पर्वत की तलहटी में जा पहुंचा। पर्वत की तलहटी में ऋषियों का एक आश्रम था। उस समय सभी ऋषि-मुनि भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। राजा ने ज्योंही आश्रम में प्रवेश किया, उसे मधुर वाणी सुनाई पड़ी, "आइए, ऋषियों के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है।" राजा ने चकित होकर सामने की ओर देखा— वृक्ष की डाल पर बैठा एक तोता राजा का स्वागत कर रहा था। पहली नज़र में तो राजा को यही लगा कि यह वही तोता है, जो सरोवर के किनारे मिला था। वही रूप, वही रंग, आकार प्रकार सब कुछ वही। तोता फिर बोला, "राजन, आप हमारे अतिथि हैं, आप थके हैं, विश्राम कीजिए। जल लीजिए, आपको भूख भी लगी होगी, आश्रम के फल ग्रहण कीजिए।" राजा सोचने लगा नहीं, यह तोता वह नहीं है, जो सरोवर के किनारे मिला था। इसकी वाणी कितनी मधुर है, कोमल है और वाणी में कितनी विनम्रता और शिष्टता है।

तोता फिर बोला, "आप किस सोच में पड़ गए?" राजा बोला, "तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। अभी कुछ समय पहले मुझे सरोवर के किनारे भी एक तोता मिला था।" तोता बीच में ही बोल पड़ा, "मैं सब समझ गया। वह मेरा जुड़वाँ भाई सुपंखी है और मैं हूँ— सुकंठी। एक ही माँ की कोख से पैदा होकर हम दोनों एक परवरिश में नहीं रह पाए। समय का ऐसा चक्र चला कि दोनों अलग हो गए। वह चोरों की बस्ती में पला और मैं यहाँ ऋषियों के आश्रम में।" कहते- कहते सुकंठी थोड़ा-सा रुका, फिर दुखी स्वर में बोला, "सुपंखी मेरा भाई है। लेकिन वह हमेशा चोरों की बस्ती में रहा। वहीं की वाणी, वहीं का परिवेश और आचरण उसके भीतर रच बस गए हैं।" राजा सुकंठी की समझ, उसके स्वभाव, वाणी और आचरण से चमत्कृत था। वह आश्रम में प्रवेश कर रहा था और धीरे-धीरे गुनगुना रहा था— जैसी संगति वैसी ही गति।

आइए, रचनावादी उपागम से इस कहानी की शिक्षणशास्त्रीय संभावना पर विचार करते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले इसके शीर्षक पर चर्चा करते हैं। कहानी का शीर्षक है— 'संगति का प्रभाव'।

© NCERT not to be republished

निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से इस कहानी के शीर्षक के संबंध में रचनावादी उपागम की संभावना की दृष्टि से विचार किया जा सकता है—

1. कहानी के शीर्षक से विद्यार्थियों को आगे आने वाली कहानी के बारे में कितनी दूर तक ठीक-ठीक पता चलता है कि कहानी क्या होने जा रही है?
2. इस कहानी का गैर रचनावादी अंत क्या हो सकता है?

उपर्युक्त प्रश्नों पर विचार करने पर आए उत्तर एवं एक निजी विद्यालय की कक्षा में विद्यार्थियों से पहला प्रश्न करने पर, उनसे आने वाले उत्तर निम्नलिखित प्रकार से रहे—

1. कहानी में अच्छी संगति से पड़ने वाले असर की बात कही गई होगी।
2. कहानी में बुरी संगति से पड़ने वाले असर की बात कही गई होगी।
3. ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ अच्छी संगति में रहने वाले की बात हो और दूसरी तरफ बुरी संगति में रहने वाले की बात कही गई होगी। परिणामत: अच्छी संगति में रहने वाला अच्छा व्यक्ति बना होगा और बुरी संगति में रहने वाला बुरा व्यक्ति बना होगा। (इसके उलट उत्तर आने की संभावना बहुत ही कम है।)

अब दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं 'इस कहानी का गैर रचनावादी अंत क्या होगा?'

इस प्रश्न के संदर्भ में उत्तर रहे— अंत में यह नैतिक शिक्षा होगी कि कहते हैं कि संगति हमेशा सोच विचार कर अच्छे लोगों की होनी चाहिए। उपर्युक्त उत्तर में थोड़े बहुत भाषाई फेरबदल की गुंजाइश हो सकती है पर कमोबेश यही उत्तर रहे।

कहानी का शीर्षक शिक्षणशास्त्रीय उपागम के तौर पर कितना केंद्रीय महत्व का हो सकता है, इसमें और गहरे उतरने के लिए इसी कहानी के भिन्न शीर्षक को देखा जा सकता है। यही कहानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित कक्षा 6 की अंग्रेज़ी की पाठ्यपुस्तक में दी गई है। इसमें कहानी की तफ़सील और कहने के तरीकों में अंतर देखा जा सकता है। पर वह अंतर ऐसे मूलभूत नहीं है जो कहानी में चारित्रिक बदलाव ला सके। सिवाय इसके कि हिंदी वाली कहानी में पाठ्यपुस्तक निर्माता के पूर्व आकलन के अनुसार कुछ कठिन शब्दों पर विद्यार्थियों का विशेष ध्यान दिलाने के लिए उन्हें अलग रंग का कर दिया गया है। शब्दों का ध्यान खींचने के इस नवाचारी कहे जा सकने वाले भाषा के शिक्षाशास्त्र पर आगे चर्चा की गई है।

तत्काल संज्ञान में लाने के लिए यहाँ हिंदी की कहानी के शीर्षक एवं अंग्रेज़ी की कहानी के शीर्षक को अलग से अगल-बगल में रखा जा रहा है

शीर्षक एक—'संगति का प्रभाव', शीर्षक दो—'द टेल ऑफ़ टू बर्ड्स'।

शीर्षक नंबर दो के पाठ का अवलोकन एक सरकारी विद्यालय में अभ्यास शिक्षण के द्वारा किया गया, जिसमें वही सवाल करके यह देखा गया जो निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों से किए गए थे उनके उत्तर क्या आ सकते हैं जो सवाल पहले शीर्षक के तहत किए गए हैं—

1. प्रश्न नंबर 1 के संदर्भ में ऐसे उत्तर नहीं आए जो कहानी में घटने वाली घटनाओं का ठीक-ठीक तो नहीं पर मोटे तौर पर भी कहानी की रूपरेखा बता सकें।

© NCERT not to be republished

2. प्रश्न नंबर 2 के संदर्भ में शीर्षक नंबर दो में ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि विद्यार्थी इसके अंत का अनुमान लगा सकेंगे। इसका शिक्षणशास्त्रीय प्रभाव यह है कि शीर्षक एक में शिक्षणशास्त्रीय संभावना असफल होने की वजह से (काफी दूर तक कहानी के पूर्व अनुमानित होने की वजह से) विद्यार्थी के लिए कहानी उतनी रोचक नहीं रह जाती जितनी कि शीर्षक दो वाली कहानी है। क्योंकि इसमें कहानी के विकास का एवं अंत का विद्यार्थी ठीक से अनुमान नहीं लगा सकते कि कहानी में क्या होगा। अतः कहानी में उत्कंठा और रहस्य बनाए रखने का तत्व शामिल होने की वजह से वही कहानी विद्यार्थियों को पढ़ाने में अपेक्षाकृत अधिक सफल रही। अतः देखा जा सकता है कि शिक्षणशास्त्रीय दर्शन को केंद्र में रखकर शीर्षक का चुनाव, कहानी की शिक्षणशास्त्रीय संभावना को कितना खोलती है और कितना समेट देती है। पहला शीर्षक गैरनिर्मितीवादी परिप्रेक्ष्य से चयनित माना जा सकता और दूसरे शीर्षक के पीछे माना जा सकता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मितवादी उपागम काम कर रहा होगा। पहला शीर्षक घोषणावादी एवं निर्धारणवादी है इसलिए अच्छी कहानी की संभावना और सफलता शीर्षक पर भी निर्भर करती है।

कहानी की रचना में शिक्षणशास्त्रीय हस्तक्षेप

पाठ्यपुस्तक में शामिल कहानियों का इतिहास यदि देखें तो यह कह सकते हैं कि साहित्य से अमूमन कहानी उठाकर पाठ्यपुस्तकों में शामिल कर ली जाती है। कई मामलों में विद्यार्थियों की उम्र के अनुसार कहानियों का चयन किया जाता है और इस क्रम में कहानी का संक्षेपण एवं सरलीकरण किया जाता है। मूल कहानी जब पाठ्यपुस्तक में शामिल की जाती है तब पारंपरिक रूप से इतना ही हस्तक्षेप देखा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कहानी के प्रारंभ में उसकी भूमिका और उसे हासिल किए जाने वाले व्याकरणिक उद्देश्यों का निर्धारण कर, उसे कहानी के ऊपर दे दिया जाता है। कहानी के अंत में एक नैतिक उपदेश की भी पंक्ति कई बार दी जाती है इसके अलावा कहानी के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं देखा जाता। हाल के कुछ दशकों में पाठ्यपुस्तक में ढलने वाली कहानियों के ढाँचे में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उदाहरण के लिए, शोध-पत्र में शामिल कहानी 'टेल ऑफ टू बर्ड्स' (कक्षा 6 की अंग्रेज़ी की पाठ्यपुस्तक) रा.शै.अ.प्र.प. 2009 को लिया जा सकता है जिसमें कहानी के मध्य में आकर तीन बिंदु जोड़े गए हैं उसके बाद फिर से आगे की कहानी शुरू होती है। वे तीन बिंदु इस प्रकार हैं—

1. राजा समान आवाज़ फिर से सुनकर आश्चर्यचकित हो गया।
2. वह चिड़िया की सच्ची कहानी जान गया।
3. वह एक ऐसे ऋषि से मिला जिसने दोनों चिड़ियों के व्यवहार की व्याख्या की।

माना जा सकता है कि कहानी की प्रस्तुति में यह एक नवाचार है परंतु यह भी शिक्षणशास्त्रीय संभावनाओं से हीन तथ्यपरक है जिसका उल्लेख कहानी में ही है। कहानी ऐसा कोई पड़ाव पैदा नहीं करती जिससे विद्यार्थी अपने तरीके से कहानी में शामिल हो सकें, तरह-तरह से सोच सके और अपने विभिन्न अनुभवों को इससे जोड़ सकें। इस तरह कहानी प्रस्तुति के प्रारूप में परंपरा से हटकर किए गए हस्तक्षेप में बाल केंद्रीयता की जो संभावना हो सकती

थी, उसे यहाँ गवा दिया गया। दूसरी पाठ्यपुस्तक *पिटारा* में भी कहानी प्रस्तुति के प्रारूप में परंपरा से हटकर पाठ्यपुस्तक निर्माता ने अपने अनुसार कठिन माने जाने वाले शब्द को लाल रंग से उभारा है। इन शब्दों पर ध्यान देने पर यह साफ़ दिखाई देता है कि ऐसा करने के पीछे भाषा का तकनीकी उपागम काम कर रहा है। यानि मंतव्य यह है कि यह कहानी पढ़ते हुए विद्यार्थी उल्लिखित शब्दों के अर्थ जान जाएँ और उनके शब्दकोश का विस्तार हो सके। माना जा सकता है कि यह भाषा अधिगम के उस उपागम की वजह से है जिसमें भाषा अधिगम एक विखंडित प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत माना जाता है कि पहले भाषा का संवर्धन होता है फिर साहित्यिक रुझान पैदा करते हुए उसके रसास्वादन की ओर पाठक को बढ़ाया जाता है। 'संगति का असर' कहानी में पाठ्यपुस्तक निर्माता द्वारा उल्लिखित किए गए कठिन शब्द को उभारने की शैली विद्यार्थियों को यह मौका भी नहीं देती कि वह स्वयं ऐसे शब्दों का चुनाव कर सकें। हालाँकि, कहा जा सकता है कि उन्हें इस प्रारूप में भी ऐसा करने की मनाही नहीं है फिर भी पाठ्यपुस्तक की अधिकारिता की संस्कृति में शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा यह मान लिए जाने की पूरी संभावना है कि इस पाठ में उभारे गए शब्दों को जानना ही पर्याप्त होगा।

मूल्य वाहक के रूप में पाठ का संकोचन भारतीय स्कूल में हिंदी की कहानी पढ़ने-पढ़ाने के संदर्भ में रूढ़ संस्थानिक चरित्र एक सामान्य अनुभव है। वह यह है कि कहानी कहने से पहले ही यह तय कर लेना कि कहानी से निकालना क्या है? यानी कहानी का अंत क्या है? कहानी का अंत और कहानी के संदर्भ में अंतिम रूप से निर्धारित कर देने वाली बात क्या है? उसे अकादमिक भाषा में नैतिक उपदेश मूल्य के रूप में पहचाना जाता है। निश्चित रूप से यह व्यस्क निर्धारित उपदेश होते हैं जो कहानी की व्यक्तिनिष्ठता को खत्म कर उसे वस्तुनिष्ठ बना देते हैं। यानी इस उपागम में यह मान लिया जाता है कि यह वह वैज्ञानिक रास्ता है जिससे गुजरते हुए सभी एक ही जगह पहुँचेंगे, चाहे गुजरने वाले आपस में कितने भी भिन्न क्यों न हों। शोध में उद्धृत कक्षा अवलोकन से इसी बात की पुष्टि होती है कि अध्यापिका इसी उपागम की राही रही हैं। इस उपागम में कहानी के सफ़र के मोड़ों, पड़ावों, नज़ारों का मज़ा लेने की गुंजाइश सिकुड़ जाती है। इसके साथ ही पूर्व निर्धारित स्टेशन यानी तय किए गए नैतिक उपदेश तक पहुँचने की हड़बड़ी शामिल होती है। कहा जा सकता है कि पूरी कहानी में मूल्य का लदाव पाठ से विद्यार्थियों को घुलने-मिलने का मौका नहीं देता। हिंदी अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्र में कहानी पढ़ने पढ़ाने की गतिविधि का मुख्य ध्येय, उद्देश्य, मूल्य नैतिकता के इस दुराग्रह के मनोविज्ञान का खुलासा करते हुए पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं कि हिंदी की कक्षा में घुसते ही हर बच्चा चरित्रहीन हो जाता है क्योंकि पाठ्यपुस्तक की सारी चिंता उसका चरित्र निर्माण करने की है (अग्रवाल, पृ. सं. 12)।

कहानी का चयन

कहानी के द्वारा नीति, उपदेश, मूल्य निचोड़ लेने के शिक्षणशास्त्र पर गिजूभाई (2006) की टिप्पणी है कि "कहानी द्वारा कहें या उपदेश द्वारा कहें, मुख से कहें या लेख से कहें, मनुष्य को नीति ज्ञान देने का जबरदस्त शौक लग गया है। इसका कारण कुछ और नहीं तो यह तो है ही कि मनुष्य में नीति की वृत्ति कहाँ से आती है और कैसे विकसित होती है इसका उसे वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है" (बधेका, पृ. सं. 186)।

© NCERT not to be republished

कहानी के नीतिपरक शिक्षणशास्त्र की परिणति पर इनका कहना है कि "अगर नीति शिक्षण के इतने अधिक प्रयत्नों से थोड़ी बहुत नीति भी बालकों में उत्तरी होती तो आज अनेक विद्यालयों में से नीति शिक्षण का कालांश हटा दिया होता अथवा हमें नीति नीति की पुकार आज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती" (बधेका, पृ. सं. 186)।

कुमार (2006 एवं 2009) का मानना है कि कहानी सुनाने का उद्देश्य बमुश्किल ही बच्चों में चरित्र का विकास करना हो बल्कि इसकी जगह कहानी का उद्देश्य विद्यार्थियों में सुनने की क्षमता और संस्कृति का विकास करना, अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना, हमारे भौतिक जगत को विस्तार देने के साथ-साथ शब्दों को अपना मायने देना है। उनका मानना है कि कहानी के ज़रिए सांस्कृतिक अनुभवों की विविधता के साथ-साथ आज जो आधुनिक शिक्षा एवं जनसंचार माध्यमों के द्वारा एकहरी अभिव्यक्ति का जो संसार रचा जा रहा है उसके बरक्स यह विविधता का संसार रचने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए।

कहानी शिक्षण के उद्देश्य पर प्रसिद्ध भाषा चिंतक ब्रिटेन ने कहा है कि कहानी शिक्षण का मतलब विद्यार्थियों को अन्य लोगों के अनुभव में प्रवेश कराना है। कोई भी बच्चा बीते हुए युगों के लोगों के जीवन में ऐतिहासिक तथ्यों और दूसरे देशों के लोगों के जीवन में स्वयं को शामिल करके भौगोलिक तथ्यों को समझता है। ऐतिहासिक और भौगोलिक मुद्दों का यह सहानुभव उसे उनके निर्वैयक्तिक मूल्यांकन की ओर ले जाता है। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सभी प्रकार के मानवीय मामलों में निर्णय वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के अनुभवों से परे अनुभवों से उभरे दया भाव और समझ के आधार पर निर्मित होता है (बधेका, पृ. सं. 151)।

कहानी का शिक्षणशास्त्र एक तरह से परिस्थिति विशेष में पात्र विशेष के क्रियाकलापों, सोच विचारों एवं नज़रिए से विद्यार्थी से संवाद करना है। यह संवाद नैतिकोन्मुखी कहानी के शिक्षणशास्त्र में संवाद की संभावना पैदा करने के पहले ही खत्म हो जाता है।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

अग्रवाल, पुरुषोत्तम. 2006. बच्चे, पाठ्यपुस्तकें और राजनीति. *शिक्षा विमर्श.* वर्ष 8. अंक-दो. मार्च-अप्रैल. दिगंतर. जयपुर.

कुमार, कृष्ण. 2009. *वॉट इज़ वर्थ टीचिंग.* ओरियंट ब्लैकस्वान. नयी दिल्ली.

———.1996. *बच्चे की भाषा और अध्यापक एक निर्देशिका.* नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली.

बधेका, गिजूभाई. 2006. कथा कहानी का शास्त्र (अनु. राम नरेश सोनी). राजलदेसर, चुरू. मोंटेसरी- बाल- शिक्षण- समिति.

ब्रिटेन, जेम्स. 2006. *भाषा और अधिगम* (अनु. प्रेम कुमार शर्मा). ग्रंथ शिल्पी, नयी दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 2009. *हनीकॉम* (कक्षा 6 की अंग्रेज़ी की पाठ्यपुस्तक). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

2

शिक्षा
चॉक एंड डस्टर के इर्द-गिर्द

पवन सिन्हा*

शिक्षा के संदर्भ में चॉक एंड डस्टर का उल्लेख हो तो केवल स्कूल या कॉलेज के चॉक एंड डस्टर की तस्वीर ही आँखों के सामने झट से घूम जाती है। 'झट से' बहुत महत्वपूर्ण संकेत है जो यह बताता है कि हमारी स्वयं की अवधारणाएँ कितनी 'बँधी हुई' और 'कितनी संकीर्ण' हैं। यह स्वीकारोक्ति सहज नहीं है, लेकिन सत्य तो है ही। इसी चॉक एंड डस्टर के इर्द-गिर्द शिक्षा की समस्त अवधारणाएँ स्वत: ही 'खुलती' हैं जब एक-एक करके, परत-दर-परत शिक्षा के अर्थ उद्घाटित होते चलते हैं। इस अर्थ में यह संज्ञान होना आवश्यक है कि शिक्षा, शिक्षण-प्रशिक्षण, सीखना, स्कूल, कक्षाएँ... और सिनेमा भी इस शिक्षा की असलियत को उद्घाटित करता है। भारत जैसे विविधता भरे देश में ऐसे बच्चे भी हैं, जिनके जीवन में स्कूल-कक्षा वाले चॉक एंड डस्टर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं और एक तरह का डिजिटल विभेद उन्हें परेशान करता है। और हमें भी। मोबाइल या कंप्यूटर पर जो चॉक एंड डस्टर का 'खेल' खेला जाता है, आदिवासी बच्चे उससे भी वंचित रह जाते हैं। क्या करें? है कोई समाधान? प्रस्तुत लेख चॉक एंड डस्टर के बहाने शिक्षा की इन्हीं इर्द-गिर्द वाली नैसर्गिक अवधारणाओं को आलोचनात्मक रूप से समझने, गुनने और क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया है।

© NCERT not to be republished

शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण– ये तीनों ही शब्द समान प्रतीत होते हैं... 'प्रतीत' होते हैं, लेकिन एक समान हैं नहीं, क्योंकि इनमें अर्थ की दृष्टि से बहुत गहरा अंतर है। यह अंतर इनके स्वभाव, प्रकृति और उद्देश्य को लेकर है, हालाँकि वामन शिवराम आप्टे के *संस्कृत-हिंदी कोश* में 'शिक्षा' के विभिन्न अर्थों का उल्लेख करते हुए 'अध्यापन', 'शिक्षण', 'प्रशिक्षण' को भी शामिल किया गया है। हम जानते हैं कि शिक्षा स्वयं में एक बृहद संकल्पना है और उसमें जीवन का हर आयाम शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीने का, जीवन का मौलिक अधिकार देता है और जीवन भी कैसा, जो गरिमामय हो, यानी जीवन जीने में गुणवत्ता का होना ज़रूरी है, वरना 'बहुतों का जीवन तो फुटपाथ पर ही बीत रहा है।' जीवन के इस अधिकार के साथ ही अनुच्छेद 21A शिक्षा का मौलिक अधिकार भी देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 21A – दोनों की 'संगति' संगतकार' की तरह है – यह दोनों एक-दूसरे को निरंतर प्रभावित करते हैं। एक में होने वाला 'बेताला-पन' दूसरे के 'सुर' और 'ताल' को बिगाड़ देता है। संगीत का जीवन और जीवन का संगीत-दोनों में संगतकार और उनकी अदायगी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जीवन और शिक्षा में भी यही संबंध दृष्टिगत होता है। शिक्षा जीवन

* *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, मोतीलाल नेहरू, दिल्ली विश्वविद्यालय

को प्रभावित करती है और जीवन शिक्षा को। सुर और ताल से पगी शिक्षा मानव जीवन में ऐसा 'राग' उत्पन्न करती है कि व्यक्ति समरसता और आनंद का अनुभव करता है। यह शिक्षा जीवनपर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो जीवन को न केवल उन्नत बनाती है बल्कि उत्कृष्ट भी बनाती है।

शिक्षण और प्रशिक्षण

अब सवाल आता है— अध्यापन या शिक्षण और प्रशिक्षण का। वामन शिवराम आप्टे के *संस्कृत-हिंदी कोश* में 'शिक्षणम्' का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है— 'शिक्ष्+ल्युट्'— सीखना, अधिगम, ज्ञानार्जन, अध्यापन और सिखाना। इसी संस्कृत शब्दकोश के अनुसार 'अध्यापन' का अर्थ है— 'पढ़ाना', 'सिखाना', 'व्याख्यान देना।' इसका यह अर्थ है कि शिक्षण में सीखना-सिखाना दोनों ही शामिल हैं। यदि गहराई से देखें, तो यह समझ में आता है कि सिखाने के लिए स्वयं सीखना भी ज़रूरी है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता सीखना स्वयं है और अपने 'अंदाज़' के साथ सीखना है। अगर हम किसी को भी 'कुछ भी सिखा सकते' तो कक्षा के सभी बच्चे और समाज के सभी सदस्य 'वह सब कुछ सीख जाते, जो सिखाया या सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मनोविज्ञान का सिद्धांत ताकीद भी करता है कि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इसलिए हर बच्चा अपने आप में विलक्षण है, अलग है और विशिष्ट है। हर बच्चे का स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसके दोस्त, उसकी खूबियाँ, उसकी खामियाँ, उसकी पसंद-नापसंद, उसका दृष्टिकोण, उसके सोचने-समझने का अंदाज़, तरीका और सलीका... सब अलग है, क्योंकि उसका परिवेश, उसकी परवरिश, उसका अनुभव, उसकी संस्कृति, उसका समाज सब अलग है और उसके 'माता-पिता' भी तो अलग ही हैं। हम केवल सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकते हैं... सीखने की ज़िम्मेदारी सीखने वाले पर अपेक्षाकृत अधिक है। यह भी गौरतलब है कि हम किसी को सब कुछ नहीं सिखा सकते केवल सीखने की कला, सीखने के हुनर और सीखने में मदद कर सकते हैं। हमें बच्चों की यह सीखने में मदद करना है कि 'सीखा कैसे जाता है।' तो सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सीखने की यात्रा के सहगामी होते हैं और एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो स्वयं सीखना बंद नहीं करता। जो आज है, वह कल नहीं होगा और जो कल होगा, वह निकट भविष्य में नहीं होगा... तो सीखने की प्रक्रिया जीवनपर्यंत चलती रहती है।

इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही शिक्षा में ये तीनों बातें शामिल हों लेकिन इनकी ज़िम्मेदारी सीखने वाले पर सबसे ज़्यादा रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चे यानी सीखने वाले की क्षमता, स्तर और अंदाज़ को समझा जाए। अब अगर हम प्रशिक्षण के बारे में गहराई से विचार करते हैं तो एक दृष्टिकोण कहता है कि यह शब्द मनुष्य या मानव के शिक्षण के संदर्भ में 'कुछ' खटकता है। कारण? प्रशिक्षण का अंग्रेज़ी में शब्द है— ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग जैसे शब्द का प्रयोग जानवरों को सिखाने के लिए किया जाता है। मानव या मनुष्य के संदर्भ में शिक्षण शब्द या शिक्षा शब्द ही अधिक उपयुक्त लगता है। इस बारे में दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि प्रशिक्षण में हालाँकि शिक्षण शब्द भी जुड़ा है और अगर 'प्र' उपसर्ग का विवेचन किया जाये तो उसका अर्थ होता है— अधिक, आगे, उत्कृष्ट। अगर

© NCERT not to be republished

इस दृष्टिकोण से प्रशिक्षण को देखें तो यह खटकता नहीं है। इस अर्थ में प्रशिक्षण का अर्थ हुआ अलग है— अधिक शिक्षण, उत्कृष्ट शिक्षण। समस्या यह है कि शब्द जिस समय में, जिस अर्थ में प्रयुक्त होते थे, कालांतर में उन शब्दों के प्रयोग या प्रयोग के प्रचलन में अंतर आ गया और फिर वह शब्द अपना अर्थ-संकोच कर लेता है। शिक्षा में शिक्षण तो है ही, प्रशिक्षण में वह उत्कृष्टता की माँग करता है। शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण में शिक्षा-शास्त्र को बच्चों के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। जैसे बच्चे– वैसा शिक्षण, वैसी प्रक्रिया और वैसा अंदाज़। यह अंदाज़ शिक्षक वर्ग से बहुत सारी अपेक्षाएँ रखता है और सबसे ज़्यादा यह कि हम बच्चे को समझें। शिक्षा की समस्त प्रक्रियाएँ बच्चे के इर्द-गिर्द ही घूमती हैं। हमारे समस्त प्रयासों की धुरी बच्चा है और बच्चा ही होना चाहिए। लेकिन परिवार, शिक्षक, शाला, समाज और नीति-निर्माता बच्चों के प्रति अपनी इस ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं हैं, क्योंकि बच्चों की शिक्षा हम सबकी साझी ज़िम्मेदारी है।

वामन शिवराम आप्टे के *संस्कृत-हिंदी कोश* में शिक्षा के विभिन्न अर्थों का उल्लेख प्राप्त होता है जिसने शिक्षा के भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनेक आयामों को उद्घाटित किया और शिक्षा की विस्तृत विवेचना की। वामन शिवराम आप्टे के *संस्कृत-हिंदी कोश* में 'शिक्षा' का संबंध 'शक्ति ' से भी है। यह बात बेहद महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षा बच्चों को आवाज़ उठाने की ताकत नहीं देती उसे कहीं-न-कहीं यह डर होता है ये 'साहसी बच्चे' उनके ही विरूद्ध आवाज़ न उठाने लग जाएँ इसका अर्थ यह है कि शिक्षा में वह ताकत या शक्ति होती है जो 'कुछ का कुछ' कर दे या फिर तख़्ता पलट दे। अब सवाल उठता है कि यह शक्ति क्या है और इस शक्ति का प्रस्फुटन कैसे होता होता है? दरअसल यह शक्ति है— तर्क की, ज्ञान की और विवेक की। जिसके पास भी ये कुशलताएँ या क्षमताएँ होंगी, वह स्वयं तो शक्तिशाली होगा ही, साथ ही दूसरों को शक्तिशाली बनाने की कोशिश भी करेगा, जिससे सुव्यवस्था बनी रहे। तर्क तो तर्क है उसकी काट तर्क से ही होती है और तर्क के लिए ज्ञान कि ज़रूरत होती है। लेकिन यह ज्ञान कौन सा ज्ञान है? कैसा ज्ञान है? यह प्रामाणिक ज्ञान है, कोरी कल्पना या मिथ्या नहीं है। यह ज्ञान स्व-अनुभूत है या दूसरों के अनुभव का हिस्सा है? यह ज्ञान अनुभव का हिस्सा तो है, फिर चाहे वह स्व-अनुभूत हो या दूसरों द्वारा अनुभूत हो। हम दूसरों के अनुभव का भी लाभ ले सकते हैं और उसे अपना अनुभव बना सकते हैं। एक गुरु जब अपने शिष्यों के साथ अपने अनुभवों को साझा करता है तो फिर वे अनुभव शिष्यों के अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। तो यह ज्ञान और तर्क की शक्ति है इतना तो तय हो गया। अब दूसरा सवाल यह कि शक्ति प्रस्फुटित कैसे होती है? इसके लिए निरंतर चिंतन और विश्लेषण की ज़रूरत होती है। जब हम कोई बात सुनते हैं या कोई घटना देखते हैं तो हमारे मन-मस्तिष्क में उसका विश्लेषण निरंतर चलता रहता है और हम अपने मत का निर्धारण भी लगातार करते चलते हैं। किसी बात या किसी प्रतिक्रिया से हम सहमत होते हैं तो किसी से नहीं। यह 'हाँ' और 'ना' का निर्धारण कौन करता है? 'हम'। हम कौन? हम है— हमारी सोच, चिंतन का स्तर, हमारा अध्ययन और अनुभव। अब सवाल उठता है कि हाँ या ना के निर्धारण में कौन सबसे पहले हैं और कौन बाद में? सोच या अनुभव? यह तय करना अभी मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में

अभी और गहराई चाहिए। सोच अनुभव को आकार देती है या अनुभव सोच को गढ़ता है? शायद अनुभव सोच को आकार देता है, उसे गढ़ता है। वह क्यों? वह इसलिए, क्योंकि जब एक ही तरह के अनुभव लगातार होते हैं तो हमारी सोच वैसी बनती चली जाती है। अकसर देखने में आता है कि अभिजात्य वर्ग के बच्चे अपना अलग गुट बनाकर रहते हैं और दूसरे बच्चों को कमतर मानते हैं तो ये अनुभव इस सोच को विकसित करते हैं कि अभिजात्य वर्ग के लोग 'कुंठा' (श्रेष्ठता का अभिमान) के शिकार हैं, वे अहंकारी और स्वार्थी हैं और उनमें छोटे-बड़े का भेदभाव है। उनके लिए पद, पैसा ही सर्वोपरि है, मानवीय मूल्य कुछ भी नहीं। इस तरह हमारे अनुभवों ने हमारी सोच विकसित कर दी और इस 'सोच' की 'लपेट' में वह व्यक्ति भी आ गया जो आभिजात्य वर्ग का तो है लेकिन उनके जैसा नहीं हैं वह— बेहद विनम्र, बेहद मिलनसार है। लेकिन हमारी सोच उस भले व्यक्ति को भी कठघरे में खड़ा कर देती है। इस तरह से सोच, चिंतन, तर्क सब भीतर है, उसे अभिव्यक्त होने के लिए 'स्थान' चाहिए, ताकि वह 'विस्तार ले सके', उसे 'हवा' चाहिए कि वह 'भड़क' सके और उसे खुराक या खाद चाहिए ताकि वह बढ़ सके। शक्ति के प्रस्फुटन के लिए अवसर और संवाद चाहिए। हमने अपने बच्चों और युवाओं को शिक्षा की यही शक्ति नहीं दी, 'अनुभव' से 'आंदोलन' की यात्रा प्रशस्त नहीं की... डर है कि ये कहीं ये अन्याय के विरूद्ध खड़े न हो जाएँ।

चॉक एंड डस्टर और चॉक एन डस्टर

चॉक एंड डस्टर देखे हुए मुद्दत हो गई और फ़िलहाल के जीवन में उस चॉक एंड डस्टरकी शून्यता का एहसास हर समय रहता है। लेकिन एक *चॉक एन* डस्टर सदा मेरे चेतन स्तर पर रहती है और मेरे शिक्षक मन को सदा उद्वेलित करती है। वस्तुत: पहला चॉक एंड डस्टर स्कूल और महाविद्यालय की 'खाली' कक्षाओं से जुड़ा है और दूसरा *चॉक एन* डस्टर विद्यालयी व्यवस्थाओं के 'खोखलेपन' से जुड़ा है। दरअसल यह एक फ़िल्म है जो हृदय और बुद्धि दोनों पर एक साथ प्रहार करती है। पहला चॉक एंड डस्टर कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण खाली पड़े महाविद्यालय और कक्षाओं के संदर्भ में है, जो फ़िलहाल समय की माँग के कारण ऑनलाइन में तब्दील हो गए हैं। दूसरी *चॉक एन डस्टर* एक मार्मिक फ़िल्म है जो शिक्षा जगत की सच्चाई और शिक्षा के व्यवसाय बन जाने की कहानी कहती है। यह फ़िल्म एक प्राइवेट स्कूल के भीतर घटने वाली घटनाओं को जिस तरह से प्रस्तुत करती है उससे कई अहम सवाल उठ खड़े होते हैं। फ़िल्म में एक संवेदनशील और ईमानदार प्राचार्या इंदु शास्त्री से स्कूल के सभी सदस्य प्रसन्न हैं। लेकिन स्कूल के मैनेजर, जो विदेश से 'कोई' पढ़ाई करके लौटे हैं (शिक्षा की पढ़ाई नहीं),अपने स्कूल को किसी भी कीमत पर उस जगह के सबसे अव्वल दर्जे का स्कूल बनाना चाहते हैं। लिहाज़ा सभी ईमानदार, ज्ञानवान और सम्मानीय शिक्षकों की छंटनी शुरू होती है, क्योंकि अब स्कूल को स्मार्ट टीचर चाहिए। इतना ही नहीं, स्कूल के बच्चों की फीस बढ़ा दी जाती है, उसी स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षकों के बच्चों से भी फीस वसूल की जाती है। तो लिहाज़ा सब दुखी हैं। स्कूल की नई प्राचार्या कामिनी गुप्ता की दूषित मानसिकता और खराब व्यवहार के कारण उस स्कूल की बहुत अनुभवी शिक्षिका विद्या सावंत को दिल का दौरा आ जाता है और वे अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं। इस पूरे प्रक्रम में उसी स्कूल की तेज़, चतुर और संवेदनशील शिक्षिका

ज्योति के हस्तक्षेप से विद्या सावंत का इलाज हो पाता है और स्कूल वापसी भी। यह फ़िल्म स्कूलों के बीच लगती होड़ के कारण होने वाली क्षति को तो दर्शाती ही है लेकिन साथ ही इस ओर भी संकेत करती है कि विलायत से पढ़ा उद्योगपति का बेटा, जिसके पास एजुकेशन की कोई पढ़ाई, डिग्री, अनुभव नहीं है, वह शिक्षकों से भी ऊपर है, आखिर वह स्कूल का मालिक है... और शिक्षक महज़ 'एक नौकरी करने वाला है'। यह एक कठोर वास्तविकता है कि बहुधा शिक्षकों की स्वयं की पढ़ाई, अनुभव और विद्वत्ता को एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है। यह शिक्षकों का अपमान ही तो है तथा यह अपमान रोज़ होता है और षड्यंत्रों के तहत होता है। शिक्षकों को इतना परेशान कर दिया जाए कि वे स्वयं ही नौकरी छोड़कर चले जाएँ।

आज फ़िल्म वही है, घटनाएँ वही हैं, लेकिन किरदार बदल गए हैं। आज स्कूल एक बहुत बड़ा व्यवसाय या उद्योग बन गया है। जिसके पास पैसा है, वह कोई बिजनेस खोलना चाहता है तो वह स्कूल खोल लेता है। फिर स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। एक-दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए मीडिया का सहारा लिया जाता है। आज सोशल मीडिया समाज की तमाम तरह की व्यवस्थाओं पर हावी है। शिक्षा भी उससे अछूती नहीं है। सोशल मीडिया ने शिक्षकों के अजीबो-गरीब कारनामों को तो पूरी शिद्दत से समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं लेकिन उनकी तकलीफ और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, भ्रष्टाचार को समाज के समक्ष नहीं रखते। इस फ़िल्म में सोशल मीडिया का नकारात्मक और सकारात्मक स्वरूप एक साथ देखने को मिलता है। विद्या सावंत को द्रोणाचार्य के रूप में और उनके विद्यार्थियों को अर्जुन के रूप में स्थापित करके एक गुरु के लिए सहायता जुटाई जाती है। ये ऐसे क्षण हैं जो शिक्षक ने अपने शिक्षकत्व से कमाए हैं। यह शिक्षकत्व भी इतना सरल नहीं है, बरसों की तपस्या है। फ़िल्म जिस तरफ संकेत करती है और जो स्थितियाँ हैं उसने भी शिक्षकों को बदहाल कर रखा है। कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन लगा और स्कूल भी बंद हो गए हैं। लेकिन स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से संचालित होने लगे हैं। अब बच्चे स्कूल में नहीं अपने घरों में हैं, तो फीस भी पूरी क्यों देंगे? फ़ीस नहीं है तो शिक्षकों को वेतन कैसे देंगे? आधा वेतन देकर पूरा काम करवाएँगे। अब कक्षा ऑनलाइन है तो शिक्षक भी उतनी संख्या में नहीं चाहिए तो शिक्षकों की छंटाई भी शुरू हो गई। फ़िल्मी स्कूल में शिक्षकों की छंटाई जिस तरह होती है उससे और भी बुरी तरह इन प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की छंटाई होती है।

चॉक एन डस्टर फ़िल्म कई सवाल खड़े करती है। अच्छा स्कूल कैसा होता है? अच्छे शिक्षक कैसे होते हैं? अच्छा विद्यालय-प्रबंधन कैसा होता है? भ्रष्टाचार किस तरह से शिक्षा की जड़ें काट रहा है? कुल मिलाकर शिक्षा-व्यवस्था पर प्रहार करती फिल्म आशा की किरण को प्रस्फुटित करती है और यह समझाती है कि भ्रष्टाचार व्यक्ति करता है और इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने में व्यक्ति की ही भूमिका सर्वाधिक है। अकसर हमारे समस्त निर्णयों को हमारा आर्थिक पक्ष नियंत्रित करता है और सत्य, न्याय के मार्ग पर प्रशस्त व्यक्ति उल्टे पैर लौट चलता है, क्योंकि सत्य, न्याय के मार्ग पर धन तो जाएगा ही, प्रतिष्ठा एवं पद चला जाएगा और दो वक्त के भोजन का इंतज़ाम कैसे होगा? परिवार कैसे चलेगा? यही

समस्या फिल्म में शिक्षिका विद्या सावंत के सामने थी जिसके पति व्हीलचेयर पर हैं और घर उनके वेतन से ही चलता है। आज भी अनेक शिक्षकों के सामने यही यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो उनकी ही आवाज़ को खामोश कर दिया जाएगा। इतना सरल नहीं है यह सब, लेकिन असंभव भी नहीं है और यही घोषित करता है फ़िल्म का अंत। विद्या सावंत और ज्योति की फिर से स्कूल वापसी होती है और फिर उनके हाथ आता है— चॉक एंड डस्टर।

चॉक एंड डस्टर का डिजिटल विभेद

किसी भी स्कूल, कक्षा में चॉक एंड डस्टर सहज भाव से प्राप्त साधन है जो सीखने-सिखाने में काम आता है। इस अर्थ में चॉक एंड डस्टर एक साधन मात्र है, साध्य नहीं, लेकिन अगर कोविड–19 महामारी के दौरान आपके पास कोई डिजिटल साधन न हो तो आपका सीखना कहीं-न कहीं बाधित होता है। इस महामारी के समय मोबाइल, लैपटाप, कंप्यूटर आदि साधन न हो तो आप ऑनलाइन कक्षाओं में कैसे जुड़ पाएँगे? पता नहीं। बस, यहीं से विभेद प्रारंभ होता है और इस विभेद की खाई बहुत गहरी होती जाती हैं। कोविड–19 ने पूरी दुनिया में जिस तरह का माहौल पैदा किया है उससे दुनिया के बच्चे भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। लेकिन सभी देश अपने-अपने तरीके से इस महामारी से निपटने का कार्य कुशलता से कर रहे हैं। कोविड–19 के कारण देश के स्कूल बंद हैं ताकि बच्चे घर पर रह कर ही सुरक्षित रूप से अपनी पढ़ाई कर सकें। लॉकडाउन के समय में भारत सरकार ने विद्यालय जाने वाले बच्चों के सीखने के लिए शैक्षणिक वैकल्पिक कैलेंडर जारी किए हैं। लेकिन गाँव और जनजातीय या आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा पर मुखर आवाज़ सुनना शेष है। कोशिश की जा रही है की इन तक भी अपनी पहुँच बनाई जाए।

भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 10.43 करोड़ जनसंख्या जनजातीय है *एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स एट अ ग्लांस, 2018* भारत सरकार के अनुसार अनुसूचित जनजाति के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 2,53,68,000 है। ये बच्चे कक्षा 1 से 12 तक (6–17 वर्ष) के हैं जबकि भारत में इस उम्र के कुल 26,05,97,000 स्कूल में पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि लगभग 26 करोड़ बच्चों में से लगभग 2 करोड़ बच्चे इन तमाम तरह की ऑनलाइन सुविधाओं से वंचित होंगे। हाँ, सारे बच्चे नहीं लेकिन फिर भी अधिकांश बच्चे इन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते होंगे क्योंकि 10.43 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोगों में से केवल 10.43 प्रतिशत ही शहरी क्षेत्रों में रहते हैं यानी 89.97 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के आँकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जनजाति के 33.6 प्रतिशत लोगों को पीने तक का पानी लेने के दूर जाना पड़ता है और लगभग 26.6 प्रतिशत लोग नदी, तालाब, झील, खुले हुए कुओं या अन्य स्रोतों से पीने का पानी लेते हैं। केवल 51.7 प्रतिशत लोगों को बिजली की सुविधा प्राप्त है जबकि अन्य लोग केरोसिन तेल या अन्य साधनों पर निर्भर रहते हैं। अब हम मुद्दे के और भी नजदीक पहुँचते हैं तथा यह जानते हैं कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया है उसके लिए इन लोगों के पास कोई उपकरण

© NCERT not to be republished

है भी नहीं। केवल 31.1 प्रतिशत लोगों के पास मोबाइल की सुविधा है, वह भी स्मार्ट फ़ोन हो, यह सुनिश्चित नहीं है। लैंडलाइन और मोबाइल–दोनों की सुविधा वाले कुल 1.8 प्रतिशत लोग हैं। टेलीविज़न केवल 21.9 प्रतिशत लोगों के पास है और कंप्यूटर या लैपटॉप केवल 4.4 प्रतिशत लोगों के पास है। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाले आँकड़े यह हैं कि 37.3 प्रतिशत लोगों के पास इनमें से किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं हैं। अब क्या करेंगे ये बच्चे?

एक और बात संज्ञान में हो कि ऑनलाइन या मीडिया के माध्यम से सीखने के लिए माता-पिता के सहयोग की भी अपेक्षा की गई है। इसका मतलब यह है कि माता-पिता बच्चों को शैक्षाणिक वैकल्पिक कैलेंडर में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सिखा पाएँगे और बच्चे के सीखने में मदद करेंगे। ये दिशा-निर्देश भी समाज के केवल एक ही वर्ग को संबोधित करते हैं। उन बच्चों का क्या जिनके माता-पिता निरक्षर हैं? या फिर वे आज की पढ़ाई-लिखाई से परिचित नहीं हैं, या फिर वे इस लॉकडाउन में दो वक्त की रोटी का प्रबंध करने में चिंतित रहते हैं, या काम और भोजन की तलाश में रहते हैं। अनुसूचित जनजाति के लोगों की साक्षरता दर 58.96 प्रतिशत है जबकि भारत की साक्षरता दर 72.99 प्रतिशत है। लगभग 47 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं और प्राथमिक स्तर तक पढ़े लिखे लोग 24.2 प्रतिशत हैं और माध्यमिक स्तर तक की पढाई-लिखाई करने वाले केवल 14.3 प्रतिशत लोग हैं। माध्यमिक का आँकड़ा 8.4 प्रतिशत है और उच्च माध्यमिक का आँकड़ा 4.2 प्रतिशत है तथा किसी तरह का डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले लोग केवल 0.4 प्रतिशत हैं और स्नातक का प्रतिशत 1.6 है। अब आप स्वयं तय कीजिए कि कितने माता-पिता अपने बच्चों के पढ़ने-लिखने में मदद कर सकेंगे? हम ग्रामीण क्षेत्रों को भी जितना सरल समझ रहे हैं, वे दरअसल उतने सरल नहीं हैं। शहर के ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में ज़मीन-आसमान का अंतर है। मीलों बीहड़ जंगल और दूर-दूर तक कोई बस्ती भी नहीं। सोचिए, ऐसे हालतों में रहने वाले लोग कहाँ, कैसे और कितना अपने बच्चों की पढाई पर ध्यान दे पाएँगे? वे तो स्कूल के अध्यापक पर ही निर्भर थे और अब अध्यापक भी खुद लॉकडाउन के कारण घर से निकल नहीं पा रहे हैं। भारत जैसे विविधता भरे देश में एक 'दिशा-निर्देश' से सभी को दिशा नहीं मिल पाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि सभी राज्य अपने भूगोल, समाज-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दिशा-निर्देश तय करें ताकि सभी बच्चों को उसका लाभ मिल सके। अत: सभी को मिलकर अपने-अपने हिस्से के दायित्व पूरे करने होंगे और यह सोचना होगा कि इन आदिवासी बच्चों तक शिक्षा की पहुँच कैसे बनाई जाए। यह अवसर अपनी शिक्षा की व्यवस्था और उसके तौर-तरीकों की बारे में विचार करने और उन तौर-तरीकों को ठीक करने का है। जो लोग दुर्गम इलाकों में रहते हैं उन तक 'नेटवर्क' का मिलना भी समस्या है। सोचिए, बच्चे कहाँ खड़े होंगे? और कैसे नेटवर्क से जुड़ पाएँगे इन स्थितियों को देखकर यही समझ में आता है कि समावेशी शिक्षा की केवल बात करने के कारण कहीं इस देश के बहुत सारे बच्चों को इस शिक्षा व्यवस्था से बाहर खदेड़ते तो नहीं चले जा रहे? शिक्षा और शिक्षा की व्यवस्था पर पुनर्विचार अत्यंत आवश्यक है।

बात चाहे चॉक एंड डस्टर की उपलब्धता की हो या *चॉक एन* डस्टर सिनेमा की हो दोनों ही जीवन का कठोर यथार्थ व्यक्त करते हैं। सिनेमा भी एक प्रभावी माध्यम है जो सीधे-सीधे और बहुत पैने तरीके से अपनी बात कहता है और एक बड़ा गहरा संदेश छोड़ता है। जैसा कि ज्ञात है कि फ़िल्म में विद्या सावंत और ज्योति की फिर से स्कूल वापसी होती है और फिर उनके हाथ आता है — चॉक एंड डस्टर। असल ज़िंदगी में यह मुश्किल तो लगता है, कभी-कभी असंभव भी लगता है... लेकिन फ़िल्मों की कहानियाँ आपके-हमारे असल जीवन से ही कुछ घटनाएँ उधार लेती हैं। ठीक वैसे ही जैसे उसने चॉक एंड डस्टर लिया और बना दी — *चॉक एन* डस्टर। साथ ही आदिवासी जनजातीय बच्चों के चॉक एंड डस्टर के समुचित प्रबंध पर भी गहराई से विचार किया जाना चाहिए। अंतत: शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का मौलिक अधिकार है... आदिवासी जनजातीय बच्चों का भी। कभी इनके पैमाने से भी दुनिया को देखा जाना चाहिए।

संदर्भ

आप्टे, वामन शिवराम. 1969. *संस्कृत-हिंदी कोश,* मोतीलाल बनारसी दास, पटना

एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, 2018, भारत सरकार

चॉक एन डस्टर (फ़िल्म) 2019. https://youtu.be/xTeK0Nymd14 पर देखा गया।

© NCERT not to be republished

3

आधारभूत साक्षरता का घटक 'पढ़ना' सृजन एवं संवर्धन

संध्या संगई*

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षा का मूलभूत आधार माना गया है। नीति निर्माताओं के विचारानुसार कक्षा तीन तक सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान हो जाना चाहिए ताकि आगामी कक्षाओं की पढ़ाई को वे सुचारू रूप से कर सकें। बुनियादी साक्षरता में पढ़ने-लिखने का कौशल मूल रूप से शामिल है लेकिन आवश्यकता यह समझने की है कि बच्चे पढ़ने-लिखने का कौशल कैसे ग्रहण करें और इस कौशल में कौन-कौन से उप-कौशल पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। 'पढ़ना' एक महत्वपूर्ण साक्षरता कौशल है। इसका अभिप्राय मात्र शब्दों और वाक्यों का वर्णों के आधार पर पहचान कर बता देना ही नहीं है अपितु एक सामग्री विशेष का क्या सार है या भाव है इसका अर्थग्रहण करना है। 'पढ़ना' एक बुनियादी कौशल है। इस कौशल को बच्चों में किस प्रकार विकसित किया जाए, अर्थ-ग्रहण की क्षमता विभिन्न प्रकार से कैसे बढ़ाई जाए तथा माता-पिता व परिजन किस प्रकार इस कौशल के समग्र विकास में सहायक हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं को इस लेख के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

© NCERT not to be republished

वर्तमान समय में देश के हर वर्ग की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्वागत किया गया है। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के द्वारा राष्ट्र को आगे लेकर जाने की आशा, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो या उद्योग से या रोज़गार बाज़ार से, जताई गई है। शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन की भी अनुशंसा की गई है। यद्यपि साथ ही यह भी कहा गया है कि भौतिक रूप से बहुत फेरबदल संभव नहीं है। इसलिए वर्तमान ढाँचे में, सोच में या कार्यों की रूपरेखा में आवश्यक संशोधन कर नीति में की गई अनुसंशसाओं की अनुपालना होनी चाहिए। इस नीति का सर्वाधिक सराहनीय कदम पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल पर पूरा ज़ोर दिया जाना है। यह कदम बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित था। यद्यपि व्यापक रूप से इस बात को माना गया है कि मानव मस्तिष्क का तीव्रतम विकास शुरुआती छः वर्षों में होता है। ये शुरुआती छः वर्ष इंगित करने लगते हैं कि अमुक बच्चा किस प्रकार अच्छा सीखकर जीवन में उपलब्धि प्राप्त करने में सक्षम है। कहा जाता है कि प्रांरभिक वर्षों में किया गया निवेश विकास की गति तीव्रतर करता है। इसे राष्ट्र की समृद्धि की दृष्टि से भी सराहा जाता है। वर्तमान शिक्षा नीति ने जिस संरचना

* *प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली 110 016

की बात की है उसमें स्कूली शिक्षा की कुल अवधि 15 वर्ष रखी गई है। इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया गया है। तद्नुसार चार आयामों (stage) में स्कूली शिक्षा को पुनर्नियोजित किया गया, जो इस प्रकार है—

फाउंडेशनल स्टेज (5 वर्ष)	3 वर्ष ईसीसीई + कक्षा 1 और 2 (3से 8 वर्ष)
प्रिपरेट्री स्टेज (3 वर्ष)	कक्षा 3, 4 और 5 (8 से 11 वर्ष)
मिडिल स्टेज (3 वर्ष)	कक्षा 6, 7 और 8 (11 से 14 वर्ष)
सेकेंडरी स्टेज (4 वर्ष)	कक्षा 9–12 (14 से 18 वर्ष)

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान— अविलंब आवश्यकता

शिक्षा नीति में यह उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है कि फाउंडेशनल स्टेज सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा औपचारिक तंत्र में सम्मिलित नहीं थी इसलिए इस पर बिना देरी कार्य किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान विकसित करने पर नीति ने काफी ज़ोर दिया है। नीति निर्माताओं ने तो यहाँ तक कहा कि यदि इस साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान को विकसित नहीं कर पाएँगे तो सारी नीति ही असंगत तथा अर्थहीन हो जाएगी। इसीलिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (पूर्वत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान मिशन का गठन किया है जो देश व राज्यों को उचित दिशा-निर्देश दे सके कि किस प्रकार आधारभूत साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान का हर स्तर पर संवर्धन किया जा सके।

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का यदि अर्थ व उद्देश्य जानना चाहे तो यह बहुत ही सामान्य है। यह बात अकसर कह दी जाती है कि बच्चे आजकल बड़ी-बड़ी कक्षा तक तो पढ़ लेते हैं लेकिन जब व्यावहारिक जीवन की बात आती है तो वे निरूत्तर से दिखाई देते हैं। आप यदि एक सब्ज़ी वाले से कुछ सब्ज़ी लेकर पैसे पूछते हैं तो वह झटपट अपने तरीके से गणना कर आपको बता

सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा जिसे कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा (जिसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा–3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया है)। शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान प्राप्त करना होगा। सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं (अर्थात्, मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंकगणित) को हासिल करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए बाकी नीति प्रासंगिक होगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (2.2)

© NCERT not to be republished

देता है जो ठीक होता है लेकिन दूसरी ओर आप जब स्वयं जोड़ने लगते हैं तो आपको उसकी तुलना में काफी देर लगती है और बीच ही में आप उससे उसका हिसाब दोहराने को कहते रहते हैं। आजकल के बच्चे कक्षा में गणित में 'A' ग्रेड ला रहे हैं लेकिन वास्तविक स्थिति आने पर ठिठक जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माताओं ने यह सच्चाई स्पष्ट रूप से दृष्टिगत की है। उनका मानना है कि शुरुआती वर्षों में बच्चे बहुत होशियार तथा चुस्त होते हैं। ऐसे में उनमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल, जैसे— आधारभूत गणितीय तथा भाषायी योग्यताएँ, रचनात्मक तरीके से सोचना, बेझिझक अधिगम को प्रयोगात्मक तरीके से करके अपने को आश्वस्त करना, अपनी बात समुचित रूप से बोल कर या लिखकर दूसरों तक पहुँचना आदि का सृजन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उनकी इन प्रतिभाओं का यथोचित रूप से पोषण करना चाहिए।

प्रस्तुत लेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अहम बिंदु, बुनियादी साक्षरता के एक प्रमुख घटक 'पढ़ना' पर विस्तृत चर्चा की गई है। 'पढ़ने' का अर्थ क्या है, पढ़ने के कौशल में कौन-कौन से कौशल सम्मिलित हैं तथा पढ़ने के कौशल को बच्चों में विकसित करने के लिए विद्यालयों, शिक्षकों तथा बड़े लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए। इसके साथ ही इस कौशल का पोषण तथा संवर्धन बच्चों में किस प्रकार हो, इसके बारे में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं।

'पढ़ना' — अभिप्राय एवं घटक

पढ़ने की क्षमता शिक्षा की बुनियाद है क्योंकि इसके बिना किसी भी विषय की पढ़ाई की कल्पना नहीं की जा सकती। साथ ही स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त सामान्य जीवन व संस्कृति के संदर्भ में भी पढ़ने की क्षमता का विशेष महत्व है। किसी भी समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और यह तभी संभव है जब वह पढ़ना जानता हो। यूँ तो पढ़ना किसी भी आयु में सीखा जा सकता है लेकिन बचपन में पढ़ने के कौशल में दक्षता पाकर बच्चे संभावित चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं।

'पढ़ना' क्या है, इसका उत्तर किसी परिभाषा के तौर पर नहीं दिया जा सकता है। जब हम स्वयं इसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं तो 'पढ़ने' का अभिप्राय कुछ इस प्रकार समझ आता है—

- छपी हुई सामग्री को उच्चारित करना।
- लिखी हुई बात को समझ पाना।
- किसी भाषा की लिपि को पहचानना।
- तेज़ रफ़्तार से अक्षर पहचानकर उन्हें जोड़ पाना।
- शब्द — पहचान करते हुए और अनुमान लगाते हुए छपी सामग्री को समझना।
- छपी सामग्री पर भावनात्मक स्तर पर प्रतिक्रिया दे पाना।

इस सभी जवाबों में पढ़ने का कुछ अंश शामिल है और जब इन्हें समग्र रूप से रखा जाए तब 'पढ़ने' के विभिन्न पहलू समझ आने लगते हैं। 'पढ़ना' केवल लिपि या लिपिबद्ध भाषा को मात्र बोलकर बता देना ही नहीं है बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें छपी सामग्री से कई स्तरों तथा कई पहलुओं से अंत:क्रिया करना भी शामिल है। इसी प्रकार यह समझ लेना ही आवश्यक है कि पढ़ना एकल कौशल नहीं है, इसमें बहुत से कौशल निहित हैं जो एक दूसरे

© NCERT not to be republished

से जुड़े हुए हैं। इन सबके एक साथ होने से 'पढ़ना' एक संपूर्ण प्रक्रिया बनती है।

अर्थ-ग्रहण पढ़न-कौशल का अभिन्न घटक है। किसी विषयवस्तु को पढ़कर बच्चे उसे किस प्रकार समझते हैं, यह बात किसने लिखी (कही), क्या लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा, क्या विचार है और उसका क्या अभिप्राय है। अर्थ-ग्रहण योग्यता बच्चों को किसी विषयवस्तु का अर्थ व अभिप्राय समझने में सहायता करती है और 'पढ़ना' केवल एक नाम मात्र प्रक्रिया नही रहती अपितु बच्चों की वैचारिक सोच एवं संवेदनशीलता को प्रेरणा देती है। बच्चों में अर्थ-ग्रहण दक्षता को विकसित करने के कई तरीके हो सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर नीचे दिए गए तरीकों का प्रयोग कर बच्चों में इस दक्षता को विकसित किया जा सकता है—

1. चित्रकारी
2. प्रश्न उत्तर द्वारा
3. चिंतन के लिए प्रेरणा द्वारा
4. घटनाओं व जीवन में जुड़ाव बनाकर
5. 'पढ़ने 'को एक आदत बनाकर

1. **चित्रकारी**— बच्चों के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के चित्र उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम हैं। छोटी उम्र के बच्चों के लिए भाषा की बारीकियों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना भले ही कठिन हो किंतु वे अपने तरीके से चित्रकारी या चित्रों में भरे गए रंगों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता या खिन्नता को व्यक्त कर पाते हैं। अध्यापक या माता-पिता बच्चों को किसी पठन सामग्री को पढ़कर उस पर आधारित चित्रकारी बनाने को कह सकते हैं। इससे बच्चे की उस सामग्री के प्रति 'समझ' या 'अर्थ-ग्रहण' क्षमता के बारे में पता लग सकता है।

2. **प्रश्न-उत्तर द्वारा**— किसी भी विषयवस्तु को पढ़ने के उपरांत शिक्षक या अभिभावक या अन्य बच्चों से कुछ संबंधित प्रश्न पूछ कर उनकी अर्थ ग्रहण योग्यता का पता लगा सकते हैं। ये प्रश्न पूर्णत: सामग्री पर आधारित हो सकते हैं या फिर सामग्री के आधार पर कुछ रचनात्मक या शोधात्मक या अन्वेषणात्क भी हो सकते हैं। बच्चे उस अनुच्छेद के आधार पर कुछ मज़ेदार उत्तरों के साथ अपनी भावनाएँ तथा कल्पनाओं को प्रकट कर सकें। इससे यह स्पष्ट होगा कि बच्चे उस सामग्री का अर्थ अथवा भाव ग्रहण कर पाए हैं।

3. **चिंतन के लिए प्रेरणा द्वारा**— अनुच्छेद में दिए गए वृतांत को पढ़ने के बाद शिक्षक या अभिभावक बच्चों की प्रतिक्रिया जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे 'शेर और चूहे' की कहानी पढ़ें तो फिर उनसे पूछा जा सकता है कि वे शेर के व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं? शेर ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या चूहा इतना बड़ा जोखिम ले सकता है कि शेर के ऊपर घूमता रहे। उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्या यह कहानी आपको सच प्रतीत होती है?

4. **विद्यालय क्रियाकलापों व वास्तविक जीवन में जुड़ाव स्थापित करना**— बच्चों को पढ़ाई रुचिपूर्ण लगे, इसके लिए उनकी विद्यालय से बाहर तथा विद्यालय के भीतर के अनुभवों में जुड़ाव होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि बच्चों को किसी साहसिक बालक या बालिका की साहसपूर्ण घटना पढ़ने को दी जाए और फिर उनसे पूछा जाए कि क्या उनके आस-पड़ोस में कभी किसी बड़े या बच्चे द्वारा कोई साहसिक काम किया गया है? इसके

© NCERT not to be republished

अतिरिक्त आस-पास घट रही घटनाओं पर आधारित लेख या अनुच्छेद पढ़ने के बाद बच्चों को कहा जा सकता है कि वे अपने संबंधित अनुभव उसमें जोड़ कर बताए।

5. **'पढ़ना' एक आदत बनाकर**— जितना अधिक पढ़ा जायेगा उतनी ही अर्थ-ग्रहण योग्यता बढ़ेगी। अत: विभिन्न प्रकार की रोचक पठन सामग्री को बच्चों के वातावरण में उपलब्ध कराके उनकी रुचि 'पठन' की तरफ की जा सकती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा भाषायी योग्यताओं के विकास के लिए यह बार-बार संस्तुत किया गया है कि कक्षा में तथा विद्यालय में बच्चों की उम्र व विकास के आधार पर रुचिपूर्ण पठन-सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए तथा बच्चों को 'पढ़ने' के लिए समय उपलब्ध कराना चाहिए। 'पढ़ने' की तरफ रुचि होने पर बच्चे स्वयं पुस्तक या मैगज़ीन पढ़ना चाहते हैं और जैसे-जैसे वे पढ़ते हैं उनकी अर्थ ग्रहण योग्यता का विकास होता है।

बच्चों के पठन-कौशल सृजन में शिक्षकों तथा परिजनों की भूमिका

छोटी उम्र में किसी भी शौक या आदत की शुरुआत घर से होती है। इस आदत को सृमद्ध करने में घर का बहुत बड़ा योगदान होता है। छोटे बच्चों के जीवन में घर तथा विद्यालय दोनों ही महत्वपूर्ण हितधारक हैं। प्राय: कहा जाता है कि विद्यालयों और घर के बीच जुड़ाव हो तथा शिक्षकों और परिजनों के बीच संवाद में निरंतरता हो। इसी जुड़ाव और संवाद से बच्चों के समग्र विकास की गति तीव्रतर होती है जो अंतत: उपलब्धि के रूप में परिलक्षित होती है। पठन कौशल एक बुनियादी योग्यता है जो अन्य योग्यताओं व क्षमताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होती है। पठन-कौशल को विकसित तथा समृद्ध करने के लिए मूलरूप से अभिभावक तथा अन्य परिजन एवं विद्यालय में शिक्षक निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं—

1. **उच्च स्वर से पढ़ना**— शुरुआती वर्षों में जब बच्चे पढ़ना नहीं जानते, यदि उनको उच्च स्वर से पढ़कर सुनाया जाए तथा उप-शीर्षक वाले श्रव्य-दृश्य चल या अचल सामग्री का प्रयोग और अभिनय कर बताया जाए तो इससे उनके आस-पास साक्षरता के अनुभवों का सृजन होता है। वे भी माता-पिता तथा अन्य बड़ों के द्वारा पढ़ने के दौरान प्रयोग किए गए उतार-चढ़ाव व भावों को समझने लगते हैं और उनसे अर्थ भी ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। इससे उनके 'शब्दकोश' में नए शब्द जुड़ते हैं। धीरे-धीरे वे उस सामग्री पर हाथ रखने लगते हैं जिसे उनको पढ़कर सुनाया जाता है और कभी-कभी पढ़ने का प्रयास भी करने लगते है। पढ़ने के प्रति रुझान पठन-कौशल को विकसित करने के लिए एक सकारात्मक कदम होता है।

2. **बच्चों को स्वरुचि से पढ़ने देना**— घर में उपलब्ध बच्चों की रुचि से संबंधित कुछ किताबें, पत्रिकाएँ तथा अन्य सामग्री के लिए बच्चों को यह छूट होनी चाहिए कि वह स्वयं पठन-सामग्री का चयन करें। इस कार्य में यदि वे चाहें तो उनकी सहायता अवश्य की जानी चाहिए किंतु मुख्य रूप से उनके चयन को ही सराहा जाना चाहिए। ऐसा करने से केवल उनका साक्षरता कौशल ही बेहतर नहीं होगा अपितु वे ज़्यादा प्रवृत्त होकर पढ़ेंगे। कभी-कभी बच्चों को यदि पुस्तकालय या पुस्तक मेले में ले जाकर उनकी पसंद की पुस्तक का चुनाव करने को कहा

© NCERT not to be republished

जाए तो इससे भी बच्चों के साक्षरता कौशल का उत्तरोत्तर विकास होगा। यह चुनाव किस प्रकार किया जाए इस बारे में बात चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान की जा सकती है।

3. **उचित पुस्तक या सामग्री का चुनाव**— बच्चे कई बार किसी एक पुस्तक या सामग्री विशेष से उब जाते हैं। ऐसे में यदि उनको अन्य पुस्तक या सामग्री पढ़ने को दी जाए तो उनका पढ़ने का शौक खत्म नहीं होता। इसी प्रकार कई बार बच्चे एक पुस्तक या पठन सामग्री पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन उसके पूरा होने से पहले ही उनकी रुचि उस सामग्री से हट जाती है। ऐसे में उन्हें उसे पूरा करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। यदि उनका मन करेगा तो वे कुछ समय बाद स्वयं उस सामग्री को पूरा पढ़ेंगे। अभिभावकों तथा बड़े लोगों के लिए चुनौती यही होती है कि वे सतत रूप से बच्चों के साथ पुस्तकें और अच्छी तथा रुचिपूर्ण पठन-सामग्री को साझा करें।

4. **बच्चों में जिज्ञास का बीजारोपण करना**— बच्चों के पठन-कौशल का विकास उनमें जिज्ञासा का बीजारोपण करके भी किया जा सकता है। यदि सामग्री के आधार पर बच्चों के साथ प्रश्नोत्तर के माध्यम से संवाद किया जाए तो इससे उनमें कौतुहल उत्पन्न होता है। कभी-कभी अपने उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए वे उस सामग्री को दोबारा से पढ़ते हैं या उसमें से कुछ तथ्य प्रमाणस्वरूप दिखाते हैं। ऐसा होना न केवल बच्चों की पठन-योग्यता का परिचायक है बल्कि उनकी अर्थग्रहण योग्यता को भी स्पष्ट करता है। कई बार बच्चे प्रश्न का उत्तर देने में ठिठकते हैं, ऐसे में उनको सामग्री को समझने में सहायता करनी चाहिए। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। सामग्री में दी गई बातों को रोमांचकारी बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करके और उनकी कल्पनाओं का पूरी तरह आनंद लेकर भी उनकी रुचि पठन-कौशल की ओर बढ़ाई जा सकती है।

5. **बच्चों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करके**— अभिभावक, शिक्षक तथा साथी बच्चों के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं, इनमें से अभिभावक व अध्यापकों का प्रभाव तीव्रतर होता है। जब बच्चे अपने परिवार में माता-पिता व अन्य लोगों को पढ़ते हुए देखते हैं और उनसे पुस्तकों के बारे में चर्चा की जाती है तो धीरे-धीरे छोटे बच्चे उनकी नकल करने के लिए पढ़ने का अभिनय करने लगते हैं और फिर पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं। जब 'पढ़ना' एक आदत के रूप में हो जाता है तो पढ़ने से संबंधित कौशलों का विकास होने लगता है, जैसे— अर्थ ग्रहण योग्यता, अपनी बात कहने का साहस आदि।

6. **बच्चों के आस-पास के वातावरण में बाल साहित्य व अन्य सामग्री की उपलब्धता बढ़ाकर**— प्राय: देखा जाता है कि पढ़ने की रुचि रखने वालों के घर में पुस्तकों तथा अन्य प्रकार की सामग्रियों का भंडार होता है। यह

हमारे अधिकांश विद्यालयों में पढ़ना–लिखना एक निरर्थक, उबाऊ और यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह गई है। भाषीय वातावरण भाषा सीखने में अहम् भूमिका निभाता है। पढ़ने के भरपूर अवसर बच्चों का विविध पठन सामग्री में डूबने और उससे जूझने के अवसर देते है, यह पढ़ना सीखने की पहली शर्त है। बच्चे पढ़ने के लिए तभी प्रेरित होंगे जब पढ़ना उनके लिए आनंदायी अनुभव बनेगा

पढ़ने की समझ, रा.शै.अ.प्र.प. (2009)

© NCERT not to be republished

आवश्यक नहीं है कि बच्चों के कमरों में ही उनसे संबंधित पुस्तकें रखी जाएँ। घर के विभिन्न स्थानों पर पुस्तकें, पत्रिकाएँ तथा अन्य प्रकार की सामग्री रखी जा सकती है, जैसे— शैल्फ़ में पुस्तकें, मेज़ पर पत्रिकाएँ, दीवार पर कविताओं के पोस्टर। इसी प्रकार वे सभी स्थान जहाँ बच्चे अकसर आते-जाते हैं, पठन-सामग्री से सुसज्जित किए जा सकते हैं। समय-समय पर स्थान की अदला-बदली की जा सकती है ताकि बच्चे इस बात पर भी गौर करें और अपनी रुचि की सामग्री को ढूँढ़ लें। ऐसा वातावरण होने पर यह अवश्य ही संभव है कि बच्चे किताबों को उठाएँगे, कुछ भी नहीं तो उन्हें उलट-पलट कर ज़रूर देखेंगे। यह पढ़ने की शुरुआत है।

7. **बच्चों की रुचि अनुसार सामग्री की उपलब्धता**— अभिभावकों को बच्चों की रुचि के अनुसार सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए ताकि पठन रुचिपूर्ण बने। कई बार माता-पिता ऐसा सोचने लगते है कि अमुक सामग्री बच्चों के स्तर से परे है, अत: उसे उपलब्ध कराने का लाभ नहीं होगा। हाँलाकि, उसकी विषयवस्तु बच्चे के लिए रुचिकर है। यहाँ इस बात से इंकार नहीं किया जा रहा कि बच्चों के सामने रखी गई सामग्री उम्र तथा विकास के अनुरूप होनी चाहिए। लेकिन कई बार रुचि के अनुरूप कुछ कठिन सामग्री भी मिले तो बच्चे स्वयं या दूसरों की सहायता से उसे पढ़ने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। अत: बच्चों की रुचि को समझना सर्वप्रथम आवश्यक है।

8. **पढ़ने को एक सामाजिक प्रक्रिया बनाकर**— विद्यालय में या घर पर पढ़ाई को प्राय: एक एकल गतिविधि माना जाता है। कई बार इसके स्वरूप में परिवर्तन कर इसे एक सामाजिक गतिविधि बनाया जा सकता है जिससे यह और रुचिपूर्ण बनता है। यहाँ सामुदायिक भागिता बहुत अच्छा योगदान दे सकती है। अकसर हम सभी के घरों में बाल-साहित्य थोड़ी या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अवश्य होता है। यदि एक विशेष मोहल्ले के लोग या फिर एक अपार्टमेंट में रहने वाले लोग एक स्थान बना लें जहाँ ये साहित्य रखा जा सके। एक समय निर्धारित कर लें जब सभी बच्चे आकर बैठकर एक साथ पढ़ सकें और अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक अपने घर लेकर जा सकें तो यह एक बहुत ही लाभप्रद तथा बिना खर्चे के की जानी वाली गतिविधि हो सकती है। इस संबंध में विभिन्न लोग बारी-बारी से समय देकर अपना सहयोग दे सकते हैं। इस तरह की गतिविधियाँ न केवल पढ़ने के लिए उचित वातावरण देगी अपितु बच्चों के सामाजिक कौशलों को भी पुष्ट बनाएँगी।

निष्कर्ष

'पढ़ना' एक आनंददायी, रुचिपूर्ण तथा सामाजिक जीवन कौशल है जिसकी आवश्यकता सबको आजीवन रहती है। बच्चों में पढ़ने-लिखने के कौशल को अभिभावक व शिक्षक-गण विभिन्न प्रयासों द्वारा पुष्ट बना सकते हैं जिनमें से कुछ की चर्चा ऊपर की गई हैं। संभावनाएँ असीमित हैं और ऊपर किया गया विवेचन उदाहरण मात्र है। अपने वातावरण व सीमाओं में रहते हुए यदि बच्चों के इस कौशल के विकास की ओर ध्यान दिया जाए तो अवश्य रूप से बहुत-सी संभावनाएँ सामने आएँगी और इस कौशल का सहारा लेकर अन्य क्षेत्रों में बच्चों का विकास सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.

रा.शै.अ.प्र.प. 2009. *पढ़ने की समझ*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य 'मनुष्य-निर्माण' ही हो। सारे प्रशिक्षकों का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना ही है। जिस अभ्यास से मनुष्य की इच्छाशक्ति का प्रवाह और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम है शिक्षा। आज देश को जिस चीज़ की आवश्यकता है, वह है लोहे की मांस-पेशियाँ और फौलाद के स्नायु-दुर्दमनीय प्रचंड इच्छाशक्ति जो सृष्टि के गुप्त तथ्यों और रहस्यों को भेद सके और जिस उपाय से भी हो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ हो, फिर चाहे उसके लिए समुद्र तल में ही क्यों न जाना पड़े। साक्षात् मृत्य का सामना क्यों न करना पड़े। हम 'मनुष्य' बनाने वाला धर्म ही चाहते हैं। हम 'मनुष्य' बनाने वाला सिद्धांत ही चाहते हैं। हम सर्वयु सभी क्षेत्रों में 'मनुष्य' बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं।

स्वामी विवेकानंद, शिक्षा, 1956

© NCERT not to be republished

राजकीय एवं निजी विद्यालयी प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों का तुलनात्मक अध्ययन

अमित कुमार दवे*

प्रस्तुत शोध आलेख राजकीय एवं निजी विद्यालयी प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इस आलेख में मात्रा, अनुस्वार, विसर्ग, चंद्रबिंदु, शिरोरेखा, संयुक्ताक्षर, श्, स्, ष्, ह्, र्, वर्णों की बनावट प्रयोग संबंधी क्षेत्रों को दृष्टिपथ पर रखकर तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। आलेख का समापन परिकल्पनानुसार विश्लेषण करने के पश्चात् वर्तनीगत त्रुटियों के करने के कारणों, वर्तनीगत त्रुटियाँ दूर करने एवं कम करने हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं। शोध में 20 प्राथमिक विद्यालयों को शामिल किया गया इनमें 10 विद्यालय राजकीय व 10 निजी विद्यालय हैं। शोध उपकरण हेतु स्वनिर्मित उपकरण 'वर्तनीगत त्रुटि अवलोकन पत्रक' का निर्माण किया गया। इसके साथ ही शोध कार्य हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। आशा है यह आलेख गृहकार्य में वर्तनीगत त्रुटियों को दूर करने एवं कम करने में छात्रों एवं शिक्षकों का मार्गदर्शन करेगा।

किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था की धुरी प्राथमिक स्तरीय शिक्षा का नियोजन होती है। प्राथमिक स्तरीय शैक्षिक ढाँचा यदि गुणात्मक भावी लब्धियाँ करवाने में समर्थ है तो शैक्षिक व्यवस्था का स्तर निश्चित ही उत्कृष्ट कहा जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर भाषायी शिक्षण व अधिगम को भी विशिष्ट दर्जा प्रदान किया गया है। इसी के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के विविध संस्करणों द्वारा भाषायी शिक्षण के प्रयास कुछ पृथक भी हो सकते हैं। विशेष तौर पर राष्ट्र में राजकीय एवं निजी विद्यालयी पद्धतियों के माध्यम से शिक्षा-दीक्षा का कार्य संचालित है। राजकीय एवं निजी विद्यालयों के छात्रों को भाषायी शिक्षण के अंतर्गत विविध कौशलों से युक्त करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। उन्हीं में से प्राथमिक स्तरीय राजकीय एवं निजी विद्यालयों के छात्रों द्वारा शिक्षण के दौरान दिए जाने वाले गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों का अध्ययन करने का प्रयास इस शोध में किया गया है।

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा संकाय, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर, राजस्थान

© NCERT not to be republished

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत प्रायोजना कार्य हेतु निम्न उद्देश्यों का निर्धारण किया गया—

1. राजकीय एवं निजी विद्यालयी प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों की तुलना करना।
2. प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के कारणों का पता लगाना।
3. प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियाँ को दूर करने एवं शिक्षण हेतु सुझाव देना।

शोध परिकल्पना

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु निम्न शून्य परिकल्पना का निर्माण किया गया — राजकीय एवं निजी विद्यालयी प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

शोध न्यादर्श

'राजकीय एवं निजी विद्यालयी प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों का तुलनात्मक अध्ययन' विषयक शोध कार्य हेतु न्यादर्श के अंतर्गत राजस्थान के उदयपुर एवं जयपुर संभाग के 20 प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों का चयन किया गया। इनमें 10 राजकीय एवं 10 निजी प्राथमिक विद्यालय थे। इन विद्यालयों का चयन सोद्देश्य न्यादर्श चयन विधि द्वारा किया गया। इन चयनित विद्यालयों से दो-दो छात्रों के गृहकार्य का विशेषतः हिंदी भाषा के संबंध में गहन अध्ययन किया गया। कुल राजकीय एवं निजी 20 विद्यालय चयनित किए गए। प्रत्येक विद्यालय से 2-2 छात्र यादृच्छिक न्यादर्श चयन विधि से चयनित किए गए। इस प्रकार कुल 40 छात्रों को न्यादर्श के रूप में चुना गया।

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध कार्य को तार्किक व सार्थक बनाने हेतु स्वनिर्मित उपकरण 'वर्तनीगत त्रुटि अवलोकन पत्रक' का निर्माण किया गया।

राजकीय एवं निजी विद्यालयी प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों का तुलनात्मक विश्लेषण

राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों का अध्ययन करने हेतु 'वर्तनीगत त्रुटि अवलोकन प्रपत्र' नामक स्वनिर्मित उपकरण के माध्यम से दत्तों का संकलन किया गया। प्राप्त दत्तों के आधार पर मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' मूल्य की गणना कर राजकीय एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया।

समग्र तुलनात्मक विश्लेषण

राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के समस्त क्षेत्रों के मध्यमान क्रमशः 65.90 एवं 51.20 और मानक विचलन क्रमशः 13.851 एवं 12.546

© NCERT not to be republished

सारणी संख्या 1
राजकीय एवं निजी विद्यालयी प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के दत्तों का मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' मूल्य

क्र. स.	वर्तनीगत त्रुटियों से संबंधित क्षेत्र	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		निजी प्राथमिक विद्यालय		('टी' मूल्य)
		मध्यमान	*मानक विचलन*	*मध्यमान*	*मानक विचलन*	
1	मात्रा संबंधी त्रुटियाँ	6.95	1.538	5.45	0.826	3.745
2	अनुस्वार-विसर्ग संबंधी त्रुटियाँ	6.80	1.196	5.35	1.040	3.986
3	चंद्रबिंदु संबंधी त्रुटियाँ	3.50	0.946	1.85	0.671	6.202
4	विरामादि चिह्नों के उचित प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ	7.40	0.754	5.25	0.550	10.041
5	शिरोरेखा एवं सामान्य दूरी संबंधी त्रुटियाँ	7.95	0.887	6.95	0.759	3.733
6	वर्णों की बनावट एवं लेखन संबंधी त्रुटियाँ	7.5	0.946	6.25	1.118	3.720
7	र् के प्रकारों के प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ	6.05	1.146	5.05	0.999	2.867
8	श्, ष्, स्, ह् के प्रयोग व लेखन संबंधी त्रुटियाँ	6.00	0.973	4.60	0.754	4.956
9	संयुक्ताक्षरों के प्रयोग व लेखन संबंधी त्रुटियाँ	7.00	0.973	5.30	1.129	4.972
10	अन्य विशेष त्रुटियाँ	6.75	0.716	5.15	0.875	6.166
	योग	65.90	13.851	51.20	12.546	9.047

स्वतंत्रता अंश 38; सारणी मान 0.01 स्तर पर 2.7115; सारणी मान 0.05 स्तर पर 2.0244

प्राप्त हुए हैं। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों के द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के समस्त क्षेत्रों के कुल दत्तों का 'टी' मूल्य 9.047 प्राप्त हुआ है। यह 'टी' मूल्य सारणी मूल्य 2.7115 (0.01 स्तर) से बहुत ही अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि वर्तनीगत त्रुटियों के समस्त क्षेत्रों में राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में सार्थक अंतर पाया गया। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों की अपेक्षा निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा वर्तनीगत त्रुटि के क्षेत्र मात्रा संबंधी त्रुटियाँ, अनुस्वार, विसर्ग संबंधी चंद्रबिंदु संबंधी, विरामादि चिह्नों के उचित प्रयोग, शिरोरेखा एवं सामान्य दूरी वर्णों की बनावट व लेखन, र् के प्रयोग संयुक्ताक्षरों व श्, ष्, स्, ह्, के प्रयोग में त्रुटियाँ करना कम पाया गया।

तुलनात्मक विश्लेषण

राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के क्षेत्र प्रथम 'मात्रा संबंधी त्रुटियाँ' के मध्यमान क्रमशः 6.95 एवं 5.45 और मानक विचलन क्रमशः 1.538 एवं 0.826 प्राप्त हुए हैं। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के मध्य क्षेत्र प्रथम 'मात्रा

© NCERT not to be republished

संबंधी त्रुटियों' का 'टी' मूल्य 3.745 प्राप्त हुआ है। यह 'टी' मूल्य सारणी मूल्य 2.7115 (0.01 स्तर) से अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि 'मात्रा संबंधी त्रुटियाँ' नामक क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में सार्थक अंतर पाया गया। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों की अपेक्षा निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों में वर्तनीगत त्रुटि के क्षेत्र प्रथम 'मात्रा संबंधी त्रुटियाँ' के अंतर्गत दीर्घ-ह्रस्व मात्राएँ लगाने संबंधी त्रुटियाँ करना कम पाया गया।

राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के क्षेत्र द्वितीय 'अनुस्वार-विसर्ग संबंधी त्रुटियाँ' के मध्यमान क्रमशः 6.80 एवं 5.35 और मानक विचलन क्रमश: 1.196 एवं 1.040 प्राप्त हुए हैं। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के मध्य क्षेत्र द्वितीय 'अनुस्वार-विसर्ग संबंधी त्रुटियाँ' का 'टी' मूल्य 3.986 प्राप्त हुआ है। यह 'टी' मूल्य सारणी मूल्य 2.7115 (0.01 स्तर) से अधिक है। अतः 'अनुस्वार-विसर्ग संबंधी त्रुटियाँ' नामक क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में सार्थक अंतर पाया गया। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों की अपेक्षा निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों में वर्तनीगत त्रुटि के क्षेत्र द्वितीय 'अनुस्वार-विसर्ग संबंधी त्रुटियाँ' में अनुस्वार (ं), विसर्ग (ः) लगाने संबंधी त्रुटियाँ करना कम पाया गया।

राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के क्षेत्र तृतीय 'चंद्रबिंदु संबंधी त्रुटियाँ' के मध्यमान क्रमशः 3.50 एवं 1.85 और मानक विचलन क्रमश: 0.946 एवं 0.671 प्राप्त हुए हैं। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के मध्य क्षेत्र तृतीय चंद्रबिंदु संबंधी त्रुटियाँ का 'टी' मूल्य 6.202 प्राप्त हुआ है। यह 'टी' मूल्य सारणी मूल्य 2.7115 (0.01 स्तर) से बहुत अधिक (दुगुना) है। अतः कहा जा सकता है कि 'चंद्रबिंदु संबंधी त्रुटियाँ' नामक क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत् त्रुटियों में सार्थक अंतर पाया गया। निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों की अपेक्षा राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा वर्तनीगत त्रुटि के क्षेत्र तृतीय 'चंद्रबिंदु संबंधी त्रुटियाँ' में चंद्रबिंदु लगाने, उचित स्थान पर लगाने, आकृति सही नहीं बनाने संबंधी त्रुटियाँ करना अधिक पाया गया।

राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के क्षेत्र चतुर्थ 'विरामादि चिह्नों के उचित प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ' का मध्यमान क्रमशः 7.40 एवं 5.25 और मानक विचलन क्रमश: 0.754 एवं 0.550 प्राप्त हुए हैं। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों

© NCERT not to be republished

एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के मध्य क्षेत्र चतुर्थ 'विरामादि चिह्नों के उचित प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ' का 'टी' मूल्य 10.041 प्राप्त हुआ है। यह 'टी' मूल्य सारणी मूल्य 2.7115 (0.01 स्तर) से अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि 'विरामादि चिह्नों के उचित प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ' नामक क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में सार्थक अंतर पाया गया। निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों की अपेक्षा राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा वर्तनीगत त्रुटि के क्षेत्र चतुर्थ विरामादि चिह्नों के उचित प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ में विरामादि चिह्न विशेषतः (।) (,) (?) (;) (-) आदि लगाने, न लगाने संबंधी त्रुटियाँ करना अधिक पाया गया।

राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के क्षेत्र पंचम 'शिरोरेखा एवं सामान्य दूरी संबंधी त्रुटियाँ' के मध्यमान क्रमशः 7.95 एवं 6.25 और मानक विचलन क्रमशः 0.887 एवं 0.759 प्राप्त हुए हैं। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों के द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के मध्य क्षेत्र पंचम 'शिरोरेखा एवं सामान्य दूरी संबंधी त्रुटियाँ' का 'टी' मूल्य 3.733 प्राप्त हुआ है। यह 'टी' मूल्य सारणी मूल्य 2.7115 (0.01 स्तर) से अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि 'शिरोरेखा एवं सामान्य दूरी संबंधी त्रुटियाँ' नामक क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में सार्थक अंतर पाया गया। निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों की अपेक्षा राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा वर्तनीगत त्रुटि केक्षेत्र पंचम 'शिरोरेखा एवं सामान्य दूरी संबंधी त्रुटियाँ' में शिरोरेखा लगाने, न लगाने एवं शब्द, वर्ण, वाक्य संबंधी त्रुटियाँ करना अधिक पाया गया।

राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के क्षेत्र षष्ठम 'वर्णों की बनावट एवं लेखन संबंधी त्रुटियाँ' के मध्यमान क्रमशः 7.5 एवं 6.25 और मानक विचलन क्रमशः 0.946 एवं 1.118 प्राप्त हुए हैं। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के मध्य क्षेत्र षष्ठम 'वर्णों की बनावट एवं लेखन संबंधी त्रुटियाँ, का 'टी' मूल्य 3.720 प्राप्त हुआ है। यह 'टी' मूल्य सारणी मूल्य 2.7115 (0.01 स्तर) से अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि 'वर्णों की बनावट एवं लेखन संबंधी त्रुटियाँ' नामक क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में सार्थक अंतर पाया गया। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों की अपेक्षा निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों में वर्तनीगत त्रुटि के क्षेत्र षष्ठम 'वर्णों की बनावट एवं लेखन संबंधी त्रुटियाँ' में वर्णों की बनावट के अनुरूप लेखन न कर पाने संबंधी त्रुटियाँ करना कम पाया गया।

© NCERT not to be republished

राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के क्षेत्र सप्तम 'र् के प्रकारों के प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ, के मध्यमान क्रमशः 6.05 एवं 5.05 और मानक विचलन क्रमशः 1.146 एवं 0.999 प्राप्त हुए हैं। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के मध्य क्षेत्र सप्तम 'र् के प्रकारों के प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ' का 'टी' मूल्य 2.867 प्राप्त हुआ है। यह 'टी' मूल्य सारणी मूल्य 2.7115 (0.01 स्तर) से अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि 'र् के प्रकारों के प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ' नामक क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में सार्थक अंतर पाया गया। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों की अपेक्षा निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा वर्तनीगत त्रुटि के क्षेत्र सप्तम 'र् के प्रकारों के प्रयोग संबंधी व लेखन त्रुटियाँ' में 'र्', के प्रकारों (र्, द्र, र्द, र) संबंधी त्रुटियाँ करना कुछ कम पाया गया।

राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के मध्य क्षेत्र अष्टम 'श्, ष्, स्, ह्, के प्रयोग संबंधी व लेखन त्रुटियाँ' के मध्यमान क्रमशः 6.00 एवं 4.60 और मानक विचलन क्रमशः 0.973 एवं 0.754 प्राप्त हुए हैं। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के मध्य क्षेत्र अष्टम 'श्, ष्, स्, ह्, के प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ' का 'टी' मूल्य 4.956 प्राप्त हुआ है। यह 'टी' मूल्य सारणी मूल्य 2.7115 (0.01 स्तर) से अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि 'श्, ष्, स्, ह्, के प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ' नामक क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में सार्थक अंतर पाया गया। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों की अपेक्षा निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा वर्तनीगत त्रुटि के क्षेत्र सप्तम 'श, ष, स, ह, के प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ' में श्, ष्, स्, ह्, के उचित प्रयोग व लेखन संबंधी त्रुटियाँ करना कुछ कम पाया गया।

राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के क्षेत्र नवम 'संयुक्ताक्षरों के लेखन व प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ' के मध्यमान क्रमशः 7.00 एवं 5.30 और मानक विचलन क्रमशः 0.973 एवं 1.129 प्राप्त हुए हैं। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के मध्य क्षेत्र नवम 'संयुक्ताक्षरों के लेखन व प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ' का 'टी' मूल्य 4.972 प्राप्त हुआ है। यह 'टी' मूल्य सारणी मूल्य 2.7115 (0.01 स्तर) से अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि 'संयुक्ताक्षरों के लेखन व प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ' नामक क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में

© NCERT not to be republished

सार्थक अंतर पाया गया। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों की अपेक्षा निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा वर्तनीगत त्रुटि के क्षेत्र नवम 'संयुक्ताक्षरों के लेखन व प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ' में क्ष, त्र, ज्ञ, व अन्य संयुक्ताक्षरों के लेखन संबंधी त्रुटियाँ करना कम पाया गया।

राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के क्षेत्र दशम 'अन्य विशेष त्रुटियाँ' के मध्यमान क्रमशः 6.75, 5.15 एवं मानक विचलन क्रमशः 0.716, 0.875 प्राप्त हुए हैं। राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के मध्य क्षेत्र दशम 'अन्य विशेष त्रुटियाँ' का 'टी' मूल्य 6.166 प्राप्त हुआ है। यह 'टी' मूल्य सारणी मूल्य 2.7115 (0.01 स्तर) से अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि 'अन्य विशेष त्रुटियाँ' नामक क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों एवं निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में सार्थक अंतर पाया गया। निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों की अपेक्षा राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा वर्तनीगत त्रुटि के क्षेत्र नवम 'अन्य विशेष त्रुटियाँ' में टेढ़ा-मेड़ा लिखना, पंक्ति के ऊपर लिखना वर्णों को टेढ़ा लिखना संबंधी त्रुटियाँ करना अधिक पाया गया।

परिकल्पना के अनुसार विश्लेषण

'राजकीय एवं निजी विद्यालयी प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता।'

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों का अध्ययन करने हेतु स्वनिर्मित उपकरण के माध्यम से दत्तों का संकलन किया गया। दत्तों व्यवस्थितीकरण के पश्चात् मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' मूल्य ज्ञात कर परिकल्पना की जाँच की गई।

विश्लेषण

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों एवं निजी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों से संबंधित दत्तों के मध्य संगणित 'टी' मान 9.047 प्राप्त हुआ है। जो सारणी मान (0.01 स्तर) से बहुत ही अधिक है अर्थात् दोनों स्तरीय छात्रों द्वारा की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में सार्थक अंतर देखा गया। अतः पूर्व निर्धारित परिकल्पना 'राजकीय

सारणी 2

राजकीय एवं निजी विद्यालयी प्राथमिक स्तरीय छात्रों (एन-90) द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के दत्तों का मध्यमान, मानक विचलन, 'टी' मूल्य एवं अंतर

प्राथमिक विद्यालय	मध्यमान	मानक विचलन	'टी' मूल्य	सार्थक/असार्थक अंतर
राजकीय	65.90	13.851	9.047	सार्थक अंतर पाया गया।
निजी	51.20	12.546		

© NCERT not to be republished

एवं निजी विद्यालयी प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।' अस्वीकार की जाती है। निजी विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्रों की अपेक्षा राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तरीय छात्र गृहकार्य में वर्तनीगत त्रुटियाँ अधिक करते हैं।

प्राथमिक स्तरीय छात्रों के गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों को दूर करने हेतु सुझाव

श्रुतलेख का अभ्यास करवाएँ। यथासंभव सुलेख करवाएँ। अध्यापक स्वयं उच्चारण व लेखन शुद्ध स्पष्ट व मानक रखें। साथ ही छात्रों को भी तद्वत प्रेरित करें। मानक भाषा का प्रयोग करें व करवाएँ। लिपि की पूर्ण जानकारी रखें साथ ही छात्रों को भी दें। छात्रों को लिखते समय सचेत रखें। स्वयं भी सचेत रहें। लेखन धैर्यपूर्वक करें व करवाएँ। लिपि के विरामादि चिह्नों की जानकारी दें। संयुक्ताक्षरों एवं श्, स्, ष्, ह, की पूर्ण जानकारी दें। ह्रस्व-दीर्घ मात्राओं को सभेद-सोदाहरण बताएँ व अभ्यास करवाएँ। अनुस्वार, विसर्ग व चंद्रबिंदु संबंधी जानकारी अनिवार्यता दें, जिससे तत्संबंधी त्रुटियाँ न हों। क्षेत्रीय भाषा व मुख्य भाषा के मध्य सतर्क साम्यता लाएँ। व्याकरणिक नियमों की यथावश्यकता जानकारी दें। विरूपता से उभरने हेतु प्रयास करें व करवाएँ। उच्चारण व लेखन साम्यता वाले वर्णों में अंतर स्पष्ट करें। शब्द भंडार में वृद्धि करें व करवाएँ। वर्तनी चार्टों, संयुक्ताक्षर चार्टों, ध्वनि वर्गीकरण आदि से संबंधित तालिकाओं का प्रयोग करें। तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करें। मुद्रण त्रुटियाँ कम-से-कम हो यह प्रयास प्रकाशक व लेखक करें। खेल-खेल में शब्द ज्ञान करवाएँ।

वर्तनीगत त्रुटियों को दूर करने हेतु गतिविधियाँ एवं अभ्यास कार्य

गतिविधियाँ

1. छात्रों को लेखन हेतु अनुच्छेद, विचारजन्य परिस्थिति, घटना विषयवस्तु, चित्रादि गृहकार्य के रूप में दी जा सकती हैं।
2. दिनभर के क्रियाकलापों को गृहकार्य लेखन के रूप में नियोजित किया जाना चाहिए।
3. विद्यालय में पाठित विषयों के संबंध में लेखन कार्य करवाया जाना चाहिए।
4. रोज़मर्रा की चर्या में प्रयुक्त नवीन शब्दों की सूची निर्माण करवाया जाना चाहिए।
5. समान प्रकृति एवं स्वरूप वाले शब्दों एवं उनकी मात्राओं का लेखन करवाया जाना चाहिए।
6. लेखन में क्षेत्रीय शब्दावली के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
7. देवनागरी लिपि का शुद्ध, स्पष्ट एवं सहज पठन, उच्चारण, लेखन हेतु प्रोत्साहन और उनके अर्थ के ज्ञान के लिए पर्याप्त अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए।
8. मात्रा, अनुस्वार, विसर्ग, विरामादि चिह्न प्रयोग; शिरोरेखा, वर्ण बनावट, उचित दूरी आदि संबंधी निर्देशन के साथ कक्षा-कक्ष एवं गृहकार्य रूप में लेखन निर्देशन संग अवसर सृजन किया जाना चाहिए।

गृहकार्य में वर्तनीगत त्रुटियों को दूर करने हेतु अभ्यास कार्य

छात्रों को गृहकार्य के दौरान वर्तनीगत त्रुटियों के बचाव हेतु अग्रलिखित बिंदुओं के संबंध में पर्याप्त अभ्यास कराया जा सकता है—

© NCERT not to be republished

1. वर्ण, मात्रादि का पर्याप्त लेखन अभ्यास कराया जाना चाहिए।
2. लिपि बोध हेतु अध्यापक लिपि स्वरूप, प्रकृति के साथ लेखन सूक्ष्मताओं का अभ्यास करवाना चाहिए।
3. स्तरानुकूल वर्ण, शब्द, वाक्य निर्माण एवं समयानुकूल प्रयुक्त करने संबंधी अभ्यास कराकर त्रुटियों को दूर किया जा सकता है।
4. भाषा की लिपि एवं चिह्नों के सर्वप्रचलित स्वरूप का अभ्यास अनिवार्यतः करवाना चाहिए।
5. आलेख में प्रयुक्त प्रत्येक क्षेत्र को आधार बनाकर पर्याप्त अभ्यास कर वर्तनीगत त्रुटियों को दूर किया जा सकता है।
6. लेखन अनुशासन अपनाने का पर्याप्त अभ्यास एवं समझ आवश्यक है।

अध्यापक शिक्षण हेतु सुझाव

प्राथमिक स्तर पर शिक्षक जब भाषा शिक्षण के अंतर्गत लेखन सुधार हेतु प्रयास कर रहा हो तो आवश्यक है कि वह लेखन की सूक्ष्मताओं के संबंध में स्वयं स्पष्ट हो। लेखन हेतु शिक्षक कक्षा-कक्ष के साथ गृहकार्य को भी सशक्त उपागम के रूप में उपयोग कर सकता है। शिक्षक कक्षाकार्य एवं गृहकार्य लेखन संशोधन की दृष्टि से करवाएँ तो निश्चित ही छात्र लेखन की कमज़ोरियों से मुक्त हो सकेंगे। अध्यापक, छात्रों को लेखन की विभिन्न अवस्थाओं की जानकारी प्रदान कर स्पष्ट एवं व्यवस्थित लेखन हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं। सुंदर, स्पष्ट, व्यवस्थित लेखन के पश्चात त्रुटि मुक्त लेखन हेतु शिक्षक अथवा मार्गदर्शक को सजग रहना होगा। इस हेतु वह पाठ्यवस्तु एवं दैनिकचर्या में से लेखन को प्रोत्साहित करने वाले स्थलों को चिह्नित करें। साथ ही छात्रों को लेखन हेतु प्रेरित करें। शिक्षक, छात्रों को लेखन हेतु सुधारात्मक एवं रचनात्मक तरीके से प्रेरित करें। शिक्षक वर्तनीगत त्रुटियों के निदान हेतु कटिबद्ध हो कक्षाकार्य एवं गृहकार्य का नियोजन एवं क्रियान्वयन करें। यह आवश्यक है कि शिक्षक कक्षाकार्य एवं गृहकार्य में जिन त्रुटियों, अशुद्धियों, अनियमितताओं को देखें, उन्हें कक्षा-कक्ष में सामूहिक रूप से दूर करने हेतु प्रयास करें। साथ ही विषयगत लेखन से सृजनात्मक एवं वैयक्तिक, मौलिक लेखन की आधारशिला शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से ही डालने का मानस रखें। प्रारंभिक स्तर पर किए गए शिक्षक के लेखन त्रुटियाँ दूर करने के प्रयास एवं छात्रों से कराए गए अभ्यास गृहकार्य को सृजनात्मक कार्य की ओर स्वतः उन्मुख करते दिखेंगे। लेखन सूक्ष्मताओं संबंधी अनुशासन का मार्गदर्शन शिक्षक को प्रारंभिक शिक्षा के हर स्तर पर करते रहना चाहिए। शिक्षक हेतु छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृहकार्य एवं कक्षाकार्य कक्षा शिक्षण की रणनीति सुनिश्चित करने में सहयोगी बनें, ऐसी अपेक्षा त्रुटि रहित लेखन की आधारशिला के रूप में स्थापित हो सकती है।

मात्राओं की जानकारी, वर्णों की जानकारी एवं उनकी लिपि, ह्रस्व-दीर्घ मात्राओं का ज्ञान छात्रों को दें। संयुक्ताक्षरों की जानकारी, अनुस्वार, विसर्ग व चंद्रबिंदु की जानकारी, श्, ष्, स्, ह्, की जानकारी, र् के प्रकारों की जानकारी, समान दिखने वाले शब्दों की जानकारी, लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें, लेखन सुधार हेतु अक्षरों की बनावट रखने संबंधी जानकारी आदि को अध्यापक द्वारा छात्रों को दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तरीय शिक्षक छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के कारणों का पता लगाकर कक्षा-कक्ष में त्रुटि उन्मूलनार्थ शिक्षण कराएँ

© NCERT not to be republished

तो निश्चित ही छात्रों के लेखन को त्रुटि मुक्त एवं गुणात्मक करने में सफल हो सकेंगे।

छात्रों द्वारा की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों के निम्नांकित ज्ञात हुए कारण

- गृहकार्य के दौरान छात्रों द्वारा असावधानी रखना एवं लिपि संकेतों की जानकारी न होना।
- भाषा शिक्षक को वर्तनीगत ज्ञान न होना जिससे छात्रों को भी उक्त ज्ञान न होना।
- मात्राओं की पूर्ण जानकारी न होना। संयुक्ताक्षरों, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, हलंत आदि वर्णों के प्रयोग का ज्ञान नहीं होना।
- लेखन के समय जल्दबाज़ी करना।
- शारीरिक विकारों के कारण भी अशुद्धियाँ हो सकती हैं।
- छात्रों-अध्यापकों का उच्चारण अशुद्ध होना।
- सुलेख अभ्यास का अभाव।
- क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव।
- वर्ण व शब्द साम्यता का ज्ञान न होना।
- त्रुटियों का उचित संशोधन न होना।
- पाठ्यपुस्तकों का भी त्रुटि युक्त होना।
- व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना।
- लेखन लापरवाही करना।
- अध्यापक द्वारा उचित वर्तनी सुधार संबंधी मार्गदर्शन न देना।
- शब्द लाघव की प्रवृत्ति व लिपि का ज्ञान न होना। छात्रों में शब्द भंडार का अभाव होना।
- रूप रचना का ज्ञान न होना।

उक्त सभी कारणों को मुख्यत: दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

वर्तनीगत अशुद्धियों के तकनीकी कारण

1. लिपि अज्ञानता
2. उच्चारण वैषम्य
3. संयुक्ताक्षरों का प्रयोग
4. व्याकरण सम्मत समझ का अभाव
5. सर्व प्रचलित रूपों का अभाव

वर्तनीगत त्रुटियों के व्यावहारिक कारण

1. संशोधन का अभाव
2. अभ्यास का अभाव
3. वातावरण का प्रभाव
4. शारीरिक प्रभाव
5. राजकीय प्रभाव
6. लेखन अज्ञान एवं लापरवाही

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोधकार्य राजकीय एवं निजी विद्यालीय प्राथमिक स्तरीय छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों से संबंधित था। इस शोध से निष्कर्ष निम्नानुसार प्राप्त हुए—

1. राजकीय प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों एवं निजी प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों के छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में 0.01 स्तर पर सार्थक अंतर पाया गया।
2. राजकीय प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों के छात्रों द्वारा निजी प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों के छात्रों की अपेक्षा गृहकार्य में मात्रा संबंधी, अनुस्वार, विसर्ग, चंद्रबिंदु, विरामादि चिह्नों के प्रयोग, शिरोरेखा एवं सामान्य दूरी संबंधी, वर्णों की बनावट एवं लेखन संबंधी, र् के प्रकारों के प्रयोग संबंधी, श्, ष्, स्, ह् के प्रयोग व लेखन संबंधी,

© NCERT not to be republished

संयुक्ताक्षरों के प्रयोग व लेखन संबंधी वर्तनीगत त्रुटियाँ अधिक पाई गई।

3. राजकीय एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों द्वारा गृहकार्य में की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में सार्थक अंतर पाया गया। अतः परिकल्पना 'राजकीय एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों द्वारा की जाने वाली वर्तनीगत त्रुटियों में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता।' अस्वीकार की गईं।

प्रस्तुत शोध आलेख प्राथमिक स्तर के शिक्षकों एवं छात्रों को त्रुटिरहित गृहकार्य कराने एवं करने में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। शिक्षकों को शिक्षण के बिंदुओं का चयन कक्षाकार्य एवं गृहकार्य में से करने की दृष्टि विकसित करने में सहयोग प्रदान करेगा। निश्चित ही गृहकार्य एवं लेखन संदर्भित यह शोध आलेख वर्तनीगत त्रुटियों को दूर करने में प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों, मार्गदर्शकों एवं छात्रों को सहयोग प्रदान करेगा।

संदर्भ

एल.के., ओड. 1980. *हिंदी में भाषा की त्रुटियों का निदान और उसके उपचार के लिए कार्यक्रम*. (पी.एच.डी. शोधकार्य) वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, राजस्थान.

कुमार, कृष्ण. 2014. *बच्चे की भाषा व अध्यापक— एक निर्देशिका*. नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली.

गुरु, कामता प्रसाद. 2013. *हिंदी व्याकरण*. पंचशील प्रकाशन, जयपुर, राजस्थान.

पाण्डे, लता. 2011. *पढ़ना सिखाने की शुरुआत और पढ़ने से संबंधित अन्य लेखों का संकलन*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

राठौड़ एवं दवे. 2011. व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में की जाने वाली अशुद्धियों का अध्ययन. *लोकमान्य शिक्षक*. माह दिसंबर. पृ. सं. 36–42. शिक्षा संकाय. जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ. उदयपुर.

© NCERT not to be republished

5

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुभाषावादी पहल

रितिका*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भारतीय रीति के अनुरूप बनी देश की तीसरी शिक्षा नीति है। वर्तमान आवश्यकताओं, आकांक्षाओं व अपेक्षाओं की पूर्ति तथा भविष्य की आवश्यकताओं को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने की दूरदृष्टि इसमें समाहित है। हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि एक लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यूँ तो नयी शिक्षा नीति के कई आयामों पर विभिन्न दृष्टियों से बात हो सकती है लेकिन इस लेख में भाषा संबंधी नीतियों को चर्चा का विषय बनाया गया है। इस लेख का उद्देश्य बहुभाषिकता तथा भाषाओं की समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नयी शिक्षा नीति के तहत किए गए भाषा संबंधी प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख करना है। सांकेतिक भाषा का संवर्धन उतना ही ज़रूरी है जितना अन्य भाषाओं का। भाषा की इस चर्चा में सांकेतिक भाषा पर भी प्रमुखता से विचार किया गया है।

© NCERT not to be republished

देश में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में पारित हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के 34 साल बाद आई, जो देश की तीसरी शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर की शिक्षा से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा तक को बहुआयामी, लचीला और प्रभावी बनाना है। यह नीति विद्यार्थी की पहुँच को कक्षा से लेकर ई-कक्षा तक बढ़ाने तथा पाठ्यक्रम में सुधार से लेकर ई-पाठ्यक्रम के विकास तक सभी पर समान रूप से प्रभावकारी कदम उठाने की बात करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हर बच्चे को विशिष्ट मानते हुए उसकी पसंद, रुचि, कौशल, परिवेश के अनुसार शिक्षण का स्वरूप तय करने पर बल देती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव भाषा आधारित नीतियों पर दिखाई देता है। जहाँ बच्चे की अधिगम क्षमता, ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक विकास को सर्वोपरि रखा गया है जिसमें भाषा रास्ता हो सकती है, रोड़ा नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तथा भाषा की शक्ति को पहचानते हुए सरकार ने बहुभाषी भारत की बहुभाषी जनता के लिए एक बहुभाषावादी शिक्षण पद्धति को प्रस्तावित किया है।

भारत एक बहुभाषी देश है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अकसर इसके नीतिबद्ध अध्ययन की कमी महसूस की गई। रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव लिखते हैं कि 'भाषाशिक्षण के किसी निश्चित योजनाबद्ध अध्ययन-अध्यापन के अभाव के बावजूद बहुभाषिकता देश की संचार-व्यवस्था की एक प्रमुख शर्त है।' इसी अभाव को दूर करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसमें भाषा

* *कनिष्ठ परियोजना सहायक*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

शिक्षण को समग्रता के साथ अपनाया गया है। इसमें मातृभाषा के अपनत्व के भाव के साथ शास्त्रीय भाषाओं का ज्ञान तथा क्षेत्रिय भिन्नता का महत्व व विदेशी ज्ञान, व्यापार और व्यवसाय से ओतप्रोत भाषा का समावेश है।

भाषा शिक्षण में विद्यालय और शिक्षक की भूमिका अहम होती है। 'भाषा पूरी शिक्षा की ज़मीन तैयार करती है। जहाँ सिर्फ़ भाषा पढ़ना-सीखना नहीं, बल्कि भाषा से जुड़े नए मुद्दे, जैसे— बहुभाषिक कक्षा, समझ का माध्यम, समावेशी शिक्षा, शिक्षा में शांति और भाषा की भूमिका आदि की समझ अध्यापकों के लिए ज़रूरी है।' अतः नीति के अनुसार अध्यापकों को नियमित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा ताकि वह सही मायनों में भाषा व उससे संबंधित विषयों और विचारों को भी विद्यार्थियों तक प्रेषित कर सकें।

मातृभाषा या घर की भाषा में शिक्षण पर ज़ोर

बच्चे अपनी घर की भाषा या मातृभाषा में जल्दी सीखते हैं। इस तथ्य को स्वीकारते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेषकर प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण पर बल देती है— 'जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उसके आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा।' अब बच्चों को शुरुआती कक्षाओं में एक अनजान भाषा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। बच्चे मातृभाषा में बिना किसी असुविधा के पढ़ पाएँ, इसके लिए सरकार द्वारा जल्द से जल्द मातृभाषा में विज्ञान सहित सभी विषयों की उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएँगी जिन पर लगातार काम चल भी रहा है।

जब नीति घर की भाषा में शिक्षण की बात करती है तो इसका कतई अर्थ नहीं है कि किसी चलताऊ भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन और मानकीकृत भाषा के प्रयोग को वर्जित कहा जा रहा है। यह घर की भाषा में शिक्षण का अर्थ है जिस उम्र में बच्चा नयी संकल्पनाओं, आधारभूत ज्ञान को अर्जित कर रहा है, विभिन्न विषय पढ़ रहा है, जहाँ भाषा विषय को समझने का एक माध्यम है। वहाँ यदि बच्चे को उस भाषा में पढ़ाया जाए जो उसके लिए सहज है जिसमें वह नया ज्ञान आसानी से अर्जित कर सकता है तो वह जल्दी सीख सकता है और बेहतर समझ विकसित कर सकता है। घर की भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का माध्यम के रूप में प्रयोग प्रारंभिक स्तर पर ही सर्वाधिक होता है और प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण अपरिहार्य रूप से होना भी चाहिए।

भारतीय भाषाओं को सीखना

बच्चे प्रारंभिक वर्षों में कोई भी भाषा बहुत जल्दी सीख लेते हैं इसलिए नीति ग्रेड 3 के और आगे की कक्षाओं में बच्चों को अन्य भाषाएँ विशेषकर भारतीय भाषाओं को सिखाया जाएगा। इन भाषाओं को बेहद ही रोचक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा। त्रिभाषा के फ़ॉर्मूले को जारी रखते हुए नयी शिक्षा नीति ने इसे और भी लचीला बना दिया है, लेकिन बच्चों में भाषा दक्षता का भी ध्यान रखा गया है — 'बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के होंगे, जिनमें से कम से कम तीन में से दो भाषाएँ हों। विशेष रूप से, जो छात्र तीन में से एक या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते है, वे ऐसा ग्रेड 6 या 7 में कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें तीनों भाषा में,

not to be republished © NCERT

जिसमें एक भारतीय भाषा को उसके साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल है माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक बुनियादी दक्षता हासिल करके दिखाना होगा।' अतः बच्चे जो भी भाषा या भाषाएँ चुनते हैं उन्हें उनमें पारंगत भी होना होगा यानी एक गुणवत्तापूर्ण भाषा शिक्षण पर बल नयी शिक्षा नीति के अनुसार दिया जाएगा। विभिन्न भाषाओं में शिक्षण सुचारू रूप से हो इसके लिए न केवल स्कूली पाठ्यक्रम की पुस्तकों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशन हो रहा है, अपितु प्राथमिक से उच्च स्तर तक की अन्य बालोपयोगी पुस्तकों का बेहद तीव्र गति से विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाया जा रहा है और आगे भी इसे जारी रखा जाएगा।

शास्त्रीय और विदेशी भाषाओं का शिक्षण

शास्त्रीय भाषाएँ अर्थात् वे भाषाएँ जिनमें हमारे शास्त्र आदि लिखे गए। ये भाषाएँ अपने आप में गूढ़ ज्ञान, इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को संजोए हैं। नयी शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयों में छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में इन भाषाओं का शिक्षण होगा ताकि ये भाषाएँ और साहित्य जीवित व जीवंत रहें तथा इन भाषाओं का ज्ञान आगामी पीढ़ी को भी हो। अभिनव और अनुभव एप्रोच के साथ भारत की शास्त्रीय भाषाओं, जैसे— संस्कृत, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया आदि भाषाओं और उनसे जुड़े साहित्य को विद्यार्थियों के पास कम से कम दो साल सीखने का विकल्प होगा। मिडिल से सेकेंडरी स्तर और आगे भी इनका अध्ययन करते रहने का विकल्प रहेगा।

भारतीय भाषाओं और अंग्रेज़ी के साथ-साथ बच्चों को विदेशी भाषाएँ भी सिखाई जाएँगी, ताकि बच्चे किसी भी दृष्टि से पीछे न हों। उनके पास मातृभाषा, स्वदेशी और विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विदेशी भाषाएँ, जैसे— कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी आदि को माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी बच्चा भारतीय भाषाओं के साथ विदेशी भाषाएँ भी सीखेंगे जिसके कारण उसका भाषाई ज्ञान किसी भी तरह से एकांगी न होकर बहुआयमी होगा।

आधुनिक और मनोरंजक विधियों और गतिविधियों का समागम

गतिविधियाँ बच्चों को विषय से गहरे रूप से जोड़ने का कार्य करती हैं। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* भी कहती है कि 'कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं और इससे उनको अपने अनुभव विकसित करने और दूसरों के प्रति संवेदनशील होने के अवसर मिलते हैं। हम यह भी याद दिला दें कि बच्चे इस प्रकार कि गतिविधियों के माध्यम से व्याकरण भी अधिक आसानी से सीख सकते हैं न कि उबाऊ व्याकरण शिक्षण से।' बच्चे किसी भी कक्षा के क्यों न हो उनके लिए प्रोजेक्ट या गतिविधियों के माध्यम से सिखाना रोचक और सहज हो जाता है तथा बच्चे भी तथ्यों को रटने की बजाए समझने, जानने और उनका आनंद लेते हैं। 'द लैंग्वेजेज़ ऑफ़ इंडिया' प्रोजेक्ट या गतिविधि के तहत बच्चे भारतीय भाषाओं से जुड़े प्रोजेक्ट करेंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट या गतिविधि का उद्देश्य बच्चों को भाषाओं की व्याकरणिक सरंचना, लिपि, उद्भव, विकास, प्रयोग के भौगोलिक क्षेत्र और साहित्य आदि के बारे में बताना है। बच्चे इस

© NCERT not to be republished

प्रोजेक्ट या गतिविधि को पूरे आनंद के साथ कर सकें और उनमें अंकों का कोई भय न हो इसलिए इसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

भाषाएँ हमारे जीवन, इतिहास और संस्कृति का अटूट हिस्सा हैं। किसी समाज में आए परिवर्तनों की झलक हम उसकी भाषा में देख सकते हैं। भाषाओं को उनके विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं और प्रासंगिक विषयों के साथ संबंद्ध करके सिखाया जाएगा। भाषा शिक्षण को सरलीकृत करने का प्रयास किया जाएगा जिसमें नवीन और अनुभावात्मक विधियों, जैसे— फ़िल्म, थिएटर, कथावाचन, काव्य और संगीत आदि को जोड़ा जाएगा। अतः भाषा शिक्षण पूर्णतः अनुभावात्मक-अधिगम शिक्षणशास्त्र पर आधारित होगा।

भारतीय सांकेतिक भाषा (आई.एस.एल.) के मानकीकरण का सराहनीय कदम

भाषा संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। ज़्यादातर भाषाएँ सार्थक ध्वनियों की एक उचित व्यवस्था से विकसित हुई हैं परंतु भारतीय सांकेतिक भाषा बिना ध्वनि वाली संकेत सृजित भाषा है। हमारे बीच कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बारिश बरसती हुई तो दिखाई देती है लेकिन उसकी आवाज़ उन्होंने कभी नहीं सुनी। जिन्होंने चिड़िया उड़ती हुई तो देखी है, दाना चुगती हुई भी देखी है लेकिन कभी उसका चहचहाना नहीं सुना। ऐसे न सुन पाने वाले श्रवण बाधित बच्चे अन्य बच्चों की तरह ही क्षमतावान और प्रतिभावान हैं। उनकी शिक्षा सांकेतिक भाषा (साइन लैंग्वेज) के माध्यम से संभव हो पाती है। सांकेतिक भाषा उनके लिए संप्रेषण का एक साधन है। ऐसे में शैक्षिक दृष्टि से अन्य भाषाओं की तरह सांकेतिक भाषा को भी मानकीकृत रूप विकसित करना बहुत ज़रूरी है। जबकि सामाजिक संदर्भ में यदि देखें तो सामाजिक विविधताओं और निरंतर बदलाव होते रहने के कारण किसी भी भाषा की मानकीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली, एक तरह से अंतहीन, पर महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

भाषा अपने परिवेश से प्रभावित होती है और स्थानीय अंतर भाषिक अंतर को पैदा करता है। यही बात सांकेतिक भाषा पर भी लागू होती है। सांकेतिक भाषा पर भी अपने परिवेश की संस्कृति एवं मान्यताओं का गहरा असर होता है। जैसे विवाह के लिए कहीं 'शादी' शब्द का प्रयोग होता है तो कहीं उसे 'कल्याणम्' कहा जाता है। उसी तरह दोनों जगहों की शादी की रीतियों में भिन्नता के प्रभाव के कारण इस शब्द को प्रदर्शित करने वाले संकेत में भी अंतर है। यही सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रादेशिक अंतर सांकेतिक भाषा में भी अंतर पैदा कर देते हैं। अलग-अलग भाषा रूप दो विभिन्न प्रदेशों के व्यक्तियों के बीच संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं जिसके लिए भाषा का एक मानक रूप विकसित करना ज़रूरी है।

शैक्षिक दृष्टि से सांकेतिक भाषा के मानकीकरण की विशेष आवश्यकता है जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आसानी से पढ़ाया और समझाया जा सके। मानकीकृत भाषा होने की वजह से शिक्षार्थी एवं शिक्षक अपनी बात को आसानी से समझा सकें। खासकर बच्चों के लिए तैयार किए जाने वाले दृश्य-श्रव्य कार्यकर्मों में भी सांकेतिक भाषा के मानकीकृत रूप का प्रयोग किया जा सकेगा। उच्च शिक्षण स्तर की पाठ्यसामग्री को एक

© NCERT not to be republished

मानकीकृत सांकेतिक भाषा में ही बड़े स्तर पर तैयार कर उसका प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। आज यदि हम श्रवण बाधित व्यक्तियों या बच्चों की बात को समझने में असक्षम है तो यह उनकी नहीं, हमारी कमी है जिसे हमें जल्द से जल्द दूर करने की आवश्यकता है।

आज हम समावेशी शिक्षा पर ज़ोर देते हैं जिसमें हम सभी को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। दिव्यांग बच्चों को अलग से शिक्षा न देकर उन्हें अन्य बच्चों के साथ में शिक्षा देना बेहतर समझा जाता है। ऐसे में उन्हें पढ़ाने वाला शिक्षक भी कक्षा के हर बच्चे को अपनी बात संप्रेषित करने और बच्चे की बात को समझने में सक्षम होना चाहिए जिसके लिए उसको भी मानकीकृत सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना आना ज़रूरी है। अतः सांकेतिक भाषा के मानकीकरण से शिक्षक भी उस भाषा को सीख पाएँगे तथा कक्षा में वह अन्य बच्चों की तरह श्रवण बाधित बच्चों के साथ भी संवाद स्थापित कर सकेंगे। इस तरह से सांकेतिक भाषा का मानकीकरण भाषिक दृष्टि से समावेशी शिक्षा को पुष्ट करने वाला है। इस तरह से सांकेतिक भाषा के मानकीकरण से शिक्षा का प्रसार तेज़ी से होगा और राष्ट्रीय तथा राज्य पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना आसान हो जाएगा व ज़्यादा प्रभावी शिक्षण सामग्री तैयार करने में भी सहायक होगा। इससे प्रत्येक बच्चे तक एक गुणवत्तापूर्ण और सटीक पाठ्यसामग्री पहुँच पाएगी। मूल्यांकन और आकलन में भी सटीकता आएगी।

जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कहा गया है कि सांकेतिक भाषा के मानकीकरण में स्थानिक भाषाओं का भी ध्यान रखा जाएगा (जहाँ तक संभव और प्रासांगिक होगा), उनका सम्मान किया जाएगा और उन्हें सिखाया भी जाएगा। सभी स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का ध्यान रखते हुए मानकीकृत भाषा विकसित करना और उसमें शिक्षा देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य अवश्य है पर यह देश के हर बच्चे तक शिक्षा की एक समान पहुँच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन भी है।

निष्कर्ष

भाषा की शक्ति अतुलनीय और उसका प्रभाव अद्वितीय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा की इस शक्ति और बहुभाषी भारतीय समाज की आवश्यकताओं को समझते हुए जो प्रावधान किए गए हैं, वे सराहनीय हैं। शिक्षा नीति में जहाँ मातृभाषा के शिक्षण पर ज़ोर दिया है, वहीं अन्य भारतीय, शास्त्रीय और विदेशी भाषाओं को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की बात की गई है। इन भारतीय भाषाओं का शिक्षण नीरस या बोझिल न हो, इसके लिए अभिनव और अनुभावात्मक विधियों व गतिविधियों के प्रयोग पर बल दिया गया है। भाषाओं के संवर्धन के इस कार्य में भारतीय सांकेतिक भाषा को मानकीकृत करने का कदम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। न केवल नीति निर्माण के स्तर पर अपितु उसके क्रियान्वयन के स्तर पर भी हम बिल्कुल तैयार हैं। इसके लिए विभिन्न भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यसामग्री का निर्माण भी हो रहा है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की यह बहुभाषावादी पहल बहुआयामी, बहुगुणी और बहुमूल्य है।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

रा.शै.अ.प्र.प. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. नयी दिल्ली.

———. 2019. *भाषा शिक्षण हिंदी. भाग 2*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नयी दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. भारत सरकार.

श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ. 2016. *भाषाई अस्मिता और हिंदी*. वाणी प्रकाशन. नयी दिल्ली.

सभी भाषाओं के शिक्षा को नवीन और अनुभवात्मक विधियों के माध्यम से समृद्ध किया जाएगा, जिसमें सरलीकरण और ऐप्स के माध्यम से, भाषाओं के सांस्कृतिक पहलुओं— जैसे कि फिल्म, थिएटर, कथावाचन, काव्य और संगीत को जोड़ते हुए, और विभिन्न प्रासंगिक विषयों के साथ और वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ संबंधों को दिखाते हुए इन्हें सिखाया जाएगा। इस प्रकार, भाषाओं का शिक्षण भी अनुभवात्मक-अधिगम शिक्षणशास्त्र पर आधारित होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

© NCERT not to be republished

6

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन

नरेश कुमार*

सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वह शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष ज़ोर देती है तथा इस नीति में तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया है। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय संवैधानिक मूल्यों एवं मौलिक दायित्वों से युक्त एक ऐसी शिक्षा नीति है जो देश के साथ जुड़ाव एवं बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करने पर बल देती है। यह नीति इस बात को स्वीकारती है कि भाषा निःसंदेह अटूट रूप से कला एवं संस्कृति से जुड़ी होती है। भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन न केवल राष्ट्र बल्कि व्यक्तियों एवं बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में बच्चों के अंदर सांस्कृतिक जागरूकता एवं अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को विकसित करना बहुत ही ज़रूरी है। यह शिक्षा नीति इस बात पर बल देती है कि सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा एवं परंपरा की भावना और ज्ञान के विकास के माध्यम से ही बच्चों के अंदर सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्म-सम्मान की भावना का विकास किया जा सकता है।

शिक्षा मानवीय क्षमताओं को प्राप्त करने, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना एवं विकास तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में एक मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा तथा संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन (व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व अर्थात् मानवता की भलाई के लिए) किया जा सकता है। इसी संदर्भ में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की इक्कीसवीं शताब्दी की वह पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नयी शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। इसका उद्देश्य इक्कीसवीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दक्षिण-पश्चिम, घुम्मनहेड़ा, नयी दिल्ली

को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना तथा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए इक्कीसवीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें सतत विकास लक्ष्य 4 शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है।

इस शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर ज़ोर देते हुए विद्यालयी पाठ्यक्रम के 10+2 ढाँचे की जगह 5+3+3+4 की नयी पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी जो क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14 और 14–18 उम्र के बच्चों के लिए है। इस नीति में अब तक दूर रखे गए 3–6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। नयी शिक्षा प्रणाली में तीन साल की आँगनवाड़ी या प्री-स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। प्री-स्कूलिंग एवं स्कूली शिक्षा को मिलाकर यह अवधि कुल 15 वर्ष की होगी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, सतत सीखते रहने की कला और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित

भारत संस्कृति का समृद्ध भंडार है जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है और यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियों, प्रथाओं, परंपराओं, भाषाई अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक धरोहरों के स्थलों इत्यादि में परिलक्षित होता हुआ दिखता है। भारत में भ्रमण, भारतीय अतिथि सत्कार का अनुभव लेना, भारत के खूबसूरत हस्तशिल्प एवं हाथ से बने कपड़ों को खरीदना, भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ना, योग एवं ध्यान का अभ्यास करना, भारतीय दर्शनशास्त्र से प्रेरित होना, भारत के अनुपम त्यौहारों में भाग लेना, भारत के वैविध्यपूर्ण संगीत एवं कला की सराहना करना और भारतीय फ़िल्मों को देखना आदि कुछ ऐसे आयाम हैं जिनके माध्यम से दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रतिदिन इस सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित होते हैं, इनका आनंद उठाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। यही सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदा है जो भारत के पर्यटन स्लोगन के अनुसार भारत को वास्तव में "अतुल्य। भारत" बनाती है। भारत की इस सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार, देश की उच्चतर प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि यह देश की पहचान के साथ-साथ इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. सं. 86

राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष ज़ोर देती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या-ज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' का विकास होता है बल्कि 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या-समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का भी विकास होता है। नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।

© NCERT not to be republished

करने पर भी बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की जगह प्रतिस्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय मूल्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अंतर्दृष्टि (विज़न) भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति की अंतर्दृष्टि छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. सं. 8

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन

भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विवेचना इस प्रकार है—

1. **बच्चों में सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी क्षमताओं का विकास करना**— इस नीति के अनुसार भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन न केवल राष्ट्र बल्कि व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बच्चों में अपनी पहचान, अपनेपन के भाव एवं अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना का भाव उत्पन्न करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता एवं अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को बच्चों के अंदर विकसित करना बहुत ज़रूरी है। सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा एवं परंपरा की भावना और ज्ञान के विकास के माध्यम से ही बच्चों के अंदर एक सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्म-सम्मान बच्चों में निर्मित एवं विकसित किया जा सकता है। अतः व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के संदर्भ में सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी क्षमताओं का योगदान अति महत्वपूर्ण है।
2. **संस्कृति का प्रचार करने का प्रमुख माध्यम कला**—राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संस्कृति का प्रचार करने का सबसे प्रमुख माध्यम कला है। कला सांस्कृतिक पहचान एवं जागरूकता को समृद्ध करने, समुदायों को उन्नत करने और व्यक्तियों में संज्ञानात्मक एवं सृजनात्मक क्षमताओं तथा व्यक्तिगत प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। इस संदर्भ में यह नीति इस बात का उल्लेख करती है कि व्यक्तियों की प्रसन्नता, कल्याण, सांस्कृतिक पहचान एवं संज्ञानात्मक विकास वे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके लिए सभी प्रकार की भारतीय कलाएँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल व शिक्षा से आरंभ करते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए।
3. **भाषा का कला एवं संस्कृति से अटूट संबंध एवं हमारी संस्कृति हमारी भाषाओं में**

© NCERT not to be republished

समाहित है— इस नीति का यह अटल विश्वास है कि भाषा निःसंदेह अटूट रूप से कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई है। विभिन्न भाषाएँ दुनिया को विभिन्न तरीके से देखती हैं इसलिए मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे ग्रहण करता अथवा समझता है यह उस भाषा की संरचना से तय होता है। मुख्य रूप से किसी संस्कृति विशेष के लोगों का दूसरों से बात करना, जैसे— परिवार के सदस्यों, प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों, समकक्षों, अपरिचित आदि भाषा से ज़्यादा प्रभावित होता है तथा भाषा बातचीत के तौर-तरीकों आदि को भी प्रभावित करती है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अनुभवों की समझ, लहज़ा और एक ही भाषा के व्यक्तियों के बीच बातचीत में अपनापन वास्तव में ये सभी संस्कृति के प्रतिबिंब एवं दस्तावेज़ हैं। संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है। साहित्य, संगीत, नाटक, फ़िल्म आदि के रूप में कला की पूरी तरह सराहना करना भाषा के बिना संभव नहीं है इसलिए संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए हमें अपनी संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना होगा। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है—

"दुर्भाग्य से, भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाई जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। विभिन्न भाषाएँ विलुप्त होने के कगार पर हैं विशेषतः वे भाषाएँ जिनकी लिपि नहीं है। जब किसी समुदाय या जनजाति के उस भाषा के बोलने वाले वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु होती है तो अक्सर वह भाषा भी उनके साथ समाप्त हो जाती है; और प्रायः इन समृद्ध भाषाओं/संस्कृति की अभिव्यक्तियों को संरक्षित या उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई या उपाय नहीं किए जाते हैं।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. सं. 87

4. **भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को विद्यालय और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करना**— इस नीति में भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को विद्यालय और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने पर विशेष बल दिया गया है। इसके साथ ही यह वर्णित किया गया है कि वे भारतीय भाषाएँ जो आधिकारिक रूप से लुप्तप्राय की सूची में नहीं हैं; जैसे कि आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएँ वे भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। अतः भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को विद्यालय और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। भाषाएँ जीवंत और प्रासंगिक बनी रहें इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री, जैसे— पाठ्यपुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, नाटक, कविताएँ, उपन्यास, पत्रिकाएँ, वीडियो आदि शामिल हैं, का सतत प्रवाह बना रहना चाहिए। साथ ही भाषाओं के शब्दकोशों एवं शब्द भंडार को आधिकारिक रूप से निरंतर अद्यतन होते रहना चाहिए तथा उनका व्यापक प्रसार-प्रचार भी किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखित किया गया है कि—

"दुनिया भर के देशों द्वारा— अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, कोरियाई, जापानी आदि भाषाओं में इस प्रकार की अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री बनाने

© NCERT not to be republished

और दुनिया की अन्य भाषाओं की महत्वपूर्ण सामग्री का अनुवाद किया जाता है तथा शब्द-भंडार को लगातार अद्यतन किया जाता है। अपनी भाषाओं को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने में मदद के लिए ऐसी अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री और शब्दकोश बनाने के मामले में भारत की गति काफ़ी धीमी रही है।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. सं. 87–88

5. **भाषा शिक्षण में सुधार एवं भाषाओं को अधिक व्यापक रूप से बातचीत और शिक्षण एवं अधिगम के लिए प्रयोग में लाना**— राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा शिक्षण में सुधार एवं भाषाओं को अधिक व्यापक रूप से बातचीत और शिक्षण एवं अधिगम के लिए प्रयोग में लाने की सिफ़ारिश की गई है। नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि काफी उपाय करने के बावजूद भी देश में भाषा सिखाने वाले कुशल शिक्षकों की अत्यधिक कमी है। इस नीति के अनुसार भाषा शिक्षण में भी सुधार किया जाना चाहिए ताकि वह अधिक अनुभव आधारित बने और उस भाषा में बातचीत और अंतःक्रिया करने की क्षमता पर केंद्रित हो; न कि केवल भाषा के शब्द-भंडार, साहित्य और व्याकरण पर। इसके अतिरिक्त इस नीति में यह भी वर्णित किया गया है कि भाषाओं को अधिक व्यापक रूप से बातचीत और शिक्षण-अधिगम के लिए अथवा संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना चाहिए।
6. **बहुभाषिकता को प्रोत्साहन एवं त्रिभाषा फार्मूले का क्रियान्वयन**— इस शिक्षा नीति में बहुभाषिकता को प्रोत्साहन एवं त्रिभाषा फार्मूले के क्रियान्वयन को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। विद्यालयी बच्चों में भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों पर बल दिया गया है। उदाहरण के लिए, सभी स्कूली स्तरों पर संगीत, कला और हस्तकौशल पर बल देना, बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फार्मूले का शीघ्र क्रियान्वयन शमिल है। इसके अतिरिक्त जब संभव हो मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में शिक्षण तथा अधिक अनुभव-आधारित भाषा शिक्षण, उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों, हस्तकलाकारों एवं अन्य विशेषज्ञों को स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षक के रूप में विद्यालयों से जोड़ना, पाठ्यचर्या, मानविकी, कला, विज्ञान, खेल और हस्तकला में भारतीय पारंपरिक ज्ञान का समावेशन करना तथा पाठ्यचर्या में अधिक लचीलापन लाना। इन सभी उपायों के लागू होने से छात्र एक आदर्श संतुलन स्थापित करते हुए अपने लिए कोर्स का चुनाव कर सकें तथा स्वयं के विभिन्न आयामों; जैसे— सृजनात्मक, कलात्मक तथा सांस्कृतिक एवं अकादमिक आयामों का उचित विकास कर सकें।
7. **भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, संगीत, कला एवं दर्शन-शास्त्र आदि के सशक्त विभागों एवं कार्यक्रमों को देशभर में शुरू करना**— इस नीति के अनुसार भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, संगीत, कला एवं दर्शनशास्त्र आदि विभागों एवं कार्यक्रमों को देशभर में शुरू किया जाएगा और उनको विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही इन विषयों में दोहरी डिग्री चार वर्षीय बी.एड. सहित डिग्री कोर्स

© NCERT not to be republished

विकसित किए जाएँगे। ये विभाग एवं कार्यक्रम विशेष रूप से उच्चतर योग्यता के भाषा शिक्षकों के एक बड़े कैडर को विकसित करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही संगीत, कला, दर्शनशास्त्र एवं लेखन के शिक्षकों को भी तैयार करेंगे जिनकी देशभर में इस नीति को क्रियान्वित करने के संदर्भ में तुरंत आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में इस नीति में उल्लेखित किया गया है कि— "स्थानीय संगीत, कला, भाषाओं एवं हस्त-शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहाँ छात्र अध्ययन कर रहे हों वे वहाँ की संस्कृति एवं स्थानीय ज्ञान को जान सकें, उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों एवं हस्त-शिल्प में कुशल व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्था, प्रत्येक स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स यह प्रयास करेगा कि कलाकार वहीं निवास करें जिससे कि छात्र कला, सृजनात्मकता तथा क्षेत्र/देश की समृद्धि को बेहतर रूप से जान सकें।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. सं. 89

8. **उच्चतर शिक्षण संस्थानों एवं कार्यक्रमों में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग में लाना**— इस नीति में स्पष्ट तौर से वर्णन किया गया है कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों एवं कार्यक्रमों में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। इसके साथ ही कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाया जाएगा जिससे कि पहुँच और सकल नामांकन अनुपात में बढ़ोतरी हो सके। इसके अतिरिक्त सभी भारतीय भाषाओं के उपयोग, मज़बूती एवं जीवंतता को प्रोत्साहन मिल सके आदि के लिए निजी प्रशिक्षण संस्थानों को भी कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा एवं उनको बढ़ावा दिया जाएगा।

9. **अपनी कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित करना**— इस नीति में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अनुवाद और विवेचना, कला और संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व कलाकृति संरक्षण, ग्राफ़िक डिज़ाइन एवं वेब डिज़ाइन के उच्चतर गुणवत्तापूर्ण वाले कार्यक्रमों एवं डिग्रियों का भी सृजन किया जाएगा। अपनी कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने एवं उसे बढ़ावा देने के संदर्भ में विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित की जाएगी। इसके अतिरिक्त कलाकृतियों का संरक्षण करना, संग्रहालय और विरासत अथवा पर्यटन स्थलों को चलाने के लिए उच्चतर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का विकास किया जाएगा जिससे कि पर्यटन उद्योग को मज़बूती प्रदान की जा सके।

10. **विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना**— यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को स्वीकारती है कि विद्यार्थियों को अपने देश अर्थात् भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि विद्यार्थियों की शिक्षा में देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करने जैसी सरल गतिविधियों को सम्मिलित करना होगा

© NCERT not to be republished

जिससे कि न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा अपितु विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों की विविधता, संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान की समझ तथा सराहना होगी। इस नीति के अनुसार "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के अंतर्गत इस दिशा में देश के अंदर ऐसे 100 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी जहाँ शिक्षण संस्थान अपने छात्रों को इन क्षेत्रों में ज्ञानवर्धन एवं अध्ययन आदि के लिए भेज सकेंगे।

11. **उच्चतर शिक्षा में कला, भाषा और मानविकी के क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम बनाना जिनसे रोज़गार के अवसर पैदा हों**— इस शिक्षा नीति में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उच्चतर शिक्षा में कला, भाषा और मानविकी के क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम बनाने से रोज़गार के बहुत से गुणवत्तापूर्ण अवसर उत्पन्न होंगे जो इन योग्यताओं का प्रभावकारी उपयोग कर पाएँगे। वर्तमान संदर्भ में अभी भी हजारों की संख्या में ऐसी अकादमियाँ, संग्रहालय, कला वीथिकाएँ और धरोहर स्थल हैं जिनको सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त संग्रहालय, कला वीथिकाएँ और धरोहर स्थल हमारी विरासत और भारत के पर्यटन उद्योग को संरक्षित रख पाएँगे।

12. **अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित प्रयासों का विस्तार करना**— इस नीति में वर्णित है कि भारत शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित अपने प्रयासों का विस्तार करेगा। इससे सर्वसाधारण को विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली अधिगम सामग्री एवं अन्य महत्वपूर्ण लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इस संदर्भ में इस नीति के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट ऑफ़ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आई. आई. टी. आई.) की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान अनेक बहुभाषी भाषा और विषय विशेषज्ञों तथा अनुवाद एवं व्याख्या विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा। इससे सभी भारतीय भाषाओं को प्रसारित एवं प्रचारित करने में मदद मिलेगी।

13. **संस्कृत भाषा को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्यधारा में लाना**— यह नीति संस्कृत भाषा को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्यधारा में लाने पर बल देती है। इस नीति के अंतर्गत संस्कृत भाषा के बड़े एवं महत्वपूर्ण योगदान एवं विभिन्न विधाओं और विषयों के साहित्य, सांस्कृतिक महत्व पर बल दिया गया है। इसके साथ ही वैज्ञानिक प्रकृति के कारण संस्कृत को न केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित रखते हुए इसे विद्यालयों में भी त्रिभाषा फार्मूले के तहत एक विकल्प के रूप में तथा साथ-ही-साथ उच्चतर शिक्षा में भी मुख्यधारा में लाया जाएगा। इसे पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा, अपितु रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीकों से तथा अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों, जैसे— गणित, खगोलशास्त्र, दर्शनशास्त्र, नाटक विधा एवं योग आदि से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नीति के बाकी हिस्सों से संगतता रखते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बहुविषयी संस्थान बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। इसके साथ ही शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में चार वर्षीय

© NCERT not to be republished

बहुविषयक बी.एड. डिग्री के द्वारा मिशन मोड में समूचे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

14. **समूचे देश के सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को मज़बूती प्रदान करना**— इस नीति के तहत सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के अध्ययन से संबंधित संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों का विस्तार किया जाएगा। उन हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करने, उनको सरंक्षित करने, अनुवाद करने और उनके अध्ययन से संबंधित प्रयास किए जाएँगे जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन सभी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों का प्रसार किया जाएगा जिनमें शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य को पढ़ाया जा रहा है। अभी तक उपेक्षित रहे लाखों अभिलेखों के संग्रह, संरक्षण, अनुवाद एवं अध्ययन से संबंधित दृढ़ प्रयास किए जाएँगे। देशभर के समूचे संस्कृत तथा सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को विशेषरूप से मज़बूत किया जाएगा। शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास नए जोश के साथ किए जाएँगे।

15. **संविधान में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित करना**— राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएँगी। इसमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलने वाले लोग शामिल रहेंगे जिससे कि नवीन अवधारणाओं का सरल किंतु सटीक शब्द भंडार तय किया जा सके। इसके साथ ही नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोश जारी किया जा सके। शब्दकोशों के निर्माण के संदर्भ में ये अकादमियाँ एक-दूसरे से परामर्श लेंगी तथा कुछ मामलों में आम जनता से भी सुझाव लेंगी। भारतीय संविधान की अनुसूची आठ की भाषाओं के संदर्भ में इन अकादमियों की स्थापना केंद्र अथवा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके अथवा उनके

शास्त्रीय भाषा के संस्थान अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए विश्वविद्यालयों के साथ संबंध होने या उनमें विलय करने का प्रयास करेंगे ताकि एक सुदृढ़ एवं गहन बहुविषयी कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संकाय काम कर सके एवं छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भाषाओं को समर्पित विश्वविद्यालय भी बहुविषयी बनेंगे; जहाँ प्रासंगिक होगा वे शिक्षा एवं उस भाषा में बी.एड. दोहरी डिग्री प्रदान करेंगे ताकि उस भाषा के उत्कृष्ट भाषा शिक्षक तैयार हो सकें। इसके अलावा यह भी प्रस्तावित है कि भाषाओं के लिए एक नया संस्थान स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिसर में एक पाली, फ़ारसी एवं प्राकृत भाषा के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। जिन संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में भारतीय कला, कला इतिहास एवं भारत विद्या का अध्ययन किया जा रहा है वहाँ भी इसी प्रकार के कदम उठाए जाएँगे। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधानों को एन.आर.एफ. द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. सं. 90–91

© NCERT not to be republished

साथ मिलकर की जाएगी। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार व्यापक पैमाने पर बोली जाने वाली अन्य भारतीय भाषाओं की अकादमी भी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाएँगी।

16. **भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति का वेब आधारित दस्तावेज़ीकरण करना**— इस नीति के अंतर्गत सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित समृद्ध स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए वेब आधारित प्लेटफ़ॉर्म या विकीपीडिया या पोर्टल आदि के माध्यम से दस्तावेज़ीकरण किया जाएगा। समूचे देश के लोगों को इन प्रयासों में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जिससे कि वे इनमें प्रासंगिक सामग्री जोड़ सकें। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में विश्वविद्यालय एवं उनकी शोध टीम एक-दूसरे तथा देशभर के समुदायों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करेगी जिससे कि इनसे संबंधित प्लेटफ़ॉर्म को और अधिक समृद्ध किया जा सके। संरक्षण से संबंधित प्रयासों एवं अनुसंधान से संबंधित वित्तीय सहायता एन.आर.एफ. द्वारा प्रदान की जाएगी।

17. **भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोज़गार अर्हता के मानदंडों के हिस्से के रूप में शामिल करना**— यह नीति इस बात पर बल देती है कि भारतीय भाषाओं का संवर्धन एवं प्रसार तभी संभव है जब उन्हें नियमित रूप से प्रयोग में लाया जाए एवं उनका प्रयोग शिक्षण-अधिगम के संदर्भ में किया जाए। इस नीति के तहत स्थानीय शिक्षकों अथवा उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु के लोगों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी। भारतीय भाषाओं में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कविताओं तथा गद्य के लिए पुरस्कार की स्थापना जैसे प्रोत्साहन के कदम उठाए जाएँगे। इसके साथ ही भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोज़गार अर्हता के मानदंडों के एक हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई नीति है। यह सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है। इसका उद्देश्य इक्कीसवी सदी की ज़रूरतों के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना तथा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रणाली को एक नया आधार एवं दिशा प्रदान करने वाली शिक्षा नीति के रूप में संबोधित किया जा सकता है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, इक्कीसवी सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। यह नीति सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति

© NCERT not to be republished

बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान देगी। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन से संबंधित कुछ ऐसे प्रमुख प्रावधान हैं, जैसे— बच्चों में सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी क्षमताओं का विकास करना, भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को विद्यालय और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करना, बहुभाषिकता को प्रोत्साहन एवं त्रिभाषा फार्मूले का क्रियान्वयन, भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, संगीत, कला एवं दर्शनशास्त्र आदि के सशक्त विभागों एवं कार्यक्रमों को देशभर में शुरू करना, छात्रों को भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना, समूचे देश के सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को मज़बूती प्रदान करना आदि, जो इसे अपने आप में वर्तमान समय की एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण शिक्षा नीति बनाते हैं।

संदर्भ

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.

© NCERT not to be republished

7

चकई के चकदुम

सुरेश कुमार मिश्रा*

बालगीत सुनना और गाना बच्चों के संवेदनशील विकास का बालप्रिय माध्यम माना जाता है। बालगीत सुनना-सुनाना बच्चों की रुचियों में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। यह बच्चों को पढ़ाई के बोझ से राहत दिलाती है। साथ ही उनकी कई अवधारणाओं को सरल तरीके से सुलझा भी देती है। आजकल के दौर में जहाँ टीवी व कार्टून बच्चों को अकेला कर देते हैं वहीं बालगीत बच्चों को आपस में तथा बड़ों के करीब लाकर आत्मीयता, शब्द भंडार में वृद्धि तथा सामाजिकता में वृद्धि करते हैं। निरंतर बालगीत सुनना और गाना बच्चों को साहित्य से जोड़कर रखता है।

चकई के चकदुम... बालगीत की यह पंक्ति सुनते ही बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं। बच्चे मस्ती से झूमने लगते हैं। उनकी रुचि व उत्साह देखते ही बनता है। आखिर ऐसा क्यों है कि अधिकतर सभी को बालगीत सुनना अच्छा लगता है। अनेक व्यक्ति तो बहुत बखूबी तथा रुचिकर तरीके से बालगीत गाते व गुनगुनाते हैं। किंतु ऐसा क्या है सुनीता में? सुनीता बालगीतों के बारे में आखिर क्या जानती है, जिससे जब वह बालगीत गाती है तो सारे कक्षा का वातावरण सम्मोहित-सा हो जाता है। वह अपने गाने सुनाने और प्रस्तुत करने के ढंग को बड़ी सरलता से बालगीत की पुस्तक में उपलब्ध तस्वीरों से जोड़ देती है। ऐसा लगता है जब सुनीता बोल रही है तो पुस्तक की तस्वीरें भी सजीव हो उठती हैं। उसे पता है बालगीत में प्रस्तुति किस तरह की होनी चाहिए, कहाँ स्वर में आरोह-अवरोह का ध्यान रखना है आदि। बालगीत सौंदर्यानुभूति विकास का एक ऐसा ही पहलू है।

ऐसा कोई न होगा जिसे कोई न कोई बालगीत न आता होगा। सभी को अपने-अपने समय के पढ़े गए बालगीतों की कोई न कोई पंक्ति याद तो रह ही जाती है। वैसे तो बालगीत छोटे, बड़े, वृद्ध सभी को थोड़े-बहुत आते ही हैं। फिर चाहे 'मछली जल की रानी' हो या फिर 'एक कौआ प्यासा था' ही क्यों न हो। बालगीत श्रव्य-दृश्य रूप, खेल-खेल में, फ़िल्म, दूरदर्शन और धारावाहिक, कठपुतली के खेल अथवा रंगमंच पर नाटक के रूप आदि में किसी न किसी ढंग से आकर्षित करते ही आए हैं।

बालगीत—सुनाना और गाने गुनगुनाना ध्यान आकर्षण की एक कला

क्या सभी लोग बालगीत मनोरंजक तरीके से सुना पाते हैं? शायद हाँ। शायद नहीं। दरअसल बालगीत सुनाना या गाना एक कला है। किंतु क्या टेलीविज़न और इंटरनेट के युग में बच्चे अपने माता-पिता, दादा-दादी,

**राज्य संसाधक*, शिक्षा विभाग, तेलंगाना, हैदराबाद

© NCERT not to be republished

नाना-नानी से बालगीत सुनना पसंद करते हैं? इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम अपने बच्चों को बालगीत सुनाते हैं या बालगीत सुनाने के लिए समय निकाल पाते हैं? ऐसे ही कई प्रश्न बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के मस्तिष्क में उभरते हैं।

बालगीत सुनने सुनाने की प्रथा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। जो आनंद दादा-दादी, नाना-नानी को माता-पिता से बालगीत सुनने में आता है उसकी तो बात ही निराली होती है। इनके पास तो थोड़े-बहुत बालगीतों, धार्मिक गीतों की आधी-अधूरी पंक्तियाँ या बोल ही सही, होते ज़रूर हैं। अगर बचपन से ही छोटे बच्चों को बालगीत की सचित्र पुस्तकों के माध्यम से बालगीत सुनाया जाए तो बच्चों में पढ़ने की जिज्ञासा खुद-ब-खुद उत्पन्न हो जाती है। दूसरी तरफ यदि बच्चा अपने आसपास के वातावरण में माता-पिता तथा अन्य वयस्कों को अखबार, पत्र-पत्रिका आदि पढ़ते हुए देखता है तो उसके स्वभाव में पढ़ने की ललक स्वयं जागती है। माता-पिता अथवा अभिभावकों को बच्चों को भी उनके स्तर की सचित्र बालगीत पुस्तकें ला कर देनी चाहिए। यह भी एक तरह से बच्चों को बालगीत गुनगुनाने या पढ़ने के लिए तैयार करना है। इसके विपरीत यदि आप निरंतर टेलीविज़न ही देखते रहते हैं तो बच्चों पर भी वैसा ही असर पड़ेगा। टेलीविज़न अधिक समय बिताने से छोटे बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे में चाहिए कि बच्चों से रोचक गतिविधि कराई जाए और बालगीत जैसी रुचिकर विधा की क्रिया के खेल के माध्यम से बच्चों का मनोरंजन किया जाए।

प्रस्तुत लेख में निम्न विषय पर विशेषकर चर्चा की गई है—

- बालगीत का महत्व क्या है?
- बालगीत का चयन कैसे करना चाहिए?
- बालगीत किस प्रकार सुनाना चाहिए?

बालगीत का महत्व

बालमन बहुत कोमल होता है। बच्चों को जिस प्रकार का वातावरण देते हैं बच्चे के मन पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप बालगीत सुनाएँ जाएँ। आजकल बालगीत सुनाने को बच्चे के संवेदनशील विकास का सर्वाधिक लोकप्रिय व सुंदर माध्यम माना जाता है। आजकल अभिभावक अपने बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक तथा भाषाई विकास के लिए बहुत जागरूक हो गए हैं। ऐसे में बालगीत सुनाना, स्कूल व घर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि हो गई है। शिक्षक को यह चाहिए कि अपनी पाठशाला की समय-सारिणी या कार्यक्रम योजना में बालगीत के लिए भी समय रखें। बालगीत बच्चों का ध्यान बहुत सरलता से अपनी और खींच लेते हैं और साथ ही बच्चों को भरपूर मनोरंजन में पढ़ाई के बोझ से राहत दिलाते हैं। यही नहीं बालगीत के माध्यम से शिक्षक कई कठिन अवधारणाओं को सरल तरीके से समझा सकते हैं।

प्रायः बालगीत सुनाते समय बच्चे शब्दों के अर्थ सरलता से समझ लेते हैं। इन शब्दों का उपयोग अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्य में सुगमता से कर पाते हैं। बालगीत के माध्यम से उन्हें कई विषयों से संबंधित सामान्य जानकारी भी मिलती है और वे धीरे-धीरे किताबों में रुचि लेने लगते हैं। इस तरह बच्चों को बालगीत सुनाने से उनमें बालगीतों के प्रति रुचि तथा पठन तत्परता भी आती है यानी वह पढ़ने के लिए तैयार होने लगता है। छोटे बच्चों में

© NCERT not to be republished

बालगीत सुनने की ललक व मुद्रण के प्रति आकर्षण और भी तीव्र होता है, जब वह—

- अपने आसपास माता-पिता, बड़ों व अन्य को पढ़ते हुए देखता है।
- बड़ों द्वारा बालगीत सुनता है।
- बालगीत पढ़ने के लिए किताबों की माँग करता है।
- दूसरों के साथ बैठ बाँटकर बालगीत किताब के पन्ने पलटता है।
- पुस्तक को पढ़ने का अभिनय करता है तथा अपने से छोटे भाई-बहन को सचित्र पुस्तकें दिखाता है।

बालगीत नैतिक मूल्य और सामाजिक कौशल को बच्चों में विकसित करने में भी मदद करते हैं। कई बार बालगीत सुनते समय बच्चों को महसूस होता है कि वह बालगीत के पात्र से मिलता-जुलता है। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चा अपने घर के लोगों की नकल करता है या उनकी तरह व्यवहार करने का प्रयास करता है तो उसे टोके मत, बल्कि प्रोत्साहित करें। उसे बालगीत के माध्यम से गाने-गुनगुनाने या पढ़ने का अवसर दें।

बालगीत छोटे बच्चों को अभिनय करने के नए-नए अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही विषय की सौंदर्यानुभूति के साथ आत्मसात करने में भी मदद करते हैं।

उदाहरण के लिए, 'चकई के चकदुम' बालगीत के द्वारा बच्चे बाल-समूह में न केवल आनंद लेंगे बल्कि खेलते-कूदते बालगीत की ओर आकर्षित होंगे। साथ ही इसे घर पर अपने माता-पिता को सुनाएँगे। ऐसे बालगीतों को सुनकर पढ़ाई के प्रति इनकी रुचि और अधिक विकसति होगी। जैसे—

चकई के चकदुम, चकई के चकदुम।
गाँव की मड़ैया, साथ रहे हम-तुम।

(इन पंक्तियों के समय के बच्चे गलबांहे डाल खुशी-खुशी गाते हुए उछल-कूद करेंगे।)

रिमझिम-1, रा.शै.अ.प्र.प.

चकई के चकदुम, चकई के चकदुम।
ग्वाले की गैया, दूध पिएँ हम-तुम।

(यहाँ पर उपरोक्त दी गई पंक्तियों की दूसरी पंक्ति बच्चे हाथ से दूध पीने का संकेत करते हुए बालगीत की पंक्तियाँ गाते हैं।)

इसी तरह बच्चे शेष बालगीत को स्वयं से शिक्षक की सहायता से पूरा करेंगे। गौर करने वाली बात यह होगी कि बच्चे बलपूर्वक नहीं बल्कि स्वप्रेरित होकर आह्लादपूर्ण वातावरण में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे।

बालगीत सुनाने के बाद आप बच्चों से रोचक गतिविधियाँ करा सकते हैं। जैसे बच्चों से पूछा जाए कि चकई के चकदुम पर तुम और क्या-क्या करना चाहते हो? इस पर वे अपनी बालकल्पनाएँ प्रस्तुत करेंगे। इतना ही नहीं ऐसी गतिविधियों से जहाँ बच्चों को अपनी मौलिक अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा वहीं उनकी सुंदर अनुभूति का भी विकास होगा। ऐसी गतिविधियों द्वारा बच्चों का आकलन भी बड़ी सरलता तथा सहजता के साथ किया जा सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे खेल-खेल में बालगीत सुनते या गाते या गुनगुनाते हुए खासतौर

© NCERT not to be republished

से सचित्र पुस्तकों के माध्यम से धीरे-धीरे पढ़ने की तैयारी कर लेते हैं। यानी कि बालगीत की किताबों में वाक्यों के नीचे उँगली के बाएँ से दाएँ की दिशा में फिराना, बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करता है। यह रुचिकर तो होती ही है, साथ ही पढ़ने की तैयारी की क्रिया भी है। इसमें बच्चों को लिखे या छपे हुए वाक्यों का महत्व समझ नहीं आता है। शिक्षक को चाहिए कि प्रभावशाली रूप से बालगीत सुनने के लिए वह स्वयं बालगीत सुनाने के लिए उत्साह तथा रुचि जगाए।

बालगीत का चयन

लेख के आरंभ में इस बात पर चर्चा की गई कि बालगीत सुनने-सुनाने से बच्चे कितने प्रकार से लाभ उठा सकते हैं, किंतु यह तो जाना ही नहीं कि बालगीत का चुनाव का चयन किस प्रकार करना चाहिए। नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान से पढ़ें—

- बालगीत बच्चों के आसपास के वातावरण से संबंधित होने चाहिए, जैसे— जानवर, पेड़-पौधे, पक्षी, त्यौहार, रोज़मर्रा की पारिवारिक घटना आदि।
- बालगीत सचित्र होने चाहिए।
- बालगीत का चयन बच्चों की आयु के अनुसार होना चाहिए।
- छोटे बच्चों को डराने, भयभीत करने वाले बालगीत नहीं सुनाने चाहिए।
- बालगीत जहाँ तक संभव हो यथार्थ से जुड़े होने चाहिए। राक्षस, परियों के बालगीत न सुनाएँ। अभी बच्चे वास्तविक जगत से परिचित नहीं हुए हैं इसलिए उन्हें वास्तविक या काल्पनिक चीजें ना सुनाएँ।
- 5 से 6 आयु के बच्चे यथार्थ को कल्पना लोक से अलग कर पाने में सक्षम होते हैं। इन्हें सुनाए जाने वाले बालगीत तीन–चार वर्ष आयु वर्ग से थोड़े जटिल हो सकते हैं।
- 7 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे पशु-पक्षी, विज्ञान तथा अन्य तुकात्मक बालगीतों से आनंदित होते हैं। ये बच्चे, छोटे बच्चों के विपरीत लंबे बालगीत अधिक पसंद करते हैं।
- बच्चे की रुचि, जिज्ञासा व समझ के अनुसार बालगीत का चयन करें।
- छोटे बच्चों की बालगीत की पुस्तकें उनके हिसाब से आकर्षक रंगीन, सचित्र व मोटे अक्षरों में होनी चाहिए। हालाँकि, अब तक वह किसी भी दृश्य माध्यम के बिना भी बालगीत बखूबी सुना या गा सकते हैं।
- बालगीत के विविध प्रकारों का चयन करें जो विविध श्रेणियों के हों, अर्थात् बालगीत को विविध संदर्भ में रखकर देखा जाए।
- उपलब्ध पुस्तकालयों से बालगीत की पुस्तकें ली जा सकती हैं।
- बालगीत का विषय या मुख्य मुद्दे की महत्ता होनी चाहिए। बालगीत की पुस्तक अथवा बालगीत ऐसा होना चाहिए कि मस्तिष्क पर एक छाप छोड़े। अन्य शब्दों में सुंदर बालगीत या पुस्तक बच्चे हमेशा याद रखते हैं और दोबारा-दोबारा उन्हें सुनना या गाना पसंद करते हैं।
- बालगीत के साथ-साथ उनके पात्र भी सुदृढ़ व सकारात्मक होने चाहिए। ऐसे बालगीत न सुनाएँ जो किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता को दर्शाते हों। जैसे लड़की हमेशा घर का काम करती हुई नज़र आती है या खिलौनो से खेलती रहती है। क्यों न हम ऐसा बालगीत सुनाएँ जहाँ लड़की भी खेलती हो, पतंग उड़ाती हो और लड़के खिलौनों से खेल रहे हों।

© NCERT not to be republished

- बाल गीत छोटे व सरल होने चाहिए।
- एक बार बालगीत का चयन करने के बाद बालगीत सुनाने के लिए तैयारी व व्यवस्था करना तथा उसे कैसे सुनाया जाए, यह आप पर निर्भर करता है। दुर्भाग्यवश कई शिक्षक बच्चों को बालगीत सुनाते हैं किंतु उसकी तैयारी के लिए समय नहीं निकालते। अगर बालगीत पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं तो शिक्षक को चाहिए कि वह बालगीत भली-भाँति पढ़ें जिससे वह किताब के हर पृष्ठ तथा बालगीत के उद्देश्य से परिचित हो जाएँ।
- बालगीत की घटनाओं के क्रम को भली-भाँति से समझ लें। बालगीत के उद्देश्य, पात्र एवं उनके नाम को स्मरण कर लें।
- कक्षा में बालगीत सुनाने से पहले एक बार उसका अभ्यास अवश्य कर लें।
- अगर दृश्य सामग्री, कठपुतली आदि के साथ बालगीत सुनाया जाता है तो पहले उसका अभ्यास कर लें।
- उचित हाव-भाव के साथ अभ्यास करें।
- बालगीत में आए कठिन शब्दों के लिए सरल शब्द ढूँढ़ कर रखें जिससे बालगीत सुनाते समय दिक्कत का सामना न करना पड़े।

कैसे सुनाएँ बालगीत?

ध्यान रहे आप बिना दृश्य सामग्री के भी स्वयं से हाव-भाव द्वारा खूबसूरती से बालगीत सुना सकते हैं।

- फ़्लिपचार्ट — बालगीत के चित्रों को बड़े चार्ट पेपर पर चिपकाए हुए स्पाइरल बाइडिंग करा दें। फिर पंक्तियों से संबंधित वाक्यों को चार्ट के पीछे लिख दें, जिससे बालगीत सुनाते समय चित्र बच्चों के समक्ष और वाक्य आपके सामने हो। इस प्रकार शिक्षक बालगीत सुनाते समय बच्चों को देख सकते हैं। आँखों से भी उनसे बात कर सकते हैं।
- तस्वीर या किसी सामग्री द्वारा, जैसे— गुड़िया, कठपुतली, खिलौने आदि।
- फ़्लैनल बोर्ड तथा बालगीत कटआउट्स।
- कैसेट या सीडी के साथ, बालगीत कार्ड के द्वारा।
- शिक्षक द्वारा अभिनय गायन।
- बालगीत सुनाते समय उपयुक्त अभिनय का प्रदर्शन।
- फ़िल्म, फ़िल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड आदि के द्वारा।
- बालगीत मूवीबॉक्स—गत्ते के डिब्बे का टी.वी. बनाकर अंदर बालगीत से संबंधित चार्ट रोल ओवर में लगा देना।
- चॉक टॉक बालगीत — श्यामपट्ट पर चित्र बनाते हुए बालगीत सुनाएँ।
- हर बच्चे को बालगीत से संबंधित चित्र अथवा सामग्री पकड़ा दें और बालगीत गाने के लिए कहें।
- कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्रस्तुतीकरण

यह ध्यान देने की बात है कि बालगीत सुनते या सुनाते समय हर बच्चे के लिए पर्याप्त जगह हो। बालगीत सुनाने वाले व्यक्ति के हाथ में कठपुतली को साफ़-साफ़ देख पाएँ।

- सभी बच्चों की तरफ़ ध्यान दें तथा नेत्रों की गति बनाए रखें।
- आपका बालगीत सभी बच्चों तक पहुँचना चाहिए। आवाज़ में उतार-चढ़ाव रखें।
- हाव-भाव बालगीत के अनुरूप हो।
- खुद भी बालगीत का आनंद लें तभी बच्चे उसका आनंद लेंगे। पात्र को जीवंत करने के लिए खुद उस पात्र को जिएँ। उसे महसूस करते हुए बालगीत सुनाएँ।

© NCERT not to be republished

- बालगीत को जीवंत, समृद्ध तथा सार्थक बनाने के लिए अपने अनुभव के आधार पर बालगीत सुनाएँ।
- कभी-कभी बालगीत के पात्रों की जगह बच्चों के नाम का भी इस्तेमाल करें।
- स्वयं से प्रश्न करें — क्या मैंने वाकई बालगीत सुनाया या बालगीत पढ़ा?
- क्या बालगीत सुनाते समय मैंने बच्चों की रुचि बनाए रखी?
- क्या मेरे चेहरे के हाव-भाव बालगीत के अनुरूप थे?
- क्या मेरी आवाज़ स्वाभाविक और उत्साहपूर्ण थी?
- क्या दृश्य सामग्री उपयुक्त और इस्तेमाल करने में सरल थी?
- क्या बच्चों ने बालगीत धैर्य से सुना और मज़ा लिया?

शिक्षक निरंतर बच्चों के साहित्य से जुड़ाव रखें। यहाँ यह भी सुझाव ज़रूरी है कि एक अच्छे शिक्षक को बाल साहित्य की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।

निष्कर्ष

बालगीत शिक्षण के पीछे एक उद्देश्य कल्पनाशीलता का विकास करना है। बालगीत की नयी पंक्तियाँ बनाना, कुछ शब्द चुनकर उनकी सहायता से बालगीत लिखना, बालगीत में नए बिंब किस तरह उपयोग में लाए जा सकते हैं, इन पर बातचीत करना आदि, सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए कक्षा में नियमित बालगीत सुनाने के बाद उसी बालगीत की पंक्तियों को आगे बढ़ाना, शिक्षिका द्वारा दिए गए कुछ शब्दों के प्रयोग से बालगीत की नयी पंक्ति रचना, बिंब विधान पर बातचीत करना और किसी विषयवस्तु के लिए किस तरह के बिंब हो सकते हैं आदि पर बातचीत भी कक्षा प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है। इसी तरह यदि उद्देश्य बच्चों को बालगीत की संरचना से परिचित कराना है तो बच्चों को अलग-अलग तरह के बालगीत पढ़ने के लिए देने होंगे जो तुकांत और गाने योग्य हों। ताकि वे उनमें अंतर पहचान सकें और उनकी संरचना को समझ सकें। इन बालगीतों पर बातचीत के बाद उन्हें इस तरह की कुछ बालगीत समूह में रचने के लिए भी कहा जा सकता है। कुल मिलाकर बालगीतों से बच्चों में कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता तथा सृजनशीलता का विकास होता है।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

जीत, योगेंद्र. 2014. *हिंदी भाषा शिक्षण*. श्री विनोद पुस्तक मंदिर. आगरा, उत्तर प्रदेश.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 1986. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.

रा.शै.अ.प्र.प. 2000. *रिमझिम*. (कक्षा-1), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2000. *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2000*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2009. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 भारतीय भाषाओं का शिक्षण*. राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

8

पुस्तकालय
विद्यालय का शैक्षणिक केंद्र

मूर्तिमती सामंतराय*

विद्यालय पुस्तकालय सभी शैक्षणिक गतिविधियों के पूरक और एक शिक्षण संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है। शिक्षा और पुस्तकालयों के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं। पुस्तकालयों को मूल रूप से ज्ञान के भंडार और प्रचारक के रूप में माना जाता है। दरअसल, पुस्तकालय शिक्षा के अधीन होते हैं। इस लेख का उद्देश्य विद्यालयों में पुस्तकालयों के मूल्यों और महत्व को बताना है। शिक्षा का अर्थ है— ज्ञान, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, सहिष्णुता की भावना, आत्म-अनुशासन, राष्ट्रीय एकीकरण, देशभक्ति, लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों आदि। प्रस्तुत लेख में शिक्षकों, विद्यार्थियों और समुदाय के सदस्यों की भूमिका का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो पुस्तकालय के संसाधनों, सेवाओं का उपयोग करते हैं और जिससे पढ़ने की आदत विकसित होती है।

भारत में शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य है। शिक्षा सर्वांगीण विकास के लिए मूलभूत आवश्यक चीज़ों में से एक है। शिक्षा ने मानव इतिहास के शुरुआत से ही विविधताओं को विकसित करना और अपनी पहुँच का विस्तार करना जारी रखा है। प्रत्येक देश में अपनी विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करने, उसे बढ़ावा देने के लिए और समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली को विकसित करता है। शिक्षा सीखने की सुविधा या ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों के अधिग्रहण की प्रक्रिया है। शिक्षा हमें अपने आसपास की दुनिया का ज्ञान देती है। ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए हमारे जीवन में शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके साथ ही यह किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण भी है। बच्चे की प्राथमिक शिक्षा घर पर शुरू होती है और उसके बाद स्कूली शिक्षा की शुरुआत होती है। शिक्षा जीवन को देखने के परिप्रेक्ष्य को विकसित करती है। शिक्षा नए विचारों की उत्पत्ति में सहायक होती है। विचारों के बिना कोई रचनात्मकता नहीं है, रचनात्मकता के बिना राष्ट्र का कोई विकास नहीं है। स्कूली शिक्षा, शिक्षा प्रणाली की पहली सीढ़ी है। शिक्षा प्रणाली में विद्यालय, शिक्षकों के निर्देशन में छात्रों के शिक्षण के लिए सीखने की जगह के साथ-साथ सीखने का माहौल प्रदान करता है। विद्यालय प्रणाली में शिक्षार्थी ईमानदारी, क्षमता निर्माण, आदेश, आज्ञाकारिता जैसे मूल्यों को सीखता

**उप-पुस्तकालयाध्यक्ष*, पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली 110 016

© NCERT not to be republished

है। विद्यालयों को ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। यह विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने की संभावना प्रदान करता है। ज्ञान का निर्माण ज्ञाता और ज्ञानी के परस्पर संपर्क से होता है। ज्ञान— तथ्यों, कौशल, वस्तुओं की पहचान, जागरूकता या समझ है। ज्ञान विभिन्न माध्यमों से और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान केवल संचयी नहीं है, यह तेज़ी से बढ़ता है। यह एक असीम गुण है जो कि तमाम चीज़ों के समस्त स्वरूपों को अपने अंदर समाहित करता है। हमारे अस्तित्व के लिए सीखना आवश्यक है, जैसे भोजन हमारे शरीर का पोषण करता है वैसे ही निरंतर सीखना हमारे दिमाग का पोषण करता है। विद्यालय प्रणाली में हमारे पास शिक्षक और विद्यार्थी हैं। शिक्षकों की वैचारिक समझ और ज्ञान किसी भी स्तर पर महत्वपूर्ण है। जब शिक्षक विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान कौशल का उपयोग करते हैं, तो वे उसे और प्रभावी बनाने हेतु निरंतर अभ्यास में लगे रहते हैं। विद्यालयों में पुस्तकालय एक प्रकार के जुड़ाव की प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।

विद्यालय शिक्षा के साधन के रूप में पुस्तकालय की क्षमताओं को सभी स्तर पर अधिक मान्यता दी गई है। जिस शहर या गाँव में विद्यालय है, वह अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के पूरक में एक विद्यालय पुस्तकालय की आवश्यकता महसूस करते हैं। शिक्षकों को पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों को संदर्भित करना और उनका अध्ययन करना आवश्यक लगता है, जबकि बच्चे पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तक और व्यक्तिगत हितों के अनुकूल पुस्तकों, दोनों को पढ़ने के लिए अधिक उत्साह प्रदर्शित करते हैं। शिक्षा के मानक और गुणवत्ता में योगदान के लिए विद्यालय पुस्तकालयों की अपनी एक अहम भूमिका है। बच्चों का शैक्षिक विकास-शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और समान रूप से पुस्तकालय पेशेवरों के लिए चिंता का विषय है। पुस्तकें न केवल बच्चों को पढ़ाती हैं, बल्कि एक तथ्य खोजने का दृष्टिकोण भी विकसित करती हैं। इसके साथ ही वे उन्हें उनके खाली समय का सही उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित भी करती हैं। पुस्तकें हमेशा उन लोगों के लिए जानकारी और आनंद का स्रोत रही हैं, जो जानते हैं कि उनका उपयोग कैसे करना है। पुस्तकों के उपयोग की आदत को बचपन से विकसित करने की आवश्यकता होती है। बच्चे को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों सीखने की आवश्यकता है। पुस्तकालय में पुस्तकें और संसाधन इसके सदस्यों को पुस्तकालय के एक महत्वपूर्ण विचारक और प्रभावी उपयोगकर्ता बनने में सक्षम बनाते हैं। पुस्तकालय संसाधनों के उपयोग द्वारा ज्ञान को बढ़ाने और शिक्षा के उद्देश्यों को कैसे पूरा करता है यह नीचे उल्लिखित किया गया है—

1. देशभक्ति की भावना का विकास और एक वैश्विक नागरिक बनना।
2. सांस्कृतिक विविधता के बारे में जानना।
3. ज्ञान के माध्यम से आत्म-खोज की प्रक्रिया जारी रखना।
4. घर पर बच्चे के अनुभवों और विद्यालय के साथ समुदाय के बीच महत्वपूर्ण संबंधों के निर्माण की सुविधा के लिए।

शिक्षण

नई समझ प्राप्त करने की एक प्रक्रिया सीखना है, जो मूल रूप से मनुष्यों, जानवरों और कुछ मशीनों आदि के माध्यम से होती है। सीखने से व्यक्ति के ज्ञान में एक सकरात्मक परिवर्तन होता है। सीखने

का अर्थ अलग-अलग लोगों द्वारा अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। लेकिन सामान्यत: सीखना एक गतिविधि है, जिसके माध्यम से आपको उन चीजों का पता चलता है जो आप नहीं जानते हैं। लगातार सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है, जैसे-जैसे हम नई चीज़ें सीखते जाते हैं, वैसे-वैसे दिमाग की क्षमता भी लगातार बढ़ती जाती है। सीखना जीवन के अनुभवों का पुनर्गठन है। सीखने की प्रक्रिया केवल शिक्षक और विद्यार्थी के बीच ही नहीं बल्कि विशेषज्ञ और नौसिखिए के बीच भी होती है। सीखना, अध्ययन द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। सीखने का माहौल ही शारीरिक और सामाजिक व्यवस्था है जिसे विद्यालय कहा जाता है।

अब्दुल कलाम ने इस पर प्रकाश डाला है—

Great books ignite imagination,
Imagination leads to creativity,
Creativity bloosoms thinking,
Thinking provides knowledge,
Knowledge makes you great.

अर्थात्—
महान पुस्तकें कल्पना को प्रज्वलित करती हैं,
कल्पना रचनात्मकता देती है,
रचनात्मकता सोचने की ओर ले जाती है,
विचार ज्ञान प्रदान करता है,
और ज्ञान आपको महान बनाता है।

(*कॉल, 2014*)

विद्यालय सीखने का मंदिर, स्नेह का घर और प्रदर्शन करने के लिए एक खेल का मैदान है। विद्यालयों को मुख्य रूप से पाठ्यक्रम प्रारूप के रूप में विषयों के शिक्षण से संबंधित किया गया है। पूर्व समय में विद्यालय पूरी तरह से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होते थे। आज तकनीकी युग में शिक्षकों को पता है कि विद्यार्थियों को सिखाने के लिए कई और विभिन्न उपकरणों और सामग्रियों के उपयोग से उन्हें त्वरित सिखाया जा सकता है, जिसमें प्रिंट और नॉन-प्रिंट मीडिया दोनों शामिल हैं। पुस्तकों, चित्रों, पर्चे, नक्शों, फ़िल्मों, रिकॉर्डिंग, ऑडियो-वीडियो सी.डी., बोलती पुस्तकों, ब्रेल सामग्री और इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स का संग्रह पुस्तकालय को प्रत्येक शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए सोने की खान बनाता है। कई विद्यालयों में विद्यालय पुस्तकालय मीडिया केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। विद्यालय पुस्तकालय— किताबें, कंप्यूटर डेटाबेस, ई-पुस्तकें और अन्य तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। यह सभी विद्यार्थियों के अंदर सोच बनाने और उसे बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं।

बचपन

पियागेट के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, बचपन में दो चरण होते हैं— पूर्व परिचालन चरण और ठोस परिचालन चरण। बचपन के दौरान एक बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और भाषा विकास तेज़ी से होता है। इनके अलावा समझ, नैतिक मूल्यों का विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, कौशल विकास भी होता है। हर विद्यार्थी अपने तरीके से अद्वितीय और विशेष है। आमतौर पर विकास के तीन व्यापक चरण देखने को मिलते हैं— बचपन, मध्य बचपन और किशोरावस्था। जैसे प्रत्येक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं— भोजन, आश्रय और कपड़े वैसे ही शारीरिक स्नेह,

© NCERT not to be republished

सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण, आत्म-सम्मान, पढ़ने के लिए संसाधन आदि भी आवश्यकताएँ होती हैं। आमतौर पर बचपन एक व्यक्ति का सबसे खुशी का समय होता है। जब हम ठोस संचालन चरण के दौरान पियागेट के चार चरणों को याद करते हैं (यानी 7 से 11 साल की उम्र तक) तब शिक्षार्थी अधिक तार्किक और पद्धतिगत, कम अहं-केंद्रित और बाहरी दुनिया और घटनाओं के बारे में अधिक जागरूक होता है। पियागेट के दर्शन को किसी भी शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। एक बच्चे के लिए इस स्तर पर मुख्य लक्ष्य उसके मस्तिष्क के अंदर काम का शुरू करना है। इसे *ऑपरेशनल थिंकिंग* कहा जाता है अपने परिवेश में वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करके वे शब्द समस्याओं और सामान्य समस्याओं को हल कर सकते हैं। वे पिछले ज्ञान से नए ज्ञान का सृजन करते हैं। अंततः वे उससे तार्किक सोच विकसित कर सकते हैं। पुस्तकें पढ़ने से वयस्कों और बच्चों के बीच घनिष्ठ भावनात्मक संबंध भी स्थापित होते हैं। पुस्तकें बच्चों को बुनियादी भाषा कौशल विकसित करने में मदद करती हैं। पुस्तकें बच्चों को नए विचारों को सोचने और उन्हें उत्पन्न करने की राह दिखाती हैं। पढ़ने से बच्चों में जिज्ञासा बढ़ती है और बच्चे के मस्तिष्क को विकसित होने में मदद मिलती है। पुस्तकें बच्चों के आत्मविश्वास को विकसित करने में मदद करती हैं। पुस्तकें लोगों से जुड़ने में मदद करती हैं। पुस्तकें सही-गलत का चयन करने में मदद करती हैं। पुस्तकें बच्चों में नैतिकता और नैतिक मूल्यों का मानचित्र बनाने में मदद करती हैं। पुस्तकें सवाल का जवाब देती हैं और सवाल पैदा करती हैं। पुस्तकें हमारे साथी की तरह हैं। पुस्तकें हमें सपने देखने के लिए प्रेरित करती हैं और उन सपनों को पूरा करने की राह भी दिखाती हैं।

इक्सीसवीं सदी के शिक्षार्थी

यह देखा गया है कि इक्कीसवीं सदी का शिक्षार्थी बचपन से ही तकनीक से जुड़ा हुआ है। समय के साथ-साथ बच्चे पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी का उपयोग अधिक कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी का प्रभाव उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी के प्रकार पर निर्भर करता है। कम उम्र के युवाओं में देखा गया है कि वह गेमिंग के लिए इंटरनेट तकनीक का इस्तेमाल अधिक करते हैं। माताएँ अपने बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए समय न दे पाने की वजह से उन्हें कम उम्र में मोबाइल मुहैया करा देती हैं। आजकल के समय में युवा विद्यार्थी कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं इसीलिए वे शिशु अवस्था से ही प्रौद्योगिकी को जान जाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य समाजीकरण है। जब आप अपने जीवन में मित्रों को जोड़ते हैं तो जीवन बेहतर होता है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चों के अच्छे दोस्त बन गए हैं। जो भी शब्द वे सुनते हैं, वे गूगल सर्च इंजन से उसका अर्थ जानते हैं। वे प्राकृतिक तरीके से तकनीक का सहारा लेते हैं। इसीलिए वे वयस्कों की तुलना में अधिक तकनीक प्रेमी हैं। वे अपनी तकनीकी क्षमताओं में अधिक विश्वास रखते हैं। आज के बच्चे प्रकृति में अधिक खोज करना चाहते हैं और रटंत पद्धति को पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए विद्यालयों में उपलब्ध पुस्तकालय के संसाधनों को उनकी आवश्यकताओं से मेल खाना चाहिए जिससे उनके सीखने की आवश्यकताएँ पूरी हों।

© NCERT not to be republished

शिक्षा के चार स्तंभ

आज प्रत्येक राष्ट्र प्रतिस्पर्धी भावना में सुधार और प्रगति की प्रक्रिया में है। भारत देश के नागरिकों के पास मौजूद शिक्षा ज्ञान, कौशल और दक्षताओं के आधार पर दुनिया से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च कौशल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के लिए और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था आदि के लिए अत्यधिक कुशल मानव संसाधन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए शिक्षण अधिगम गतिविधियों में परिवर्तन करना समय की आवश्यकता है। अच्छा शिक्षण, अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री की प्रस्तुति पर निर्भर करता है। सार्थक शैक्षिक व्यवस्थाओं को महसूस करते हुए, 1996 में यूनेस्को ने शिक्षा के चार स्तंभों की घोषणा की—

1. सीखना — जानने के लिए
2. सीखना — करने के लिए
3. सीखना — साथ रहने के लिए
4. सीखना — कुछ बनने के लिए

पहला स्तंभ जानने के लिए सीखना या सीखने के लिए सीखना पर प्रकाश डालता है। दूसरा स्तंभ इस बात पर ज़ोर देता है कि स्वयं को कैसे प्रबंधित किया जाए, कैसे समूहों का गठन किया जाए और कैसे नेतृत्व की गुणवत्ता विकसित की जाए। तीसरा स्तंभ आत्म-केंद्रितता से सामाजिक विकास की तरफ ले जाता है। अंतिम स्तंभ स्व-मूल्यांकन करना और रचनात्मक तरीके से चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। एक निष्पक्ष दिमाग और ज़िम्मेदार इंसान बनने के लिए, ज्ञान के लिए पढ़ना और ज्ञान क्षितिज का विस्तार करना आवश्यक है।

विद्यालयों की भूमिका

शिक्षा, ज्ञान के हस्तांतरण के साथ-साथ व्यक्तियों में समाजीकरण की एक प्रणाली है। यह देश की संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुँचाती है और अतीत की पृष्ठभूमि में जीवन के प्रति युवा के दृष्टिकोण को बदलती है। विद्यालय में शिक्षार्थी, विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ एक निर्धारित नियम व पाठ्यक्रम के संदर्भ में बातचीत करता है। विद्यालय, परिवार और समाज के बीच एक सेतु के रूप में बच्चे को उसकी वयस्क भूमिका के लिए तैयार करने का कार्य करते हैं। स्कूली शिक्षा— भाषा की क्षमता, गणितीय क्षमता, वैज्ञानिक स्वभाव, पर्यावरण की समझ, सामाजिक, नैतिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। एक आधुनिक शैक्षिक प्रणाली में प्रबंधित विद्यालय पुस्तकालय शैक्षिक पदानुक्रम की आधारशिला होता है। युवाओं की बेहतर शिक्षा एक अच्छे विद्यालय पुस्तकालय की आवश्यकता की परिकल्पना को पूरा करती है। इसीलिए विद्यालय के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, माता-पिता और सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वे विद्यालयों में संतोषजनक पुस्तकालय सेवाओं की स्थापना और रखरखाव के लिए योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करें।

विद्यालय पुस्तकालय

विद्यालय पुस्तकालय और विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष की उपस्थिति विद्यार्थियों की साक्षरता और उसकी परीक्षण गणना पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। डिजिटल युग में लोगों को लगता है कि पुस्तकालय जल्द ही अप्रचलित हो जाएँगे लेकिन पुस्तकालय अप्रासंगिक होने से बहुत दूर हैं। विद्यार्थियों को पहले से ज़्यादा उनकी अधिक ज़रूरत है। पुस्तकालय

© NCERT not to be republished

इंटरनेट की तुलना में अधिक सही ज्ञान प्रदान करते हैं। एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म संग्रह, लिखित दस्तावेज़ से काफी अलग है क्योंकि उसकी प्रकाशन प्रक्रिया बहुत सख्त व नियमित है। डेटाबेस तक पहुँचना सिर्फ़ इंटरनेट के माध्यम से संभव नहीं है बल्कि पुस्तकालय के माध्यम से भी संभव है क्योंकि इसमें पंजीकरण की आवश्यकता होती है। पुस्तकालय पाठकों में पढ़ने की आदत को बढ़ाता है। शोधकर्ता और बुद्धिजीवी पुस्तकालयों के उपयोग की वकालत करते हैं। उनके अनुसार पुस्तकालयों का सहयोग साहित्यिक विकास को बढ़ावा देता है। पुस्तकालय अपरिहार्य हैं। देश की साक्षरता को बढ़ावा देने में पुस्तकालयों की भूमिका को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष के साथ सहयोग करते हैं, तो पुस्तकालयाध्यक्ष सूचना साक्षरता को बढ़ावा देते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष शैक्षणिक और तकनीकी विशेषज्ञता पाठ्यक्रम को बढ़ाने में मदद करता है। पुस्तकालयों की उपस्थिति साहित्यिक और पढ़ने वाले के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यालय पुस्तकालय, बच्चों में जिज्ञासा, नवीनता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय उनके मन को प्रज्वलित करता है। एक पुस्तकालय— पूर्व-स्कूली, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का अभिन्न भाग होता है। एक विद्यालय पुस्तकालय विद्वानों के संसाधनों का ढेर है, एकाग्रता में सुधार करता है, व्यक्तित्व विकास में मदद करता है, बच्चों को सलाह देने में मदद करता है, सामाजिकता के लिए अवसर प्रदान करता है, पढ़ने को बढ़ावा देता है, बुद्धि विकास में योगदान देता है, जागरूकता बढ़ाता है आदि। विद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह अध्ययन के लिए काफी जगह और अवसर प्रदान करता है।

विद्यालय पुस्तकालय की आवश्यकता

एक विद्यालय पुस्तकालय, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थापित किया जाता है। आधुनिक समय में पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय संसाधन केंद्रों में विकसित किए गए हैं। विद्यालय पुस्तकालय जानकारी प्रदान करता है, पढ़ने की आदतों को विकसित करता है और एक नवीन ज्ञान आधारित समाज को विकसित करता है। विद्यालय पुस्तकालय विद्यार्थियों को आजीवन सीखने के कौशल में निपुण बनाता है, उनमें रचनात्मक सोच और कल्पना विकसित करता है और उन्हें आदर्श और ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में जीने में सक्षम बनाता है।

विद्यालय पुस्तकालय, एक ऐसा स्थान है जहाँ शैक्षणिक पुस्तक और ज्ञान के विशाल संग्रह रखे जाते हैं। छात्र विभिन्न विषयों पर अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। विद्यालय पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। विद्यार्थी, पुस्तकालय में गणित, विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, साहित्य आदि जैसे विभिन्न विषयों पर पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा को सफल बनाने के लिए पुस्तकालय पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और विद्यालय पुस्तकालयों की आवश्यकताओं का विश्लेषण निम्नानुसार किया जा सकता है—

- विद्यार्थी पुस्तकों को निर्धारित समय के लिए पुस्तकालय से उधार ले सकते हैं और उन्हें आगे के अध्ययन के लिए घर ले जा सकते हैं।
- पुस्तकालय, अध्ययन और मानसिक विकास के लिए एक सराहनीय और शांतिपूर्ण स्थान है।
- विद्यार्थियों के बीच आजीवन पढ़ने की आदत बनाते हैं।
- विद्यालय पुस्तकालय विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में सहायता करते हैं।

© NCERT not to be republished

- विद्यार्थी साहित्य की दुर्लभ पुस्तकों को पढ़कर अपने साहित्यिक कौशल का विकास कर सकते हैं।
- शैक्षिक पत्रिकाओं और अन्य पत्रिकाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को दुनिया भर के नवीनतम विकास से अवगत कराते हैं।
- विद्यालय पुस्तकालय भविष्य के लिए ज्ञान संचालित समुदाय के निर्माण को बढ़ावा देते हैं।
- पुस्तकालय आकर्षक, रोचक और आमंत्रित माहौल के साथ विद्यालय के शैक्षणिक जीवन के केंद्र में एक प्रमुख स्थान पाता है।

विद्यालयी पुस्तकालय बौद्धिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र है और विद्यालय के कार्य संबंधी परिवेश पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत के सरकारी और अर्ध-सरकारी क्षेत्रों के विद्यालय पुस्तकालयों को पुस्तकें रखने, पढ़ने की अपर्याप्त जगह और नियमित धन की अनुपलब्धता से लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सीखने के संसाधन केंद्र के रूप में पुस्तकालय ज्ञान का पोषण करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय पुस्तकालय हमेशा शिक्षा के लिए एक अनिवार्य कदम, नवीन सोच को इकट्ठा करने के लिए एक आधार, संस्कृति के लिए प्रेरणा और आत्म-विकास में सहायक है। इसीलिए, *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005* में भी इसका इस प्रकार वर्णन किया गया है—

- विद्यालय, पुस्तकालय विद्यालय का अनिवार्य घटक है।
- शिक्षकों और बच्चों को पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
- विद्यालय के पुस्तकालय को एक बौद्धिक स्थान की अवधारणा के रूप में बनाया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास है। उस विकास में शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह संविधान में निहित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों को पूरा करते हुए राष्ट्रीय सामंजस्य, वैज्ञानिक स्वभाव में योगदान देती है। नतीजतन, राष्ट्रीय अखंडता को अपने जाति, पंथ, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना लोगों के बीच बंधन और एकजुटता के रूप में विकसित करती है। यह एकता की भावना है। विविधता में भारत की एकता का अर्थ भारत के राष्ट्र में विविधता के साथ-साथ जातीय, धार्मिक और भाषाई संस्कृतियों के अस्तित्व से है — अनेकता में एकता पढ़कर, हम जानते हैं कि 'राज्य कई, राष्ट्र एक; बोलियाँ कई, आवाज़ एक; भाषाएँ कई, भाव एक; रंग कई, झंडा एक; समाज कई, भारत एक; सीमा कई, संस्कृति एक; आजीविका कई, संकल्प एक; रास्ते कई, गंतव्य एक; चेहरे कई, मुस्कान एक है।'

एक सामुदायिक पुस्तकालय के रूप में विद्यालय पुस्तकालय

प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय की स्थापना लोगों के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने में एक लंबा रास्ता तय करती है। विद्यालय के पुस्तकालयों की उपयोगिता समुदाय के सभी सदस्यों को उनके संसाधनों तक पहुँच प्रदान करने में नज़र आती है, क्योंकि समुदाय के पास सीमित संसाधन होते हैं। उत्कृष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए ऐसे सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। विद्यालय पुस्तकालय एक नियमित समय के बाद समुदाय के गैर-विद्यालय जाने वाले सदस्यों

को अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराकर वयस्क शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष के पास समुदाय के सभी सदस्यों को सेवाएँ देने की प्रेरणा होनी चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष को समुदाय द्वारा पर्याप्त रूप में मानदेय भी दिया जाना चाहिए जिससे पुस्तकालयाध्यक्ष शिक्षा को जारी रखने में और विशेष रूप से विद्यार्थियों को उनके काम में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। जिस प्रकार हब (Hub) आमतौर पर विभिन्न नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है उसी तरह पुस्तकालयों में एक पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय के केंद्र में रहकर पठनसामग्री, पाठकों और पुस्तकालय स्टॉफ़ को व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करता है। पुस्तकालय पाठक समुदाय के लिए एक भौतिक स्थान के रूप में कार्य करता है। विद्यालय के पुस्तकालयों में बच्चों को अलग-अलग शैक्षिक ज्ञान के लिए ऑडियो और वीडियो सी.डी. आदि के माध्यम से भी उन वांछित सूचनाओं से अवगत कराया जाता है। पुस्तकालय एक सामाजिक स्थान प्रदान करता है क्योंकि यह बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के मेल-मिलाप का अवसर भी देता है। आमतौर पर विद्यालीय पुस्तकालयाध्यक्ष समुदाय से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में कार्य करते हैं। वे विभिन्न अवसरों पर समूह के पढ़ाने, लिखने और उससे संबंधित चर्चा का हिस्सा बनते हैं। समुदाय के लोग पुस्तकालयाध्यक्ष को अपने सलाहकार, मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में मानते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष से सलाह प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी जगह है, जहाँ समाज के लोगों का शिक्षा संसाधनों के साथ एक रिश्ता बनता है और साथ ही पठन संस्कृति का निर्माण होता है।

पुस्तकालय विद्यालय में सामाजिक स्थान प्रदान करता है। पुस्तकालय समुदाय के लिए एक सामाजिक केंद्र और डिजिटल हब के रूप में कार्य करता है और अज्ञानता को दूर कर ज्ञान की ओर ले जाता है।

निष्कर्ष

एक प्रगतिशील नीति हमेशा विद्यालय के पुस्तकालय को एक जीवंत जगह में बदलती है। योग्य, कुशल और सक्षम विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय के संसाधनों को समाज में जागरूकता एवं ज्ञान बढ़ाने हेतु उनको पूरे समाज में फैलाता है। उसके परिणामस्वरूप समाज के अंदर मूल्यों की क्रांति को जागृत किया जा सकता है। हम अपने जीवन को बोझिल, जटिल और पुराने जीवन से मुक्त कर एक ज्ञानपरक, आनंदित और सुंदर जीवन बना सकते हैं। विद्यार्थियों के बीच पढ़ने की आदतों को बढ़ाना विद्यालय पुस्तकालय का प्राथमिक उद्देश्य होता है। पुस्तकालय न केवल विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद करता है बल्कि उन्हें पाठकों के रूप में परिवर्तित करता है। इसके साथ ही उन्हें जीवन भर सीखने के कौशल में परिपूर्ण बनाने में मदद करता है। यह रचनात्मकता, नवाचारों, कल्पना आदि जैसी महत्वपूर्ण सोच को भी उनके अंदर विकसित करता है।

पुस्तकों को पढ़ने से युवाओं का मन प्रज्वलित होता है जिसके परिणामस्वरूप वैज्ञानिक स्वभाव की सोच विकसित होती है। पुस्तकालय किसी भी संस्थान का केंद्रबिंदु है। यही कारण है कि संस्थान में पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। और जब यहाँ एक शैक्षणिक संस्थान की बात आती है, तो पुस्तकालय

सीखने की प्रक्रिया के एक अनिवार्य उपकरण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए पुस्तकालय विद्यालय की समस्त शैक्षणिक क्रियाकलापों का केंद्र है।

संदर्भ

कॉल, संगीता. 2014. *नेक्लिन 2014— ए रिपोर्ट. डेलनेट न्यूजलेटर*. वॉल्यूम 21(1). डेलनेट डेवलपिंग लाइब्रेरी. नेटवर्क, नयी दिल्ली. http://www.delnet.in/pdf/delnet-pub-newsletter/december2014.pdf

खन्ना, जे.बी. 1995. रोल ऑफ़ लाइब्रेरी इन प्रमोटिंग स्कूल एजुकेशन. *इंटरनेशनल लाइब्रेरी मूवमेंट*. 17(2). पृ. सं. 125–128. आई. एल. एम. फाउंडेशन, गाजियाबाद.

डेलर्स, जैक्वेस. 1998. लर्निंग: *द ट्रेज़र विदइन, रिपोर्ट टू द यूनेस्को ऑफ़ द इंटरनेशनल कमीशन— यूनेस्को रिपोर्ट*. यूनेस्को, पेरिस.

भाटिया, मोहन. 1985–1986. एजुकेशन पॉलिसी एंड स्कूल लाइब्रेरीज़. *आई.एल.ए. बुलेटिन* अंक XXI. नं. 34. पृ. 106–110. लूथरा, के.एल. 1987. न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड स्कूल लाइब्रेरीज़. *इंटरनेशनल लाइब्रेरी मूवमेंट*. 9(1). पृ. सं. 31–52. आई.एल.एम. फाउंडेशन, गाजियाबाद.

वर्मा, एस.एल. और अनिल सिंह. 2000. रोल ऑफ़ लाइब्रेरीज़ इन स्कूल एजुकेशन एंड थेइर प्रेज़ेंट सिनेरियो इन इंडिया. *आई.एल.ए. बुलेटिन*. 36(1). पृ. 5–9. इंडियन लाइब्रेरी असोसिएशन.

सामंतराय, मूर्तिमती. 2006. स्कूल लाइब्रेरी — ए सेंटर ऑफ़ लर्निंग. *द प्राइमरी टीचर*. अंक XXXI. नं. 1–2. पृ.सं. 61–65. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2011. एजुकेशन एंड लर्निंग. *वाइब्रेंट चिल्ड्रनस लाइब्रेरी इन द डिजिटल एरा*. पृ. सं. 18–24. प्रतिभा प्रकाशन, नयी दिल्ली.

http://thequotesmaster.com/2017/02/quotes-on-education-by-abdul-kalam . (19 अक्टूबर, 2020 पर देखा गया)

https://www.youtube.com/watch?v=hW0Z0jE-e-Y. (20 अक्तूबर, 2020 पर देखा गया)

© NCERT not to be republished

9

कोविड–19 महामारी में पुस्तकालय की बदलती भूमिका

पूजा जैन*

विपरीत परिस्थितियाँ सदैव ही कुछ नवीन निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार करती हैं मानव के साहसों से संभावनाओं की तलाश सदा ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रस्तुत लेख में कोविड–19 महामारी के समय पुस्तकालय के महत्व को बनाए रखने के लिए कुछ क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। इन क्रियाकलापों से बच्चों की पढ़ने में रुचि बने रहने के साथ-साथ शब्दावली में कुछ नए शब्द भी जुड़ेंगे। वर्तमान की सम-विषम परिस्थिति के बारे में जागरूकता फैलेगी, कल्पना शक्ति बढ़ेगी, विचारात्मक क्षमता का विकास होगा और लेखन क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा। इस लेख में ऑनलाइन शिक्षा एवं क्रियाकलापों के लिए उपयोगी सामग्री भी बताई गई है। इस लेख में उदाहरण सहित उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से पुस्तकालय को आईसीटी (इनफ़ार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी) की मदद से इस कोरोना काल में भी सक्रिय कर रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है।

© NCERT not to be republished

पढ़ने की ललक ही पुस्तकालय का सजीव बहुपयोगी, ज्ञानवर्धन का तिलस्मी बनकर उभरना पढ़ना, समझना और उसका समाहार करना है। इस सृष्टि का संबंध अनादि काल से किसी न किसी रूप में अधिगम से जुड़ा रहा है जैसे कि पत्थरों पर, पत्तों पर, धातुओं पर, कागज़ पर और अन्य तरीकों से प्राचीन समय में सूचना को संजोया जाता था। पुस्तकालय का कार्य आज भी वही है, पुस्तकों का चयन, खरीद व प्राप्त करना, सुव्यवस्थित करना, प्रसार करना और उद्देश्य भी अपने उपयोगकर्त्ताओं को सही समय पर सही सूचना देना ही है परंतु इन सभी प्रक्रियाओं का तरीका बदल गया है। जिस प्रकार से क्लासरूम टीचिंग को मज़बूत और रुचिकर बनाने के लिए ब्लैकबोर्ड से लेकर स्मार्टबोर्ड तक बदलती तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है, उसी प्रकार से लाइब्रेरी का डिजिटल होना भी उसी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।

पुस्तकालय का महत्व एवं उपयोगिता

पुस्तकालय प्रत्येक देश की शिक्षा प्रणाली में अमूल्य भूमिका का निर्वाह करता है। शिक्षा प्रणाली में पुस्तकालयों का उद्देश्य सिर्फ़ नए विषयों के बारे में सूचना देना, पुस्तकों के द्वारा शंकाओं का समाधान एवं अज्ञानता को दूर करना, शिक्षित करना ही नहीं बल्कि उन सभी शक्तियों को उपयोगकर्ता तक पहुँचाना है जिससे वह व्यक्तिगत लाभ के साथ-साथ सामाजिक,

**सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष*, पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली 110 016

मानवीय और राष्ट्रीय स्तर पर लाभ के लिए उपयोग करने की क्षमता और प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सके। जिस प्रकार से शिक्षा प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाती है उसी तरह से पुस्तकालय औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूँकि, औपचारिक शिक्षा, शिक्षण और शिक्षण पद्धति, शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ्यक्रम, निर्देशों का माध्यम, पर्यावरण और संचार माध्यमों पर आधारित है। पुस्तकालय सीखने के आवरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शिक्षा को नया रूप देने में मदद करते हैं। सभी प्रकार के अकादमिक पुस्तकालयों में मुख्य रूप से स्कूल पुस्तकालय शिक्षा प्रणाली के स्तंभ बनते हैं और वे विद्यार्थियों को अच्छे, सभ्य नागरिक बनाने के लिए तैयार करते हैं। यह भविष्य में उच्च शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा के लिए पृष्ठभूमि है। पुस्तकालय स्कूल रूपी शरीर का हृदय है, जो जिज्ञासा जगाने, ज्ञानवर्धक और रचनात्मक जीवन के लिए नया ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है।

कोविड–19

कोविड–19 से एक ऐसे शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो वर्ष 2019 से पहले ना किसी ने सुना था ना पढ़ा था। कोविड–19 एक ऐसा अनभिज्ञ सच है जिसने एक ऐसे विश्व की रचना की है, जिसकी न तो किसी ने कल्पना की थी और न ही किसी ने कोई तैयारी। इसका प्रभाव सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक तथ्यों पर ही नहीं अपितु देश के संपूर्ण विकास पर पड़ रहा है। अन्य रूप में अगर इस महामारी का असर देखें तो मानसिक, धार्मिक, शारीरिक, व्यापारिक तथ्यों पर भी उल्लेखनीय है, परंतु बच्चों की शिक्षा एवं उनके परिपूर्ण विकास पर ऐसा पड़ा है जिसका प्रभाव अगले युग तक देखा जा सकेगा।

शिक्षा अपने मूल में समाजीकरण की एक प्रक्रिया है क्योंकि जब-जब समाज का स्वरूप बदला है, शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। कोरोना संकट के दौर में ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा विकल्प है जो कि शैक्षणिक संस्थानों के लिए इस चुनौतीपूर्ण समय में एक वरदान की तरह साबित हुआ है, जिसने ऐसे समय में विद्यार्थियों और शिक्षा के संबंध को जुड़ा रखने में एक अहम भूमिका अदा की है। लेकिन इस व्यवस्था को कक्षाओं में आमने-सामने दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकल्प बताना एवं उससे तुलना करना भारत के भविष्य के लिए अन्यायपूर्ण है।

भारत एक ऐसा देश है, जहाँ आज भी ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र (remote places) हैं, जहाँ अभी बिजली और सड़क भी नहीं पहुँचे। वहाँ 4जी नेटवर्क की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके अलावा जिन घरों के वातावरण में एकांत तो है ही नहीं और प्राथमिक ज़िम्मेदारी पढ़ाई भी नहीं है, उन घरों में घंटों ऑनलाइन मोबाइल के साथ अकेले बैठकर पढ़ने की स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल होगा। उसमें भी क्लासरूम की सामूहिकता और एकाग्रता का माहौल एक प्रश्न है और ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान संकट की घड़ी में 'मज़बूरी में ज़रूरी' तो हो सकती है, पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकल्प बिल्कुल भी नहीं हो सकती।

आज कोरोना संकट के दौर में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए शिक्षा के स्वरूप में बदलाव का प्रस्ताव नीति निर्धारकों के द्वारा पुरज़ोर तरीके से सराहा जा

रहा है। परंतु भारत जैसे विविधता भरे देश में कोई भी परिवर्तन लाना स्वयं में चुनौतीपूर्ण कार्य तो है ही, कभी-कभी जटिल कारणों की वजह से और भी मुश्किल हो जाता है। इन जटिल कारणों में सबसे महत्वपूर्ण है *डिजिटल डिवाइड* (digital divide) जिसका अर्थ है, इंटरनेट की सुविधाओं का फ़ायदा उठाने एवं न उठाने वालों के बीच का अंतराल। भारत में डिजिटल अंतराल बहुत ज़्यादा है, जिसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं—

- गैजेट की अनुपस्थिति
- इंटरनेट की अनुपस्थिति
- उपकरणों को प्रयोग करने की जानकारी न होना
- बदलाव में रुचि न होना
- उपरोक्त सभी के प्रति सकारात्मक सोच

ऑनलाइन शिक्षा एवं पुस्तकालय के क्रियाकलापों हेतु उपयोगी सामग्री

- इलेक्ट्रॉनिक गैजेट (कंप्यूटर, स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, टैब, स्मार्ट टी.वी. इत्यादि)
- इंटरनेट की सुविधा
- उपयोग करने का ज्ञान
- बिजली का होना

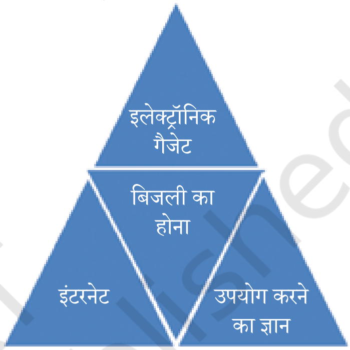

ऑनलाइन शिक्षा एवं क्रियाकलापों के लिए उपयोगी सामग्री

स्कूल पुस्तकालय कोविड–19 महामारी से पहले और बाद में

बिंदु	कोविड–19 महामारी से पहले स्कूल पुस्तकालय	कोविड–19 महामारी काल में स्कूल पुस्तकालय	कोविड–19 महामारी के बाद स्कूल पुस्तकालय
बच्चों के द्वारा पढ़ने (रीडिंग) में प्रयोग लाने वाले संसाधन	मुद्रित पुस्तकें (ज़्यादातर)	डिजिटल संसाधन एवं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (वह सामग्री जो इंटरनेट पर बिना किसी रोक के अर्थात् फ्री में परंतु बिना किसी कमर्शियल उद्देश्य के, पढ़ने एवं डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो)	दोनों तरीकों के संसाधन (प्रिंट + ई-रिसोर्सेज)
पुस्तकालय सेवाएँ	पुस्तकालय में जाकर	ऑनलाइन तरीकों से (बिना पुस्तकालय में जाए)	आईसीटी माध्यम द्वारा जैसे, कि—ई-मेल, यू-ट्यूब, गूगल मीट, व्हाट्सएप्प इत्यादि
पुस्तकालय में बच्चों की रुचि के कारण	विद्यालयी कार्य एवं क्रियाकलापों से संबंधित विषयों के लिए	लॉकडाउन में समय को पास करने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध	बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए (जैसे— एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, इंटरनेट पर टीचर एवं अन्य लोगों से मीटिंग इत्यादि)

© NCERT not to be republished

पुस्तकालयों की विद्यालयों में बहुत ही अहम भूमिका है जैसा कि *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में भी कहा गया है कि सभी स्तरों पर पुस्तकालय एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तत्वों की तरह होना चाहिए। प्राथमिक स्तर में बच्चों को कुछ इस तरीके के क्रियाकलापों से पुस्तकों की तरफ लगाया जाए कि वह अपनी पूरी जिंदगी पढ़ने की आदत से जुड़े रहें। विद्यालयों के शुरुआती पाँच सालों में रीडिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह समय बच्चों की नींव मज़बूत करने का होता है, जैसे कि— शारीरिक, मानसिक, भावुक, सामाजिक विकास एवं बच्चों का परिपूर्ण विकास का होता है।

कोविड–19 महामारी के समय में पुस्तकालयाध्यक्ष की ज़िम्मेदारियाँ

- महामारी के समय में बच्चों और पढ़ने के बीच के अंतराल को बढ़ने न देना।
- ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जिससे कि विद्यार्थियों की रुचि पढ़ने में बनने के साथ-साथ बढ़े और विशेष रूप से बच्चों की भागीदारी हो।
- नई शिक्षा तकनीकों को सीखना एवं बच्चों व शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देना तथा पुस्तकालयों से संबंधित क्रियाकलापों में इस्तेमाल करना।
- शिक्षकों और बच्चों की शिक्षा के बीच का पुल बनना।

कोविड–19 महामारी के समय में पुस्तकालयाध्यक्ष के नए कार्य

- वर्तमान के इंटरनेट युग में असंख्यात, अव्यवस्थित सूचनाएँ उपलब्ध हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष का कार्य है कि बच्चों की विभिन्न कक्षाओं के अनुसार सामग्री को स्कूल या लाइब्रेरी की वेबसाइट या व्हाट्सएप्प ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों के साथ जुड़कर उपलब्ध करवाना।
- स्वयं को अद्यतन रखने हेतु व्यावसायिक संस्थानों अकादमिक संस्थानों एवं विभिन्न सोसाइटी द्वारा प्रबंधित वेबिनार एवं चर्चा को सुनना या शामिल होना व वर्तमान में आ रही कठिनाइयों का हल ढूँढ़ना।
- सूचना साक्षरता प्रोग्राम, जो कि पुस्तकों की व्यवस्था से संबंधित होता था, वह खोज तकनीक का प्रशिक्षण भी हो सकता है जो कि विद्यार्थियों को कॉलेज में भी एवं पूरी ज़िंदगी काम आएगा।
- शिक्षक की मदद से कक्षाकार्य, प्रोजेक्ट्स के लिए सामग्री ढूँढ कर बच्चों की मदद करना।
- आवश्यक वेबसाइट्स के लिंक्स की सूची तैयार करना एवं अपलोड करना।
- लाइब्रेरी के कालांश को नए क्रियाकलापों के साथ रुचिकर बनाना जिसमें वह शिक्षकों एवं अभिभावकों को सम्मिलित कर सकते हैं।

कोविड–19 महामारी में पुस्तकालय की महत्ता बनाए रखने हेतु आवश्यक उपाय

कोरोना काल में पुस्तकालय की महत्ता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित आवश्यक परिस्थितियाँ हैं—

- पुस्तकालयाध्यक्ष का ऑनलाइन लाइब्रेरी कालांश लेने में रुचि होना।
- स्कूल के प्रिंसिपल को यह विश्वास दिलवाना की लाइब्रेरी कालांश भी और सभी विषयों के कालांश जितना महत्वपूर्ण है।
- पुस्तकालयाध्यक्ष को शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ समन्वय करना होगा ताकि क्रियाकलापों का उद्देश्य पूरा किया जा सके।
- बच्चों के लिए ऐसे क्रियाकलापों को तैयार करना, जो बच्चों द्वारा पसंद किए जाएँ और

© NCERT not to be republished

बच्चे अगली बार यह वाला कालांश कब होगा, उसका इंतज़ार करें।

कोविड–19 महामारी की अवधि ने सभी को नई तकनीकों को सीखने का अवसर या मज़बूरी दी है। सभी ने आवश्यकतानुसार एप्लिकेशंस को प्रयोग में लाना सीखा। इनमें गूगल क्लासरूम, गूगल वेबसाइट, गूगल फॉर्म्स इत्यादि शामिल हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा गूगल मीट, गूगल क्लासरूम जैसे एप्लिकेशंस के प्रशिक्षण दिए गए हैं जिन्हें यू-टयूब पर भी देखा जा सकता है। सीआईईटी जो कि रा.शै.अ.प्र.प. का ही भाग है, वह एजुकेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी का शिक्षा में उपयोग पर उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। सभी वीडियो https://ciet.nic.in/pages.php?id=webinar लिंक पर उपलब्ध हैं। सभी कार्यक्रम निरंतर रूप से निम्नलिखित सभी टी.वी. चैनल पर भी दिखाए जाते हैं—

- स्वयं प्रभा डीटी टीवी किशोरमंच चैनल 31
- डीडी फ्रीडिश
- डिश टीवी
- टाटा स्काई
- एयर टेल
- वीडियोकॉन

इस कोविड–19 महामारी के समय पुस्तकालय के महत्व को बनाए रखने के लिए अग्रलिखित क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है जो कि गूगल मीट, व्हाट्सएप्प और अन्य किसी तकनीक की मदद से करवाँए जा सकते हैं।

1. **ऑनलाइन बुक क्लब**— यह गतिविधि ऐच्छिक होनी चाहिए जिससे कि वे विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने में रुचि है वे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें और अन्य मित्रों को भी उत्साहित करें। यह ऑनलाइन बुक क्लब सभी कक्षा का एक साथ बनाया जा सकता है, जिसे की गूगल मीट, व्हाट्सएप्प की मदद से बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है। इस गतिविधि में पुस्तकों के शीर्षक को बताना, पुस्तकों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करना, पुस्तकों के पात्रों के बारे में बताना इत्यादि कार्यकलाप किए जा सकते हैं।
2. **कैटलॉग तैयार करना**— इस गतिविधि में बच्चों की मदद से एक पुस्तक सूची तैयार की जा सकती है जो कि अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं अन्य विद्यार्थियों के साथ भी साझा (share) की जा सकती है। जो पुस्तकें पूर्णतः ऑनलाइन मुफ़्त उपलब्ध हैं, बच्चों से सिर्फ़ यह कहना है कि अपनी पसंद की एक पुस्तक का शीर्षक वेब-लिंक के साथ लाए और साझा करें। अगर एक कालांश में हर कक्षा के 10 बच्चों ने भी शीर्षक बताये, तो भी कम से कम 100 शीर्षक की सूची तैयार हो जाएगी जिसे आप व्हाट्सएप्प, लाइब्रेरी या स्कूल वेबसाइट पर भी लिंक्स के साथ सूची डाल सकते हैं। इस तरह की तैयार सूची हमेशा के लिए काम आ सकती है। इस सूची को तैयार करने के लिए बच्चों को एक फ़ॉर्मेट भी दिया जा सकता है, जो पृष्ठ 77 पर दिया गया है।

© NCERT not to be republished

क्रम संख्या	विषय	शीर्षक	प्रकाशक	वेब-लिंक

3. **बच्चों के द्वारा ऑनलाइन न्यूज़**— इस गतिविधि में बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार विषय दिया जाएगा जैसे कि कुछ बच्चों को खेल पसंद है, कुछ को राजनीति, कुछ को फ़िल्मी बातें, कुछ को आईसीटी की दुनिया, कोविड–19 से संबंधित ख़बरें। यह गतिविधि शिक्षकों के समन्वय से हर सुबह पहले से तैयार की जा सकती है जिसमें की हर बच्चा रोल नंबर से न्यूज़ बोलता जाएगा। इस गतिविधि से पढ़ना ही नहीं, वाचन-कौशल और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और साथ में समकालीन खबरों के विषय में भी जानकारी मिलेगी जो कि आज के बच्चों के लिए अति-आवश्यक है, इससे विद्यार्थियों को अखबार की महत्ता का भी पता लगेगा।
4. **यदि आप पुस्तकालाक्ष्य हैं तो**— यह एक ऐसी गतिविधि है, जिसमें विद्यार्थियों को उनकी रचनात्मकता प्रदर्शित करने का ऐसा मौका मिलेगा। इसके अंतर्गत वह अपनी एवं अपने मित्रों के पसंद की गतिविधि की योजना बनाकर पूरी कक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें वे नैतिक फ़िल्में दिखाना, किसी खेल के ज़रिये किसी रुचिकर विषय पर बातचीत, डम-शराड एवं किसी पुस्तक के पात्रों का अभिनय भी कर सकते हैं। इसमें बच्चों का मनोरंजन तो होगा ही साथ में कक्षा-प्रबंधन एवं गतिविधि के आयोजन में मदद भी मिलेगी। यह गतिविधि बच्चों में एक ऐसा विश्वास ला पाएगी जो की जीवनभर उनके काम आएगा।
5. **ऑन द स्पॉट वाचन कौशल**— जैसा कि बच्चों को गृहकार्य पसंद नहीं आता, यह गतिविधि सभी बच्चों की प्रतिभागिता करने में मदद करती है। इसमें बच्चे सबसे पहले अपनी पसंद के कोई भी चरित्र चाहे वह कोई नेता हो, अभिनेता हो, कार्टून चरित्र हो, लेखक हो या कोई परिवार का सदस्य हो, किसी भी विषय के बारे में 15 मिनट तक आनलाइन सर्च इंजन से पढ़कर या वीडियो देखकर ऑन द स्पॉट वीडियो बनाकर क्लास के ग्रुप पर अपलोड करनी हैं। यह गतिविधि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष ज़ोर से पढ़ना, कहानी सुनना व सुनाना आदि गतिविधि भी करवा सकते हैं।

निष्कर्ष

अतः कहा जा सकता है कि इस कोरोना काल में पुस्तकालयाध्यक्ष को शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ सहभागी होकर सक्रिय योगदान देना है। योजना इस प्रकार से बनानी है कि घर से पढ़ने के अवसर को विशेष रूप से उपयोग कर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके एवं जिससे कि विद्यार्थी पठन-पाठन कर स्वयं को, अपने परिवार को एवं देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। जिस प्रकार से विद्यालयों की नेटवर्किंग (नेटवर्क) का कार्य कई उद्देश्यों के साथ चल रहा है। समान रूप में स्कूली-पुस्तकालयों का नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता है। आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से कोविड–19 काल में भी पुस्तकालय एवं उससे

© NCERT not to be republished

संबंधित क्रियाकलापों को भी सक्रिय रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोविड–19 काल के इस समय को सकारात्मक रूप में लेकर सभी विद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को मिलकर ऐसी योजना बनानी चाहिए जो कि भावी जीवन के लिए का एक नया रूप ले आए, जो कि राष्ट्रनिर्माण में अमूल्य योगदान होगा।

संदर्भ

कुंवर, राजीव कुमार. 2020. संकट की घड़ी में ऑनलाइन शिक्षा सही है, पर इसे कक्षाओं का विकल्प नहीं बनाया जा सकता. http://thewirehindi.com/122150/covid-19-lockdown-online-classes-higher-education/

जैन, प्रीति. 2017. प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय उपयोगिता तथा आधुनिक सूचना सेवाएँ. *रोल ऑफ़ स्कूल लाइबरेरीज़ इन क्वालिटी एजुकेशन: अ सिलेक्टिंग रीडिंग (प्रथम संस्करण)*. रा.शै.अ.प्र.प. नयी दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. नयी दिल्ली.

https://inbreakthrough.org/covid19-girls-education/

https://www.dhyeyaias.com/hindi/current-affairs/articles/digital-divide-in-india-a-comprehensive-overview

https://www.thehindubusinessline.com/opinion/how-to-bridge-the-digital-divide-in-education/article31868853.ece

https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/global-ideas-that-can-reduce-digital-divide-in-india-amid-coronavirus-crisis-1688467-2020-06-13

© NCERT not to be republished

10

सामान्य अध्ययन द्वारा प्राथमिक स्तर के बच्चों में संवाद, समझ और सामर्थ्य का विकास

आनंद कुमार मिश्र*

अपनी माँ और अभिभावकों की गोद से निकलकर प्राथमिक स्कूल पहुँचे बच्चों में आत्मविश्वास, जिज्ञासा और उसके मनोभावों को संबल देकर उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण कार्य होने के बावजूद शिक्षकों की प्राथमिकता में रहा है। चुनौतीपूर्ण इसलिए क्योंकि प्रायः तमाम विसंगतियों के कारण बच्चों में संकोच और भय देखा जाता है। ऐसे में उनके आत्मविश्वास और जिज्ञासा को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होती है। बच्चो में भाषा, संवाद और संप्रेषण भी अपेक्षित स्तर पर नहीं दिखता है। ऐसे में इन कमियों को दूर करने के लिए एक ऐसे शिक्षण टूल की ज़रूरत होती है जो उपर्युक्त कमियों को दूर कर बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सके। विद्यालय में सामान्य अध्ययन शिक्षण (जनरल स्टडी टीचिंग) एक ऐसे ही टीचिंग टूल के रूप में इस्तेमाल होता है। यह बच्चों में आत्मविश्वास व जिज्ञासा उत्पन्न करते हुए भय व संकोच को दूर करता है। साथ ही भाषा के जुड़ाव के साथ बच्चों में संवाद और संप्रेषण की कला का विकास कर सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। सामान्य अध्ययन के शिक्षण की मदद से बच्चों में संवाद, समझ और सामर्थ्य का विकास देखने को मिला। शोध को संक्षेप लेख के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह लेख दर्शाता है कि बच्चों में सामान्य अध्ययन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

© NCERT not to be republished

प्राथमिक विद्यालय के अधिकांश बच्चों की पृष्ठभूमि ग्रामीणांचल से जुड़ी होती है। आर्थिक विपन्नता, मूलभूत सुविधाओं की कमी, जागरूकता का अभाव एवं अपेक्षित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभाव होने के कारण अनेक बच्चे अधिगम अंतर (लर्निंग गैप) से जूझ रहे होते हैं। प्राय: यह भी देखने में आता है कि परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों में विभिन्न कारणों से आत्मविश्वास, सीखने में अरुचि एवं जिज्ञासा की कमी होती है। सभी जानते हैं कि आत्मविश्वास एवं जिज्ञासा स्कूली शिक्षा एवं बच्चों के विकास संबंधी महत्वपूर्ण सोपान हैं। 'शिक्षा न केवल उसे अपने वातावरण से अनुकूल करने में सहायता देती है, वरन उसके व्यवहार में ऐसे वांछनीय परिवर्तन भी करती है कि वह अपना और अपने समाज का कल्याण करने में सफल होता है'(पाठक, 1982)। बच्चों में आत्मविश्वास एवं कुछ नया जानने की

* *शिक्षक*, प्राथमिक विद्यालय मलूकपुर विकास खंड एरायां, जिला-फतेहपुर, उत्तर प्रदेश

इच्छा ही नहीं होगी तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी प्रभावी नहीं होगी। सीखने में अरुचि होने से बच्चों के विकास और कक्षानुरूप दक्षताओं पर नकारात्मक असर पड़ता है। इस तथ्य पर मंथन हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे बच्चों में आत्मविश्वास, जिज्ञासा एवं सीखने में रुचि को बढ़ावा देने के साथ भाषा से जुड़ाव, बच्चों में संवाद एवं संप्रेषण शैली का विकास हो तथा लर्निंग गैप को पाटने में भी तथा मदद मिल सके। किसी ऐसे उपाय की आवश्यकता महसूस हुई जो बच्चों को सरल एवं सहज लगने के साथ ही किसी शिक्षण तकनीक से जुड़ी हों। इन बिंदुओं पर विचार करने के उपरांत अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत एक ऐसा शोध तैयार किया गया जो बच्चों के शैक्षणिक एवं मानसिक विकास में सहायक सिद्ध हो। प्रस्तुत शोध में दूसरे विषयों का भी समेकन किया गया ताकि कक्षा शिक्षण के दौरान सीख व समझ को विषय व प्रकरण पढ़ने के समय प्रयोग किया जा सके। शोध को जनरल स्टडी टीचिंग नाम दिया गया क्योंकि इसमें सामान्य विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, सामान्य ज्ञान और अन्य विषय शामिल किए गए हैं। इसके द्वारा बच्चों को विभिन्न विषयों की बुनियादी जानकारी देने के साथ उनके जिज्ञासा स्तर में वृद्धि एवं भय, संकोच व आत्मविश्वास की कमी को दूर किया जाता है। बच्चा जब उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वयं जवाब देने लगता है तो निश्चित तौर पर उसके आत्मविश्वास, जिज्ञासा एवं सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है तथा अनेक विषयों की बुनियादी समझ विकसित होती है। आत्मविश्वास हासिल करने के बाद बच्चे स्वयं इस विशेष कक्षा का संचालन करने लगते हैं। संचालन के दौरान उनमें भाषा की समझ एवं संवाद व संप्रेषण की क्षमता स्वयमेव बढ़ने लगती है।

उद्देश्य

प्राय: यह देखने में आता है कि प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूली बच्चे विद्यालय में स्वयं को सहज महसूस नहीं करते हैं। एक अनदेखा और अनचाहा भय, दुविधा एवं हिचकिचाहट उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल नहीं होने देती है। इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाते हुए बच्चों के आत्मविश्वास व जिज्ञासा स्तर में वृद्धि।
2. भय को दूर करना एवं परस्पर संप्रेषण एवं संवाद शैली के द्वारा बच्चों में सरलता के साथ विषय ज्ञान की समझ बेहतर करना।
3. बच्चों में मानसिक तनाव को कम करते हुए सहज तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करना।
4. बच्चों में भाषा का विकास एवं विषयों की समझ विकसित करना।
5. सामान्य अध्ययन के शिक्षण द्वारा स्कूली बच्चों में अन्य विषयों की समझ विकसित करना।
6. प्रयोग एवं प्रदर्शन द्वारा स्कूली बच्चों को 'करके सीखने' के लिए प्रेरित करना।

शोध की आवश्यकता

बच्चों में अपर्याप्त विषय का ज्ञान उनके आत्मविश्वास में कमी लाता है और ज्ञान विस्तार में भी बाधा बनता है। विभिन्न कारणों से बच्चों की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं होने से लर्निंग गैप बढ़ता रहता है। बच्चों में भय रहता है कि कहीं उनके शिक्षक उनसे कोई सवाल न पूछ लें। कहीं कक्षा में डाँट न मिल जाए। बच्चों में अपेक्षित ज्ञान न होने के कई कारण हो सकते हैं। समस्या का अंग एवं इसके कारणों को खोजने की बजाए समाधान का हिस्सा बनना बेहतर

© NCERT not to be republished

समझा गया। बच्चों के आत्मविश्वास को जागृत करने व उनमें जिज्ञासा का भाव पैदा करने के लिए यह शोध अमल में लाया गया। बच्चे जब सवालों का जवाब देने लगेंगे तो उनमें स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। उनका डर भी धीरे-धीरे दूर होने लगेगा। फतेहपुर ज़िले के प्राथमिक विद्यालय मलूकपुर में इस शोध का प्रयोग किया गया है। प्रयोग के दौरान जो बच्चे प्रश्न पूछने पर दुबकते थे, उनमें जवाब देने की होड़ पैदा हो गई। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए यह शोध बेहद उपयोगी साबित हुआ।

शोध रचना

'शिक्षा अधिकाधिक सृजनात्मक होती जा रही है। एक समय था जबकि शिक्षा केवल शिक्षा के लिए थी। आज का युग इसे नहीं मानता है'(पाल, 2006)। विद्यालय में सामान्य अध्ययन के शिक्षण को लागू करने से पहले इस तथ्य पर चिंतन किया गया कि आखिर ऐसी कौन सी विधि अपनाई जाए जिससे बच्चों में जिज्ञासा एवं आत्मविश्वास के स्तर के साथ उनमें सीखने की रुचि को पैदा किया जा सके। काफी सोच विचार कर यह तय किया कि सभी स्कूली बच्चों के लिए एक ऐसी प्रश्नावली तैयार की जाए जो उनके परिवेश और विषय ज्ञान से किसी न किसी रूप में जुड़ी हो। हो सकता है कि वह सीधे तौर पर सभी प्रश्नों से सीधा संबंध न स्थापित कर पाएँ लेकिन इतना अवश्य है कि परिवार, समाज व समाचारों में इन पर बात होते हुए उन्होंने इनके बारे में सुना हो। इस आधार पर एक प्रश्नावली तैयार किए जाने का निर्णय किया। स्कूल में इस नवाचार को लागू करने के लिए सबसे पहले देश, राज्य व ज़िले के सामान्य ज्ञान के साथ भूगोल, इतिहास, विज्ञान और गणित जैसे विषयों की मदद से एक प्रश्नावली तैयार की गई। इस प्रश्नावली को प्रतिदिन की प्रार्थना सभा का भाग बनाया गया। प्रार्थना सभा के उपरांत सभी कक्षाओं से युक्त सामूहिक कक्षा के बच्चों से संवाद स्थापित किया गया। उनके साथ सहज संवाद की नींव डालने के बाद विभिन्न बिंदुओं पर (ऐसे बिंदु जो बच्चों की शिक्षा, संस्कार और अधिगम प्रक्रिया से जुड़े हों) परस्पर चर्चा करते हुए सहज संवाद आरंभ किया गया। इसके उपरांत प्रश्नावली के अंतर्गत आने वाले करीब दो सौ प्रश्नों के जवाब प्रतिदिन बताने का निश्चय किया। विद्यालय की समय सारिणी में भी सामान्य अध्ययन शिक्षण को जगह दी गई। प्रतिदिन करीब 45 मिनट सामान्य अध्ययन के शिक्षण को दिए गए।

क्रियाविधि

सैंपल का चयन — प्राथमिक विद्यालय मलूकपुर के कक्षा 2 से 5 तक के सभी बच्चे

उपकरण — साक्षात्कार एवं अवलोकन द्वारा

डाटा संकलन का तरीका — प्रार्थना सभा के तुरंत बाद जब बच्चे मैदान में एकत्र रहते हैं तो उन्हें इस शोध प्रक्रिया का भाग बनाया गया। बच्चों से सहज संवाद की स्थापना प्राथमिक लक्ष्य रखा गया। सरल एवं सहज संवाद की शुरुआत होने के बाद तैयार की गई प्रश्नावली बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रश्नों को बच्चों के समक्ष रखा गया ताकि वे प्रश्नों का जवाब मिलने से पहले अपने विचार प्रस्तुत कर सकें और उनसे अपना जुड़ाव कर सकें। बच्चों द्वारा जवाब देने के बाद उनकी त्रुटियों को त्वरित रूप से सुधार कर सही जवाब बताए गए। कई ऐसे प्रश्न जिनके जवाब करके सीखने प्रयोग पर

© NCERT not to be republished

आधारित थे, उन प्रश्नों के जवाब प्रयोग के द्वारा दिए गए। उदाहरण के रूप में बीजों और पौधों के भागों की जानकारी अंकुरित बीज व पौधों को प्रदर्शित करके बताई गई। करीब 15 दिन तक प्रतिदिन यही क्रम चलता रहा। इसके बाद बच्चों से सामान्य अध्ययन के वही प्रश्न पूछे गए। जो उन्हें पिछले 15 दिन से बताए जा रहे थे। बच्चे धीरे-धीरे प्रश्नों का उत्तर देने लगते थे। कुछ प्रश्नों के जवाब गलत होने की स्थिति में शिक्षक उनके सही जवाब देकर उनकी गलती को प्यार एवं सहानुभूतिपूर्वक सुधार देते। कुछ दिनों बाद डरने वाले, संकोची एवं कम सक्रिय बच्चों को भी दर्ज़नों प्रश्नों के जवाब याद हो जाते और वे भी सवालों का जवाब देने के लिए लालायित होने लगते। इसके उपरांत प्रश्नों की प्रकृति और दायरा बढ़ाया गया। सामान्य अध्ययन की यह सामूहिक कक्षा समूचे विद्यालय के माहौल पर सकारात्मक प्रभाव डालने लगी। ऐसे तमाम प्रश्न बच्चों के कक्षा शिक्षण के दौरान भी सामने आते तो उन्हें वह समझना बेहद सरल लगा क्योंकि उसकी जानकारी उन्हें पहले से ही थी। कुछ समय बाद प्रतिभाशाली बच्चे ही दूसरे बच्चों से प्रश्न पूछने लगे। समूह बनाकर भी ऐसा किया गया।

बच्चों को सामान्य अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत बताए जाने वाले तथा बाद में उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों के कुछ उदाहरण अग्रलिखित हैं—

1. देश के प्रथम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति तथा देश के वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति आदि।
2. देश का नाम, कुल राज्य, 29वाँ राज्य एवं इसका पितृ राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, देश की राजधानी आदि।
3. प्रदेश का नाम, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कुल मंडल, कुल ज़िले आदि।
4. अपने मंडल का नाम, मंडल के अधीन आने वाले जिले, अपना जिला, कुल तहसीलें, अपनी तहसील, जिले के कुल ब्लॉक, तहसील के अंतर्गत ब्लॉक, अपना ब्लॉक, अपनी ग्राम पंचायत आदि।
5. राष्ट्रीय फूल, फल, पक्षी, पशु, चिह्न, वृक्ष, ध्वज, नदी, आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया, राष्ट्रध्वज के रंग एवं इनके संदेश, राष्ट्रीय चिह्न कहाँ से लिया गया, चिह्न में क्या-क्या बना है? राजकीय पक्षी, फूल एवं पशु आदि।
6. राष्ट्रगान, गायन समय, मुद्रा, लेखक, राष्ट्रगीत एवं ध्वजगीत तथा इनके लेखक, सभी प्रमुख नारों एवं इनके प्रयोगकर्ता का नाम, राष्ट्रीय पर्व आदि।
7. देश कब आज़ाद हुआ, किससे आज़ाद हुआ, संविधान कब लागू हुआ, आज़ादी और संविधान लागू होने पर क्या मनाया जाता है, महात्मा गाँधी का जन्म, जन्म स्थान, राज्य, माता-पिता, बापू, राष्ट्रपिता, गाँधी जयंती आदि की जानकारी।
8. बाल दिवस कब और क्यों होता है, शिक्षक दिवस कब और क्यों होता है, हैंडवॉश डे, संविधान दिवस, मतदाता दिवस, पर्यावरण दिवस, मज़दूर दिवस, मानवाधिकार दिवस आदि।
9. सौर परिवार एवं सभी ग्रहों के नाम, सूर्य क्या है, सूर्य से सबसे नज़दीक एवं दूर ग्रह, पृथ्वी से सबसे नज़दीक एवं दूर ग्रह, अपना ग्रह, अपने ग्रह का उपग्रह, ग्रहों एवं उपग्रहों की विशेषताएँ, वार्षिक गति तथा दैनिक गति एवं इसका प्रभाव, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, उपग्रह विहीन ग्रह, लाल ग्रह, नीला ग्रह आदि।

© NCERT not to be republished

10. पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण का वर्णन, पत्तियों के रंग हरा होने का कारण, आक्सीजन एवं कार्बनडाई ऑक्साइड की जानकारी एवं महत्व, पौधों का रसोईघर, पौधों का रसोईयाँ, पदार्थ की अवस्थाएँ आदि।
11. राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री, ज़िले के डी.एम., ज़िले के बी.एस.ए., ब्लॉक के बी.ई.ओ., ग्राम प्रधान के नाम आदि।
12. सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, गिनती, पहाड़े आदि।
13. वर्ष के दिन, माह के दिन एवं दिन बताने की युक्ति, सप्ताह के दिन, वर्ष के सभी महीनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम, एक दिन में कितने घंटे, एक घंटे में कितने मिनट, एक मिनट में कितने सेकेंड, लीप ईयर, लीप ईयर कब होता है, क्यों होता है, क्या प्रभाव पड़ता है आदि।
14. अंग्रेज़ी एवं हिंदी में अपना परिचय देने का तरीका आदि।

उपरोक्त लिखित इन प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे तमाम प्रश्न शामिल किए गए जो स्कूली बच्चों को आसान लगें और उनसे संबंध स्थापित कर सकें। इन प्रश्नों को समसामायिक घटनाओं के आधार पर अद्यतन भी किया गया। कई प्रश्न समसामियक से जुड़े होने के कारण उनका लगातार अद्यतन किया जाता रहा।

शोध का परिणाम

स्कूल में शोध के प्रयोग के बाद बच्चों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला। जो बच्चे डरे, सहमे और कमज़ोर थे, उन्होंने अन्य सहपाठियों और शिक्षकों के साथ सहज संवाद शुरू कर दिया। बच्चों को सामान्य अध्ययन के दर्ज़नों प्रश्न याद हो गए जिससे उनके आत्मविश्वास में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। कम सक्रिय रहने वाले बच्चे भी अधिक सक्रिय हो गए। कक्षा 1 जैसी छोटी कक्षा के बच्चों को भी अपने देश व राज्य की प्राथमिक जानकारी होने के साथ दूसरे सवालों के जवाब याद हो गए। बच्चों में प्रतिस्पर्द्धा का स्तर भी बढ़ गया। बच्चे प्रश्नों का जवाब देने की होड़ लगाते देखे गए। धीरे-धीरे अधिकांश बच्चे सरल एवं सहज हो गए। सामान्य ज्ञान के साथ विषयगत ज्ञान की जानकारी होने के कारण कक्षा शिक्षण के दौरान भी बच्चों में आत्मविश्वास जिज्ञासा का स्तर बढ़ गया। बच्चों की स्मृति एवं याद करने की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बच्चों पर इस शोध का कितना प्रभाव पड़ा, इसका आकलन करने के लिए कक्षा 1 को छोड़कर अन्य चारों कक्षाओं के बच्चे का विभिन्न सूचकों पर मूल्यांकन किया। आकलन के दौरान लिंगभेद यानी बालक-बालिका का भेद न कर बच्चों की संख्या पर केंद्र किया गया। आकलन के उपरांत इन सूचकों पर स्कूली बच्चों की स्थिति निम्नानुसार रही—

तालिका 1— शोध प्रयोग के पूर्व बच्चों की विभिन्न सूचकों की सापेक्ष स्थिति

विभिन्न सूचक	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5
कुल बच्चे संख्या	54	39	6	8
संकोच	35	28	4	3
सीखने में अरुचि	30	25	3	4
जिज्ञासा में कमी	33	28	5	5
आत्मविश्वास में कमी	39	27	5	3

© NCERT not to be republished

आरेख 1

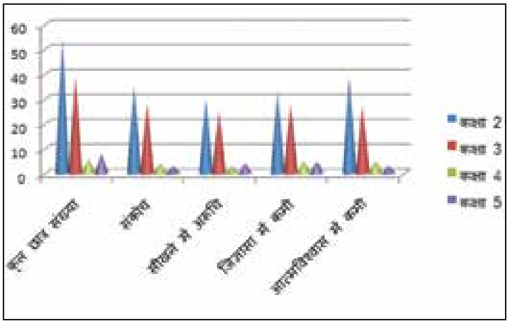

आरेख 2

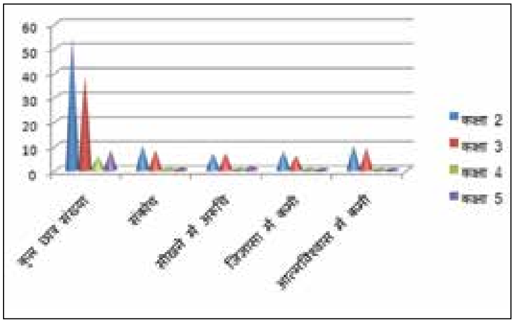

सामान्य अध्ययन के शिक्षण को लागू करने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय मलूकपुर में कक्षा 2 से 5 तक के स्कूली बच्चों की स्थिति विभिन्न सूचकों पर काफी कमतर थी। यह ऐसे सूचक थे जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों के सीखने की गति को प्रभावित करते हैं। यह सर्वमान्य है कि उम्र के प्राथमिक पड़ाव या यूँ कह सकते हैं कि शुरुआती करीब 8 वर्ष की उम्र तक बच्चों के सीखने की गति काफी अधिक होती है। लेकिन जब बच्चा अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से घिरा रहेगा तो उसकी सीखने की गति पर बुरा असर पड़ सकता है। मलूकपुर विद्यालय में भी ऐसा ही नजारा था। कक्षाओं के 50 फीसदी से अधिक

तालिका 2—सामान्य अध्ययन शिक्षण के लागू होने के बाद बच्चों की स्थिति

विभिन्न सूचक	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5
कुल बच्चे संख्या	54	39	6	8
संकोच	10	8	1	1
सीखने में अरुचि	7	7	0	2
जिज्ञासा में कमी	8	6	0	0
आत्मविश्वास में कमी	10	9	0	0

बच्चे जिज्ञासा, आत्मविश्वास, सीखने में रुचि व सक्रियता जैसे मानदण्ड में निम्न स्तर पर थे। इसे देखते हुए सामान्य अध्ययन के शिक्षण को सुनिश्चित किया गया।

सामान्य अध्ययन के शिक्षण के लागू होने के करीब दो माह बाद स्कूली बच्चों में तुलनात्मक रूप से प्रशंसनीय सुधार दिखाई पड़ा। संकोच, सीखने में रुचि, जिज्ञासा व आत्मविश्वास में कमी जैसे मानदण्ड में उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई। 50 फीसदी से अधिक बच्चों में यह कमियाँ दूर हो गई और वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने लगे। राज्यमंत्री, जिला क्लेक्टर, सहायक निदेशक (बेसिक) महोदय के निरीक्षण के दौरान स्कूली बच्चों ने इन मानदण्ड पर शानदार प्रदर्शन कर उनकी प्रशंसा प्राप्त की। अगर आँकड़ों पर गौर करें तो स्पष्ट है कि प्रत्येक कक्षा के बच्चों में उल्लेखनीय सुधार दिखाई पड़ा। बालक हो या बालिका सभी में यह सुधार समान रूप से हुआ। सामान्य अध्ययन के शिक्षण के कारण बच्चों उनकी व्यक्तिगत कमियों को दूर करने में काफी हद तक सफलता मिली। स्कूल के बच्चों की संख्या में कम समय में काफी अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

© NCERT not to be republished

सामान्य अध्ययन शिक्षण आरंभ होने के कुछ दिनों बाद बच्चे इस तरह करने लगते हैं विशेष कक्षा का संचालन

अप्रैल 2018 में इस विद्यालय के बच्चों की कुल बच्चे संख्या 67 थी जो सितंबर 2020 में 223 हो गई। इसके पीछे सामान्य अध्ययन के शिक्षण का भी हाथ रहा। आत्मविश्वास से लबरेज बच्चे गाँवों में स्वयं प्रचार का माध्यम बन गए।

निष्कर्ष एवं सुझाव

बाल केंद्रित शिक्षा और बच्चों का सर्वांगीण विकास प्राथमिक शिक्षा के मूल उद्देश्यों में शुमार है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए किसी विशेष योजना या शिक्षण शैली की आवश्यकता हमेशा से रही है। बाल विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नित नए शोध एवं प्रयोग किए जा रहे हैं। इन प्रयोगों, नवाचारों एवं शोधों का उद्गम विद्यालय में ही बच्चों की ज़रूरत के अनुसार होता है। यह शोध निश्चित रूप से प्राथमिक स्तर के बच्चों के आत्मविश्वास, जिज्ञासा एवं अधिगम स्तर में वृद्धि के लिए बेहद उपयोगी है। बच्चों की स्मरण शक्ति पर भी अत्यंत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्मरण शक्ति तेज़ होने लगती है। परस्पर शैक्षिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगती है। प्रतिभाशाली बच्चों के सीखने का स्तर जहाँ काफ़ी अधिक हो जाता है वहीं धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में भी उत्सुकता पैदा होती है। वे सीखने एवं समझने की दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति करने लगते हैं। प्रारंभिक चरण के पश्चात् जब बच्चे इस विशेष कक्षा में पूर्ण मनोयोग से भाग लेते हैं तो उनमें नेतृत्व की भावना भी विकसित होने लगती है। बच्चे न केवल कक्षा का संचालन करने लगते हैं बल्कि वह अन्य स्कूल कार्यक्रमों में भी नेतृत्वकारी भूमिका में आ जाते हैं। नेतृत्व एवं परस्पर सहयोग से स्कूल का वातावरण भी बेहतर होता है। सिर्फ़ 15 दिन में ही स्कूल के वातावरण में आश्चर्यजनक बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं। इस कारण सामान्य अध्ययन प्राथमिक एवं प्रयोग करने पर उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों के लिए भी काफ़ी लाभप्रद हैं। बच्चे जब घर पहुँचकर अपने से बड़ी कक्षा वाले स्कूली बच्चों से यह सवाल पूछते हैं तो वे कई सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं इससे भी बच्चों को अपनी विजय का एहसास होता है और उनका अंतर्मन प्रफुल्लित हो जाता है। स्कूल में इस सूक्ष्म शोध के बेहद प्रभावकारी परिणाम सामने आए हैं।

प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा विकास एवं इसके माध्यम से संवाद एवं उत्तम संचार शैली का विकास इस शोध के माध्यम से काफ़ी सरल एवं सहज हो गया। भाषा प्रत्येक विषय का मूल आधार है तो सामान्य अध्ययन शिक्षण पर आधारित इस प्रयोग से भी यह अवधारणा जुड़ी है। बच्चे हिंदी एवं अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से अन्य विषयों के प्रति अपनी समझ बड़ी आसानी से विकसित कर लेते हैं। उनकी अपनी भाषा में इस शोध के प्रयोग से यह बेहद आसान हो

© NCERT not to be republished

जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपने शिखर पर पहुँचती हुई दिखने लगती है।

सामान्य अध्ययन के शिक्षण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए किसी विशेष सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के पास यदि कॉपी, पुस्तक या पेन भी नहीं है तो भी शोध का प्रयोग हो सकता है। यह मौखिक प्रकृति का प्रयोग है। इसमें संवाद स्थापना ही सबसे बड़ा आधार है। इस सूक्ष्म शोध को स्कूल में बेहद सरलता से लागू किया जा सकता है। शिक्षक व बच्चे के मध्य संवाद पर आधारित इस शोध के लिए किसी विशेष तैयारी की भी आवश्यकता नहीं है।

इस शोध की आवश्यकता उस प्रत्येक कक्षा एवं उस प्रत्येक बच्चे के लिए है जिसमें भय, संकोच, आत्मविश्वास व जिज्ञासा के स्तर में कमी देखी गई हो। इसका प्रयोग प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए किया जा सकता है। यह सामान्य ज्ञान के साथ ही अन्य विषयों के लिए भी उपयोगी है। सामान्य अध्ययन के शिक्षण की क्लास में सामान्य ज्ञान के अलावा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, भूगोल, अंग्रेज़ी जैसे विषयों के प्रश्न भी शामिल होते हैं। जब बच्चे इन विषयों से संबंधित प्रश्नों एवं कुछ प्रसंगों के बारे में पहले से ही जानते होते हैं तो कक्षा शिक्षण के दौरान इन विषयों के टॉपिक के साथ तालमेल बैठाने में अधिक आसानी होती है। बच्चे अवधारणा को तुलनात्मक रूप से अधिक बेहतर ढंग से सीखते हैं। इन विशेषताओं के कारण समान्य अध्ययन के शिक्षण से बच्चों की जिज्ञासा, आत्मविश्वास, सीखने में रुचि व संकोच को दूर करने के अलावा अन्य विषयों के अध्ययन में भी उपयोगी सिद्ध हुई है।

संदर्भ

पाठक, पी.डी. 1982. *शिक्षा मनोविज्ञान*. विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.

पाल, एस.के. गुप्त, लक्ष्मी नारायण और मदन मोहन. 2006. *शिक्षा के सिद्धांत और आधार*. न्यू कैलाश प्रकाशन, इलाहाबाद.

© NCERT not to be republished

11

उत्तराखंड के प्राथमिक स्तर के छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर अबेकस सीखने के प्रभाव का एक अध्ययन

अवनीश उनियाल*
सुदीप जोशी**

इस शोध पत्र का उद्देश्य उत्तराखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले प्राथमिक स्तर के छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर अबेकस सीखने के प्रभाव का अध्ययन करना है। अबेकस गणितीय गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। अबेकस के उपयोग को इस अध्ययन के स्वतंत्र चर के रूप में लिया गया है और संज्ञानात्मक क्षमता को आश्रित चर के रूप में परिभाषित किया गया है। अध्ययन 45 अबेकस प्रशिक्षित छात्रों तथा 45 अप्रशिक्षित छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर किया गया। शोध पत्र संज्ञानात्मक क्षमताओं में सुधार के संदर्भ में अबेकस की भूमिका को सामने लाता है। अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि अबेकस प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

प्रस्तावना

अबेकस चार्ल्स बैबेज द्वारा आविष्कृत एक प्राचीन उपकरण है। अबेकस शब्द एक लैटिन शब्द है, जो ग्रीक शब्द αβαKασ (बोर्ड या टेबल) से आता है। ग्रीक शब्द संभवतः Semitic abk, से आया है, जिसका अर्थ है रेत, धूल या धूल को पोंछना। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सदियों से विभिन्न रूपों में उपयोग में रहा है। चीन में इसे *सुआनपन* कहा जाता है और जापान में इसे *सोरोबन* के नाम से जाना जाता है।

अबेकस एक तरह का पारंपरिक कैलकुलेटर है, जिसका इस्तेमाल चीन में हजारों सालों से किया जा रहा है। अबेकस विशेषज्ञ अबेकस का उपयोग अधिकांश अंकगणितीय संक्रियाओं, जैसे कि— जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल आदि करने के लिए कर सकते हैं। वास्तविक अबेकस

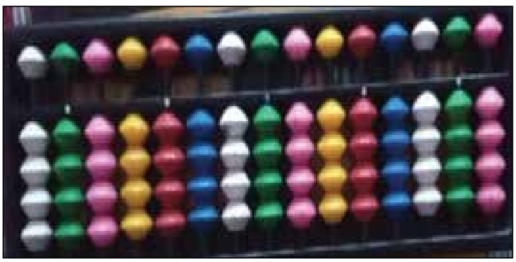

अबेकस

© NCERT not to be republished

* *प्रवक्ता,* एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखंड, देहरादून

** *प्रोफ़ेसर,* शिक्षा अनुभाग, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, एस.जी.आर.आर. कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, देहरादून

उपयोग करने के बजाय, कुछ अबेकस विशेषज्ञ मानसिक रूप से एक काल्पनिक अबेकस के साथ मानसिक गणना कर सकते हैं। इस विधि को 'अबेकस-आधारित मानसिक गणना' कहते हैं। अबेकस-आधारित मानसिक गणना, एक ऐसी कुशल गणना विधि है, जिस पर मात्र अबेकस विशेषज्ञ ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षण के माध्यम से छात्रों द्वारा भी महारत हासिल की जा सकती है। चीन में कई प्राथमिक स्कूल के छात्रों और पूर्व-स्कूली बच्चे अबेकस-आधारित मानसिक गणना से संबंधित व्यावसायिक ज्ञान भी हासिल करते हैं। अबेकस गणना विधियाँ संख्या कौशल, दशमलव की समझ और अन्य कौशलों के बीच सह-संबंध स्थापित करने में मदद करती हैं। इस संबंध में बच्चे अंकगणित प्रशिक्षण का उपयोग अंकगणितीय समस्याओं को तेज़ी से हल करने के लिए कर सकते हैं। बाद में बच्चे अबेकस का उपयोग किए बिना, केवल दिमाग में अबेकस की कल्पना करके भी गणना कर सकते हैं। अबेकस शिक्षा उन्हें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली द्वारा सिखाई गई गणनाओं के सिर्फ़ रूढ़िवादी तरीकों पर निर्भर होने के बजाय अंकगणित में महारत हासिल करने के नए तरीके विकसित करने में मदद करती है। अबेकस छात्रों की तेज़ और सटीक गणना करने की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करता है। अबेकस में कागज़ और पेंसिल से गणना नहीं सिखाई जाती है। बच्चे नियमित स्कूली गणित की कक्षाओं में गणना के लिए अबेकस का उपयोग नहीं करते हैं। अबेकस प्रशिक्षण याद्दाश्त को तेज़ करता है और मानसिक गणना करने की क्षमता को बढ़ाता है। अबेकस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था ताकि गणना करते समय मस्तिष्क अबेकस का आभास करे। यह मस्तिष्क के दाहिने हिस्से को स्वचालित रूप से सक्रिय करता है, खासकर जब हम अपनी उँगलियों को मोतियों के ऊपर घुमाते हैं और समस्याओं को हल करते समय मुँह से बोलते हैं।

संबंधित साहित्य की समीक्षा

प्रिया यादव और डॉ ममता पारीक (2013) ने 'अबेकस तकनीक का प्राथमिक स्तर के छात्रों की गणितीय उपलब्धियों पर कक्षावार प्रभाव' पर एक अध्ययन किया था। यह अध्ययन प्रकृति में काफी प्रयोगात्मक था। यह पहली तथा पाँचवी कक्षा के 120 छात्रों पर किया गया था, जिन्हें 4 समूहों में विभक्त किया गया। कक्षा 1, प्रायोगिक तथा नियंत्रित समूह, कक्षा 5, प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह। तुलना प्राथमिक स्तर पर ही 2–5 चरणों के मध्य की गई। 25 स्कूलों को अध्ययन के लिए चुना गया था। प्रायोगिक समूह को अबेकस के साथ तकनीकी मदद दी गई जबकि अन्य को पारंपरिक तरीके से पढ़ाया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि उच्च स्तर पर पाँचवीं कक्षा के छात्रों ने तुलनात्मक रूप से तकनीक का बेहतर प्रयोग किया, जिससे उनकी गणितीय उपलब्धियों में सकारात्मक हुआ।

मन्नामा, मैरी और किकस, ईव एवं पीट्स, कैटलिन और पालू, अनु (2012) द्वारा, 'तीसरी कक्षा के छात्रों में गणित कौशल के संज्ञानात्मक सहसंबंध' का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन का केंद्र कई संज्ञानात्मक क्षमताओं और गणित कौशल के तीन डोमेन (जानना, अनुप्रयोग करना और समस्या को हल करना) के बीच संबंधों की जाँच करना था। अध्ययन में 28 प्राथमिक

विद्यालयों से 723 तीसरी कक्षा के बच्चे (औसत आयु = 9.07) प्रतिभागी थे। संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग के परिणामों से पता चला है कि अशाब्दिक तर्क और अशाब्दिक अवधारणाएँ गणित को जानने और समस्या निवारण डोमेन के साथ संबंद्ध हैं। मौखिक अवधारणाओं ने गणित अनुप्रयोग वाले डोमेन में भी योगदान दिया।

हटानो, जियो और बिग्स, मार्टिन (1977) ने जापान में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को लेकर एक नियंत्रित प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने छात्रों को तीन से पाँच अंकों के 10 नंबर जोड़ने के लिए कहा। यह कार्य अबेकस का प्रयोग करने और न करने वाले छात्रों के लिए था। इस प्रक्रिया के दौरान संज्ञानात्मक और कार्यात्मक गतिरोध और व्यवधान भी उत्पन्न किए गए। शोध से पता चला है कि जो बच्चे अबेकस में पारंगत थे, उन्होंने सभी गणना बहुत आसानी से कर ली। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो बच्चे अबेकस में पारंगत हैं वे थोड़ा ध्यान देने पर भी आसानी से गणना कर सकते हैं।

सिनशुक, हिशितानी (1990) ने अबेकस उपयोगकर्ताओं की काल्पनिक छवियों की समझ पर शोध कार्य किया। इस प्रयोग में उन्होंने पूर्ण संख्या के रूप में छात्रों के सामने एक संख्यात्मक शृंखला में मौखिक रूप में अलग-अलग अंक प्रस्तुत किए। शोध से निष्कर्ष निकला कि संख्यात्मक शृंखला को अबेकस के उपयोग से छात्रों द्वारा काल्पनिक आरेखों के रूप में जल्दी हल किया गया, जबकि अबेकस उपयोग ना करने वालों ने उन्हें मौखिक रूप से हल किया।

इरविन, पॉल, हमजा, अल्या, उमर, खलिफा और ल्यान, रिचर्ड (2008) ने सूडानी छात्रों के व्यक्तित्व और व्यक्तिगत भिन्नताओं पर अबेकस प्रशिक्षण के प्रभाव का अध्ययन किया। उनके शोध का उद्देश्य मानसिक गणना पर अबेकस प्रशिक्षण के प्रभाव का अध्ययन करना था। इसके लिए उन्होंने 7 से 11 साल की उम्र के 3,185 छात्रों का चयन किया। उन्होंने छात्रों को नियंत्रित और प्रयोगात्मक समूहों में विभाजित किया। प्रायोगिक समूह को कुल 34 सप्ताह तक प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे का गहन अबेकस प्रशिक्षण दिया गया। नियंत्रित समूह को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद दोनों समूहों का मानकीकृत प्रगतिशील मैट्रिक्स द्वारा परीक्षण किया गया। इसमें प्रायोगिक समूह की बुद्धिमत्ता का स्तर अधिक पाया गया और इस समूह के छात्रों का प्रदर्शन भी अच्छा देखा गया। शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि अबेकस प्रशिक्षण समस्या को सुलझाने के कौशल और सामान्य बुद्धि को बढ़ा सकता है।

प्रविधि

प्रभावी शोध अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि उपयुक्त अध्ययन विधि का चयन किया जाए। चयन अनुसंधान की प्रकृति और उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। प्रस्तुत शोध अध्ययन में विषय की आवश्यकता के अनुसार शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया है। अनुसंधान कार्य की सफलता आँकड़े एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर निर्भर करती है। प्रस्तुत अध्ययन में उपयुक्त आँकड़े को संकलित करने के लिए एक मानकीकृत उपकरण का उपयोग किया गया था। शोध अध्ययन 90 छात्रों के बीच किया गया है। 45–45 छात्रों के दो समूह बनाए गए। छात्रों के पहले समूह ने 6 महीने के लिए अबेकस प्रशिक्षण लिया,

जबकि दूसरे समूह ने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। दोनों समूहों के छात्रों को उत्तराखंड के एक ही तरह के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से यादृच्छिक रूप से चुना गया। दोनों समूहों के बच्चे 7–11 वर्ष की आयु वर्ग के थे। छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को मापने के लिए निम्न मानकीकृत परीक्षण का उपयोग किया गया—

उपकरण का नाम	लेखक	उद्देश्य
सामान्य मानसिक क्षमता परीक्षण	आर.पी. श्रीवास्तव किरण सक्सेना	7–11 साल के स्कूल जाने वाले छात्रों के सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण हेतु

टूल में कुल 100 प्रश्न थे। छात्रों को सही उत्तर के लिए 1 अंक मिला, जबकि गलत या प्रयास न किए गए प्रश्न के लिए 0 अंक। अधिकतम अंक 100 थे। उपकरण में दो प्रकार के प्रश्न थे—

1. शाब्दिक 2. अशाब्दिक

जिनमें से प्रत्येक में पाँच उप-क्षेत्र थे—

1. सादृश्य
2. वर्गीकरण
3. संख्या शृंखला
4. तर्क समस्याएँ
5. विसंगति

यह पाँचों उप क्षेत्र दोनों प्रकार के प्रश्नों में समान संख्या में उपस्थित थे।

प्रश्नों के प्रकार

वस्तुनिष्ठ प्रकार के बुद्धि परीक्षण में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न रखे गए थे, जहाँ केवल एक उत्तर संभव था।

विभिन्न उप क्षेत्रों में प्रश्नों की संख्या

उपक्षेत्र	प्रश्नों की संख्या	
	शाब्दिक	अशाब्दिक
सादृश्यता	10	10
वर्गीकरण	10	10
संख्या शृंखला	10	10
तर्क समस्याएँ	10	10
विसंगति	10	10

प्रयुक्त सांख्यिकी विधि

आँकड़े का विश्लेषण करने और आवश्यक निष्कर्ष निकालने के लिए निम्नलिखित सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया गया—

1. प्रतिशत
2. माध्य
3. मानक विचलन
4. टी (t)- परीक्षण

परिणाम और चर्चा

शोध अध्ययन अबेकस प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं की तुलना करने के उद्देश्य से किया गया। उत्तराखंड के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले 7 से 11 वर्ष के छात्रों को अध्ययन के लिए चुना गया। अबेकस प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 45 छात्रों और 45 अप्रशिक्षित छात्रों को एक ही प्रकार के स्कूलों से यादृच्छिक रूप से चुना गया था, ताकि दोनों समूहों के छात्रों की समान रूप से तुलना की जा सके। आँकड़ों का विश्लेषण करने पर निम्न सांख्यिकीय मान प्राप्त हुए—

अबेकस प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं की तुलना

छात्रों का समूह	संख्या	माध्य	मानक विचलन	माध्य अंतर	पी (p) का मान
अबेकस प्रशिक्षित	45	79.38	11.89	19.86	.0025
अबेकस अप्रशिक्षित	45	59.52	12.05		

$p < .05$ स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अबेकस प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में महत्वपूर्ण अंतर है।

© NCERT not to be republished

अबेकस द्वारा सीखने के लाभ

अबेकस छात्रों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है क्योंकि इसकी सहायता से छात्रों की अंकों की समझ गहरी होती है। उन्हें संख्याओं में अंकों के स्थानिक मान को समझने में आसानी होती है और वे गणितीय गणनाओं को मस्तिष्क में आसानी से हल कर लेते हैं। अबेकस छात्रों की एकाग्रता को बढ़ाता है जिससे उनकी स्मृति बढ़ती है और इसका लाभ उन्हें गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में भी प्राप्त होता है। अबेकस छात्रों को खेल-खेल में सीखने को प्रोत्साहित करता है, जिससे छात्र गणित को नीरस व बोझिल विषय ना मानते हुए उसमें पर्याप्त रुचि लेते हैं। छात्रों को प्राथमिक स्तर पर ही अबेकस सिखाने से उनकी मूल गणितीय सक्रियाओं या अवधारणाओं पर अच्छी पकड़ हो जाती है, जिसका लाभ उन्हें उच्चतर कक्षाओं में भी मिलता है।

अबेकस का प्रयोग शिक्षकों के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि इसकी सहायता से शिक्षण करने पर उन्हें छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सरलता रहती है। साथ ही वे स्वयं भी अबेकस के विशिष्ट कौशल से न केवल लाभान्वित होते हैं बल्कि एक शिक्षक के रूप में उनके आत्मविश्वास व कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। अबेकस शिक्षकों को शिक्षण की कुछ अतिरिक्त विधियाँ उपलब्ध कराता है, जिसकी सहायता से वे शिक्षण को अधिक सुरूचिकर व गतिविधि आधारित बना सकते हैं। अबेकस उपलब्ध न होने पर छात्र स्वयं ही इसे बहुत आसानी से लकड़ी की छड़ों तथा मोतियों की मदद से बना सकता है, शिक्षक, छात्रों के साथ अनेक गतिविधियाँ कर सकते है। उदाहरणार्थ छात्रों को दो समूह में विभक्त कर एक समूह को अबेकस की मदद से तथा दूसरे समूह को बिना के अबेकस के जोड़ने-घटाने अथवा गुणा-भाग आधारित प्रश्न हल करने को कह सकते हैं। तत्पश्चात दोनों समूह के छात्रों द्वारा सही किए गए प्रश्नों के आधार पर उन्हें पुरस्कृत कर सकते हैं। छात्रों को अबेकस के मोतियों के समान खड़ा करके उन्हें स्वयं को मोती मानते हुए साधारण प्रश्न, जैसे 26+37 आदि हल करके उत्तर बताने को कह सकते हैं। इसी प्रकार शिक्षक स्वयं अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर कई गतिविधियाँ निर्मित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर अबेकस प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन करना था। उत्तराखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा अबेकस प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अबेकस के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए समान प्रकार के स्कूलों के छात्रों के दो समूह बनाए गए थे। छात्रों का पहला समूह पिछले 6 महीनों से अबेकस प्रशिक्षण ले रहा था, जबकि दूसरे समूह को अबेकस टूल की सीमित उपलब्धता के कारण अबेकस सीखने का मौका नहीं मिला। एक मानकीकृत उपकरण का उपयोग करके दोनों समूहों में मानसिक क्षमता परीक्षण किया गया। परीक्षण के परिणामों ने संकेत दिया कि अबेकस प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में महत्वपूर्ण सकारात्मक अंतर है। यह परिणाम दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अबेकस पर किए गए पिछले अध्ययनों के परिणाम का समर्थन करता है, जहाँ अबेकस का संज्ञानात्मक डोमेन पर सकारात्मक प्रभाव बताया गया है।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

इरविन, पॉल, हमजा, अल्या, उमर, खलिफा और ल्यान, रिचर्ड. 2008. *इफ़ेक्ट्स ऑफ़ अबेकस ट्रेनिंग ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ़ सुडानिज़ चिल्ड्रन.*

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886908002171

पारिक, ममता और प्रिया यादव. 2017. स्टडी ऑन स्टेंडर्ड वाइस इम्पेक्ट ऑफ़ अबेकस टेक्निक इन मैथमेटिक्स अचीवमेंट ऑफ़ स्टूडेंस एट प्राइमेरी लेवल.

http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:H1LpdudC0OIJ:scholar.google.com/+priya+yadav%2Babacus&hl=en&as_sdt=0,5

मन्नामा, मैरी, ईव किकस, पीट्स कैटलिन और अनु पाल 2012. कोगनिटिव कोरिलेट्स ऑफ़ मैथ्स स्किल्स इन थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स.

https://www.researchgate.net/publication/233164729_Cognitive_correlates_of_math_skills_in_third-grade_students

स्टीग्लर, जे. डब्लू. 1984. मेंटल अबेकस — इफ़ेक्ट ऑफ़ अबेकस ट्रेनिंग ऑन चाइनिज़ चिल्ड्रनस मेंटल केलकुलेशन. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0010028584900069

सिनशुक, हिशितानी. 1990. इमेज़री एक्सपर्टस—हाउ डू एक्सपर्ट अबेकस ओपरेटर्स प्रोसेस इमेज़री?

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acp.2350040104

हटानो. जी., वाई. मियाके, और एम.येस. बिंक्स. 1977. परफ़ोर्मेंस ऑफ़ एक्सपर्ट अबेकस ओपरेटरर्स.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0010027777900166

हर्गटी, एम., एस. मेयर, एस. क्रिज़, और एम. कीनर. 2005. रोल ऑफ़ जेश्चर इन मेंटल एनिमेटन. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15427633scc0504_3

http://www.devbhoomilive.com/learn-about-abacus/

© NCERT not to be republished

12

अवधारणा मानचित्रण द्वारा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन का शिक्षण-अधिगम तथा आकलन

अंजुली सुहाने*

अवधारणा मानचित्र, ज्ञान को नियोजित तथा प्रस्तुत करने के लिए एक दृश्य चित्रात्मक उपकरण है। अवधारणा मानचित्र किसी भी विषयवस्तु का अवधारणात्मक ढाँचा तैयार करने में तथा विभिन्न तथ्यों तथा अवधारणाओं के बीच के आपसी संबंधों को समझने में सहायक होते हैं। अवधारणा मानचित्र वास्तविक रूप में एक कार्यनीति है जिसका प्रयोग शिक्षक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, जैसे— नियोजन, शिक्षण तथा आकलन में कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय को एकीकृत रूप से पढ़ाने के लिए अवधारणा मानचित्र का प्रयोग विभिन्न प्रकरणों के आधार पर योजना बनाने में, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए एक शिक्षण उपागम के रूप में, शिक्षार्थियों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए तथा रचनात्मक आकलन के लिए कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन को समेकित विधि से पढ़ाए जाने पर बल दिया गया है। इसके अनुसार कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित विषयों के साथ पर्यावरणीय मुद्दों को बताना चाहिए। कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए। इस विषय में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय अवधारणाओं को समेकित रुप में पढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुरूप राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन विषय के पाठ्यक्रम को तैयार किया है। इस पाठ्यक्रम में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा से विषयवस्तु या मुद्दों को निकालकर 6 प्रकरणों में बाँटा है। यह प्रकरण निम्न हैं— 1. परिवार एवं मित्र (आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे), 2. भोजन, 3. पानी, 4. आवास, 5. यात्रा, 6. हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? एक प्रकरण (थीम) को कई उप-प्रकरणों में भी बाँटा गया है साथ ही साथ सभी प्रकरण तथा उप-प्रकरण आपस में जुड़े हुए हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय के पाठ्यक्रम की समेकित तथा थेमेटिक प्रकृति को देखते हुए शिक्षक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य तथा सार्थक बनाने के लिए अवधारणा मानचित्रण का प्रयोग कर सकते हैं।

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

सर्वप्रथम नोवाक तथा गोविन (1984) ने अवधारणा मानचित्र का उपयोग शिक्षण में किया था। अवधारणा मानचित्र ज्ञान को नियोजित तथा प्रस्तुत करने के लिए एक दृश्य चित्रात्मक उपकरण है। अवधारणा मानचित्र में एक पृष्ठ पर अवधारणाओं को लिखकर उन्हें उनके बीच के संबंध के आधार पर एक रेखा से जोड़ा जाता है। दो अवधारणाओं के बीच के संबंध को जोड़ने वाले शब्दों से व्यक्त किया जाता है। तत्पश्चात एक अवधारणा से जुड़ी हुई विभिन्न अवधारणाओं के बीच के संबंधों को जोड़ कर एक रेखाचित्र बनाया जाता है।

अवधारणा मानचित्र बनाने के सोपान

- मुख्य अवधारणा का चयन करना।
- मुख्य अवधारणा से जुड़ी अन्य अवधारणाओं को पहचान कर सूचीबद्ध करना।
- विभिन्न अवधारणाओं में से सामान्य तथा विशिष्ट अवधारणाओं को पहचान कर उनके स्तर के अनुसार क्रमांकित करना।
- गोले में अथवा किसी बॉक्स में एक-एक अवधारणा को लिखना।
- मुख्य अवधारणा को केंद्र या सबसे ऊपर रखकर, मुख्य अवधारणा को सामान्य अवधारणाओं से तीर वाली रेखा से जोड़ना। तत्पश्चात सामान्य अवधारणाओं को विशिष्ट अवधारणाओं के स्तर के अनुसार तीर वाली रेखा से जोड़ना।
- विभिन्न अवधारणाओं के बीच अर्थपूर्ण संबंध बनाने के लिए सार्थक शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग करना।
- मानचित्र को और बेहतर बनाना।

अवधारणा मानचित्र को पेपर-पेंसिल अथवा सूचना संप्रेषण तकनीकी या विभिन्न कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर, जैसे— सी-मेप, माइंड मेप, फ़्रीमेप आदि की मदद से बना सकते हैं। अवधारणा मानचित्र के बारे में कुछ ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार हैं—

- किसी एक विषय पर प्रत्येक व्यक्ति का अवधारणा मानचित्र अलग-अलग हो सकता है क्योंकि हर व्यक्ति के मस्तिष्क में एक अवधारणा का अन्य अवधारणाओं से संबंध उसकी समझ के आधार पर होता है।
- किसी भी अवधारणा पर बना अवधारणा मानचित्र आदर्श अवधारणा मानचित्र नहीं हो सकता।
- अवधारणा मानचित्र किसी भी इकाई, प्रकरण, लेख, पाठ्यक्रम आदि का हो सकता है।

विभिन्न शोधों के परिणामों से ज्ञात हुआ है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण अधिगम कराने के लिए अवधारणा मानचित्र का उपयोग शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में एक उपकरण के रूप में कर सकते हैं।

शैलजा (2009) ने अपने शोध कार्य 'शिक्षार्थियों की भौतिक विज्ञान की उपलब्धि तथा अभिवृत्ति पर अवधारणा मानचित्र उपागम का प्रभाव' में पाया कि ज़्यादातर शिक्षार्थी मानते हैं कि अवधारणा मानचित्र विभिन्न अवधारणाओं के बीच के संबंध को समझने में मदद करते हैं। प्रिसलेर (2004) ने अपने शोध कार्य 'पूर्व स्नातक स्तर पर जीवविज्ञान उपलब्धि सुधारने में सहभागी अवधारणा मानचित्र' में पाया कि शिक्षार्थी समूह में सहभागिता के साथ जब अवधारणा मानचित्र को अधिगम प्रक्रिया में उपयोग करते हैं तो अधिगम अर्थपूर्ण और सार्थक होता है। गोराया और गुहा (2016) ने अपने शोधकार्य 'बुद्धिलब्धि स्तर के संदर्भ में भौतिक

© NCERT not to be republished

विज्ञान की उपलब्धि पर अवधारणा मानचित्र शिक्षण प्रविधि का प्रभाव' में पाया कि उच्च, मध्यम तथा निम्न बुद्धिलब्धि के शिक्षार्थियों में अवधारणा मानचित्र शिक्षण प्रविधि का भौतिक विज्ञान की उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव' नहीं पाया गया। मोटोडी तथा शिंगोगा (2015) ने अपने शोधकार्य में पाया कि ज़्यादातर गणित के शिक्षक अवधारणा मानचित्र को शिक्षण-अधिगम के लिए अधिक उपयोगी तथा प्रभावी उपकरण मानते हैं तथा अवधारणा मानचित्र को रचनात्मक आकलन के लिए भी उपयुक्त मानते हैं।

शोध कार्यों के विश्लेषण से अब हम समझ चुके हैं कि अवधारणा मानचित्र वास्तविक रूप में एक कार्यनीति है जिसका प्रयोग शिक्षक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, जैसे— नियोजन, शिक्षण तथा आकलन में कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय को एकीकृत रूप से पढ़ाने के लिए अवधारणा मानचित्र का एक उपकरण के रूप में निम्न प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं—

- विभिन्न प्रकरणों (थीम) के आधार पर योजना बनाने में
- शिक्षार्थियों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए
- अर्थपूर्ण अधिगम के लिए एक शिक्षण उपागम के रूप में
- रचनात्मक आकलन में

शिक्षकों को कक्षा-कक्ष में अवधारणा मानचित्र का प्रयोग करने से पहले बच्चों को अवधारणा मानचित्र की संकल्पना से परिचित कराना होगा, जैसे— अवधारणा मानचित्र कैसे बनाते हैं तथा इनको पढ़कर अर्थ कैसे निकालते हैं आदि, के बारे में बताना होगा। बच्चों को अवधारणा मानचित्र बनाना सीखने में समय अधिक लगेगा लेकिन जब बच्चे एक बार इसके सिद्धांत को समझ लेंगे तभी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उपयोग करने के लिए यह एक सार्थक तथा उपयोगी उपकरण होगा।

विभिन्न प्रकरणों (थीम) के आधार पर योजना बनाने में

अवधारणा मानचित्र किसी भी विषयवस्तु का अवधारणात्मक ढाँचा तैयार करने में तथा विभिन्न तथ्यों तथा अवधारणाओं के बीच के आपसी संबंधों को समझने में सहायक होते हैं जिससे इसके आधार पर शिक्षक इकाई योजना तथा रचनावादी शिक्षणशास्त्र पर आधारित पाठ योजना तैयार कर सकते हैं।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि रा.शै.अ.प्र.प. ने कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन विषय के पाठ्यक्रम में पाठ्यसामग्री को छह प्रकरणों के इर्द-गिर्द बुना गया। ये प्रकरण चक्रीय तथा प्रगतिशील तरीके से जुड़े हैं। शिक्षक अवधारणा मानचित्र का उपयोग प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्यसामग्री के प्रकरणों के आधार परशिक्षण-अधिगम अनुभवों की योजना बनाने हेतु कर सकते हैं। यहाँ रा.शै.अ.प्र.प. की कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन विषय की पुस्तक *आस-पास* से एक प्रकरण 'जल या पानी' को उदाहरण के रूप में लिया गया है। कक्षा 3 की पुस्तक में पानी प्रकरण से संबंधित निम्न पाठ हैं—

1. पानी रे पानी
2. बूँद-बूँद से
3. बादल आए बारिश लाए

© NCERT not to be republished

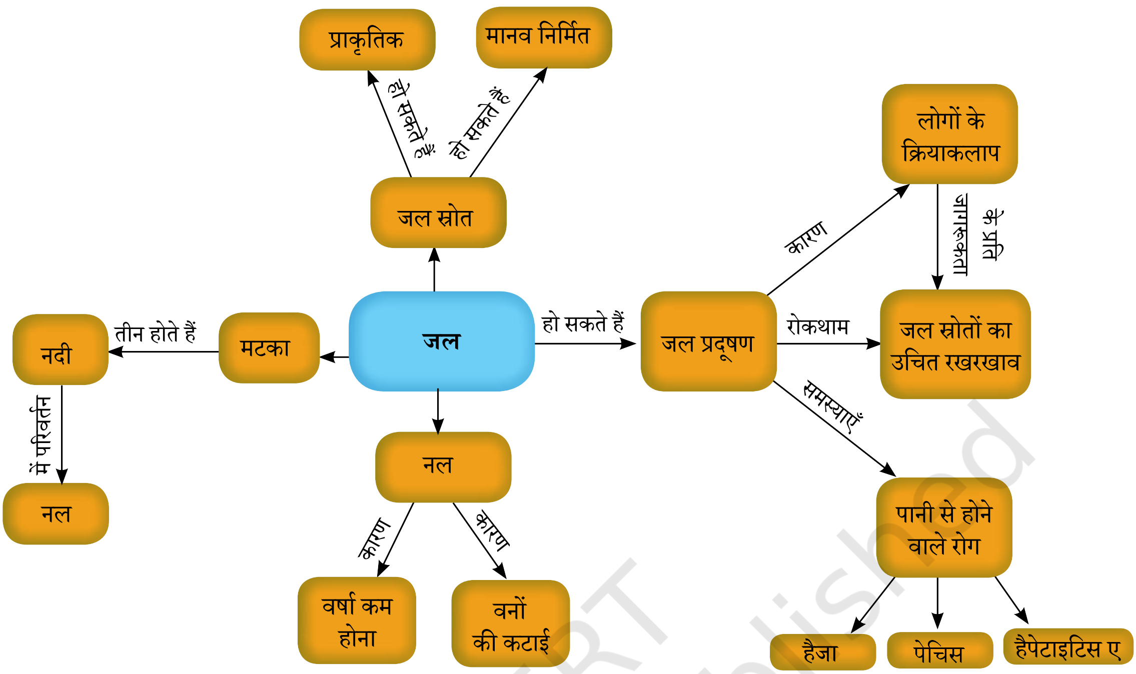

चित्र 1— कक्षा 3 'जल' प्रकरण का अवधारणा मानचित्र

इन पाठों में दी गई पानी से संबंधित अवधारणाओं के आधार पर चित्र 1 जैसा अवधारणा मानचित्र बनाया जा सकता है।

शिक्षक जल प्रकरण के अवधारणा मानचित्र को देखकर समझ पाएँगे कि इसको पढ़ाने के लिए कितने कालखण्डों की आवश्यकता होगी। कक्षा 3 के स्तर पर बच्चों से कौन-कौन से मुद्दों पर चर्चा करनी है तथा उसके आधार पर आसानी से शिक्षण अधिगम अनुभवों का निर्धारण कर पायेगा। सभी मुद्दों को मानचित्र पर एक साथ देखकर वह पूरे प्रकरण (थीम) के लिए शिक्षण पद्धतियों, मूल्यांकन के प्रकारों और संशाधनों का चुनाव कर सकता है।

शिक्षक जब सभी प्रकरणों के लिए अवधारणा मानचित्र बनाएँगे तब वह विभिन्न प्रकरणों के मध्य संबंध को भी देख सकेंगे तथा संबंधित मुद्दों को पाठ योजना में जोड़ पाएँगे, जैसे— पानी प्रकरण की कई मुद्दे विभिन्न प्रकरणों भोजन, आवास, यात्रा, जानवर, पौधे आदि से जुड़े हैं।

शिक्षार्थियों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए

कक्षा में विषय प्रारंभ करने से पहले शिक्षक को यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि उस विषयवस्तु के विषय में शिक्षार्थियों को पहले से क्या ज्ञात है। शिक्षक, शिक्षार्थियों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए अवधारणा मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं।

शिक्षक जो विषयवस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में शिक्षार्थियों से उनकी समझ के आधार पर अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए कह सकते हैं। शिक्षार्थियों की समझ भिन्न-भिन्न हो सकती है तथा उसके आधार पर वे अलग-अलग अवधारणा मानचित्र बनाएँगे।

© NCERT not to be republished

शिक्षक अवधारणा मानचित्रों को देखकर कक्षा में अपने शिक्षण को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर केन्द्रित कर पाएँगे तथा शिक्षार्थी पूर्व-अवधारणाओं के साथ नई-अवधारणाओं को एकीकृत कर पाएँगे।

उदाहरण के लिए, यदि आप कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 'पानी रे पानी' पढ़ाने जा रहे हैं। जब आप इस पाठ का अध्ययन करेंगे तब आप पाएँगे कि इस पाठ में जल के स्रोतों की चर्चा की गई है। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व आप शिक्षार्थियों से कह सकते हैं कि 'आपको पानी कहाँ-कहाँ से मिलता है' पर एक अवधारणा मानचित्र बनाएँ।

अर्थपूर्ण अधिगम के लिए एक शिक्षण उपागम के रूप में अवधारणा मानचित्र

अवधारणा मानचित्र उपागम आसुबेल के 'अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत' पर आधारित है। अवधारणा मानचित्र उपागम द्वारा शिक्षार्थी रचनात्मक तरीके से अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं जिससे उनमें रटने की प्रवृत्ति भी कम होती है। अवधारणा मानचित्र अवधारणाओं को एकीकृत करते हुए शिक्षार्थियों को सार्थक अनुभव प्रदान करके उनके निष्पादन में वृद्धि करते हैं। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन विषय के पाठ्यक्रम की प्रकृति एकीकृत है इसलिए शिक्षक इस विषय के

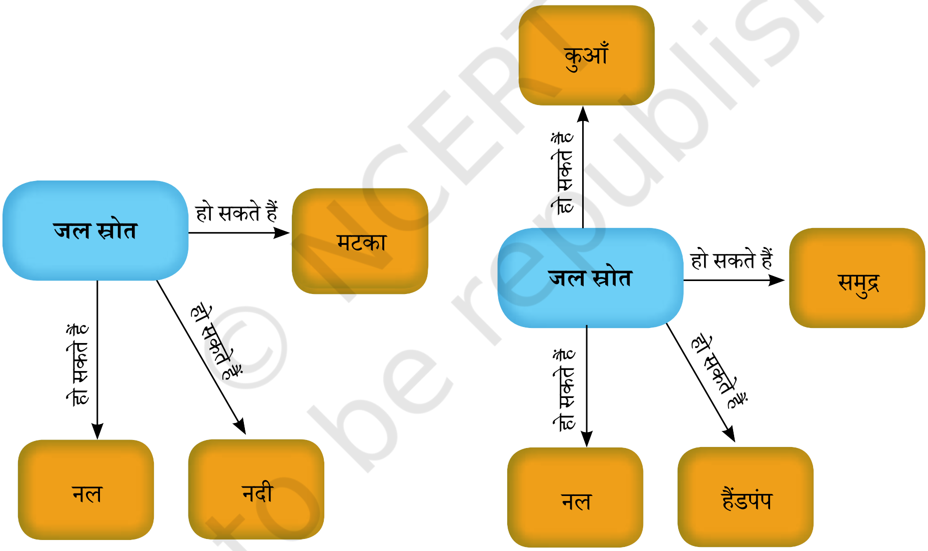

चित्र 2— पूर्व ज्ञान पर आधारित मानचित्र

शिक्षार्थी चित्र 2 जैसा अवधारणा मानचित्र बना सकते हैं।

शिक्षक इनको देखकर शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता कर अपनी आगे की शिक्षण योजना बना सकेगा।

शिक्षण-अधिगम के लिए अवधारणा मानचित्र का एक शिक्षण उपागम के रूप में प्रयोग भली-भाँति कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, शिक्षक कक्षा 3 के पाठ 'पानी रे पानी' को अवधारणा मानचित्र का प्रयोग

© NCERT not to be republished

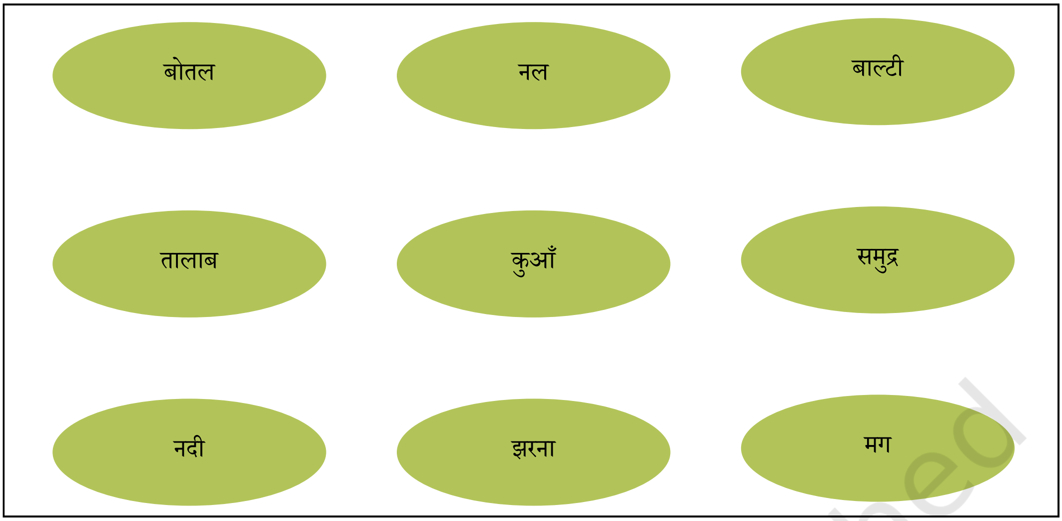

चित्र 3

शिक्षण उपागम के रूप में निम्न प्रकार से कर सकता है।

अब शिक्षक बच्चों से कुछ इस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं, जैसे— शिक्षक बच्चों से पूछे कि पानी कहाँ-कहाँ से मिलता है, जो भी शब्द बच्चों ने बोले उन्हें गोलों के अंदर ब्लैकबोर्ड पर लिखें। (चित्र 3)

शिक्षक— इनमें से किस-किस में पानी अपने आप आ जाता है?

बच्चे— तालाब, कुआँ, नदी, समुद्र, झरना

शिक्षक— इनमें पानी कहाँ से आता है?

बच्चे— शायद बारिश से

शिक्षक— नल में पानी कहाँ से आता है?

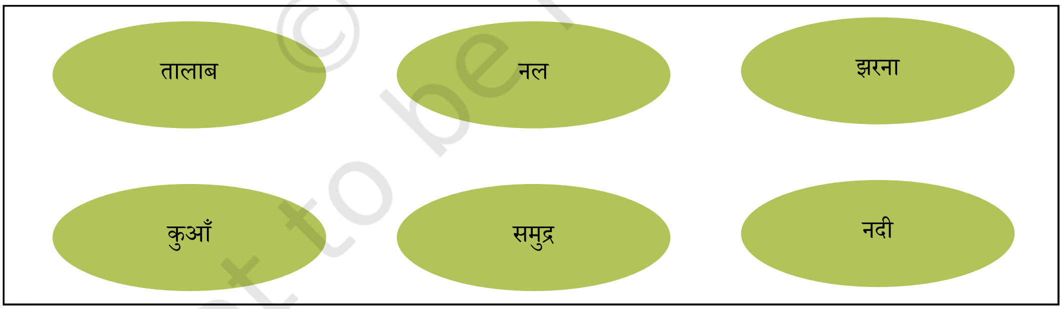

चित्र 4

शिक्षक अब बच्चों से कह सकते हैं, इनमें से वे चीजें जिसमें तुम पानी से भर सकते हो बोर्ड से हटा दो। तब बोर्ड पर चित्र 4 के शब्द रह जाएँगे।

बच्चे— टंकी से

शिक्षक—क्या टंकी में पानी अपने आप आता है?

बच्चे— नहीं, शायद उसमें बाहर से मोटर लगा

© NCERT not to be republished

कर भरते हैं या पानी के टैंकर से भरते हैं या जब सुबह या शाम को नगर निगम से पानी आता है तब भरती है।

शिक्षक— इसका मतलब यह हुआ कि नल में पानी बारिश से नहीं आता?

बच्चे— हाँ

शिक्षक— तालाब, कुआँ, नदी, समुद्र, झरना तथा नल में से जो शब्द विसंगत लग रहा है उसे बोर्ड से हटा दें।

बच्चे— नल

शिक्षक— तालाब, कुआँ, नदी, समुद्र, झरना आदि को जल स्रोत कह सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य जल स्रोत भी हैं?

बच्चे— हाँ, हैंडपंप, डैम (बाँध), झील

(शिक्षक सभी शब्दों को बोर्ड पर एक-एक गोले में लिखते हैं।)

शिक्षक— ये सभी जल स्रोत प्रकृति से अपने आप बन जाते हैं या इनको निर्मित किया जाता है?

बच्चे— शायद झील, नदी, समुद्र, झरना—ये स्वयं बनते हैं।

शिक्षक— हाँ, जब ये प्रकृति में अपने आप बन जाते हैं तो इनको क्या कह सकते हैं?

बच्चे— प्राकृतिक स्रोत

शिक्षक—अन्य (हैंडपंप, बाँध, कुआँ) कैसे बनते हैं?

बच्चे— शायद हम लोग यानि मनुष्य द्वारा?

शिक्षक— सही, ये मानव निर्मित होते हैं इनको मानव निर्मित स्रोत कहते हैं, तो अभी हमने जल स्रोतों को दो तरह से वर्गीकृत किया, वर्गीकरण का आधार क्या था?

बच्चे— निर्माण

शिक्षक— समुद्र का पानी हम पीते हैं?

बच्चे— नहीं

शिक्षक— क्यों

बच्चे— खारा होता है।

शिक्षक— अन्य जल स्रोतों का कैसा होता है?

बच्चे— मीठा

शिक्षक—तो पानी के गुण-खारे तथा मीठे के अनुसार भी जल स्रोतों का वर्गीकरण कर सकते हैं।

चित्र 5

© NCERT not to be republished

(अब शिक्षक प्राकृतिक, मानव निर्मित, निर्माण, वर्गीकृत, गुण, खारा तथा मीठा शब्दों को बोर्ड पर गोले में लिखते हैं।)

शिक्षक— जो विभिन्न अवधारणाएँ बोर्ड पर लिखी हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा कौन-सी है?

बच्चे— जल स्रोत

शिक्षक— सही, इससे कम महत्वपूर्ण अवधारणाएँ कौन-सी हैं?

बच्चे— निर्माण, वर्गीकृत और गुण

शिक्षक— सही, अब इससे भी कम महत्वपूर्ण अवधारणाएँ कौन-सी है?

बच्चे— तालाब, नदी, समुद्र, झरना, हैंडपंप, बाँध और कुआँ।

शिक्षक बच्चों से चर्चा में बताए क्रम के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर पिरामिड की तरह मुख्य, सामान्य फिर विशिष्ट अवधारणाएँ लिखते हैं। तत्पश्चात एक-एक करके बच्चों को बुलाते हैं तथा उनसे कहते हैं कि तीर वाली रेखाओं से इनको जोड़ें तथा संबंध बताने वाले शब्दों को तीर पर लिखें। शिक्षक बीच-बीच में उनको निर्देशित करता है। अंत में चित्र 6 जैसा अवधारणा मानचित्र बना।

शिक्षक शिक्षार्थियों से पुनः चर्चा कर सकते हैं। चित्र 6 को और बेहतर करने के लिए कह सकते हैं। विशिष्ट अवधारणाओं के उदाहरणों को आपस में जोड़ने को कह सकते हैं। तब अवधारणा मानचित्र चित्र 7 जैसा हो सकता है।

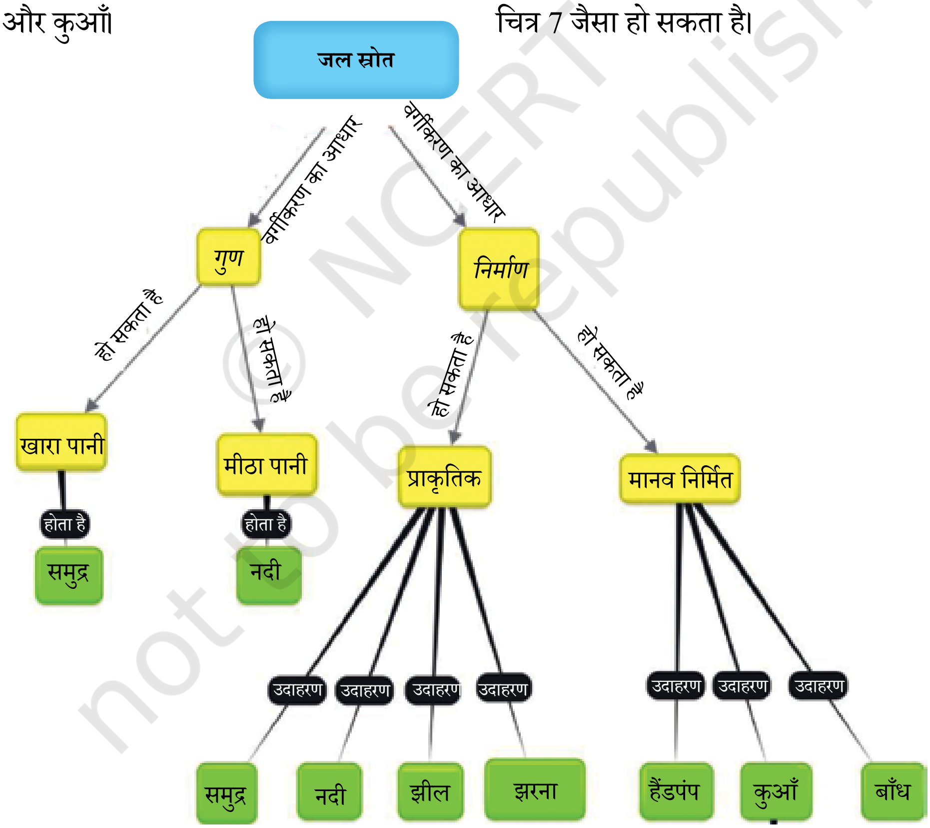

चित्र 6— जल स्रोत वर्गीकरण का अवधारणा मानचित्र

© NCERT not to be republished

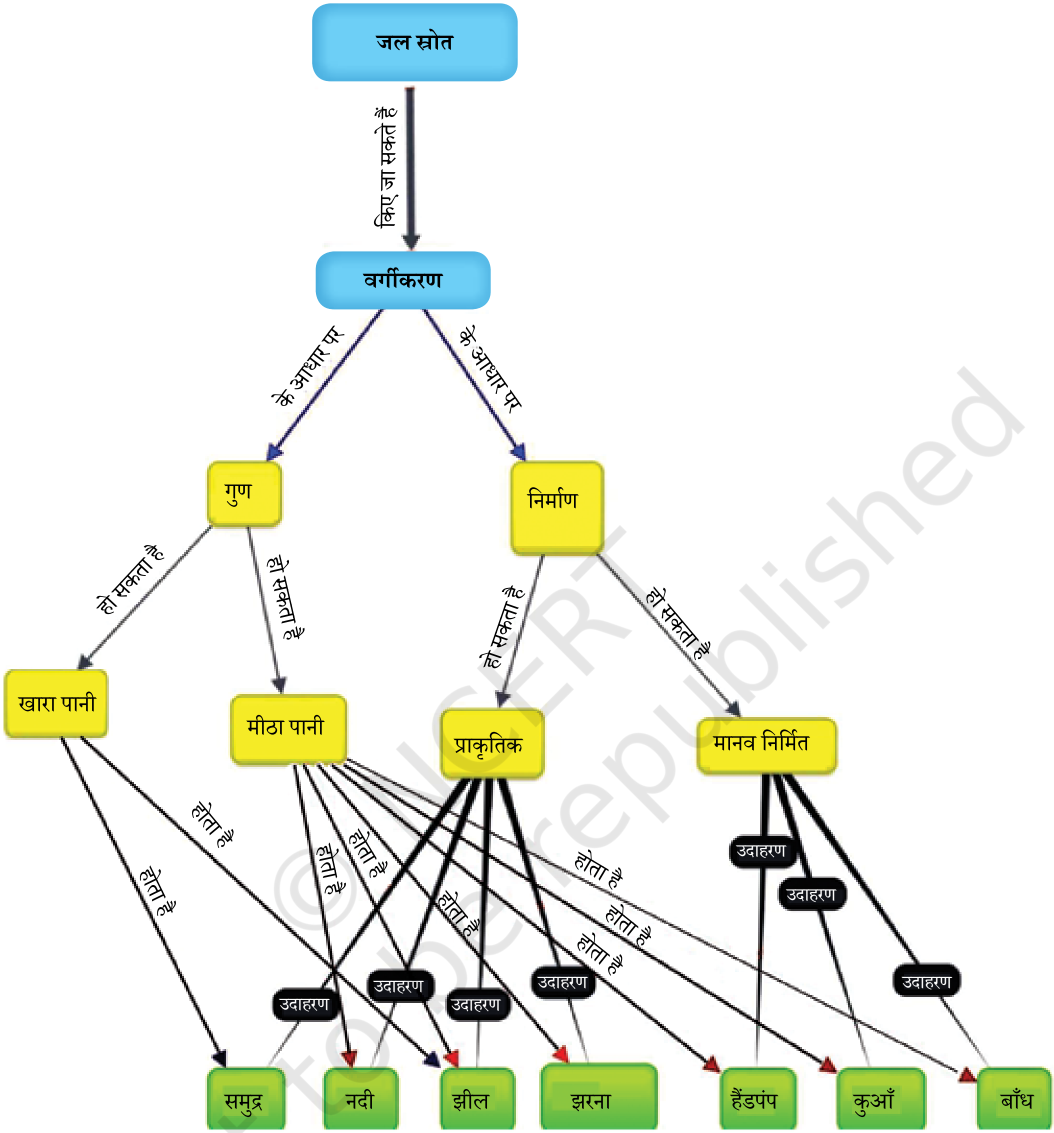

चित्र 7— जल स्रोत वर्गीकरण अवधारणा मानचित्र का परिवर्तित रूप

शिक्षक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह चर्चा में भी अवधारणा मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षक कक्षा में बच्चों को समूह में अवधारणा मानचित्र बनाने को कहें, जब बच्चे अवधारणा मानचित्र बना रहे हों तब शिक्षक उनके आसपास घूम कर उनकी आपस की चर्चा सुन सकते हैं जहाँ बच्चों को कठिनाई महसूस हो रही हो वहाँ उनकी मदद कर सकते हैं। फिर एक-एक समूह को अवधारणा

© NCERT not to be republished

मानचित्र को प्रस्तुत करने को कहें तथा उस पर बच्चों को चर्चा करने का मौका दें। शिक्षक बच्चों से पूछ सकते हैं— सभी अवधारणा मानचित्रों में कौन-सा मानचित्र सबसे अधिक उपयुक्त है, कौन-सा मानचित्र कम समझ को दर्शाता है और प्रत्येक मानचित्र में कहाँ-कहाँ गलत अवधारणाएँ दिख रही हैं।

इस उपागम के निम्न लाभ हैं—

- इस क्रियाविधि का अनुसरण करने से सार्थक अधिगम को बढ़ावा मिलता है तथा अवधारणाओं को ठहराव मिलता है।
- बड़ी कक्षाओं में इसका प्रयोग व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है।
- इस प्रकार के क्रियाकलाप शिक्षार्थी केंद्रित होते हैं।
- कक्षा में पुनरावृत्ति कार्य के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

रचनात्मक आकलन में

रचनात्मक आकलन को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का अंग माना गया है जो अधिक अनौपचारिक तथा नैदानिक स्वरूप का होता है। इस प्रकार का आकलन अधिगम को बढ़ावा देता है। यदि शिक्षार्थी अवधारणा मानचित्र बनाने में समर्थ हैं तो शिक्षक उनकी अधिगम की क्रिया में मदद करने के लिए तथा समझ का आकलन करने के लिए इन मानचित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही यह आवश्यक नहीं कि हर बार बच्चे स्वयं ही संपूर्ण मानचित्र बनाएँ। शिक्षक निम्नलिखित प्रकार से अवधारणा मानचित्र का उपयोग कर शिक्षार्थी की समझ का विश्लेषण कर सकते हैं—

- **अवधारणा मानचित्र में अनुपस्थित अवधारणा शब्दों को भरना**— शिक्षक जिस मुद्दे पर शिक्षार्थी की समझ का आकलन करना चाहते हैं उस पर कोई एक अवधारणा मानचित्र बनाएँ। इसके उपरांत इसमें से कुछ अवधारणा शब्दों को हटा दें लेकिन तीर वाली रेखाएँ तथा संपर्क शब्दों को रहने दें। शिक्षार्थियों से कहें कि वे खाली गोलों में अवधारणा शब्द लिखकर अवधारणा मानचित्र को पूरा करें। उदाहरण के लिए, चित्र 6 या 7 में से प्राकृतिक, मानव निर्मित, निर्माण, वर्गीकृत, गुण, खारा, तालाब, नदी, समुद्र, झरना, हैंडपंप, बाँध, कुआँ तथा मीठा शब्दों में से कुछ शब्दों को हटा सकता है फिर बच्चों को खाली स्थान भरने के लिए कह सकता है।

  कम आयु के शिक्षार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए शब्दों के स्थान पर चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है।
- **अवधारणा मानचित्र में अनुपस्थित संपर्क शब्दों को भरना**— शिक्षक जिस मुद्दे पर शिक्षार्थी की समझ का आकलन करना चाहते हैं उस पर कोई एक अवधारणा मानचित्र बनाएँ फिर इसमें से कुछ संपर्क शब्दों को हटा दें लेकिन तीर वाली रेखाएँ तथा अवधारणा शब्दों को रहने दें। फिर शिक्षार्थियों से कहें कि खाली स्थानों पर संपर्क शब्दों को लिखकर अवधारणा मानचित्र को पूरा करें।
- **अवधारणा मानचित्र में दिए गए अवधारणा शब्दों को आपस में जोड़ना**— शिक्षक जिस मुद्दे पर शिक्षार्थी की समझ का आकलन करना चाहते हैं उस पर कोई एक अवधारणा मानचित्र बनाएँ इसके उपरांत इसमें से कुछ तीर वाली रेखाओं तथा उस पर लिखे संपर्क शब्दों को हटा दें लेकिन सभी अवधारणा

© NCERT not to be republished

शब्दों को रहने दें। फिर शिक्षार्थियों से कहें कि वे अवधारणा शब्दों को तीर वाली रेखाओं को जोड़ें तथा संपर्क शब्दों को लिखकर मानचित्र को पूरा करें।

- **संपूर्ण अवधारणा मानचित्र की रचना**— शिक्षक जिस मुद्दे पर शिक्षार्थी की समझ का आकलन करना चाहते हैं उससे संबधित मुख्य, सामान्य तथा विशिष्ट अवधारणाओं की सूची बनाकर शिक्षार्थियों को दे दें। फिर आप शिक्षार्थियों से अवधारणा मानचित्र की रचना करने को कह सकते हैं।

इस तरह से आकलन करने में बच्चों को कम लिखना पड़ता है लेकिन उसकी समझ का पूरा पता चल जाता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप बच्चे बहुत उत्साहित होकर करते हैं साथ ही साथ बिना दबाव के उनकी समझ का विश्लेषण भी हो जाता है।

सामान्यतया देखा गया है कि अवधारणा मानचित्रों के आकलन में व्यक्तिनिष्ठता दिखाई देती है। इसलिए अवधारणा मानचित्रों के आकलन में कठिनाई होती है तथा समय भी अधिक लगता है। इन कमियों को दूर करने के लिए तथा आकलन की प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए आकलन के संकेतक या मानदंड सुनिश्चित कर लेना चाहिए। निम्नलिखित संकेतकों या मानदंडों के आधार पर जाँच सूची या निर्धारण मापनी या रुब्रिक्स बना सकते हैं—

- मानचित्र में मुख्य, सामान्य तथा विशिष्ट अवधारणाओं की संख्या
- अवधारणाओं के जोड़ों की संख्या या संपर्कों की संख्या
- जोड़ने का तरीका
- विभिन्न अवधारणाओं के जोड़ों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए गए शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग
- विभिन्न अवधारणाओं के बीच अंतःसंबंध
- अवधारणा मानचित्र का खाका

निष्कर्ष

अवधारणा मानचित्र शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों के लिए उपयोगी है। शिक्षार्थी जब अवधारणा मानचित्र का प्रयोग किसी विषयवस्तु को सीखने के लिए करते हैं तो उनको उस विषयवस्तु का ज्ञान लंबे समय तक रहता है। पर्यावरण अध्ययन विषय के पाठ्यक्रम की समेकित तथा थेमेटिक प्रकृति को देखते हुए शिक्षक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य तथा सार्थक बनाने के लिए अवधारणा मानचित्रण का एक उपकरण के रूप में प्रयोग पाठ नियोजन, शिक्षण तथा आकलन में कर सकते हैं। हालाँकि, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण में अवधारणा मानचित्र के प्रयोग की विश्वसनीयता तथा वैधता जाँचने के लिए बहुत से शोधकार्य करने की आवश्यकता है। अवधारणा मानचित्र का शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग करने के लिए शिक्षकों को इसके बारे में प्रशिक्षित होना आवश्यक है तभी वे अवधारणा मानचित्र का प्रयोग ठीक ढंग से कक्षाकक्ष में कर पाएँगे। इसके लिए अवधारणा मानचित्र को शिक्षक-प्रशिक्षण के पाठयक्रम में शामिल किया जाना चाहिए तथा इस विषय पर कार्यगोष्ठिओं तथा कार्यशालाओं का आयोजन भी होना चाहिए।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

आसुबेल, डी.पी.1968. *एजुकेशनल साइकोलोजी— ए कोगनेटिव व्यू*. हौल्ट रिनेहार्ट एंड विंसदन, न्यूयार्क.

गोराया, एस. और ए. गुहा. 2016. इफ़ेक्ट ऑफ़ कांसैप्ट मैपिंग टीचिंग स्ट्रेटजी ऑन फ़िज़िकल साइंस अचीवेमेंट इन रिलेशन टू अचीवेमेंट लेवेल. *इंटरनेशनल जर्नल फ़ॉर रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट*. वॉल्यूम 4(5).

नोवक, जे.डी. और डी.आर. गोविन. 1984. *लर्निंग हाउ टु लर्न*. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रैस, न्यूयार्क.

प्रिसलेर, आर. 2004. कोओपरेटिव कांसेप्ट मैपिंग— इंप्रूविंग परफ़ोरमेंस इन अंडर ग्रेजुएट बायोलॉजी. *जर्नल ऑफ़ कॉलेज साइन्स टीचिंग*. *वॉल्यूम* 3(4), पृ. 30–35.

मोटोडी, पी. और बी. शिंगोगा. 2015. कांसेप्ट मैप एस एन एसेसमेंट टूल इन सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स: एन एनालिसिस ऑफ़ टीचर्स परस्पेकटिव्स. *इरोसिया जर्नल ऑफ़ मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी*. वॉल्यूम 12(10).

रा.शै.अ.प्र.प. 2005. *प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए पाठयक्रम,* राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

शैलजा, एच. एम. 2009. इफ़ेक्ट ऑफ़ कांसेप्ट मैपिंग स्ट्रेटजी इन फ़िज़िक्स ऑन अचीवेमेंट एंड एटिट्यूड. *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू*. वॉल्यूम 4(1). पृ. 105–111.

© NCERT not to be republished

13

शिक्षा की भारतीय दृष्टि

उषा शर्मा*

प्रत्येक संस्कृति की अपनी एक शिक्षा होती है और प्रत्येक शिक्षा की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इस रूप में संस्कृति और शिक्षा एक-दूसरे के साथ परस्पर अंत: संबंधित हैं और एक-दूसरे को निरंतर प्रभावित करते हैं। संस्कृति का स्वरूप अभौतिक है और वह परंपराओं, व्यवहार, आचरण या चिंतन में प्रतिबिंबित होती है। इस तरह से अवचेतन में गहरे पैठी संस्कृति मनुष्य की सोच और उस सोच से अनुप्राणित हमारे व्यवहार को संचालित करती है। शिक्षा की संस्कृति भी शिक्षा के स्वरूप को व्याख्यायित करती है और एक संदर्भ विशेष में व्याख्यायित करती है। यह व्याख्या भारतीय संदर्भों में है तो शिक्षा का स्वरूप भी भारतीयता से अनुप्राणित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उपयोग उसी भारतीय समाज में किया जाना है। यही शिक्षा की भारतीय दृष्टि है जो भारतीय बच्चे को ही केंद्र में रखते हुए स्वयं को संपादित करती है। प्रस्तुत लेख वस्तुत: इसी प्रश्न के उत्तरों का अन्वेषण करता है कि अंतत: भारत की शिक्षा का स्वरूप कैसा हो।

प्रत्येक समाज की अपनी कतिपय आवश्यकताएँ होती है और ये आवश्यकताएँ समाज के द्वारा, समाज के सदस्यों के द्वारा ही पूर्ण की जाती हैं। प्रश्न है, क्या प्रत्येक समाज की आवश्यकताएँ समान होती हैं? क्या उन आवश्यकताओं के स्रोत समान होते हैं? क्या उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साधन भी समान होते हैं? इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में पुन: प्रश्न समक्ष आता है, क्या सभी समाज समान होते हैं? उत्तर है नहीं, कदापि नहीं। व्यक्ति भिन्न हैं तो उन व्यक्तियों से निर्मित समाज भी भिन्न होते हैं और उन समाजों की आवश्यकताएँ भी भिन्न होती हैं। 'भिन्नता के समाज' में 'एकत्व' की आकांक्षा वस्तुत: अति महत्वाकांक्षा है जो किसी भी दृष्टि से समीचीन नहीं है। भारत का समाज भी एक भिन्न प्रकार का समाज है जो भिन्न आवश्यकताएँ रखता है और शिक्षा भी अपने भिन्न स्वरूप के माध्यम से उन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन और माध्यम बनती है। यह भी सत्य है कि शिक्षा सदैव अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ी रहती है और उसके प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करती है और यह निष्ठा पुनः शिक्षा को ही सशक्त बनाती है। भारत की सामासिक संस्कृति में शिक्षा का स्वरूप क्या हो?

शिक्षा, संस्कृति और भारतीयता

शिक्षा का कोई एक सुनिश्चित अर्थ नहीं है। समय, देश, काल और वातावरण के अनुसार शिक्षा की अवधारणाओं में निरंतर परिवर्तन आता रहा है। तथापि शिक्षा के कतिपय शाश्वत सत्य या संवेदनाएँ होती हैं, जिनसे हर काल की शिक्षा संचालित होती है। इन समस्त संवेदनाओं में सर्वोपरि है मनुष्यता या

**प्रोफ़ेसर,* प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

मानवीय गुणों से ओत-प्रोत व्यक्तित्व। इस अर्थ में शिक्षा संस्कारवान बनाने का कार्य भी करती है जबकि शिक्षा स्वयं में एक संस्कार है।

शिक्षा के विभिन्न अर्थों का उल्लेख करने वाले *संस्कृत-हिंदी कोश* (वामन शिवराम आप्टे) में शिक्षा बृहद स्वरूपी और बहुआयामी है। शिक्षा का अर्थ है — अधिगम, अध्ययन , किसी कार्य को करने के योग्य होने की इच्छा, निष्णात होने की इच्छा, अध्यापन, शिक्षण, प्रशिक्षण, ज्ञानभिग्रहण, रण शिक्षा, युद्ध विज्ञान, छह वेदांगों में से एक जिसके द्वारा शब्दों का सही उच्चारण तथा संधि के नियम सिखाए जाते हैं, विनम्र, विनम्रता, शक्ति, कुशलता। प्राय: शिक्षा की चर्चा में अध्यापन, प्रशिक्षण स्वत: सम्मिलित हो जाते हैं लेकिन जिन बिन्दुओं पर चर्चा प्राय: नहीं होती, वे हैं रण शिक्षा और युद्ध विज्ञान।

आज के समय में शिक्षा के अर्थ के रूप में रण शिक्षा और युद्ध विज्ञान का होना थोड़ा नहीं ... बहुत अजीब-सा लगता है। रण शिक्षा और युद्ध विज्ञान, इन दोनों पदों को एक बार अलग-अलग देखने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम युद्ध विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। इस पद में उसकी संकलपना स्वत: ही स्पष्ट है कि युद्ध करने की कला एक विज्ञान है। यदि विज्ञान है तो आजमाए हुए सिद्धांतों पर आधारित है। यह युद्ध ऐसा नहीं कि रणभूमि में जाकर योद्धा हाथ में कोई भी शस्त्र लेकर शत्रु से युद्ध करने लगेगा। अगर ऐसा होगा तो पराजय अवश्यंभावी है। महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह में चले तो गए थे लेकिन उससे बाहर आने का तरीका उन्हें मालूम नहीं था। इसी कारण वे वहीं शत्रुओं के बीच उनसे घिर गए। और उनका जो परिणाम हुआ वह हम सभी जानते ही हैं। अब हम यह समझ सकते हैं कि युद्ध करने की अलग-अलग रणनीतियाँ होती हैं और यह सामने वाले शत्रु के बल, दम, सैन्य पराक्रम और योद्धाओं को देखकर निर्धारित की जाती थीं। हर तरह के शत्रु के साथ हर तरह का युद्ध नहीं किया जाता। अगर शत्रु बलशाली है और हम उसके मुक़ाबले कमतर हैं तो बुद्धिबल का प्रयोग करते हुए युद्ध को अपनी तरफ मोड़ लिया जाता है। इतना ही नहीं, शत्रु की चाल को भी समझना इस युद्ध विज्ञान का हिस्सा है। विज्ञान का मतलब होता है— विशिष्ट ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान, जो परीक्षाओं के, सत्यापन के कई चरणों को पार करते हुए अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचता है। लेकिन किसी समय विशेष में जो अंतिम निष्कर्ष नज़र आता है, दरअसल वह अंतिम नहीं है। अंतिम कुछ भी नहीं है। सभी चीज़ें परिवर्तन के योग्य हैं। युद्ध स्वयं में एक भरा-पूरा विज्ञान है तो इस विज्ञान की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो जवाब है कि युद्ध तो हर काल में हुए हैं और अतातायी हर युग में हुए हैं तो उनके संहार के लिए युद्ध में पारंगत होना ज़रूरी है। आज, अभी के समय को देखें तो लगता है कि देश के हर बच्चे को मिलिट्री शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर यह मिलिट्री शिक्षा देश के हर बच्चे को दी जाती तो आज हमें लगता कि हमारे पास करोड़ों मज़बूत बाजू हैं और इन बाजुओं पर भरोसा किया जा सकता है। युद्ध विज्ञान और रण शिक्षा में तरह-तरह के अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग करने की कुशलता तो होगी ही साथ ही शत्रु को परखने, शत्रु का मनोबल गिराने और शत्रु को घेरने की तकनीक भी सिखायी जाती होगी। हाँ, एक बात और यहाँ समझते चलते हैं कि अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? वस्तुत: अस्त्र का मतलब होता है ऐसा हथियार जो फेंककर चलाया जाता है, जैसे— तीर, भाला और अभिमंत्रित हथियार। और शस्त्र ऐसा हथियार है जिसे हाथ में लेकर शत्रु

© NCERT not to be republished

पर प्रहार किया जाता है। जैसे— गदा, तलवार आदि। प्राचीन ग्रन्थों में लगभग 36 प्रकार, उससे भी अधिक प्रकार, के अस्त्र-शास्त्रों का उल्लेख मिलता है और उन सबके प्रयोग के तरीके भी अलग-अलग हैं। आज देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और आगे भी बनेंगे, उस स्थिति में मुझे शिक्षा के ये अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक लगते हैं। लेकिन स्कूलों में एनसीसी के नाम पर थोड़ी-सी परेड करा दी, बस हो गया कोर्स। धूप-छाँव, सुख-दुख, अच्छा-बुरा सब साथ-साथ ही रहता है। आज की शिक्षा व्यवस्था को 'आज' के हालातों से सबक तो लेना ही चाहिए। कम से कम यह हुनर तो दे ही देती कि गलत और अन्याय के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित कर सकें।

शिक्षा और कार्य करने की इच्छा

शिक्षा, शिक्षा दर्शन और भारत की शिक्षा, ये ऐसे चिंतन बिंदु हैं जिन्हें जितना ज़्यादा कुरेदा जाए, ये उतने ही गहन अर्थ के साथ प्रस्तुत हो जाते हैं। इतना ही नहीं कार्य को करने के योग्य होने की इच्छा होना भी शिक्षा के दायरे में आता है। इसका यह अर्थ भी है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए इच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर इस इच्छा को जिज्ञासा से जोड़कर देखा जाये, तो बच्चे स्वभाव से ही नया जानने-परखने, 'प्रयोग' करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। बच्चों में सीखने की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति बच्चों के 'सीखने की प्रक्रिया' का भी मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए उनकी इस इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए और साथ ही उन्हें ऐसे अवसर देने चाहिए जिससे वे अपनी जानने-परखने की इच्छा को पूरा कर सकें। यह बात शिक्षकों के साथ माता-पिता को भी समझनी होगी। शिक्षा का एक अर्थ 'अध्ययन' भी है और इस अध्ययन में 'स्वाध्याय' की 'अर्थ छाया' उपस्थित है। स्वाध्याय में 'स्वयं अध्ययन करना' और 'स्व' का अध्ययन करना भी शामिल है। दोनों ही अर्थों में यह अध्ययन पाठ्य-पुस्तक के अध्ययन और परीक्षा के लिए अध्ययन तक सीमित नहीं है। इस अर्थ में शिक्षा स्वाध्याय से जुड़े अन्य बिंदुओं को भी महत्व देती है, जैसे— श्रवण, मनन, निदिध्यासन। यानी जो सुना, जो पढ़ा उसे समझना, उस पर चिंतन करना, उसका विश्लेषण करना, उसके पक्ष या विपक्ष में अपनी राय बनाना और उसे अपने जीवन में उतारना, उसका आचरण करना। इस अर्थ में शिक्षा में सुनना, गुनना, मंथन करना और फिर उसे कार्य में परिणत करना शामिल है। केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, केवल चिंतन ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे कर्म में उतारना ज़रूरी है। कर्म का सिद्धांत शिक्षा का सिद्धांत है। जो शिक्षा, जो सीखना, जो अध्ययन करना, जो कुशलता कर्म में परिणत नहीं होता— वह शिक्षा है ही नहीं, 'छलावा' है। इस संदर्भ में यह ध्यान में रखी जाने वाली बात है कि हम शिक्षा के नाम पर अपने बच्चों को केवल 'जानकारी' न दें बल्कि उन्हें कर्म करने की प्रेरणा भी दें। कर्म भी कैसा? कर्म ऐसा जो हित-अहित का ध्यान रखे। हित-अहित का ध्यान रखने में विवेक की आवश्यकता होती है इसलिए यह कहा जा सकता है कि शिक्षा सदैव विवेकपरक होती है। संभवतः यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विवेक शिक्षा का पर्याय है। इस विवेक का प्रयोग करते हुए बच्चे सही और गलत में भी अंतर कर सकें। सही का साथ दे सकें, सत्य के साथ खड़े हो सकें और गलत का विरोध कर सकें। शिक्षा स्कूल की चाहरदीवारी तक सीमित नहीं है, जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा अंततः जीवन को जीने में काम आती है। शिक्षा की उपादेयता भी यही है कि

© NCERT not to be republished

वह जीवन को सार्थक रूप में जीने की योग्यता प्रदान करे। शिक्षा का दर्शन भी जीवन के इसी तत्व को महत्व देता है जो कल्याणकारी और सार्थक है।

वस्तुतः दर्शन, विशेषत: भारतीय दर्शन स्वयं में एक व्यापक दृष्टि प्रदान करता है जिसके माध्यम से जीवन-जगत को उसके बृहत्तर रूप में देखा जा सके। दर्शन शब्द 'दृश' धातु से बना है जिसका अर्थ है अवलोकन करना और यह अवलोकन दो प्रकार का हो सकता है— बाह्य और आंतरिक। दोनों रूपों में दर्शन सत्य का अन्वेषण करता है और शिक्षा भी यही कार्य करती है सत्य का अन्वेषण। 'दृश्यते यथार्थतत्त्वमनेन' में यही भाव है, जिसके द्वारा यथार्थ तत्त्व का ज्ञान होता है, उसे दर्शन कहते हैं। लेकिन पाश्चात्य परंपरा दर्शन के लिए फिलॉसफ़ी शब्द का प्रयोग करती है जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम। इस दृष्टि से यह स्पष्ट है भारत की दर्शनपरक दृष्टि दूरगामी लक्ष्य पर अवस्थित है। भारत की शिक्षा में भारतीय दर्शन की इसी व्यापक और अन्वेषणपरक दृष्टि को हृदस्थ किए हुए है। इस अर्थ में शिक्षा अन्वेषण से प्रस्फुटित अर्थ पर बल देती है। 'अर्थ' की व्यापक परिधि में समझ, तार्किक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषण, संश्लेषण, सृजनात्मक चिंतन और गहन बोध समाहित है। अर्थ के अभाव में शिक्षा निरर्थक और यांत्रिक हो जाएगी। सत्य के अन्वेषण में अर्थ स्वयमेव सम्मिलित है। शिक्षा के अर्थ का यही निहितार्थ है कि बच्चों में सोचने, समझने, चिंतन करने, वाद-विवाद करने, असहमति प्रदर्शित करने और सवाल पूछने, सवाल उठाने, सवाल खड़े करने की कुशलता, हुनर, योग्यता आदि विकास करे, जिससे बच्चों की आवाज़ खामोश न होने पाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी आलोचनात्मक चिंतन के माध्यम से 'खामोशी की संस्कृति' को 'तोड़ने' पर बल देती है। 'खामोशी' यूँ भी 'श्मशान' का हिस्सा होती है, जीवन का नहीं।

शिक्षा और विनम्रता

शिक्षा और विनम्रता के बीच बेहद प्रगाढ़ संबंध हैं, क्योंकि विनम्रता का संबंध हमारे आचार, विचार और व्यवहार से है और शिक्षा भी समाज में व्यवहार कुशलता का गुण विकसित करती है। यह भी सत्य है कि भाव की विनम्रता विरलों को ही प्राप्त होती है। भाव की अभिव्यक्ति तो विनम्र हो सकती है लेकिन स्वयं का भाव का विनम्र होना दुर्लभ है, क्योंकि भाव की विनम्रता स्वयं में एक तपस्या है और तपस्या में 'तप' भी है और 'ताप' भी हम जानते हैं कि जब मनुष्य के भीतर कर्त्ता का भाव तिरोहित होता है तो विनम्रता का उदय होता है। यह 'आरोह-अवरोह' की संगति बहुत उम्दा भी है और उदाहरण भी। शिक्षा और विनम्रता के बीच के संबंध की बानगी हमें वामन शिवराम आप्टे के *संस्कृत-हिंदी कोश* में देखने को मिलती है। वे शिक्षा के अर्थ में विनम्र, विनम्रता का उल्लेख करते हैं और विनम्रता शब्द के अर्थ में विनम्र, विनय, शिष्ट, मृदुभाषी, अवनत, सुशील, आर्य, श्रेष्ठ, झुका हुआ, जितेंद्रिय—जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है आदि शब्दों को अपने समक्ष पाते हैं। इतना ही नहीं, शब्दकोश में 'विनयम्' शब्द के अर्थ के रूप में 'शिक्षा' को भी देख सकते हैं। हितोपदेश के श्लोक में कहा गया है— 'विद्यां ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम्। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम्।। अर्थात् विद्या मनुष्य को विनम्र बनाती है, विनय से मनुष्य योग्यता को प्राप्त होता है, योग्यता से धन को प्राप्त करता है, धन से धर्म प्राप्त

© NCERT not to be republished

होता है उस धर्म से सुख प्राप्त होता है। मनुष्य की यही विनयशीलता उसे योग्य बनाती है। जब हम 'पात्रता' की बात करते हैं तो हम योग्यता के साथ-साथ सुदृढ़ चरित्र की ओर भी संकेत करते हैं और जब हम 'धर्म' की बात करते हैं तो 'कर्तव्य, सदाचरण' की ओर भी संकेत करते हैं। यहाँ 'धर्म' को उचित कर्म, कर्तव्य के अर्थ में ही समझा जाना चाहिए।

इस रूप में शिक्षा हमें विनम्र रहना सिखाती है और विनम्रता का गुण विकसित करती है यानी शिक्षा वह शिष्टाचार सिखाती है जिससे कोई व्यक्ति या बच्चा समाज में सभ्य तरीके से रह सके। इसे 'समाजीकरण' के अर्थ में भी लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ यह समझना भी बेहद ज़रूरी है कि यह विनम्रता न तो 'कमज़ोरी' है, न ही 'कायरता' और न ही 'पलायन'। वस्तुत: शिक्षा तार्किक मनुष्य, विचारशील प्राणी और अदम्य साहसी मानव बनने में मदद करती है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* भी अपने आधार सिद्धांतों के अंतर्गत यही कहती है कि 'शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करे।' इन पंक्तियों को गौर से पढ़ने और पंक्तियों के बीच पढ़ने के उपरांत यह समझ आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ओर करुणा, संवेदना पर बल देती है तो दूसरी ओर तर्कसंगत विचार और कार्य के सिद्धांत को पोषित करती है। जहाँ तर्कसंगत विचार और कार्य, मानव को मज़बूत, सशक्त और साहसी बनाते हैं वहीं करुणा, सहानुभूति विनम्र बनाते हैं। दरअसल, साहस और विनम्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अर्थात् साहसी होने के साथ विनम्र होना और विनम्र होने के साथ साहसी होना। लेकिन ये साहस और विनम्रता किसलिए? क्यों और किसके लिए? साहस ऐसा जो गलत को गलत कहने में संकोच का अनुभव न करे और विनम्रता इसलिए जिससे हमारे भीतर 'दंभ, अहं' का भाव न आए। हाँ, स्वाभिमान होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन यह साहस और विनम्रता तभी आती है जब ज्ञान आता है और इस ज्ञान के साथ तर्क पर पकड़ मज़बूत होती है। इसका अर्थ है कि 'ज्ञान की ताकत' सर्वोपरि है, क्योंकि इससे आत्मविश्वास आता है और जब स्वयं पर विश्वास हो तो विनम्रता भी दबे पाँव चली ही आती है।

शिक्षा मनुष्य को यह सीखने में मदद करती है कि हमेशा गलत के विरोध में खड़े रहो, चाहे अकेले ही क्यों न खड़े होना पड़े। अपनी बात कहो, लेकिन सधे हुए अंदाज़ में, सधी हुई भाषा में और कहते समय विनम्रता होनी चाहिए। गलत को गलत कहने के कई अंदाज़ हो सकते हैं। आप चीखकर भी उस बात को कह सकते हैं और शांत भाव से भी। जब सामने वाला गलत होगा तो वह आपके चीखने-चिल्लाने के प्रत्युत्तर में और तेज़ी से चिल्लाएगा और इस चिल्लम-चिल्ली में कोई रचनात्मक बात हो ही नहीं पाएगी और न ही कोई परिणाम निकलेगा। यह सत्य है कि समय, परिस्थिति के अनुसार विनम्रता का साथ छोड़ थोड़ा उग्र होना पड़ता है, लेकिन इसमें भी सलीका है। आवाज़ में तल्खी न होकर वज़न होता है, स्वर तटस्थ और ओजपूर्ण होता है। वस्तुतः शिष्ट रहते हुए अपनी आपत्ति दर्ज़ करने का हुनर शिक्षा ही विकसित करती

© NCERT not to be republished

है। अब सवाल उठता है कि शिक्षा के संदर्भ में विनम्र, विनम्रता का क्या औचित्य है? दरअसल गहराई से देखें तो ज्ञात होता कि यह विनम्रता एक तरह का संस्कार है जो प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए और विनम्रता में अहं का त्याग भी है।

शिक्षा हमारे भीतर अनेक गुणों का विकास तो करती है ही, साथ ही हमें सुसंस्कृत भी बनाती है। शिक्षा स्वयं में संस्कार तो है ही, साथ ही वह संस्कारवान होने का माध्यम भी है। इस अर्थ में शिक्षित व्यक्ति संस्कारवान, सुसंस्कृत होता है जिसे हम अंग्रेज़ी में *कल्चर्ड* कहते हैं जो *कल्चर* यानी संस्कृति अथवा सुसंस्कृत होने से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसी देश का एक वर्ग या आबादी ऐसी भी है जिसे संस्कृति शब्द से बहुत ही ज़्यादा परहेज है। इस लिहाज से शिक्षा और आध्यात्मिकता में कोई अंतर नहीं रह जाता। लेकिन इसी देश का एक वर्ग या आबादी ऐसी भी है जिसे अध्यात्म शब्द से बहुत ही ज़्यादा परहेज है। शिक्षा जब विनम्रता सिखाती है तो स्थिति-परिस्थिति के साथ ही विनम्रता सिखाती है यानी अपना स्वाभिमान बनाए रखते हुए अपनी बात को विनम्रता के साथ प्रस्तुत करने का हुनर। विनम्रता का संदर्भ अनेक प्रकार के आयामों को उद्घाटित करता है। एक पक्ष तो है। विचार और दूसरा भाषा। तीसरा भावना या मंतव्य। यह हो सकता है कि हमारी भाषा में तल्खी हो लेकिन अंदाज़ इतना सुकून वाला हो कि उसकी तल्खी नज़रअंदाज़ हो जाती है या फिर तल्खी चुभती नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि हमारी भाषा में तल्खी नहीं है लेकिन हमारा अंदाज़ इतना लाउड हो जाता है कि 'सीधी' बात भी उलटी नज़र आने लगती है और बिना वज़ह मनमुटाव पैदा हो जाता है। अब मंतव्य साफ़ हो तो सधे हुए अंदाज़ में अपना पक्ष रखने का हुनर भी तो चाहिए। इस विनम्रता के संदर्भ में यह समझना ज़रूरी है कि इसमें वह ताकत होती है जिससे हर बेईमान व्यक्ति मन ही मन डरता है और खौफ़ खाता है। भय इस बात का भी कि अपनी विनम्रता से कहीं 'वह विनम्र' व्यक्ति कु-व्यवस्था पर आघात न करे।

इस प्रकार शिक्षा की भारतीय दृष्टि भारतीय समाज, राजनीति और भौगोलिक एवं समसामयिक आवश्यकताओं से संचालित है। शिक्षा और विनम्रता का संबंध अत्यंत विलक्षण है जो कहीं भी दुर्बल होने को नहीं दर्शाता, बल्कि विनम्रता एक शक्ति के रूप में प्रकट होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी ऐसे ही न्यायसंगत समाज और विवेकशील, बेहतर इंसान के निर्माण की अनुशंसा करती है जिसका माध्यम है— शिक्षा।

संदर्भ

आप्टे, वामन शिवराम. 1969. *संस्कृत-हिंदी कोश,* मोतीलाल बनारसी दास, पटना.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.

not to be republished © NCERT

14

बहु-सांस्कृतिक समाज का विद्यालयों पर प्रभाव

विश्वास*

शिक्षा मनुष्य की सृजनात्मक क्षमताओं की विभिन्न संभावनाओं को खोजने हेतु उसे निरंतर प्रेरित करती है। एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य आवश्यक तौर पर मानव की इस सृजनात्मकता से जुड़े रहते हैं। शिक्षा की इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न सदस्यों (छात्र, अध्यापक, प्रबंधक अथवा समुदाय के अन्य सदस्य) का संबंध भी अपने सृजनात्मक विकास हेतु अपनी संस्कृति से जुड़ा होता है। प्रायः यह संबंध बहु-आयामी होता है। शिक्षा और संस्कृति दोनों एक-दूसरे को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं।

डीवी कहते हैं कि विद्यालय एक लघु समाज है और समाज एक महाविद्यालय है। ये दोनों परस्पर भिन्न प्रतीत होते हुए भी मूलतः अभिन्न हैं। एक शिक्षक, समाज का एक सदस्य होता है। एक अभिभावक, समाज का एक सदस्य होता है। एक विद्यार्थी भी समाज का एक सदस्य होता है। कई बार ये हमें भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं। परंतु ये एक व्यापक फलक के अंग ही हैं, जैसे— दृष्टिहीनों का हाथी; कोई उसका कान पकड़ता है, कोई उसकी पूँछ पकड़ता है और कोई उसका पैर पकड़ता है। परंतु वह मूलतः हाथी ही है। विभिन्न पक्षों और अंगों से मिलकर ही हाथी का निर्माण होता है। अलग-अलग वह अस्तित्व-विहीन है। इसी प्रकार समाज का भी विभिन्न अंगों से मिलकर निर्माण होता है। समाज के अंगों को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। उनका अस्तित्व सामूहिकता में है। शिक्षा का जो मूल है, वही अन्ततः समाज के लिए, समाज के सदस्य के लिए और समाज के सदस्यों के द्वारा ही होता है। डुप्रीज और डुमा (2006) कहते हैं कि समाज का विद्यालय पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। समाज में उपस्थित असमानता का प्रभाव विद्यालय में भी देखने को मिल सकता है। इसकी पड़ताल करने के लिए प्रस्तुत शोध की रूपरेखा तैयार की गई है। यह शोध पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बहु-सांस्कृतिक नगर देवबंद में किया गया है। समय और शोधकर्ता की सीमाओं के चलते बहु-सांस्कृतिक समाज के विद्यालयों पर प्रभाव को देखने के लिए केवल विद्यालय की दीवारों पर वहाँ के समाज का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह देखने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना

शिक्षा न केवल व्यक्ति को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाती है, बल्कि उसे भीतर से रूपांतरित भी करती है। कोई भी शिक्षा अपने समाज एवं संस्कृति से अपने एक स्वरूप का निर्धारण करती है। आमतौर पर शिक्षा को कुछ विचारक सामाजिक उप-व्यवस्था मानते हैं जबकि

* *सहायक आचार्य*, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल

कुछ विचारक उसे संस्कृति के हस्तांतरण का माध्यम मानते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति का विचरण तथा अन्तरण करने की प्रक्रिया शिक्षा के द्वारा ही पूरी होती है। किसी बहु-सांस्कृतिक संदर्भ में यह सवाल इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहाँ विद्यार्थी या बच्चा कौन सी संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित होगा; जो उसके परिवार में है या जो उसके वातावरण में है या फिर जो उसके विद्यालय में है। कभी-कभी ये तीनों एक ही संस्कृति का वहन भी कर सकती है। परंतु यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहु-सांस्कृतिक परिवेश का मतलब ही यह है कि वहाँ बच्चा एक से ज़्यादा संस्कृतियों के संपर्क में आता है। तो फिर यह सवाल उठना लाज़िमी है कि बहु-सांस्कृतिक परिवेश में आखिर शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या हो सकती है और वह किन-किन कारकों से प्रभावित हो सकती है।

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

शिक्षा और संस्कृति-शिक्षा मनुष्य की सृजनात्मक क्षमताओं की विभिन्न संभावनाओं को खोजने हेतु उसे निरंतर प्रेरित करती हैं। एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य आवश्यक तौर पर मानव की इस सृजनात्मकता से जुड़े रहते हैं। शिक्षा की इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न सदस्यों (छात्र, अध्यापक, प्रबंधक अथवा समुदाय के अन्य सदस्य) का संबंध भी अपने सृजनात्मक विकास हेतु अपनी संस्कृति से जुड़ा होता है। प्रायः यह संबंध बहु-आयामी होता है। शिक्षा की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री आदि एक प्रकार से सांस्कृतिक सामग्री ही होती है। अतः इन दोनों की अन्तःक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया बनी रहती है। ये दोनों एक-दूसरे को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। परिणामतः प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा नीति मूलतः 'सांस्कृतिक नीति' का रूप ले लेती है।

'शिक्षा और संस्कृति' के परस्पर संबंध को शिक्षा के तत्व-मीमांसीय रूप में देखा जा सकता है। शिक्षा का एक प्रमुख प्रयोजन संस्कृति का विकास है तो संस्कृति का प्रयोजन क्या हो सकता है या संस्कृति के प्रयोजन का आधार क्या है? स्पष्ट है कि किसी भी संस्कृति के केंद्रीय प्रेरक तत्व या मूलभाव की पहचान का एक स्रोत उसकी सृष्टि परिकल्पना है। आदिम स्तर से लेकर सभ्यतम् स्तर तक विभिन्न समाजों में जगत् की सृष्टि को लेकर अपनी अलग-अलग परिकल्पनाएँ विकसित हुई हैं और उन समाजों की जीवन-दृष्टि और जीवन-यापन की पद्धति पर इन परिकल्पनाओं का व्यापक प्रभाव रहता है। (*संस्कृति का व्याकरण*, पृ. सं. 129)

सामाजिक दृष्टि से देखें तो अपने समाज में रहने के लिए बच्चे का समाजीकरण होना आवश्यक कार्य है। अन्ततः बच्चे को समाज में ही जीना है। समाज में जीने का अभिप्राय है कि वह समाज के नियमों-उपनियमों, जीवन-शैली, कला, रहन-सहन के ढंग आदि से परिचित होकर समाज का अभिन्न अंग बनकर एक सक्रिय व उपयोगी सदस्य बन कर रह सके। अतः बच्चे का सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समाजीकरण करना शिक्षा का आवश्यक कार्य है। समाज आर्थिक, राजनीतिक आदि इकाईयों का समूह है। ये संस्कृति के भी आवश्यक तत्व हैं। बच्चे को इन तत्वों से परिचित कराना अनिवार्य कार्य है। मूल रूप से किसी भी समाज की ज़रूरतों और भावनाओं का संबंध संस्कृति से ही है। संस्कृति की प्रकृति (स्वभाव) गतिशील होने के कारण नवीन व पुरातन के

© NCERT not to be republished

बीच एक द्वन्द या संघर्ष की स्थिति लगभग लगातार बनती रहती है। शिक्षा को इसी से जूझना होता है, जिसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की जानकारी अनिवार्य तत्व है। के.जी. सैय्यदैन (1963) का मानना है कि, "आधुनिक शिक्षा की कमज़ोरियों को परखने के लिए हमें अपने देश की संस्कृति का अध्ययन करके एक स्तर निर्धारित करना पड़ेगा। ताकि यह पता लग सके कि हमारी शिक्षा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं और भावनाओं के साथ किस सीमा तक मेल खाती है; और कहाँ तक नहीं।" वे फिर लिखते हैं कि, "यदि खराबियों को समझने के लिए पैनी दृष्टि, गहन विचारशीलता, इतिहास से परिचय और संस्कृति का अध्ययन आवश्यक है, तो सुधार और संशोधन के सुझाव पेश करने के लिए उन सभी बातों के अतिरिक्त ऐसी कल्पनाशीलता की आवश्यकता भी है जो एक आँख से भूतकाल और वर्तमान के विभिन्न दृश्यों का अवलोकन कर सके और दूसरी से उन विभिन्न प्रवृत्तियों को भी देख सके जो भविष्य के धुंधलके में छिपी हुई हैं।" (सैय्यदैन, 1963)

शिक्षा के सामाजिक सरोकार

शिक्षा व्यवस्था उस समाज से अलग होकर काम नहीं कर सकती, जिसका वह एक भाग है। समाज में फैले जातिगत, आर्थिक तथा लैंगिक पदानुक्रम, सांस्कृतिक विविधता तथा असमान विकास से शिक्षा की प्राप्ति और विद्यालयों में बच्चों की सहभागिता प्रभावित होती रहती है। विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समुदायों के बीच जो गहरी विषमता दिखाई देती है, उससे यह प्रतिबिम्बित होता है कि विद्यालयी व्यवस्था स्वयं में कई स्तरों पर बंटी हुई है और बच्चों को असाधारण रूप से अलग-अलग शैक्षिक अनुभव देती है। असमान संबंध न केवल वर्चस्व को बढ़ावा देते हैं, अपितु तनाव भी पैदा करते हैं तथा मानवीय क्षमताओं के पूर्ण विकास की स्वतंत्रता में बाधा भी पहुँचाते हैं। (*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005,* पृ. सं. 10)

शिक्षा-व्यवस्था को 'स्वयं में एक समस्या' मानते हुए डॉ. श्यामचरण दूबे (2006) कहते हैं कि शिक्षा में व्यापक सामाजिक उद्देश्यों का पुनर्निवेश आवश्यक है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें कुशल और कारगर रणनीति भी बनानी होगी। शिक्षा को भविष्योन्मुखी करना ज़रूरी है, क्योंकि आज की राजनीतिक और सांस्कृतिक अराजकता हमें मानव की नियति के संबंध में आश्वस्त नहीं करती।

समाज और शिक्षा के परस्पर संबंधों को एक-दूसरे के आधार के रूप में देखते हुए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* का प्रारंभिक अनुच्छेद इसी तथ्य को प्रकट करता है— "तदनुसार मानव के इतिहास के आदिकाल से शिक्षा का अनेक तरह से विकास और प्रसार होता रहा है। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को अभिव्यक्ति देने और पनपाने के लिए और साथ ही समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा-प्रणाली विकसित करता है। लेकिन देश के इतिहास में कभी-कभी ऐसा समय आता है, जब मुद्दतों से चले आ रहे उस सिलसिले को एक नई दिशा देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज वही समय है।''

असल में सामाजिक परिस्थितियों को छोड़कर शिक्षा की कल्पना भी दूभर होती, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली सारी सामग्री समाज से ही आती है, (डीवी, 2005)। भारतीय परिस्थितियों में शिक्षा भारतीय समाज के स्वरूप को

© NCERT not to be republished

निर्धारित करने वाले संविधान संबंधी एक आवश्यक और कानूनी ज़िम्मेदारी है न कि केवल एक नैतिक प्रक्रिया। किसी भी कल्याणकारी राज्य का यह अनिवार्य एवं अपरिहार्य अंग है। इतना होते हुए भी पाया जाता है कि समाज में फैली असमानता, सामाजिक भेद-भाव, रूढ़ियों, संभ्रान्त वर्ग के प्रभाव आदि से शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया भी पूरी तरह प्रभावित है। सामाजिक स्तर पर शिक्षा समाज को अनेक स्तरों पर विभाजित-सी करती दिखाई देती है। स्वाधीनता के बाद शिक्षा को एक सामाजिक-क्रांति के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, "अपने अंतिम विश्लेषण के रूप में योजनाओं को जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वह है इन्हें जन-समुदाय के हृदय के साथ जोड़ना। इस कार्य को करने का सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग है, शिक्षा की प्रक्रिया व विशिष्ट प्रशिक्षण...मैं पिछड़े हुए देशों में, योजनाओं के कार्य के भविष्य को, शिक्षा के प्रसार के बिना नहीं देख पा रहा।" (बॉउल्स, 2011)

मानव-समाज और शिक्षा के संबंध को स्पष्ट करते हुए विचार किया गया कि मानव के इतिहास में शिक्षा मानव-समाज के विकास के लिए एक सतत प्रक्रिया और आधार रही है तथा इसे अपने स्वरूप, उद्भव एवं प्रकार्य की दृष्टि से सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा गया। शिक्षा के विषय में यह विचार नहीं किया जा सकता कि वह उस समाज से पूर्णतया भिन्न या स्वतंत्र होगी, जो उसका पोषण करता है। शिक्षा और समाज के आपसी संबंधों की दृष्टि से समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण इसी बात पर बल देता है कि बच्चों के विकास पर उसके समाज तथा उसकी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ही विचार होना चाहिए।

शिक्षा और अभिभावकों का संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभिभावक भी उसी समाज का एक अभिन हिस्सा हैं। इस संदर्भ में डॉ. पवन सिन्हा का कहना है कि "स्कूल ओनरशिप' ही यही है जहाँ अभिभावक यह अनुभूत कर सकें कि स्कूल उनका भी है, उनकी भी ज़िम्मेदारी है. उनका भी 'अधिकार' है। बच्चों की शिक्षा में अभिभावक एक अभिन्न हिस्सा हैं। माता-पिता होने के नाते, समाज का सक्रिय सदस्य होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते। हर रूप में अभिभावकों का दायित्व और जवाबदेही बनती ही है। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाना चाहिए। मैं अभिभावकों को एक और दृष्टि से शिक्षा-व्यवस्था में महत्वपूर्ण मानता हूँ और वह यह कि अभिभावक ही एक ऐसा प्राणी है जो स्कूल के 'भीतर' भी है और 'बाहर' भी। स्कूल के भीतर बच्चों के माध्यम से, शिक्षक-अभिभावक की बैठकों के माध्यम से, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में और स्कूल के 'बाहर' समुदाय के सदस्य के रूप में, स्कूल के बाहर खोमचा लगाने वाले, बच्चों को रिक्शा से स्कूल छोड़ने वाले, बच्चों को खिलौने, गुब्बारे देने वाले, दुकान से सामान देने वाले, बच्चों का इलाज करने वाले, बच्चों की सुरक्षा का प्रबंध करने वाले व्यक्ति के रूप में आदि-आदि।" (*शिक्षा के द्वंद्व*, पृ. सं. 85)

विकास किसी भी समाज की स्वाभाविक क्रिया है। जहाँ यह एक ओर सहज होता है, वहीं दूसरी ओर सूझबूझ के साथ शुरू की गई योजनाओं का परिणाम होता है।

प्रत्येक बहु-सांस्कृतिक समाज की आवश्यकताएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं परंतु साधनों के सीमित होने के कारण समाज को अपनी प्राथमिकताएँ

निर्धारित करनी होती हैं। साथ ही यह भी देखना होता है कि उन कार्यों के लिए जनशक्ति को भी कैसे तैयार करना होगा। इन दोनों कार्यों के लिए एक ओर शिक्षा को अपनी महत्तपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी तो दूसरी ओर इस कार्य को पूरा करने के लिए शिक्षा को अपना कार्य क्षेत्र भी बदलना होगा। इस तरह शिक्षा और समाज का आपस में अंतःसंबंध है।

शिक्षा के रूप को समझने के लिए समाज को समझना आवश्यक है तो समाज को समझने के लिए शिक्षा की रूपरेखा को समझना आवश्यक है। प्रमुख इन दोनों के आपसी संबंधों को कई आयामों से देखा जा सकता है। पहले हम इसे दो रूपों में बाँट सकते हैं—

शिक्षा पर समाज का प्रभाव

इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि समाज की विभिन्न इकाइयों (जैसे— आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी व वैज्ञानिक आदि), मूल्यों, आदर्शों, लक्ष्यों, ज़रूरतों, समस्याओं, बदलावों आदि का शिक्षा से जुड़ी इन संकल्पनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे—

- शिक्षा का अर्थ या लक्ष्य या उद्देश्य या कार्य
- पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम या पाठ्यसामग्री
- छात्र, अध्यापक, अभिभावक तथा समाज के दूसरे लोगों आदि के आपसी संबंध
- शिक्षा की योजनाएँ
- शैक्षिक वातावरण
- विद्यालयों का स्वरूप
- शिक्षा और समाज
- सीखना, सिखाना, निदेशन, दंड, पुरस्कार आदि जैसी शिक्षा की मूल संकल्पनाएँ।

सार रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा की पूरी प्रक्रिया समाज की अन्य प्रक्रियाओं से लगातार प्रभावित होती रहती है।

समाज पर शिक्षा का प्रभाव

जिस तरह से समाज का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार शिक्षा भी समाज को प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अग्रलिखित पक्ष देखे जा सकते हैं—

- समाज के विकास की दिशा शिक्षा से ही तय होती है
- समाज के परिवर्तन का स्वरूप या नियंत्रण
- मूल्य, आदर्श और जीवन-शैली
- संस्कृति का रूप, शोधन और हस्तांतरण
- सामाजिक इकाइयों (जैसे— परिवार, समुदाय) का संगठन, रूप व परिवर्तन
- सामाजिक विघटन
- सामाजिक समस्याएँ, कारण व समाधान
- सामाजिक परिवेश
- सामाजिक और जातीय समीकरण
- समता और विषमता
- सामाजिक विचार एवं संरचना
- सामाजिक समूहीकरण-स्वरूप, प्रकार, परिवर्तन आदि
- समाजीकरण की प्रक्रिया (समाज की विभिन्न इकाइयों का)
- अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक प्रणाली, ऐतिहासिक तत्वों के आपसी संबंध, मूल्य, आदर्श, अंतःक्रिया, बदलाव, प्रभाव अलग-अलग तरह के राज्य के रूप व उनका अपनी इकाइयों से संबंध समाज के लोगों की

© NCERT not to be republished

अपनी-अपनी भूमिका, आपसी संबंध, अलगाव, टकराव आदि।

स्पष्ट है कि शिक्षा एक सामाजिक उप-व्यवस्था के रूप में सामाजिक परिवर्तन करती है। अपने इस प्रमुख कार्य के लिए यह समाज की अन्य उप-व्यवस्थाओं से भी निरंतर प्रभावित होती रहती है। इनमें से कुछ प्रमुख कारक हैं—

- सामाजिक
- राजनीतिक
- आर्थिक
- तकनीकी व वैज्ञानिक
- सांस्कृतिक।

निश्चित ही ये सभी कारक सामाजिक उप-व्यवस्थाएँ भी हैं। अतः ये उप-व्यवस्थाएँ आपस में व शिक्षा के साथ लगातार अंतःक्रिया करते हुए अपने सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य की पूर्ति करती हैं तथा साथ ही साथ बदले हुए समाज से प्रभावित भी होती रहती हैं।

शोध उद्देश्य

"देवबंद के बहु-सांस्कृतिक समाज का वहाँ के विद्यालयों पर प्रभाव का अध्ययन करना।"

शोध परिसीमन

प्रस्तुत शोध का एकमात्र उद्देश्य बहु-सांस्कृतिक समाज का वहाँ के विद्यालयों पर प्रभाव के अध्ययन के अंतर्गत केवल विद्यालय की दीवारों का अवलोकन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध के लिए शोधकर्ता द्वारा देवबंद नगर का चुनाव किया गया। शोधकर्ता ने काफी समय देवबंद नगर में व्यतीत किया है। यह एक बहु-सांस्कृतिक नगर है। वहाँ की शिक्षा से जुडे अनेक सवाल शोधकर्ता के मन में उपजे। देवबंद ऐसी जगह है, जहाँ बेहद पढ़े-लिखे परिवार भी हैं और ऐसे परिवार भी हैं, जिनमें अभी भी प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी देखे जा सकते हैं। यह ऐसी जगह भी है, जहाँ शहरी व्यवस्था भी है और ग्रामीण परिवेश भी; बेहद समृद्ध व्यापारी वर्ग भी है और आर्थिक रूप से संघर्ष करता हुआ वर्ग भी है। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं। इसका सीधा प्रतिबिम्बन यहाँ के विद्यालयों, विद्यालयों की दीवारों, प्रार्थना सभाओं, दीनी व दुनियावी तालीम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों इत्यादि में दिखता है।

जनसंख्या की दृष्टि से देवबंद कोई बड़ा नगर नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर का एक छोटा सा नगर है। मिश्रित आबादी वाले इस नगर की आबादी एक लाख के आस-पास है। जनगणना (2011) के अनुसार देवबंद की कुल जनसंख्या 97037 है। इनमें 53538 पुरुष व 43499 महिलाएँ हैं। यहाँ 0–6 वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या 12200 (12.57 प्रतिशत) है। शिशु लिंगानुपात 812 का है, जो उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात 912 के मुकाबले बहुत कम है। बाल लिंगानुपात 917 का है, जो प्रदेश के 902 के मुकाबले थोड़ा अधिक है। यहाँ साक्षरता दर 75.23 प्रतिशत है, जो प्रदेश के 67.68 प्रतिशत से अधिक है। महिलाओं की साक्षरता 69.77 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की 79.59 प्रतिशत है। कामकाजी जनसंख्या 24599 (22551 पुरुष व 2008 महिला) है। इनमें 89.91 प्रतिशत पूर्णकालिक व 10.09 प्रतिशत अंशकालिक हैं।

देवबंद का इतिहास गौरवशाली रहा है। प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तीनों काल के इतिहास में देवबंद का विशिष्ट महत्व है। वर्तमान में देवबंद

© NCERT not to be republished

जनपद सहारनपुर की एक तहसील है। सहारनपुर के इस पूरे क्षेत्र को (जिसमें देवबंद भी आता है) इतिहास में अलग-अलग समय में अलग-अलग नामों यथा—उशीनर, बृह्मर्षि देश, गुजरात, आदि से जाना गया। जबकि देवबंद को वैदिक काल में देववन, फिर देवीवन तथा देववृन्द के नामों से जाना जाता था। इस क्षेत्र पर आर्यों, शान्तनु, विचित्र वीर्य, पाण्डु, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, परीक्षित, जनमजेय, शतानीक, अश्व मेधज, असीमकृष्ण, नेमिचक्र (निचक्ष), प्रसेनजीत, महापदमनंद, सम्राट अशोक, सिकंदर लोदी, अकबर आदि राजाओं ने अलग-अलग समय में शासन किया है।

यहाँ इस्लामिक शिक्षा प्रदान करने वाला शिक्षण संस्थान 'दारुल उलूम' (शाब्दिक अर्थ— शिक्षा का घर) स्थित है। दारुल उलूम को दुनियाभर के मुस्लिम आदर्श मानते हैं। दारुल उलूम केवल विश्वविद्यालय नहीं है, अपितु एक विचारधारा है जो इस्लाम धर्म के विशुद्ध मूल सिद्धांतों को प्रसारित करता है। इसलिए मुस्लिमों में इस विचारधारा को मानने वाले मुस्लिमों को 'देवबंदी' कहा जाता है। देवबंद इस्लामिक शिक्षा व दर्शन के प्रचार व प्रसार के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। देवबंद में छोटे-बड़े सभी मदरसों को मिलाकर करीब दो सौ मदरसे हैं। इनमें से जो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, उनमें उत्तर प्रदेश शासन की ओर से विज्ञान व गणित के शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। देवबंद में बालिकाओं के लिए भी मदरसे खोले गए हैं। देवबंद में संस्कृत विद्यालय श्री देवीकुण्ड संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा श्री देवीकुण्ड संस्कृत महाविद्यालय भी है। इसकी स्थापना सन् 1915 में प्रेमानन्द वानप्रस्थी ने की थी। इसे उत्तर प्रदेश संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद् व सम्पूर्णानंद विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है। देवबंद में 'जामिया तिब्बिया यूनानी चिकित्सा शिक्षा संस्थान' स्थित है। जहाँ यूनानी चिकित्सा की स्नातक व स्नातकोत्तर (BUMS और MD) की शिक्षा दी जाती है। 'चरक चिकित्सा शिक्षा संस्थान' भी स्थित है, जहाँ चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। ये दोनों संस्थान ही अल्पसंख्क दर्जे में आते हैं।

इनके अतिरिक्त यहाँ नौ उच्च शिक्षा संस्थान (चार अल्पसंख्यक) हैं, इनमें केवल दो में स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा दी जाती है। इनमें से चार महाविद्यालयों में बी.एड. व बी.टी.सी. पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। देवबंद में लगभग 20 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें कक्षा 12 तक की शिक्षा दी जाती है। इनमें अधिकतर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा, इलाहाबाद से संबद्धित हैं। कुछ सी.बी.एस.सी. बोर्ड से संबद्धित हैं। एक विद्यालय उत्तर प्रदेश संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद् से संबद्धित है।

देवबंद कई मायने में अपनी अलग पहचान लिए हुए है। यहाँ का सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक वातावरण अन्य जगहों से बिल्कुल अलग है। देवबंद में 20 मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं।

शोधकर्ता ने देवबंद के बहु-सांस्कृतिक समाज का विद्यालयों पर प्रभाव देखने के उद्देश्य से विद्यालय की दीवारों का अवलोकन करने को महत्वपूर्ण मानते हुए, इसे शोध के उद्देश्य के रूप में चुना।

न्यादर्श

शोध व शोधार्थी की अपनी कुछ सीमाएँ होती हैं जिसके चलते अध्ययन हेतु आँकड़ों का संग्रहण करने

© NCERT not to be republished

के लिए सम्पूर्ण शोध-क्षेत्र के स्थान पर उसमें से कुछ क्षेत्र चयन किया जाता है। यह चयनित क्षेत्र सम्पूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा करने से शोध के उद्देश्यों को गहनता से अध्ययन कर प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध के लिए शोधार्थी द्वारा आँकड़े एकत्रित करने के लिए जिस क्षेत्र (बहु-सांस्कृतिक समाज) का चयन किया गया है, उसमें अर्थात् देवबंद में कुल 20 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। समय और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शोधार्थी के लिए सभी विद्यालयों से उद्देश्यानुसार आँकड़े एकत्रित करना संभव नहीं था। इसलिए शोधार्थी द्वारा आँकड़े एकत्रित करने के लिए देवबंद के छः उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का चयन किया गया। इन विद्यालयों का चयन सोद्देश्य न्यादर्श चयन विधि के आधार पर किया गया।

विद्यालय चयन के आधार

आँकड़ों के संग्रहण के लिए न्यादर्श के रूप में शोधार्थी द्वारा कई आधारों पर विद्यालयों का चयन किया गया। विद्यालय चयन के आधार निम्नलिखित हैं—

- वर्ग के आधार पर (बालिका वर्ग/सह-शिक्षा वर्ग)
- विद्यालय प्रबंधन के आधार पर
- अनुदान के आधार पर (सरकारी/गैर-सरकारी)

सामान्यतः विद्यालय तीन वर्ग में विभक्त किए जा सकते हैं— पहला बालक वर्ग, दूसरा बालिका वर्ग व तीसरा सह-शिक्षा वर्ग। परंतु उत्तर प्रदेश में दो वर्गों के ही विद्यालय संचालित किए जाते हैं— एक बालिका वर्ग व दूसरा सह-शिक्षा वर्ग। उत्तर प्रदेश शासन ने बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग दो दशक पूर्व सभी बालक वर्ग के विद्यालयों में बालिकाओं का भी प्रवेश करने का प्रावधान बनाया था जिसके चलते अब उत्तर प्रदेश में उपरोक्त दो वर्गों के ही विद्यालय संचालित किए जाते हैं। जिन विद्यालयों को बालक वर्ग में मान्यता प्राप्त है, वे भी सह-शिक्षा वर्ग में संचालित किए जा रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो देवबंद में जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें से तीन विद्यालय बालिका वर्ग के हैं, शेष 17 विद्यालय सह-शिक्षा वर्ग में रखे जा सकते हैं।

विद्यालय प्रबंधन समिति के आधार पर देवबंद के विद्यालयों को चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। इनमें एक वह विद्यालय है जो गैर-अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित किए जाते हैं। दूसरे वह विद्यालय हैं जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तीसरे वह विद्यालय हैं, जिनका संचालन जैन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जाता है। चौथा तथा अंतिम विद्यालय किसी संचालन समिति द्वारा संचालित नहीं किया जाता, बल्कि ज़िला विद्यालय निरीक्षक स्वयं इस विद्यालय का संचालक हैं।

विद्यालय को मिलने वाले अनुदान के आधार पर देवबंद के विद्यालयों को मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक सरकारी अर्थात् अनुदानित दूसरे गैर-सरकारी अर्थात् गैर-अनुदानित। अनुदानित, विद्यालयों (सरकारी विद्यालयों) में भी दो प्रकार के विद्यालय हैं, एक पूर्ण वित्त-पोषित विद्यालय तथा दूसरा अर्द्ध वित्त-पोषित विद्यालय।

आँकड़ों के संग्रहण हेतु जिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है उनका विवरण निम्नलिखित तालिका संख्या 1 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

© NCERT not to be republished

तालिका 1— न्यादर्श के रूप में चुने गए विद्यालयों का विवरण

क्र.सं	विद्यालय	वर्ग	प्रबंधन	अनुदान
1.	राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज	बालिका	जिला विद्यालय निरीक्षक	वित्त-पोषित
2.	इस्लामिया इण्टर कॉलेज	सह-शिक्षा	मुस्लिम अल्पसंख्यक	अर्द्ध वित्त-पोषित
3.	एच. ए. वी. इण्टर कॉलेज	सह-शिक्षा	गैर-अल्पसंख्यक	अर्द्ध वित्त-पोषित
4.	श्री जैन इण्टर कॉलेज	सह-शिक्षा	जैन अल्पसंख्यक	अर्द्ध वित्त-पोषित
5.	पब्लिक गर्ल्स इण्टर कॉलेज	बालिका	मुस्लिम अल्पसंख्यक	वित्त-विहीन
6.	द दून वैली पब्लिक स्कूल	सह-शिक्षा	गैर-अल्पसंख्यक	वित्त-विहीन

तालिका 1 में स्पष्ट है कि जिन छः विद्यालयों का चयन किया गया है उनमें राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज बालिका वर्ग का शासन द्वारा वित्त-पोषित विद्यालय है तथा इसके प्रशासक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियुक्त जनपद सहारनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक हैं। वही विद्यालय के नीतिगत निर्णय राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार लेते हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्या उन्हीं के अनुसार विद्यालय प्रबंधन का कार्य संभालती हैं। इस्लामिया इण्टर कॉलेज सह-शिक्षा वर्ग का शासन द्वारा अर्द्ध वित्त-पोषित विद्यालय है तथा इसका संचालन मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जाता है। एच. ए. वी. इण्टर कॉलेज सह-शिक्षा वर्ग का शासन द्वारा अर्द्ध वित्त-पोषित विद्यालय है, जिसका संचालन गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा किया जाता है। श्री जैन इण्टर कॉलेज सह-शिक्षा वर्ग का शासन द्वारा अर्द्ध वित्त -पोषित विद्यालय है तथा इसका संचालन जैन अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा किया जाता है।

न्यादर्श के रूप में चयनित इन अर्द्ध वित्त-पोषित विद्यालयों का संचालन तो समिति द्वारा होता है, परंतु विद्यालय में काम करने वाले सभी शिक्षक व कर्मचारियों के वेतन सहित समस्त आर्थिक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। पब्लिक गर्ल्स इण्टर कॉलेज बालिका वर्ग का वित्त-विहीन विद्यालय है तथा इसका संचालन मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा बनाए गए ट्रस्ट मुस्लिम फण्ड के माध्यम से किया जाता है। द दून वैली पब्लिक स्कूल सह-शिक्षा वर्ग का वित्त-विहीन विद्यालय है, जिसका संचालन गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा किया जाता है। न्यादर्श के रूप में चयनित इन वित्त-विहीन विद्यालयों में सीधे तौर पर राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

आँकड़ों का संग्रहण

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आँकड़ों के संग्रहण और उन्हें पुख्ता करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया गया है।

असंरचित साक्षात्कार

शोध के उद्देश्य बहु-सांस्कृतिक समाज के विद्यालय पर प्रभाव को जानने के लिए विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से असंरचित साक्षात्कार किए गए। विद्यालय की दीवार पर जो कुछ भी प्रदर्शित किया गया है उसका समाज से कोई लेना-देना है भी अथवा नहीं; इसकी पुष्टि के लिए शोधार्थी द्वारा समुदाय के सदस्यों (विद्यालय प्रबंध

समिति) से भी साक्षात्कार के किए गए। समुदाय के सदस्यों से साक्षात्कार के लिए असंरचित साक्षात्कार का प्रयोग किया गया।

विद्यालयों का अवलोकन

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध के उद्देश्य बहु-सांस्कृतिक समाज के विद्यालय पर प्रभाव को जानने के लिए विद्यालयों का असहभागी अवलोकन भी किया गया। यह अवलोकन इस संदर्भ में भी किया गया कि विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और समाज के सदस्यों (विद्यालय प्रबंध समिति) के द्वारा दी गई जानकारियों की पुष्टि की जा सके और उनके द्वारा दी गई जानकारियों को और गहराई से खंगाला जा सके। अवलोकन के दौरान विद्यालय पर बहु-सांस्कृतिक समाज के प्रभाव के रूप में वहाँ की दीवारों का विद्यालय द्वारा किस प्रकार इस्तेमाल किया गया है; इसकी पड़ताल की गई।

आँकड़ों का विश्लेषण

विद्यालय एक लघु समाज है और समाज एक महाविद्यालय है (डीवी, 2005)। ये दोनों परस्पर भिन्न प्रतीत होते हुए भी, मूलतः अभिन्न है। शिक्षा और समाज के इन्ही सम्बंधों को ध्यान में रखते, इस पत्र के उद्देश्य-पूर्ति हेतु विद्यालयों के प्रधानाचार्य और समाज के प्रतिनिधियों के तौर पर विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों से साक्षात्कार किये गये। साक्षात्कार के आधार पर कहा जा सकता है कि जैन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित विद्यालय में जैन धर्म से जुडे चिन्हों को प्रस्तुत करने पर जोर दिया जाता हैं, हालांकि जैन अल्पसंख्यक विद्यालय में एक भी विद्यार्थी जैन समुदाय का नहीं है। वहीं मुस्लिम अल्पसंख्यक विद्यालय में इस्लाम से जुड़ी इबारते ही वहाँ लिखी मिलती हैं और वे केवल इस्लाम में प्रचलित चीजों को ही विद्यालय में स्थान देना चाहते हैं। शिक्षा और समाज के सदस्यों से किये गये साक्षात्कार के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि विद्यालय में जिस संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, वह सम्पूर्ण समाज को प्रतिबिम्बित नहीं करती है। विद्यालय जिस समाज में का हिस्सा वह समाज तो बहु-सांस्कृतिक है, परन्तु विद्यालय बहु-सांस्कृतिक प्रतीत नहीं होता है। विद्यालय में विद्या ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों की संस्कृति से विद्यालय और विद्यालय प्रबंध समिति को कोई सरोकार है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है।

विद्यालय की दीवार के इस्तेमाल को लेकर अनेक विद्वानों द्वारा कई युक्तियाँ सुझाई गई हैं। देवबंद के कुछ विद्यालयों की दीवार पर धार्मिक सांस्कृतिक की छाप देखने को मिलती है। अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि मुस्लिम अल्पसंख्यक विद्यालयों में दीवारों पर इस्लाम धर्म से संबधित विचार लिखे गए हैं। इन विद्यालयों में कुछेक जगह कुछ प्रेरणादायी वाक्य भी लिखे गए हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यक विद्यालय की दीवारों पर हरे रंग का वर्चस्व देखने को मिलता है। साथ ही इनमें जो हिंदी माध्यम के विद्यालय हैं उनमें जो भी विचार दीवार पर लिखे गए हैं, वे या तो केवल उर्दू में लिखे गए हैं या फिर हिंदी व उर्दू में लिखे गए हैं। जबकि मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालयों में दीवार पर लिखे गए विचार अंग्रेज़ी व उर्दू में हैं। इन विद्यालयों की दीवारों पर लिखे गये कुछ विचार हैं—

- इल्म हासिल करो गोद से गौर तक
- माँ का हक़ बाप से तीन गुना ज़्यादा है।

- चिराग जिस तरह जलाए बगैर रोशनी नहीं देता इल्म भी बगैर अमल के फायदा नहीं देता।
- कामयाबी का सबसे बड़ा राज़ खुदएतमादी में है।
- फतह उम्मीद से नहीं इल्म और अल्लाह पर एतमाद से हासिल होती है।
- मेहनत करने वाला व्यक्ति ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहता है।

जैन अल्पसंख्यक विद्यालय की दीवार पर महावीर स्वामी का चित्र बनाया गया है। जबकि इस विद्यालय की दीवार पर णमोकार महामंत्र को भी स्थान दिया गया है। साथ ही 'जियो और जीने दो' भी जैन अल्पसंख्यक विद्यालय की दीवार पर लिखा गया है।

इनके अलावा गैर-अल्पसंख्यक विद्यालयों की दीवारों पर किसी भी धर्म व संस्कृति की छाप देखने को नहीं मिलती है। उनकी दीवारों पर देश के महान व्यक्तियों और देश-विदेश के साहित्यकारों के सुविचार लिखे गए हैं। इन विद्यालयों की दीवारों पर लिखे गए कुछ विचार इस प्रकार हैं—

- अज्ञान से बढ़कर कोई अंधकार नहीं— शेक्सपीयर
- बानी ऐसी बालिये, मन का आपा खोय। औरन को सीतल करै, आपहु सीतल होय— रहीमदास
- जो अवसर को समय पर पकड़ ले, वही सफल होता है— गेटे
- आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है— स्वेट मार्डेन
- अच्छे कार्य, जो छिपाकर किए जाते हैं, सबसे अधिक आदर के पात्र हैं— पास्कल
- आत्मविश्वास रखो कि तुम पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण हो— गोर्की
- कोई भी ऐसा मनुष्य साहसी नहीं होता जो पीड़ा को जीवन की सबसे बड़ी बुराई समझता है— सिसरो
- प्रयत्नशील व्यक्तियों के लिए आशा सदैव जीवित रहती है— मैथिलीशरण
- कर्म के दर्पण में व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब झलकता है— विनोबा भावे
- विश्वास एवं लगन के बिना किया गया कार्य कागज़ के फूल की तरह है, जिसमें कोई सुगंध नहीं होती— महात्मा गांधी
- ईमानदार का हर काम खुलेआम होता है —चाणक्य

दिए गए विचारों के अलावा नगरपालिका द्वारा सरकार के विभिन्न अभियानों को चित्रित करने के लिए भी विद्यालय की दीवार का इस्तेमाल किया गया है।

नगर के एक विद्यालय की किसी भी दीवार पर किसी भी प्रकार के विचारों को नहीं लिख गया है। इस वित्त-विहीन विद्यालय का संचालन गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस विद्यालय में दीवार का इस्तेमाल अधिगम को बढ़ावा देने वाले एक संसाधन के रूप में किया गया है। इसकी दीवारों पर विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा किए गए अकादमिक कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। इस विद्यालय की दीवारों का लुक समय-समय पर बदलता रहता है। इस विद्यालय की एक दीवार का नाम वॉल ऑफ विजडम रखा गया है। साथ ही दीवारों पर विद्यालय के सफल विद्यार्थियों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं।

सभी विद्यालयों में एक समानता यह मिली कि सभी विद्यालयों ने अपने विद्यालय की दीवार के एक हिस्से को विद्यालय के हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के

सफलतम विद्यार्थियों के नाम कर रखा है। दीवार पर एक बोर्ड के माध्यम से वर्षवार हाईस्कूल व इण्टरमीडिट बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का नाम सूचीबद्ध किया हुआ है।

निष्कर्ष

डुप्रीज और डुमा (2006) कहते हैं कि समाज का विद्यालय पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। समाज में उपस्थित असमानता का प्रभाव विद्यालय में भी देखने को मिल सकता है। देवबंद के बहु-सांस्कृतिक समाज का भी वहाँ के विद्यालयों पर प्रभाव देखने को मिलता है। विद्यालय की दीवार के इस्तेमाल को लेकर अनेक विद्वानों द्वारा कई युक्तियाँ सुझाई गई हैं। कुछ विद्यालय दीवार का इस्तेमाल अपने मिशन और विज़न को प्रदर्शित करने में करते हैं तो कुछ शैक्षिक विचारों को उकेरने में करते हैं। विद्यालयों द्वारा दीवार का इस्तेमाल अधिगम के संसाधन के रूप में भी किया जाता है और विद्यार्थियों की उपलब्धियों को दर्शाने में भी। विद्यालय की दीवारों का इस्तेमाल अपनी कला और संस्कृति को उकेरने में भी किया जाता रहा है। जहाँ तक देवबंद के बहु-सांस्कृतिक समाज के विद्यालय की दीवारों पर प्रभाव का सवाल है तो विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ विद्यालय की दीवार पर धार्मिक-सांस्कृतिक छाप देखने को मिलती है। अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि मुस्लिम अल्पसंख्यक विद्यालयों में दीवारों पर इस्लाम धर्म से संबधित विचार लिखे गए हैं। इन विद्यालयों में कुछेक जगह कुछ प्रेरणादायी वाक्य भी लिखे गए हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यक विद्यालय की दीवारों पर हरे रंग का वर्चस्व देखने को मिलता है जो इस्लाम धर्म में बड़ा महत्व रखता है। साथ ही इनमें जो हिंदी माध्यम के विद्यालय हैं उनमें जो भी विचार दीवार पर लिखे गए हैं, वे या तो केवल उर्दू में लिखे गए हैं या फिर हिंदी व उर्दू दोनों में लिखे गए हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालयों में दीवार पर लिखे गए विचार अंग्रेज़ी व उर्दू में हैं। वहीं जैन अल्पसंख्यक प्रबंध समिति द्वारा संचालित विद्यालय की दीवार पर महावीर स्वामी का चित्र बनाया गया है और इस विद्यालय की दीवार पर णमोकार महामंत्र को भी स्थान दिया गया है। साथ ही 'जियो और जीने दो' भी दीवार पर लिखा गया है। गौर करने वाला तथ्य यह है कि जैन अल्पसंख्यक प्रबंध समिति द्वारा संचालित विद्यालय में जैन विद्यार्थियों की संख्या नगण्य है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकतर विद्यालय की दीवारों पर जो भी कुछ उकेरा जाता है उसका इससे कोई लेना-देना नहीं है कि विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का संबंध किस धर्म-संस्कृति से है। बल्कि विद्यालय की दीवार पर उस धर्म-संस्कृति के चिन्ह देखने को मिलेंगे जिससे विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की धर्म-संस्कृति का संबंध है। परंतु देवबंद के एकमात्र पूर्ण-पोषित विद्यालय (जिसकी कोई प्रबंध समिति नहीं है), जिसका प्रबंधन प्रदेश शासन द्वारा किया जाता है ऐसा है जहाँ किसी धर्म-संस्कृति के स्थान पर विद्वानों के विचार और सरकार की योजनाओं का प्रदर्शन किया गया है। वहीं वित्त-विहीन विद्यालय की दीवारों का इस्तेमाल अधिगम के संसाधन के रूप में किया गया है। इस विद्यालय की दीवार पर अनेक ज्ञानवर्धक तथ्य सृजनात्मक ढंग से लिखे गए हैं।

कुल मिलाकर देवबंद से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि विद्यालय की दीवारों का इस्तेमाल अलग-अलग विद्यालयों में तीन

प्रकार से हो रहा है। पहला समुदाय के सांस्कृतिक प्रतिबिम्बन के तौर पर, दूसरा अधिगम के संसाधन के रूप में और तीसरा केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए।

संदर्भ

आचार्य, नंदकिशोर. 1997. *संस्कृति का व्याकरण*. वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर.

डीवी, जॉन. 2005. *शिक्षा और समाज*. ग्रन्थ शिल्पी (इंडिया) प्रा. लि., नयी दिल्ली.

दूबे, श्यामाचरण. 2009. *भारतीय समाज*. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नयी दिल्ली.

बॉउल्स, सी. 2011. *जे. एल. नेहरू इन कन्वर्शेसन विद सेस्टर बॉउल्स*. वॉव पब्लिकेशन, यूएस.

भारत सरकार. 2011. *जनगणना रिपोर्ट. कार्यालय जनगणना महापंजीयन*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

भारतीय संविधान, भारत सरकार. नयी दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नयी दिल्ली.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 1986. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग. 1966. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.

शर्मा, के.के. 1986. *सहारनपुर संदर्भ*. संदर्भ प्रकाशन, सहारनपुर.

सैय्यदैन, के. जी. 1963. *एजूकेशन, कल्चर एंड सोशियल ऑर्डर*. एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे.

सिन्हा, पवन. 2019. शिक्षा के द्वंद्व. प्रभात प्रकाशन, दिल्ली.

© NCERT not to be republished

विशेष

विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण*

इस मॉड्यूल में हम विभिन्न तौर-तरीकों का पालन करके विद्यालयों में स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा तथा इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। मॉड्यूल शारीरिक विकास, तत्संबंधी मिथकों, शारीरिक योग्यता और इसके घटकों को सामने रखेगा। शारीरिक योग्यता के विकास में मदद करने वाली गतिविधियों के प्रकार भी इस मॉड्यूल में शामिल किए जाएँगे। योग न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक और क्रियात्मक विकास के लिए और समग्र स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी मॉड्यूल में शामिल किया गया है। स्वस्थ भोजन की आदतें और स्वच्छता जैसे, महत्वपूर्ण कारकों को बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले भी मॉड्यूल में शामिल किया गया है। भावनात्मक कल्याण, आत्म जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, हिंसा और दुर्व्यवहार और शारीरिक तथा मानसिक आघात से संबंधित गतिविधियाँ भी मॉड्यूल का हिस्सा हैं। पूरे मॉड्यूल को जेंडर भेदभाव से मुक्त और समावेशी बनाने का ध्यान रखा गया है।

शिक्षणशास्त्र और संसाधन

- केस अध्ययन/अनुभव/भूमिका निर्वहन की स्थिति के साथ-साथ प्रश्न, चार्ट, चित्रों, वीडियो, खेल आदि।
- समूह कार्य, चर्चा, प्रदर्शन, बातचीत, खेल, स्व-चिंतन-मनन, स्व-शिक्षण गतिविधियाँ, जैसे— प्रश्न-बॉक्स, भूमि का निर्वहन, केस अध्ययन और शिक्षार्थियों को सटीक तथा पर्याप्त जानकारी प्रदान करने एवं उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता से संबंधित जीवन-कौशल को लागू करने की क्षमता।

स्वास्थ्य और कल्याण

- स्वास्थ्य क्या है? समग्र स्वास्थ्य में क्या-क्या शामिल है? जब ज़्यादातर लोगों से स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाता है, तो उनकी सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है? कुछ प्रतिभागियों से अपने विचार साझा करने के लिए कहें। उन्हें सुनने के बाद

अधिगम के उद्देश्य

इस सत्र के अंत में आप सक्षम होंगे—

- स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा को समझने में;
- विद्यालय में बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण के महत्व को समझने में;
- बच्चों के बीच स्वस्थ मनोभाव और व्यवहार को विकसित करने के लिए अपनायी जाने वाली शैक्षणिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में;
- उन्नत सीखने के प्रतिफल हासिल करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित;
- जीवन-कौशल विकसित करने में।

निष्ठा— स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल—प्रशिक्षण पैकेज, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा 2019 में प्रकाशित।

© NCERT not to be republished

साझा करें कि अच्छा स्वास्थ्य केवल रोगों से मुक्ति नहीं है बल्कि यह शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक कल्याण की स्थिति को दर्शाता है। सभी एक ही निरंतरता में एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। आइए हम प्रत्येक पर चर्चा करें।

- शारीरिक स्वास्थ्य हमारे समग्र स्वास्थ्य का केवल एक पहलू है। यह बीमारी या चोट से मुक्त होने की अवस्था है। शारीरिक स्वास्थ्य की समझ के लिए शारीरिक विकास, शारीरिक योग्यता, स्वस्थ और स्वच्छ भोजन की आदतों आदि के बारे में जागरूकता की आवश्यकता होती है।
- सामाजिक स्वास्थ्य में दूसरों के साथ और पर्यावरण के साथ तालमेल करने, समूह में काम करने और व्यक्तिगत संबंधों की संतुष्टि की क्षमता शामिल है।
- भावनात्मक स्वास्थ्य को तब स्थिर कहा जाता है जब व्यक्ति आरामदायक महसूस करने के लिए भावनाओं को नियंत्रित और प्रबंधित कर सकता है। लोग भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं, यदि वे अपनी भावनाओं को सफलतापूर्वक व्यक्त करने में सक्षम हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण, "कल्याण की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, लाभदायक रूप से काम कर सकता है तथा अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम है" (डब्ल्यू.एच.ओ.)। मानसिक स्वास्थ्य दैनिक जीवन और संबंधों को प्रभावित कर सकता है। व्यक्ति के सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने का तरीका शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य में मनोवैज्ञानिक लचीलापन प्राप्त करने के लिए जीवन गतिविधियों और प्रयासों के बीच संतुलन बनाकर जीवन का आनंद लेने की क्षमता भी शामिल है।
- तनाव में भय, अपराधबोध, घबराहट, शर्म, असहायता, स्वयं पर संदेह करना, भ्रम, अकेलापन, उदासी और क्रोध शामिल हैं। यह एक ऐसा समय होता है जिसमें व्यक्ति एक चुनौती का सामना करता है या तनाव में होता है, वह समाधान पा सकता है और सकारात्मक रूप से कार्य कर सकता है या उसे सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। व्यक्ति कई तरह से तनावपूर्ण परिस्थितियों में हो सकता है, जैसे— शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट, अत्यधिक क्रियाशीलता, क्रोध या दुर्व्यवहार आदि।
- बीमारी या विकार निरंतरता, वह दशा है जिसमें तनाव लंबे समय तक रहता है। इसमें व्यक्ति कुछ ऐसे लक्षण दिखाता है, जैसे नींद या खाने में कठिनाई, आत्महत्या की प्रवृत्ति, सामाजिक अलगाव, चिंता के शारीरिक लक्षण, पदार्थों का दुरुपयोग, आक्रामक व्यवहार आदि। मानसिक बीमारी या विकारों को एक पेशेवर द्वारा उपचार करने की आवश्यकता होती है।
- यह दशा निरंतरता के साथ बदल सकती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में इन स्थितियों के आधार पर अलग-अलग समय पर निरंतरता के विभिन्न स्तरों पर हो सकता है। तनाव को प्रबंधित करने और दूर करने की उनकी क्षमता उनके शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। आइए हम एक-एक करके इन पर चर्चा करें।

© NCERT not to be republished

शारीरिक विकास

बच्चों का शारीरिक विकास स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। प्रतिभागियों को उन सभी परिवर्तनों के बारे में सोचने और लिखने के लिए कहें, जो उन्होंने अपने बचपन से देखे हैं (जब वे 6–8 साल के थे या अपने भाई-बहनों में देखे गए थे)। छह से आठ प्रतिभागियों से उनकी टिप्पणियों को साझा करने के लिए कहें। उन्हें चित्र 1 दिखाएँ।

- हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ हैं। ये मानव वृद्धि और विकास के आवश्यक अंग हैं। इन परिवर्तनों को अनुभव करना बेहद दिलचस्प हो सकता है।
- सभी परिवर्तन एक ही समय में नहीं होते हैं। नतीजतन, यह संभव है कि एक ही व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन जल्दी हों, लेकिन मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परिवर्तन बाद में हों।

चित्र 1— जीवन के विभिन्न चरण

श्यामपट्ट (ब्लैकबोर्ड) पर शीर्षकों के साथ पाँच स्तंभ (कॉलम) रेखित करें—

शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता और वृद्धावस्था जैसा कि गतिविधि 1 में दिखाया गया है। इसमें कॉपी का उपयोग भी किया जा सकता है। उन्हें जीवन के प्रत्येक चरण में लगभग चार से पाँच बदलावों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें। उन्हें 5 मिनट दें और फिर चर्चा करें।

चर्चा के बाद, आप संक्षेप में बता सकते हैं कि —

यह दूसरे तरीके से यानी ठीक इसके उलट भी हो सकता है। एक ही उम्र के दो बच्चों में परिपक्वता के अलग-अलग स्तर हो सकते हैं और उनके अनुभवों की गति भिन्न हो सकती हैं।

- कभी-कभी हम अपने जीवन में बदलावों को प्रभावित कर सकते हैं और कभी हम उन पर बहुत कम नियंत्रण रख पाते हैं।
- हमारे जीवन में कुछ बदलाव पूर्वानुमान योग्य हैं। यदि हम उनके लिए तैयार हों, तो हम इनमें

गतिविधि 1— मानव के विभिन्न चरणों में होने वाले परिवर्तन

जीवन के विभिन्न चरणों में होने वाले परिवर्तन				
शैशवावस्था	***बाल्यावस्था***	***किशोरावस्था***	***वयस्कता***	***वृद्धावस्था***

© NCERT not to be republished

से कुछ प्रक्रियाओं को प्रभावित करने और उन्हें बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, विकास और परिपक्वता एक सतत प्रक्रिया है।

- कभी-कभी, बच्चों को अपने साथियों से अलग दिखाई देने पर तनाव हो जाता है। वे दूसरों की तुलना में तेज़ी से या धीमी गति से परिपक्व हो सकते हैं और यह अंतर साथियों के बीच चिढ़ाने तथा उपहास का विषय बन सकता है।
- वृद्धि और विकास की इस प्रक्रिया के साथ बहुत सारे पूर्वाग्रह और हानिकारक रूढ़ियाँ जुड़ती जाती हैं, जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

ध्यान दें— आठवीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय में इन परिवर्तनों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है।

चूँकि सभी बच्चे एक ही गति से नहीं बढ़ते (शारीरिक और बौद्धिक रूप से), इसलिए बड़े होने से संबंधित कुछ मिथक और गलत धारणाएँ हो सकती हैं।

गतिविधि— 2 बड़े होने से संबंधित मिथक और गलत धारणाएँ

बड़े होने से संबंधित मिथक और गलत धारणाएँ, सहकर्मी प्रभाव और जेंडर।

निम्नलिखित केस अध्ययनों का उद्देश्य उन रूढ़िवादिताओं और मिथकों को स्पष्ट करना है जो वृद्धि, सहकर्मी प्रभाव और जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं से संबंधित गलत धारणाएँ हैं।

केस अध्ययन 1— वृद्धि और विकास में विविधता

राकेश और मिहिर, विद्यालय से एक साथ घर जा रहे हैं। राकेश यह कहते हुए मिहिर को चिढ़ाने लगता है कि वह एक लड़की की आवाज़ में बोलता है। वह इस बात पर भी हँसता है कि मिहिर के ऊपरी होंठ पर एक भी बाल नहीं है। राकेश कहता है, "मुझे देखो, मैं एक असली आदमी हूँ। मेरी आवाज़ मज़बूत है और मेरा चेहरा मर्दाना है। मेरे चेहरे पर बहुत बाल हैं। मेरे पिता मुझे शेर कहते हैं।" यह सच में मिहिर को शर्मिंदा करता है। वह याद करता है कि उसकी माँ अभी भी उसे 'मेरा प्यारा लड़का' कहती है। वह फैसला करता है कि घर जाकर अपनी माँ से पूछेगा कि वह राकेश से इतना अलग क्यों है और क्या उसमें कुछ कमी है।

चर्चा के लिए प्रश्न

1. हालाँकि वे एक ही उम्र के हैं, तो फिर राकेश और मिहिर इतने अलग क्यों दिखते हैं?
2. क्या आपको लगता है कि मिहिर में कुछ गड़बड़ है? क्यों?
3. आपको क्या लगता है कि मिहिर अपने बारे में कैसा महसूस करता है?
4. मिहिर की माँ उसे क्या बताए?

केस अध्ययन 2— सकारात्मक और नकारात्मक सहकर्मी प्रभाव

राजू विद्यालय और घर पर हर समय पढ़ाई करता था, वह हमेशा अच्छे अंक हासिल करता था। उसकी कोई अन्य रुचि या शौक नहीं थे। जब उसने 11वीं कक्षा में एक नये विद्यालय में दाखिला लिया तो ज़हीर और मोती के साथ उसकी दोस्ती हो गई। दोनों उत्साही क्रिकेट खिलाड़ी थे। राजू ने उनके साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया और पाया कि वह एक अच्छा स्पिन गेंदबाज़ था। उसके माता-पिता अब चिंतित हैं कि वह खेल

के मैदान में बहुत अधिक समय बिता रहा है जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है।

चर्चा के लिए प्रश्न

1. क्या आपको लगता है कि राजू पर ज़हीर और मोती का अच्छा प्रभाव है?
2. क्या आपको लगता है कि राजू के माता-पिता की उसके नये शौक के बारे में चिंता सही है?
3. राजू के शिक्षकों की उसके माता-पिता की चिंता को कम करने में क्या भूमिका हो सकती है?
4. क्या राजू को क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए? क्यों?

केस अध्ययन 3— शारीरिक छवि के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा

कक्षा 7 में शालिनी और उसके दोस्त विद्यालय के वार्षिक समारोह की तैयारी कर रहे थे। वे सभी बहुत उत्साहित थे। शालिनी शास्त्रीय नृत्य में हिस्सा ले रही थी, जबकि उसकी सहपाठी अनीता और फ़राह नाटक में थे। एक दिन अनीता ने उससे मज़ाक में कहा, "तुम बहुत काली हो। मंच पर तुमको देखने के लिए हमें अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता होगी।" शालिनी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। फ़राह को शालिनी के लिए बुरा लगा और उसने कहा, "तुम इतनी अच्छी तरह से नृत्य करती हो। गोरी होने के लिए तुम गोरेपन वाली क्रीम का उपयोग क्यों नहीं करती? क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि यदि तुम्हारा रंग गोरा होगा, तो तुम मंच पर कितनी अच्छी दिखोगी?"

शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, "धन्यवाद, फ़राह। मैं तुम्हारी चिंता की सराहना करती हूँ, लेकिन मैं अपने रंग से खुश हूँ। मेरे शिक्षक और मैं अपने नृत्य अभ्यास पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रयासों और तुम्हारी शुभकामनाओं से अच्छा प्रदर्शन होगा।"

चर्चा के लिए प्रश्न

1. शालिनी के बारे में अनीता की टिप्पणी से आप क्या समझते हैं?
2. क्या आपको लगता है कि फ़राह की टिप्पणी एक गलत रूढ़िबद्ध धारणा (सुंदर होने के लिए गोरा रंग आवश्यक है) पर आधारित है या यह तथ्यों पर आधारित है? अपना जवाब समझाएँ।
3. क्या शालिनी की प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि उसकी सकारात्मक या नकारात्मक छवि है? अपने जवाब के लिए कारण दें।
4. क्या आपको लगता है कि शालिनी एक परिपक्व लड़की है जिसके पास संवाद की सकारात्मक शैली है?

केस अध्ययन 4— दोस्ती और डराना-धमकाना

सुजीत और मनोज विद्यालय के गेट के ठीक बाहर एक दुकान पर संगीत की सी.डी. खरीद रहे थे। उन्होंने शरद को घर जाते हुए देखा। उन्होंने उसे पकड़ लिया और सी.डी. खरीदने के लिए पैसों के लिए तंग करने लगे। शरद ने इंकार कर दिया क्योंकि वह लगभग एक साल पहले कक्षा 9 में इस विद्यालय में दाखिल हुआ था और तभी से उसे अकसर पैसे उधार देने के लिए मज़बूर किया जा रहा था। दोनों लड़कों ने उधार लिए गए पैसे कभी नहीं लौटाए। जब शरद ने इंकार कर दिया, तो दोनों लड़कों ने उसे तब तक इधर-उधर धकेला, जब तक वह गिर नहीं गया और उसके पैसे छीनकर भाग गए। शरद की कक्षा के अध्यापक ने घर लौटते समय उसे ज़मीन पर पड़ा देखा और उन्होंने उसे उठने में मदद की। पूछे जाने के बावजूद, शरद ने

© NCERT not to be republished

यह नहीं बताया कि उसको चोट कैसे पहुँची। अगले दिन, आबिद जो शरद का सहपाठी था और जिसने पूरी घटना देखी थी, उसने उसे शिक्षक से शिकायत करने के लिए कहा। शरद झिझका, लेकिन जब आबिद ने उसे शिक्षक के कमरे में साथ चलने की पेशकश की, तो वह मान गया।

चर्चा के लिए प्रश्न

1. आपको क्या लगता है कि शरद ने लड़कों के खिलाफ़ इतने लंबे समय तक शिकायत क्यों नहीं की?
2. आपको क्या लगता है कि वह इस बार शिकायत करने के लिए क्यों तैयार हो गया?
3. आबिद इस मामले में क्यों शामिल हुआ?

शिक्षक को समझाना चाहिए

- सहकर्मी संबंधों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आयाम हो सकते हैं।
- सकारात्मक संबंधों को बनाए रखने के लिए आत्मविश्वास और मुखरता आवश्यक है।
- किशोरों और उनके माता-पिता तथा शिक्षकों को आपस में अधिक बातचीत करनी चाहिए ताकि वे एक-दूसरे की चिंताओं एवं एक-दूसरे को बेहतर समझ सकें।
- ज़्यादातर स्थितियों में, भावनाओं का दिखावा करने की बजाय उन्हें पहचाना जाना चाहिए, न कि उनकी गैर-मौजूदगी का ढोंग करना चाहिए।
- किशोरों को वयस्कों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वयस्कों के लिए स्वस्थ, ईमानदार और बुद्धिमान (परिपक्व) तरीके प्रदर्शित करना बहुत महत्वपूर्ण है।
- पूर्वाग्रहों और अज्ञानता के कारण बच्चे कभी-कभी हानिकारक या अप्रभावी वाणिज्यिक उत्पादों की तरफ आकर्षित होते हैं जो शारीरिक विकास की प्रक्रिया को तेज़ करने का दावा करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ उत्पाद आहार और व्यायाम किए बिना बहुत तेज़ी से लंबाई और माँसपेशियों को बढ़ाने का दावा करते हैं।
- इसी तरह, सौंदर्य प्रसाधनों और ब्यूटी पार्लरों के विज्ञापनों में पूर्वाग्रहों तथा शारीरिक छवि एवं रंग-रूप को सुदृढ़ किया जाता है, जिससे चिंता, अपर्याप्तता और निम्न आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है। ऐसे सभी पूर्वाग्रहों और दबावों का मुकाबला करना महत्वपूर्ण है, साथ ही आप कौन हैं और कैसे दिखते हैं, इसके बारे में आश्वस्त रहना भी।
- बच्चों को स्वयं या दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाए बिना स्पष्ट, ईमानदार और सम्मानजनक तरीके से अपने विचारों तथा भावनाओं (संवाद) को पहचानना एवं सीखना चाहिए।

आकलन और चिंतन के लिए प्रश्न

- बड़े होने के दौरान लड़कियों और लड़कों को किस तरह के शारीरिक परिवर्तनों का अनुभव होता है?
- क्या सभी बच्चों में शारीरिक परिवर्तन एक ही समय में होते हैं?
- अगर हम अपने शरीर में किसी बदलाव से चिंतित हैं तो हमें क्या करना चाहिए?

लड़कों और लड़कियों में परिवर्तन

प्रतिभागियों को पृष्ठ 130 पर दिए गए अनुसार स्तंभ आरेखित कागज़ प्रदान करें या उन्हें अपनी कॉपी या कागज़ पर नीचे दिखाए गए स्तंभों को खींचने के लिए कहें।

© NCERT not to be republished

गतिविधि 3— बच्चों में परिवर्तन

परिवर्तन	लड़का	लड़की	लड़की और लड़का दोनों
• दोस्तों की सगंत का अधिक आनंद लेना			
• स्वतंत्र रूप से सड़क पार कर सकना			
• लंबा होना			
• भारी होना			
• कंधों की चौड़ाई बढ़ना			
• तेज़ी से दौड़ सकना			
• अधिक पसीना आना			
• तैलीय त्वचा			
• अधिक कठिन सवालों को हल कर सकना			
• लंबी अवधि के लिए ध्यान केंद्रित कर सकना			
• शारीरिक छवि आवरण और रंग-रूप के बारे में अधिक सचेत होना			
• चेहरे के बाल दिखाई देना			
• स्तन विकसित होना			
• अधिक बहादुर			
• अधिक शर्मीला होना (अन्य बदलाव जोड़ें)			

© NCERT not to be republished

प्रतिभागियों से उम्र और अवलोकन के अनुसार उपरोक्त तालिका में उल्लिखित परिवर्तनों के लिए उपयुक्त कॉलम में सही विकल्प पर निशान (✔) लगाने के लिए कहें। प्रतिभागियों को कुछ और परिवर्तनों को जोड़ने तथा लड़कों एवं लड़कियों के लिए विशिष्ट परिवर्तनों की पहचान करने व सामान्य परिवर्तनों के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सुगमकर्ता यह समझाकर इसका संक्षेपण कर सकते हैं कि कुछ परिवर्तन सामान्य हैं जबकि कुछ परिवर्तन लड़कों या लड़कियों के लिए विशिष्ट हैं। लड़कियों या लड़कों के समान आयु वर्ग के भीतर भी विविधताएँ देखी जाती हैं। इस तरह की विविधता आनुवंशिकता, आहार और शारीरिक व्यायाम में अंतर के कारण हो सकती है। इस तरह की भिन्नता सामान्य है और इसे अपनी छवि पर प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बहादुरी, शर्म, कमज़ोरी और मज़बूती जैसे कुछ गुण 'पुरुष' या 'महिला' से संबंधित नहीं हैं। योग्यता जेंडर पर निर्भर नहीं करती।

गतिविधि 4— विद्यार्थियों के कद और वज़न से संबंधित

शिक्षक तालिका (पृष्ठ संख्या 131) के अनुसार छात्रों से विभिन्न बच्चों के कद की तुलना करने के लिए कहते हैं—

तालिका— विद्यार्थियों का कद और वज़न

क्र.स.	नाम	आयु (वर्ष में)	कद (से.मी. में)	वज़न (किलोग्राम में)
1				
2				
3				
4				
5				
एन (N)				
औसत				

विद्यार्थी अपनी वृद्धि को देखने और बदलाव के कारणों को खोजने की कोशिश करने के लिए एक तालिका की, छह महीने के बाद उसी तरह की दूसरी तालिका से, कद और वज़न में बदलाव की तुलना और अभिलेख कर सकते हैं। शिक्षक इस बात पर ज़ोर देता है कि इस तरह की भिन्नता सामान्य है। शिक्षक उन्हें आधार-सामग्री (डेटा) का लेखा चित्र (ग्राफ़) तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्हें लेखाचित्र से आधार-सामग्री की व्याख्या करने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। विश्लेषण के आधार पर शिक्षक वृद्धि और विकास में भिन्नताओं पर चर्चा कर सकते हैं और इसे शारीरिक योग्यता के महत्व से जोड़ सकते हैं।

शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें?

बच्चों में उचित वृद्धि और विकास से स्वास्थ्य अच्छा होता है। सिर्फ़ कद और वज़न के बारे में जानना और इसमें वृद्धि एवं विकास ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका शारीरिक रूप से स्वस्थ, भावनात्मक रूप से मज़बूत और मानसिक रूप से सतर्क रहना है। शारीरिक योग्यता गतिविधियाँ शरीर के आकार और माप तथा हृदय की कार्यक्षमता, रक्त परिसंचरण एवं शरीर के सभी आंतरिक अंगों व प्रणालियों में सुधार करती हैं। यह सीखने के कौशल को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, स्वास्थ्य/तंदुरुस्ती को बढ़ावा देती हैं और खेल में प्रदर्शन को भी बेहतर बनाती हैं। बच्चों को स्वस्थ और तंदुरुस्ती रखने के लिए शिक्षकों द्वारा आयु उपयुक्त शारीरिक गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए। शारीरिक योग्यता के प्रमुख घटकों में शक्ति, गति, धैर्य, लचीलापन और चपलता हैं।

शारीरिक स्वास्थ्य को शारीरिक प्रयासों के अनुकूल प्रतिक्रिया देने की सामान्य क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ जोश और सतर्कता के साथ दैनिक कार्य करने की क्षमता भी है। बिना किसी थकान के काम करना और खाली समय का आनंद लेने तथा अप्रत्याशित आपात स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होना भी शारीरिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। स्वस्थ रहने के लिए, किसी व्यक्ति को शारीरिक गतिविधियाँ करने की आवश्यकता होती है जिसमें खेल खेलना और योग करना, स्वस्थ भोजन, स्वास्थ्यकर आदतें आदि शामिल हैं। इन सभी गतिविधियों को उम्र और बच्चे की क्षमता के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है।

शारीरिक स्वास्थ्य के घटक

- शारीरिक स्वास्थ्य के घटक क्या-क्या हैं?
- क्या आप उनका नाम बता सकते हैं?
- इनमें कैसे सुधार किया जा सकता है?
- शारीरिक स्वास्थ्य के विकास में किस प्रकार की गतिविधियाँ मदद करती हैं?

© NCERT not to be republished

पाँच-छह मिनट के विचार-मंथन के बाद आप शारीरिक स्वास्थ्य के घटकों पर चर्चा कर सकते हैं। ये निम्नानुसार हैं—

शक्ति— इसे प्रतिरोध को दूर करने या प्रतिरोध के खिलाफ कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पुश-अप और सैंडिंग बोर्ड जंप से शक्ति विकसित करने में मदद मिलती है।

गति— इसे चाल की दर से मापा जाता है। गति एक बच्चे की न्यूनतम संभव समय में एक निश्चित दूरी को तय करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, एक मैदान की सतह पर 20–50 मीटर पूरे वेग से दौड़ने (स्प्रिंट) के लिए बच्चे को कितना समय चाहिए?

धैर्य— इसे थकान की स्थिति में लंबे समय तक शारीरिक गति विधि करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है।

लचीलापन— लचीलेपन को शारीरिक गतिविधियों को अति सरलता से करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या दूसरे शब्दों में हमारे अस्थि जोड़ों के गति संचालन की सीमा के रूप में भी देखा जा सकता है। सिट एंड रीच अभ्यास लचीलापन विकसित करने में मदद करता है।

चपलता— यह तीव्रता से हिलने-डुलने और शारीरिक गतिविधियाँ करने की क्षमता से संबंधित है। विद्यार्थियों की फुर्ती को जाँचने के लिए 4×10 मीटर का शटल-रन टेस्ट आयोजित किया जा सकता है।

गतिविधि — 5

उन गतिविधियों के बारे में सोचें जो हम प्रतिदिन करते हैं। उन गतिविधियों की सूची तैयार करें जो शारीरिक स्वास्थ्य में मदद करती हैं। कुछ गतिविधियों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। सूची में और गतिविधियाँ जोड़ें।

भीतरी गतिविधियाँ

- मेज़ के नीचे घुटनों के बल चलना
- संतुलन का अभ्यास करने के लिए किसी वस्तु का उपयोग
- कूदना
- नृत्य
- योग संबंधी गतिविधियाँ
- ----------------
- ----------------
- ----------------

बाहरी गतिविधियाँ

- सीढ़ी चढ़ना
- कूदना, घुटनों के बल चलना और एक जगह से दूसरी जगह चलना
- बाधाओं के बीच टेढ़ा-मेढ़ा भागना
- विभिन्न वस्तुओं पर कूदना
- चलना
- ----------------
- ----------------
- ----------------

कैलीस्थैनिक्स, जन शारीरिक स्वास्थ्य और लयबद्ध गतिविधियों में संगीत तालमेल के साथ समन्वित तरीके से बार-बार किए जाने वाली शारीरिक गतिविधियाँ हैं। इसमें मुक्त हाथों से किए जाने वाले व्यायाम (फ्री हैंड एक्सरसाइज़), हल्के उपकरण के साथ व्यायाम, कदमताल अभ्यास (मारचिंग ड्रिल्स), एरोबिक्स, एक्शन सांग एंड डांस शामिल हैं। इस तरह की गतिविधियों के लिए गेंद, डम्बल, हुप्स, छाता, वैंड्स आदि उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है।

© NCERT not to be republished

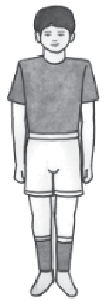

चित्र 2.क— सावधान

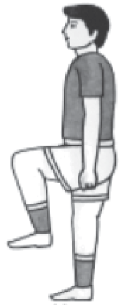

चित्र 2.ख— मुड़ने के कदम

चित्र 2.ग— कदमताल करना

अच्छे आसन का विकास

आपने देखा है कि कुछ बच्चों का चलने, खड़े होने, बैठने, दौड़ने का आसन सही नहीं होता। आइए हम कुछ आसन देखें। निम्नलिखित में से कौन-सा एक अच्छा आसन है? बैठने की स्थिति में आसन— पैर एक आरामदायक दूरी पर फर्श पर सपाट होने चाहिए। नीचे दिखाए अनुसार कुर्सी पर बैठें।

यदि हम ठीक से नहीं बैठते या खड़े होते या सोते हैं, तो हमें अपनी गर्दन और पीठ में लंबे समय तक दर्द हो सकता है। इसके लिए चिकित्सा विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ सकती है।

आसन सही करने के लिए निम्नलिखित अभ्यासों की संस्तुति की जाती है—

- भुजंग आसन
- चलते समय सिर को ऐसी स्थिति में रखें कि आँखें आगे की ओर देख रही हों।
- सिर पर किताब को संतुलित करते हुए चलें।

खेलों का महत्व

एक पल के लिए सोचो, बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप वास्तव में क्या करते हैं? क्या उन्होंने कभी कोई राष्ट्रीय प्रतियोगिता देखी है? क्या वे भी उनकी तरह खेलने की इच्छा रखते हैं? आपके क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा कक्षा की स्थिति क्या है? क्या हर कक्षा में शारीरिक शिक्षा के लिए एक नियमित अवधि है? क्या आपको लगता है कि प्राथमिक स्तर

चित्र 3 क— बैठने का आसान

चित्र 3 ख— सामान उठाने का आसान

© NCERT not to be republished

पर विद्यालयों में शारीरिक योग्यता गतिविधियों का संचालन करना केवल शारीरिक शिक्षा शिक्षक की ज़िम्मेदारी है? प्रतिभागियों से उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों के बारे में चर्चा करें। उनसे स्थानीय खेलों के बारे में भी पूछें जो उनके क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। उन्हें बताएँ कि व्यक्तिगत खेल और समूह खेल क्या होते हैं। व्यक्तिगत खेल ट्रैक और फील्ड इवेंट, जिमनास्टिक, तैराकी आदि हैं। ट्रैक और फील्ड इवेंट में दौड़ना, कूदना और फेंकना शामिल हैं। दौड़ में पूरे वेग से दौड़ना (स्प्रिंट), मध्यम दूरी और लंबी दूरी की दौड़ शामिल हैं, जबकि मैदानी खेलों में कूदना और फेंकना शामिल हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में कुशल प्रदर्शन के लिए कुछ मूलभूत कौशलों की आवश्यकता होती है। समूह खेल में विशिष्ट स्थान/स्थिति में खेलने के लिए कई खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। ये खेल विभिन्न समूहों के प्रति सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। समूह खेल में फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट आदि शामिल हैं। उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर बच्चों को किसी भी खेल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें स्वदेशी खेल और योग का अभ्यास करना शामिल है।

विभिन्न विषयों में शारीरिक शिक्षा का समेकन

- प्रत्येक समूह में से 5–6 प्रतिभागियों के अलग-अलग समूह बनाएँ।
- समूहों का नाम विभिन्न विषयों के नाम पर रखें, जैसे— भाषा, ई.वी.एस., गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान।
- उन्हें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर उस विषय को पढ़ाने के दौरान शारीरिक गतिविधियों को दर्शाने वाला चार्ट तैयार करने के लिए कहें।
- उन्हें 10 मिनट दें और फिर प्रत्येक समूह को प्रस्तुति देने के लिए कहें। जब एक समूह प्रस्तुति दे रहा हो तो अन्य समूहों को कोई भी सुझाव जोड़ने के लिए कहें। प्रस्तुति के बाद यह निष्कर्ष निकालें कि प्रत्येक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वह स्वयं के विषय क्षेत्र में हस्तांतरण करते समय शारीरिक गतिविधियों को समाकलन करे।

यम और नियम ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में निम्नलिखित मानकों की मदद करते हैं। यम के पाँच सिद्धांत हैं — अहिंसा, सत्य, अस्तेय (ईमानदारी), ब्रह्मचर्य (संयम) और अपरिग्रह (समभाव)। नियम के पाँच सिद्धांत हैं — शौच (स्वच्छता), संतोष (संतुष्टि), तपस (तपस्या), स्वाध्याय (अच्छे साहित्य का अध्ययन और 'स्वयं' के बारे में जानना) और ईश्वर प्रणिधान (सर्वोच्च पद के लिए समर्पण)।

समग्र स्वास्थ्य के लिए योग

यह जानने के लिए कि प्रतिभागियों को योग के बारे में कितना पता है, निम्नलिखित प्रश्न किए जा सकते हैं।

- योग से क्या समझते हैं?
- क्या योग को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए?
- बच्चों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योग कैसे मदद कर सकता है?
- बच्चों के लिए योग के क्या लाभ हैं?
- योग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

उनके साथ विचार-मंथन करें। चर्चा के बाद, निम्नलिखित प्रस्तुत किया जा सकता है—

आमतौर पर लोग सोचते हैं कि योग का अर्थ आसन और प्राणायाम ही है। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया (क्लींजिंग प्रैक्टिस), मुद्रा, बंध, धारणा और ध्यान जैसे कई अभ्यास शामिल हैं।

योग को अनौपचारिक तरीकों से प्राथमिक स्तर से शुरू किया जा सकता है, लेकिन योग अभ्यासों की औपचारिक शुरुआत केवल कक्षा 6 से शुरू होनी चाहिए। योग बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक तथा स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। योग शारीरिक स्तर पर शक्ति, सहनशक्ति, धैर्य और उच्च ऊर्जा के विकास में मदद करता है। यह स्वयं को मानसिक, आंतरिक और बाहरी सद्‌भाव की ओर ले जाने वाली एकाग्रता, शांति तथा संतोष में वृद्धि करता है। बच्चों के साथ योगाभ्यास का आयोजन करने की आवश्यकता है। कुछ आसनों, प्राणायाम और क्रियाओं के नाम आगे दिए गए हैं।

आसन

स्थायी आसन— ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, गरुड़ासन

बैठने की मुद्रा — योगमुद्रासन, बाध, पद्‌मासन, पश्चिमोतानासन, सुप्त वज्रासन, गौमुखासन, अर्द्धमत्स्येन्द्रासन

प्रवृत्त आसन— भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन

चित्त आसन—सेतुबंधासन, अर्द्धहलासन, मत्स्यासन, चक्रासन, पवन मुक्तासन

प्राणायाम— अनुलोम-विलोम, सितकारी, भ्रामरी

क्रिया— कपालभाति और अग्निसार

not to be republished © NCERT

योगमुद्रासन

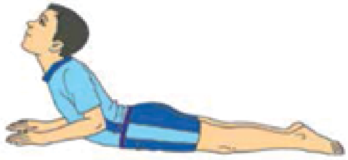

भुजंगासन

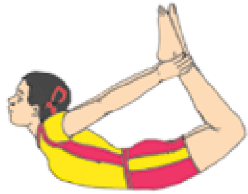

धनुरासन

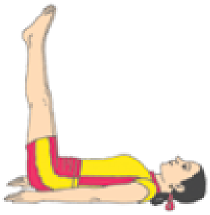

अर्द्धहलासन

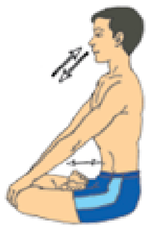

भस्त्रिका प्राणायाम

योगाभ्यासों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

- अधिकांश आसन, प्राणायाम और क्रियाओं का अभ्यास खाली पेट या बहुत हलके पेट करना चाहिए।
- सुबह का समय योग अभ्यास के लिए आदर्श समय है, लेकिन इसे शाम को खाली पेट या दोपहर के भोजन के तीन घंटे बाद भी किया जा सकता है।
- योग का अभ्यास जल्दबाज़ी में या जब आपको थकावट हो तो नहीं करना चाहिए।
- अपने अभ्यास के लिए हवादार, स्वच्छ और शांतिपूर्ण जगह का चयन करें।
- योगाभ्यास दरी या मैट पर किया जाना चाहिए।
- अभ्यास से पहले स्नान करना आदर्श है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता और मौसम के अनुसार ठंडे या गर्म पानी का उपयोग करें।
- योगाभ्यास करते समय कपड़े ढीले और आरामदायक होने चाहिए।
- श्वास यथासंभव सामान्य/प्राकृतिक होना चाहिए।
- योगिक अभ्यासों की सीमाएँ हैं। यदि आप किसी समस्या या पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, तो योगाभ्यास शुरू करने से पहले अपने शिक्षक को सूचित करें।
- प्रारंभिक स्तर पर, आसान अभ्यासों को अपनाया जाना चाहिए। बाद में अधिक मुश्किल योगाभ्यासों का अभ्यास किया जा सकता है।
- स्कूल में ठीक से सीखने के बाद घर पर योगाभ्यास किया जा सकता है।
- योग का अर्थ व्यापक है। इसलिए व्यक्ति को आसन और प्राणायाम के अलावा, जीवन में नैतिक तथा नीतिशास्त्रीय मूल्यों का अभ्यास करना चाहिए।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार योग विशेषज्ञों/योग शिक्षक

© NCERT not to be republished

के परामर्श के बाद ही इन गतिविधियों को करना चाहिए।

शारीरिक योग्यता, खेल और अन्य संबंधित जानकारी के लिए सुगमकर्ता निम्नलिखित संबंधित सामग्री को देख सकता है।

ध्यान दें— रा.शै.अ.प्र.प. ने प्राथमिक चरण के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के आकलन तथा कक्षा 6, 7 और 8 के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में शिक्षक मार्ग दर्शिका पर संसाधन पुस्तकें विकसित की हैं।

स्वस्थ भोजन की आदतें और स्वच्छता

शारीरिक गतिविधियों के साथ, स्वस्थ भोजन की आदतें और स्वच्छता भी आवश्यक हैं। शरीर तभी स्वस्थ रहता है, जब विभिन्न अंग प्रणालियाँ ठीक से काम करती हैं। जब पौष्टिक आहार नियमित रूप से लिया जाता है, स्वच्छ आदतें और नियमित शारीरिक व्यायाम किए जाते हैं तो अंग प्रणालियाँ तंदुरुस्त और स्वस्थ रहती हैं और स्वस्थ जीवन शैली देखी जाती है। एक स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है।

- शिक्षार्थियों को छोटे समूहों में विभाजित करें, ताकि किसी भी समूह में पाँच या छह से अधिक प्रतिभागी न हों। प्रत्येक समूह को कार्य दें। एक से अधिक समूह को एक ही कार्य दिया जा सकता है।
- समूहों को उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाना चाहिए।

समूह 1 के लिए कार्य

- किसी भी एक स्वस्थ भोजन (नाश्ते, दोपहर या रात के खाने) के लिए एक मैन्यू (व्यंजन सूची) तैयार करें और यह बताएँ कि समूह इसे स्वस्थ क्यों मानता है।

समूह 2 के लिए कार्य

- खाने की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देने के लिए कम से कम छह नारे विकसित करें और समूह को क्यों लगता है कि ये नारे महत्वपूर्ण हैं।

समूह 3 के लिए कार्य

- स्वस्थ भोजन बेचने के लिए एक विज्ञापन बनाएँ और सुझाव दें कि आप अपने साथियों के बीच खाने की स्वस्थ आदतों के बारे में जागरूकता कैसे बढ़ा सकते हैं।

समूह 4 के लिए कार्य

- आपको क्या लगता है कि मीडिया युवाओं के खाने की आदतों को कैसे प्रभावित करता है? कृपया कम से कम तीन उदाहरण साझा करें।

समूह 5 के लिए कार्य

- ऐसे स्वस्थ खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाएँ जिनकी जानकारी आपको अपने घरों/परिवारों/दोस्तों के परिवारों से मिली है। खाने की वस्तु के साथ, एक स्वास्थ्य लाभ लिखें। इनमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली सामग्री के साथ-साथ तैयार या पका हुआ भोजन शामिल हो सकता है। सभी समूहों द्वारा प्रस्तुति के बाद, शिक्षक को इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि —
- बच्चों को सावधानीपूर्वक नियोजित आहार की आवश्यकता होती है ताकि वे स्वस्थ रहें।
- संतुलित भोजन का अर्थ है—प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन को अपेक्षित अनुपात में शामिल करना, जैसा कि पृष्ठ 138 में दिए गए चित्र में दिखाया गया है

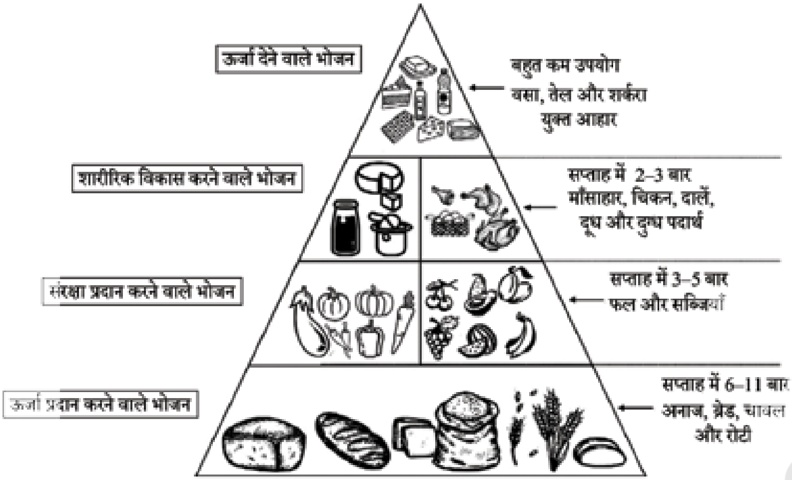

- प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थ होते हैं। इन्हें दैनिक भोजन के रूप में पहचाना और सेवन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, बाजरा, रागी कैल्शियम के बहुत समृद्ध स्रोत हैं और भारत के कई हिस्सों में आसानी से उपलब्ध हैं।
- डिब्बा बंद और संरक्षित भोजन (जंक फूड) स्वादिष्ट हो सकता है, लेकिन इनसे कभी भी नियमित भोजन को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें पर्याप्त पोषण मूल्य नहीं होता है।
- शीघ्रता से वज़न कम करने के लिए बहुत कम भोजन लेना या दुबला होने की दवा लेना हानिकारक हो सकता है, जब तक कि यह स्वास्थ्य कारणों से किसी योग्य पेशेवर (पोषण विशेषज्ञ, चिकित्सक) द्वारा निर्धारित न किया गया हो। लड़कियों को दुबला होने तथा लड़कों को लंबा और मसल्स बनने के लिए प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापन लोगों को अस्वास्थ्यकर खाने का विकल्प चुनने की दिशा में गुमराह कर सकते हैं। स्वस्थ खाने की आदतों में शामिल हैं—
- धीरे-धीरे भोजन करना, ठीक से चबाना
- भोजन करते समय टी.वी. देखने या पढ़ने से बचना
- संतलुित भोजन करना जिसमें अलग-अलग भोजन समूह पर्याप्त मात्रा में हों
- उचित अतंराल पर मध्यम अनुपात में भोजन करना
- भोजन के समय पर कभी भी भोजन न छोड़ना और न ही अधिक खाना
- पर्याप्त पानी पीना (प्रतिदिन 8 से 10 गिलास)

स्वच्छता की स्वस्थ आदतें

किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली खाद्य आदतों के अलावा अन्य कारकों के बारे में सोचने के लिए शिक्षार्थियों से पूछें। शिक्षार्थी शारीरिक व्यायाम, स्वच्छ वातावरण, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि के बारे में बात कर सकते हैं।

क्या इन व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों का अभ्यास करने में कोई चुनौती है?

© NCERT not to be republished

यदि कोई व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए नहीं रखता है तो क्या हो सकता है? कई प्रतिक्रियाएँ होंगी। घोषणा करें कि वे 'पासिंग द पार्सल' नामक खेल खेलने जा रहे हैं।

- सभी शिक्षार्थियों को एक घेरे में खड़े होने के लिए कहें। आकार बड़ा होने की स्थिति में, केवल 10–12 शिक्षार्थियों को सामने आने और उन्हें एक घेरा बनाने के लिए कहें। दूसरे अनुमान लगाएँगे।
- घेरे के केंद्र में स्वस्थ स्वच्छता अभ्यासों पर 15 पर्चियाँ रखें।
- एक स्वयंसेवक ताली बजाएगा।
- जैसे ही ताली बजने लगेगी, बाकी शिक्षार्थी बगल में खड़े व्यक्ति को गेंद देना शुरू कर देंगे।
- जब ताली बजनी बंद हो जाएगी, उस समय जिस शिक्षार्थी के पास गेंद होगी, वह कटोरे से एक पर्ची उठा लेगा और अभिनय द्वारा अभ्यास को व्यक्त करने की कोशिश करेगा (शब्दों का उच्चारण करने की मनाही होगी)।
- समूह और कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों को प्रदर्शित होने वाली गतिविधि का अनुमान लगाना होगा।
- यदि अभिनय सही ढंग से नहीं किया गया है, तो प्रदर्शन करने के लिए एक और स्वयंसेवक को बुलाएँ। सुनिश्चित करें कि शिक्षार्थी अभिनय का अनुमान लगाने में सक्षम हों, अन्यथा अभ्यास को प्रकट करें।
- सुनिश्चित करें कि हर कोई अभ्यास को समझता है, यदि आवश्यक हो तो समझाएँ। शिक्षार्थियों से पूछें कि क्या वे इस अभ्यास का पालन करते हैं? कितनी बार ऐसा करते हैं? इस अभ्यास का क्या लाभ है? इससे सुनिश्चित होगा कि वे खेल खेलते समय चिंतन-मनन करेंगे।
- अगला अभ्यास करने से पहले, सभी शिक्षार्थियों को एक बार इस गतिविधि को दोहराने के लिए कहें।
- जब तक सभी 15 पर्चियाँ पूरी नहीं हो जातीं, खेल जारी रखें।

पर्ची में लिखे संभावित अभ्यास

1. शौचालय जाने के बाद साबुन और पानी से हाथ धोना
2. दाँतों को दिन में दो बार साफ़ करना
3. प्रतिदिन स्नान करना
4. हाथों और पैरों के नाखूनों को काटना
5. चेहरा धोते समय आँखों की सफ़ाई करना
6. कान साफ़ रखना
7. खाँसते समय मुँह ढकना
8. छींकते समय सिर घुमा लेना या मुँह ढकना
9. साफ़ कपड़े पहनना
10. भोजन के बाद कुल्ला करना
11. शौचालय उपयोग के बाद उसे साफ़ करना
12. नाखून न चबाना
13. नाक नहीं कुरेदना
14. बालों में रोज़ कंघी करना
15. आस-पास की सफ़ाई रखना

तस्वीर के आधार पर, विद्यार्थियों के साथ इस तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। शिक्षक नामों के साथ एक चार्ट तैयार कर सकता है और इसे कक्षा की दीवार पर लगा सकता है।

- प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी आदत को तारांकित करने के लिए कहें। यह प्रक्रिया चित्र (पृष्ठ संख्या 140) में दिखाए अनुसार एक सप्ताह तक जारी रह सकती है।
- उन्हें आगे या पीछे बैठे विद्यार्थी के साथ अपनी सूची साझा करने के लिए कहें।

© NCERT not to be republished

- सप्ताह के अंत में, कागज़ पर लिखें और देखें कि क्या अभ्यास एक आदत बन रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो वे इस अभ्यास को जारी रख सकते हैं।

सुगमकर्ता/शिक्षक बताते हैं कि

- तीनों प्रकार के खाद्य पदार्थों की सही मात्रा के साथ संतुलित आहार (सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित ऊर्जा देने वाला, शरीर निर्माण करने वाला और सुरक्षा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ) लेना स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही समान रूप से महत्वपूर्ण है— संक्रमण से बचने के लिए अच्छे स्वच्छता अभ्यासों का पालन करना।
- व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने से बैक्टीरिया या वायरस से होने वाली बीमारियों और संक्रमण को रोका जाता है।
- व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए हाथ धोने (खाना खाने से पहले या खाना बनाने, शौचालय जाने या खाना खाने के बाद) जैसी व्यक्तिगत गतिविधियाँ की जा सकती हैं। दिन में कम से कम दो बार दाँतों को साफ़ करना, हर बार भोजन के बाद कुल्ला करना, लंबे नाखूनों को काटना, प्रतिदिन स्नान करना,नाखून न चबाना या नाक न कुरेदना, रोज़ाना अंदर के कपड़े बदलना, बाहर जाते समय जूते पहनना, खाँसते या छींकते समय सिर को घुमा लेना या मुँह ढकना।
- व्यक्तिगत स्वच्छता एक अच्छी आदत है जिसका अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी को अभ्यास करना चाहिए।

आकलन के लिए प्रश्न

1. स्वस्थ खाने की आदतों का वर्णन करें।
2. अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है?

3. कौन-से व्यक्तिगत स्वच्छता अभ्यासों को प्रतिदिन कम से कम एक बार करना चाहिए?

भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य

विभिन्न भावनाओं पर प्रतिभागियों के साथ विचार-मंथन करें। उन्हें अधिक से अधिक भावनाओं के साथ आने के लिए प्रोत्साहित करें। ब्लैकबोर्ड पर भावनाओं को लिखें। उन्हें भावनाओं की सूची वाली तालिका दिखाएँ।

भावनाएँ			
खुश	शर्म	आश्चर्यचकित	भयभीत
क्रोधित	हर्षित	दु:खी	उलझन में
संतुष्ट	दुख पहुँचना	उलझन में	आशावान
प्यारा	ईर्ष्यालु	हताश	दोषी
उत्साहित	चिंतित	चिढ़ा हुआ	मूर्ख
निराश	गर्वित	तनाव	शर्मिंदा

- अब उनसे पूछें कि शरीर का क्या होता है जब—
  - हम गुस्से में हैं?
  - हम खुश महसूस करते हैं?
  - हम दुखी महसूस करते हैं?
  - हम उत्साहित महसूस करते हैं?
  - हम भयभीत हैं?

© NCERT not to be republished

- शिक्षार्थियों से प्रतिक्रियाओं में जोड़ने के लिए नीचे दी गई जानकारी का उपयोग करें—
  - गुस्सा— हमें गर्मी लगने लगती है, पसीना आने लगता है या सिर दर्द होने लगता है।
  - खुश— हम ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं, हमारा शरीर हल्का महसूस कर सकता है।
  - दुखी— हम सुस्त महसूस कर सकते हैं।
  - उत्साहित— हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है।
  - डर— हमें पसीना आ सकता है, रोंगटे खड़े हो सकते हैं।
- हमारी भावनाओं से अवगत होना और उस पर लेबल लगाना, पहला कदम है और उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित करना अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। भावनाएँ हर किसी के जीवन का एक हिस्सा हैं — वे न तो अच्छी हैं और न ही बुरी, लेकिन वे कैसे व्यक्त होती हैं, यह अधिक महत्वपूर्ण है।
- भावनाओं के बारे में जागरूकता विकसित करना एक कौशल है जो समय के साथ आता है और इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति के साथ-साथ एक समूह के रूप में स्वयं के गुणों को जानना भी महत्वपूर्ण है।

मेरे मुख्य गुण— 'मेरे पास है, मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, हमारे पास है, हम हैं, हम कर सकते हैं'

- हर किसी के पास अलग-अलग मुख्य गुण होते हैं, यह चाहे मूल्य, विलक्षणता, स्वभाव, विशेषता, दृष्टिकोण, विश्वास या संसाधन हो। मुख्य गुणों में से कुछ माफ़ी, दयालुता, समूह कार्य, शारीरिक व्यायाम क्षमता, संगीत प्रतिभा, विनम्रता, रचनात्मकता, जिज्ञासा, साहस, दया, हास्य और भी कई अन्य हो सकते हैं। आइए हम उन गुणों का पता लगाएँ। ब्लैकबोर्ड पर 'मैं हूँ', 'मेरे पास है', 'मैं कर सकता हूँ' शीर्षकों के साथ तीन कॉलम की एक तालिका बनाएँ, जो उदाहरण के रूप में नीचे दी गई है—

मैं हूँ	**मेरे पास है**	**मैं कर सकता हूँ**
(आंतरिक व्यक्तिगत गुण— भावनाएँ, दृष्टिकोण और विश्वास जो सहयोग से मज़बूत हो सकती हैं) जैसे— मैं ईमानदार हूँ और मेरा मानना है कि अगर हमें अपने सपनों को हासिल करना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए।	(लचीलापन और कल्याण को बढ़ावा देने वाली बाहरी सहायता, संसाधन, मदद) जैसे— मेरी एक प्यारी चाची है जो मेरा समर्थन और मार्गदर्शन करती हैं। मेरे 2 करीबी दोस्त हैं जिनके साथ मैं सब कुछ साझा करता हूँ।	(सामाजिक और पारस्परिक कौशल— दूसरों के साथ बातचीत करके सीखे या प्राप्त किए गए) जैसे— मैं अपने आस-पास के लोगों के साथ अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त करने में सक्षम हूँ। मेरे ज्यादातर साथी मुझ पर भरोसा करते हैं।

पाँच-सात प्रतिभागियों के समूह बनाएँ और उनसे ऐसे गुणों को लिखने को कहें जिसे वे एक समूह में प्राप्त करते हैं और वे इसे अपनी कॉपी में 'हम हैं', 'हमारे पास है' और 'हम कर सकते हैं' के अंतर्गत कॉलम में भरें। बॉक्स में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको व्यक्तिगत पहचान और समूह के गुणों, अवगुणों, अवसरों और खतरों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। समूहों को चर्चा के लिए 10 मिनट दें और बड़े समूह में प्रस्तुति देने को कहें। चर्चाओं के आधार पर आप मुख्य बिंदुओं को उजागर कर सकते हैं।

© NCERT not to be republished

- अपने गुणों, अवगुणों, अवसरों और खतरों की पहचान करना और उनका उपयोग करना कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। व्यक्तिगत चुनौतियों के प्रबंधन के साथ-साथ उपलब्ध अवसरों का अच्छा उपयोग करने के लिए गुणों का क्रियान्वयन किया जा सकता है।

- गुण— मेरे/हमारे गुण क्या हैं?
- मुझे/हमें किन उपलब्धियों पर गर्व है?
- वे कौन-सी चीज़ें हैं जो मैं/हम करते हैं और जो खुश रहने और चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने में मदद करती हैं?
- अवगुण— मुझमें किस कौशल या अधिगम का अभाव है या उनमें सुधार की आवश्यकता है?
- मेरे शिक्षक या सहपाठी/मित्र या माता-पिता किन चीज़ों को मेरा अवगुण बताते हैं?
- अवसर— मुझे नये कौशल सीखने के लिए कौन-से अवसर उपलब्ध हैं?
- कौन लोग हैं जो मेरा समर्थन कर सकते हैं?
- खतरे— मुझे/हमें कौन से बाहरी संसाधनों की कमी हैं (सहकर्मी समर्थन/अभिभावक समर्थन आदि) जो मेरी प्रगति को रोकते हैं?
- कौन-से बाहरी कारक (दोस्तों/शिक्षकों/माता-पिता द्वारा की गई माँगें, भयभीत करना, संघर्ष) मुझे कार्य करने और संबंधों में सफलता प्राप्त करने से रोकते हैं?

- सुधार या अवगुणों के क्षेत्रों की पहचान करना व्यक्तियों के विकास और उन्हें बेहतर बनने में मदद करता है ताकि वे व्यक्तिगत चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों।
- यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति ऐसे लोगों की पहचान करे जो नये कौशल और क्षमताओं को सीखने के लिए उनका समर्थन कर सकते हैं, नये अधिगम और व्यक्तिगत विकास के अवसर बनाने में मदद कर सकते हैं।

गतिविधि 6— विभिन्न परिस्थितियों में कोई कैसे व्यवहार करता है, इस पर भूमिका निर्वहन

- प्रतिभागियों को 5–6 सदस्यों के समूहों में विभाजित करें।
- एक स्थिति को एक से अधिक समूहों को दिया जा सकता है।
- भूमिका निर्वहन के लिए 10 मिनट का समय दें।
- एक सहपाठी ने आपके खिलाफ़ एक सख्त कक्षा शिक्षक को झूठी शिकायत दर्ज़ कराई।
- घर पर कोई समस्या है और आपका सबसे अच्छा दोस्त आपसे मिलने आता है।
- आप विद्यालय में किसी विषय में अच्छा नहीं करते हैं।
- आपके पिता आपको बिना किसी कारण के डाँटते हैं।
- आपकी टीम एक अंतर-विद्यालयी खेल प्रतियोगिता जीतती है।

भूमिका निर्वहन और चर्चा के बाद शिक्षक सार प्रस्तुत करता है—

- हम विभिन्न स्थितियों में सकारात्मक से नकारात्मक भावनाओं की सीमा तक के विभिन्न अनुभव करते हैं, उदाहरण के लिए खुशी, संतुष्टि, उदासी, क्रोध, हताशा आदि।
- इनको हमारे आस-पास के लोगों द्वारा और अधिक बढ़ाया जाता है।
- इन भावनाओं को व्यक्त करना आवश्यक है, लेकिन अभिव्यक्ति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से की जा सकती है।
- यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि तनाव और क्रोध ऐसी भावनाएँ हैं जिनसे निपटा जा सकता है और इन्हें नियंत्रित और कम किया जा सकता है।

© NCERT not to be republished

- दूसरों से तुलना करने के बजाय, स्वयं के साथ प्रतिस्पर्धा करने और स्वयं के प्रदर्शन/व्यवहार में लगातार सुधार करना कहीं अधिक बेहतर है।
- जब वे चुनौतीपूर्ण भावनाओं का अनुभव करके बोर्ड पर लिखी सूची में जोड़ते हैं, तो वे अन्य स्वस्थ प्रतिक्रियाओं का क्या उपयोग कर सकते हैं, इस पर चर्चा करें। दी गई संदर्भ सूची से कुछ जोड़ें।
  - संगीत सुनना
  - बेचैन होने पर गहरी साँसें लेना
  - क्रोधित होने पर खेलना, सीढ़ियों से ऊपर और नीचे भागना
  - ध्यान या प्रार्थना करना
  - जगह को छोड़ना
  - किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी भावनाओं के बारे में बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं और जो संभवतः घटना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है
  - अपने पसंदीदा संगीत को सुनें
  - व्यायाम या कुछ शारीरिक गतिविधि करें
  - जिस व्यक्ति से आप नाराज हैं, उसे एक पत्र लिखें और फिर उसे नष्ट कर दें
  - एक मज़ेदार फ़िल्म देखें
  - अपने पसंदीदा शौक को समय दें
  - कुछ रचनात्मक करें
  - किसी और की मदद करें

पोषण, शारीरिक गतिविधि, तनाव का सामना करने के तरीके, अच्छे संबंध और एक स्वस्थ मस्तिष्क जैसे कारक हमारे कल्याण की अवस्था को प्रभावित करते हैं। जब हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो कुछ लोग स्वयं ही कल्याण की स्थिति में लौट आते हैं, जबकि अन्य को मदद की आवश्यकता हो सकती है।

आत्म-निरीक्षण के लिए प्रश्न

प्रत्येक प्रतिभागी को दो प्रश्नों में से प्रत्येक के जवाब में कम से कम तीन लक्षणों/गुणों को दर्ज़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- मैं मूल्यवान और महत्वपूर्ण हूँ क्योंकि______
- मेरा परिवार, दोस्त और शिक्षक मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ____________

  सुगमकर्ता को निम्नलिखित पर ज़ोर देना चाहिए—
- सकारात्मक लक्षणों/गुणों के बारे में जागरूकता, व्यक्ति को अच्छा महसूस कराती है और आत्मसम्मान को बढ़ाती है।
- हमारे जीवन में महत्वपूर्ण लोगों (उदाहरण के लिए, मित्र, परिवार, शिक्षक) से मिलने वाली सकारात्मक प्रतिक्रिया भी हमें अपने बारे में अच्छा महसूस करने में मदद करती है।
- दूसरों की प्रशंसा करना भी हमें अच्छा लगता है।
- जब हम अच्छा महसूस करते हैं, तो हम दिन -प्रतिदिन की स्थितियों का सकारात्मक रूप से जवाब देते हैं।
- सकारात्मक दृष्टिकोण हमें अपनी असफलताओं और कमियों को पहचानने और उन पर काम करने में मदद करता है और स्वयं के प्रति कठोर न होकर लगातार अपने आप को बेहतर बनाता है।

विद्यालयों में सुरक्षा और निर्भयता

'विद्यालय सुरक्षा' को बच्चों के लिए अपने घरों से विद्यालय तक सुरक्षित जाने और फिर सुरक्षित वापस आने तक, सुरक्षित वातावरण के निर्माण के रूप में

© NCERT not to be republished

परिभाषित किया गया है। इसमें भू-विज्ञान/जलवायु जनित बड़े 'प्राकृतिक' खतरों, मानव निर्मित जोखिम, महामारी, हिंसा के साथ-साथ छोटे पैमाने पर बार-बार आग लगना, परिवहन तथा अन्य संबंधित आपात स्थितियाँ शामिल हैं, जो बच्चों के जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं। विद्यालय सुरक्षा प्रयासों के अंतर्गत बाढ़ और भूकंप, जर्जर इमारतें, शिथिल रूप से रखी भारी वस्तुएँ, जैसे अलमारियाँ, परिसर में साँपों या कीटों द्वारा आक्रमण, फ़र्श या विद्यालय की चारदीवारी का ऊँचा-नीचा, टूटा या अनुपस्थित होना, संकरा निकासी मार्ग, गलत तरीके से डिज़ाइन और अव्यस्थित ढंग से रखे गए फ़र्नीचर, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ और सड़क सुरक्षा आदि सभी प्रकार के खतरों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बच्चों की सुरक्षा को समग्रता के साथ देखने और उनके शिक्षकों और माता-पिता को दृश्य और अदृश्य जोखिमों को भी इनमें शामिल करने की आवश्यकता है।

सड़क सुरक्षा के लिए, बच्चों को चाहिए कि वे
- संकेतों को जानें
- रूको, देखो, और फिर पार करो ...
- ध्यान दें और सुनें
- सड़कों पर दौड़ें नहीं...
- हमेशा पैदल यात्री पथ का उपयोग करें ...
- चौराहे और पैदल यात्री पथ से सड़क को पार करें...
- कभी भी वाहन के बाहर हाथ न निकालें ...
- मोड़ पर कभी भी सड़क पार न करें

स्कूल प्रशासन

- साप्ताहिक ज्ञान और जीवन-कौशल निर्माण गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करें।
- विद्यालय विकास योजना में विद्यालय सुरक्षा मद्दों को शामिल करें।
- सुनिश्चित करें कि शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को आपदा जोखिम कम करने का उचित प्रशिक्षण मिले।
- सुरक्षा नियोजन अभ्यास में पी.आर.आई./ शहरी स्थानीय निकायों और लाइन विभागों को शामिल करें।
- सुनिश्चित करें कि विद्यालय की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक मानदंड और मानक, अपने विद्यालय भवन और गतिविधियों में लागू किए जाएँ।
- एस.डी.पी. को तैयार करने और लागू करने के लिए बच्चों और निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित विद्यालय समुदाय की सक्रिय और न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित करें।
- आपदा जोखिम में कमी करने की शिक्षा और इसके प्रसार में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने तथा समर्थन करने के लिए परिवारों और समुदायों में उपयुक्त रणनीतियों को अपनाएँ।

गतिविधि 7

आपदा प्रबंधन के बारे में विभिन्न हितधारकों की भूमिका और ज़िम्मेदारियों पर एक चार्ट तैयार करें।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी. डी.एम.ए.)
- राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा प्राधिकरण
- राज्य स्तरीय शिक्षा प्राधिकरण
- जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा प्राधिकरण
- एस.सी.ई.आर.टी. और डायट

© NCERT not to be republished

- विद्यालय प्रशासन
- विद्यालयों के लिए प्रत्यायन और पंजीकरण प्राधिकरण
- पी.आर.आई./शहरी स्थानीय निकाय और लाइन विभाग
- विद्यालयों के बच्चे

विद्यालय के बच्चों का एक सुरक्षित शिक्षण वातावरण का अधिकार किसी एक संस्था की ज़िम्मेदारी नहीं हो सकती है। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति इस बात की पुष्टि करती है कि आपदा प्रबंधन हर किसी की ज़िम्मेदारी है।

गतिविधि 8— हिंसा और उत्पीड़न

शिक्षार्थियों को कार्टून स्ट्रिप्स दिखाते हुए धीरे-धीरे नीचे दी गई प्रत्येक कहानी पढ़ें।

यदि संभव हो, तो कार्टून स्ट्रिप्स की फोटोकॉपी बनाएँ और प्रतिभागियों के साथ साझा करें।

प्रत्येक कहानी को पढ़ने के बाद, चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक कहानी के नीचे दिए गए चर्चा प्रश्नों का उपयोग करें।

चर्चा के लिए प्रश्न क्या कहानी में हिंसा है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं?

- आपको क्या लगता है कि उषा को इस स्थिति में कैसा लगा होगा?
- क्या विद्यालय आधारित कहानी में शिक्षक अलग तरह से व्यवहार कर सकता था? यदि हाँ, तो कैसे?
- दूसरी कहानी में दी गई इस स्थिति में लड़की कैसा महसूस करेगी?
- क्या ऐसी घटनाएँ अकसर महिलाओं और लड़कियों के साथ होती हैं?

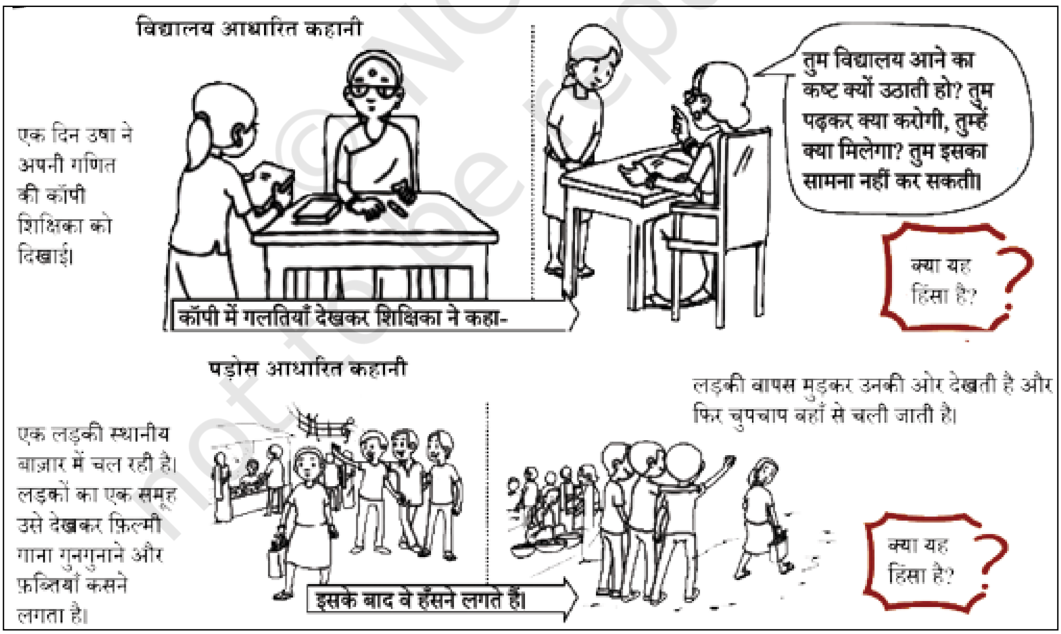

- ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है?
- लड़की इस उत्पीड़न को रोकने और मदद लेने के लिए क्या कर सकती है?
- शिक्षक नीचे दिए गए कथन का उपयोग करके एक प्रश्नोत्तरी भी आयोजित कर सकते हैं।

गतिविधि 9— प्रश्नोत्तरी आयोजित करें

- एक पिता अपने बच्चे की पढ़ाई में मदद करता है।
- जब राधा अपने गृहकार्य में गलती करती है, तो शिक्षक उसे 'बेवकूफ' कहते हैं।
- बड़ा लड़का खेलते समय एक छोटे लड़के को धक्का देता है।
- कोमल की कक्षा की लड़कियाँ उसका मज़ाक उड़ाती हैं, क्योंकि उसके बाल छोटे हैं।
- माँ अपनी बेटी को तैयार होने में मदद करती है।
- लड़के, लड़कियों को देखते ही सीटी बजाने लगते हैं।
- सोनू की माँ ने एक पुस्तक फटने पर उसकी पिटाई की।
- बच्चा पड़ोसी के छूने के तरीके को पसंद नहीं करता।
- अली के दोस्त उसका मज़ाक उड़ाते हैं क्योंकि वह लड़कियों पर टिप्पणी नहीं करता है।
- वयस्क व्यक्ति एक बच्चे को अश्लील तस्वीरें दिखाता है।
- पड़ोसी रूपेश को चिढ़ाते हैं क्योंकि वह घर के कामों में मदद करता है।
- ट्यूटर जेम्स को अनुचित तरीके से छूता है।
- रॉबर्ट और मीना साथ खो-खो खेलते हैं।

गतिविधि 10— विद्यार्थियों के लिए

विद्यार्थियों को परिवेश (विद्यालय, घर और समुदाय) का अवलोकन करके विचार करने के लिए कहें—

- क्या वे अपने आस-पास हिंसा होते देखते हैं? वे हिंसा के किन रूपों को देखते हैं? उनको दोस्तों और/या माता-पिता के साथ चर्चा करने को कहें कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है?
- पिछले दो सप्ताह के समाचार-पत्रों को पढ़ें और उन लेखों को काटें जिन में हिंसा किसी भी रूप में हैं। अपने दोस्तों और/या माता-पिता के साथ चर्चा करें कि इन्हें रोकने के लिए क्या किया जा सकता है?
- क्या आपने अकेले या किसी की मदद से, अपने आस-पास हिंसा को रोकने या उसमें हस्तक्षेप करने के लिए कुछ भी किया है? ऐसे अनुभवों के बारे में लिखें या चित्र बनाएँ और अपने दोस्तों अथवा कक्षा शिक्षक के साथ चर्चा करें।
- बच्चों को उन विश्वसनीय वयस्कों की सूची बनाने के लिए प्रोत्साहित करें जिनसे वे किसी भी असुरक्षित स्थिति में मदद ले सकते हैं।
- हिंसा और दुर्व्यवहार के मामले में प्रतिक्रिया और मदद माँगने वाले महत्वपर्णू संदेशों के साथ अपने विद्यालय के लिए एक पोस्टर बनाएँ।

शिक्षक इन विचारों की पुष्टि करता है—

- कोई भी ऐसा कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ़ किया जाता है और जिससे उसे चोट (शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या यौन) पहुँचती है, वह हिंसा है।
- शक्तिशाली लोग कम शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करने के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं।
- व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी समय पर हिंसा का सामना कर सकता है। ऐसे व्यक्ति, जो समाज में लिंग, आयु, जाति, वर्ग आदि के लिहाज से

© NCERT not to be republished

कम शक्तिशाली हैं, उनके हिंसा का सामना करने की अधिक आंशका है।

- हिंसा और दुर्व्यवहार; भावनात्मक हिंसा, यौन उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा, शारीरिक दंड, धमकाना आदि किसी भी रूप में हो सकता है।
- हिंसा की कई अन्य स्थितियाँ हो सकती हैं। हिंसा किसी भी रूप में या किसी भी स्थिति में, कभी भी स्वीकार्य नहीं है। जीवन को अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी सुरक्षित बनाने में मदद करने के लिए रोज़मर्रा की जिंदगी में हिंसा को चुनौती देने की ज़रूरत है।
- हिंसा का सामना करने पर हमेशा मदद लेने की कोशिश करनी चाहिए। चुप रहना और हिंसा की रिपोर्ट दर्ज न कराना स्थिति को और बिगाड़ सकता है।
- ऐसे विभिन्न लोग, सेवाएँ और संस्थाएँ हैं जिन्हें ऐसी स्थितियों में हमारी मदद करनी चाहिए। हिंसा की स्थितियों पर सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण है।
- दृढ़ता के साथ 'नहीं' कहो। अगर आपको 'नहीं' कहना मुश्किल हो रहा है तो सोचना शुरू करो 'नहीं के बारे में, सोचो नहीं'
- मौका मिलने पर उस व्यक्ति से दूर चले जाएँ। एक सुरक्षित जगह पर पहुँचें जहाँ अधिक लोग हों। यदि आपको ऑनलाइन तंग किया जा रहा है, तो ऑफ़लाइन हो जाएँ।
- बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानून हैं।
- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से बच्चों को चोट नहीं पहुँचा सकता है।
- बच्चों का यौन शोषण होने की स्थिति में उनका समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए यौन अपराध अधिनियम (पॉक्सो) कानून बनाया है। कोई भी व्यक्ति (चाहे वह वयस्क हो या बच्चा), जो बच्चों का यौन शोषण करता है या अनुच्छेद 34 को तोड़ता है, उसे इस कानून के तहत दंड भुगतने होंगे।

इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा

आजकल बहुत से लोग शीघ्रता से जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट जैसे नये मीडिया का उपयोग करते हैं; साथ ही, वे काफी समय मीडिया पर भी व्यतीत करते हैं। यद्यपि मीडिया जानकारी का एक समृद्ध स्रोत है, लेकिन मीडिया के माध्यम से मिलने वाले सभी जानकारियाँ सच या विश्वसनीय नहीं हो सकती हैं। हमें विज्ञापनों में दिखाई गई हर चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सूचनाओं को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। गलत सूचनाएँ हमारी मनोदृष्टि और व्यवहार को प्रभावित करती है। मीडिया और इंटरनेट का उपयोग करते समय एक विश्वसनीय वयस्क से मार्गदर्शन लेना चाहिए।

गतिविधि 11— मीडिया के उचित उपयोग के लिए दैनंदिनी (डायरी)

सुगमकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन

- प्रतिभागी को बताएँ कि इस गतिविधि के माध्यम से हम सकारात्मक और नकारात्मक संदेशों के बीच भेदभाव करने की क्षमता विकसित करने का प्रयास करेंगे। हमने यह भी सीखा कि 'वास्तविक' और 'आभासी' के बीच बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए हमें लुभावनें विज्ञापनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए या मीडिया पर दिखाई देने वाली हर चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए।

© NCERT not to be republished

- शिक्षार्थियों को बताएँ कि हम सभी के पास प्रतिदिन केवल सीमित घंटे होते हैं, जिसके भीतर हमें वह सब करना है जो हम करना चाहते हैं — काम, आराम, माता-पिता के साथ समय व्यतीत करना और इसी तरह के अन्य कार्य।
- इसके लिए, हम एक समय दैनिकी बना रहे हैं।
- ब्लैकबोर्ड पर निम्न तालिका बनाएँ—

समय	गतिविधि	मीडिया/गैजेट जिसका आप इस दौरान उपयोग करते हैं।	मीडिया/ गैजेट पर आप जो भी समय बिताते हैं और किस कारण से
प्रात: 6:00–7:00 तक	उठना और तैयार होना	समाचार-पत्र	15 मिनट, पहला पृष्ठ और खेल समाचार पढ़ना
प्रात: 7:00–7:30 तक	नाश्ता करना और विद्यालय के लिए जाना	रेडियो	5 मिनट, संगीत सुनना

- प्रतिभागियों से उनकी कॉपियों में तालिका बनाने के लिए कहें। बच्चों के लिए भी इसी तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है।
- उन्हें अपने दिन के बारे में सोचने और उनकी सभी गतिविधियों को याद करने के लिए कहें और उन गतिविधियों को समय तालिका में लिखें।
- मीडिया पर बिताए समय पर एक चर्चा करें। चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सभी को प्रोत्साहित करें।
- अब उन्हें विभिन्न गतिविधियों पर बिताए गए समय को समायोजित करने के लिए कहें, ताकि वे अपने दिन का बेहतर उपयोग कर सकें।

इन बिंदुओं पर चिंतन करें

- कुल समय में से आप कितना समय विभिन्न मीडिया पर बिता रहे हैं?
- क्या आपको लगता है कि आप शारीरिक गतिविधियों, शौक और नये कौशल सीखने के लिए पर्याप्त समय दे रहे हैं?
- मीडिया पर अधिक समय बिताने का हमारे स्वास्थ्य और संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

समय सीमित है, इसलिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसका सदुपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक गतिविधि, जैसे— घर में बैठकर टी.वी. देखने/इंटरनेट आदि पर समय बिताने के बजाय खेलने, व्यायाम करने, अपने पसंदीदा शौक की कोई चीज़ करने आदि जैसी प्रत्येक गतिविधि के लिए उचित समय निर्धारित करना बेहतर है।

एक सप्ताह के लिए योजना का पालन करने का प्रयास करें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में किसी भी अंतर को दर्ज़ करें। अन्य शिक्षकों के साथ परिवर्तन साझा करें।

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद, प्रतिभागी/शिक्षार्थी वास्तविक जीवन में अपने समग्र विकास को बढ़ाने में सक्षम होंगे। इस मॉड्यूल के कार्य-व्यवहार के दौरान अपनाई गई सहभागिता उन्मुख प्रक्रिया और गैर-निर्णयात्मक दृष्टि कोण से गंभीर रूप से सोचने, विभिन्न मुद्दों और चिंताओं का विश्लेषण करने और स्वास्थ्य तथा कल्याण से संबंधित प्रभावों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान होगा।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण. 2016. *नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस स्कूल सेफ़्टी पॉलिसी*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 2015. *योग— स्वस्थ रहने का तरीका— उच्च प्राथमिक स्तर*, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

———. 2015. *योगा—ए हेल्थी वे ऑफ़ लिविंग*. सेकेंडरी स्टेज. नयी दिल्ली.

———. 2016. *टीचर्स गाइड ऑन हेल्थ एंड फ़िजिकल एजुकेशन* (कक्षा 6). नयी दिल्ली.

———. 2017. *टीचर्स गाइड ऑन हेल्थ एंड फ़िजिकल एजुकेशन* (कक्षा 7). नयी दिल्ली.

———. 2017. *सिम्मीज जर्नी टूवडर्स क्लीनली, सेनिटेशन एंड हाइजीन* (प्राइमरी स्टेज़). नयी दिल्ली.

———. 2017. *सेनिटेशन एंड हाइजीन— अपर प्राइमरी स्टेज*. नयी दिल्ली.

———. 2018. हेल्थ एंड वेलनेस. करिकुलम फ्रेमवर्क. नयी दिल्ली.

———. 2019. *टीचर्स गाइड ऑन हेल्थ एंड फ़िजिकल एजुकेशन*. (कक्षा 8). नयी दिल्ली.

———. 2019. *प्रशिक्षण और संसाधन सामग्री (*संशोधित). नयी दिल्ली.

———. 2019. *हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग मैटेरियल*. नयी दिल्ली.

———. 2019. *हेल्थ एंड वेलनेस*. *फैसिलिटेटर गाइड*. नयी दिल्ली.

खेल-समन्वयक एक और क्रॉस-करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसके तहत स्थानीय खेलों सहित विविध शारिरिक गतिविधियों का शिक्षण प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है, ताकि परस्पर सहयोग, स्वत: पहल करना, स्वयं निर्देशित होकर कार्य करना, स्व-अनुशासन, टीम भावना, ज़िम्मेदारी, नागरिकता, आदि जैसे कौशल विकसित करने में सहायता हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

© NCERT not to be republished

बालमन कुछ कहता है

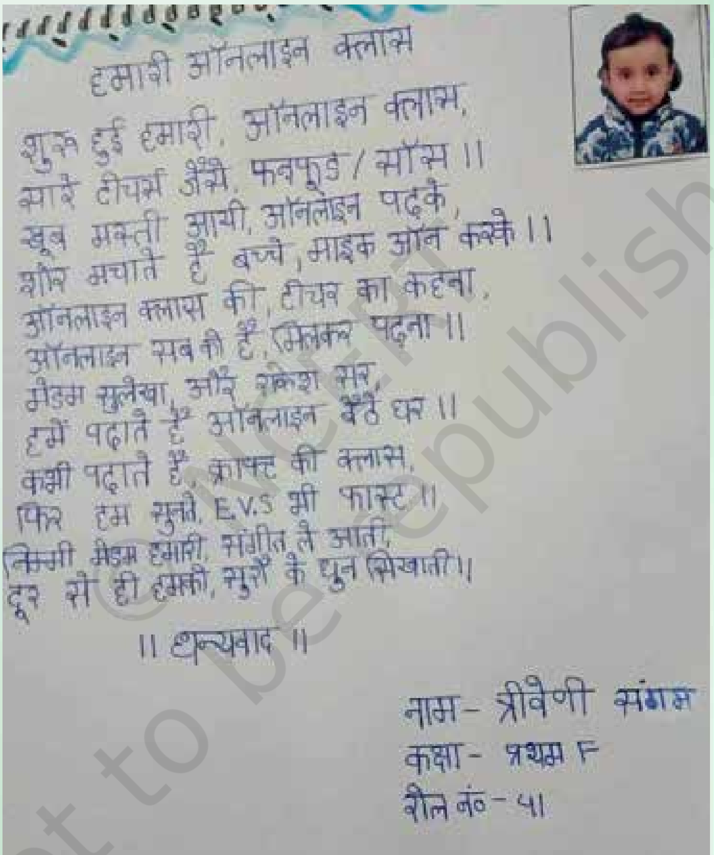
हमारी ऑनलाइन क्लास

शुरू हुई हमारी, ऑनलाइन क्लास,
सारे टीचर्स जैसे, फवफुड / सॉस ।।
खूब मस्ती आयी, ऑनलाइन पढ़के,
शोर मचाते हैं बच्चे, माइक ऑन करके ।।
ऑनलाइन क्लास की, टीचर का कहना,
ऑनलाइन सबकी है, मिलकर पढ़ना ।।
मैडम सुलेखा, और राकेश सर,
हमें पढ़ाते हैं ऑनलाइन बैठे घर ।।
कभी पढ़ाते हैं, क्राफ्ट की क्लास,
फिर हम सुनते, E.V.S भी फास्ट ।।
निम्मी मैडम हमारी, संगीत ले आती,
दूर से ही हमको, सुरों के धुन सिखाती ।।

।। धन्यवाद ।।

नाम- त्रिवेणी संगम
कक्षा- प्रथम F
रोल नं० - 41

© NCERT not to be republished

कविता

खेले-खेल में

कविता बिष्ट*

आओ मिलकर खेलें खेल,
अंकों का है मेल अनेक।

पढ़े पहाड़ा बन जाए ठाट,
ना आए तो लग जाए जाम।

विभिन्न आकारों का अपना ही मान,
खेल-खेल में मिल जाता सम्मान।

देखो इठलाकर बैठी कोण,
अलग-अलग है इसका मोल।

जोड़ने और घटाने का है अपना ही रंग,
गुणा और भाग को लेकर संग।

भिन्न का स्वाद चखते सब,
पाव और आधा लेकर संग।

आरोही और अवरोही का देखो तमाशा,
सबको आ जाए यह शिक्षक की एक अभिलाषा।

क्षेत्र और परिमाप को भूलें कैसे,
बचे नहीं कोई रुपये पैसे।

आओ सब पढ़ें गणित,
खेल-खेल में बन जाए गुनीत।

© NCERT not to be republished

*मुख्याध्यापिका, केंद्रीय विद्यालय एनसीईआरटी., नयी दिल्ली

कला शिक्षा पर प्रशिक्षण पैकेज (खंड-I)
₹475.00 / पृष्ठ172
कोड—13183
ISBN—978-93-5292-105-8

कला शिक्षा पर प्रशिक्षण पैकेज (खंड-II)
₹475.00 / पृष्ठ176
कोड—13183A
ISBN—978-93-5292-106-5

अम्मा
₹65.00 / पृष्ठ 60
कोड—21136
ISBN—978-93-5292-012-9

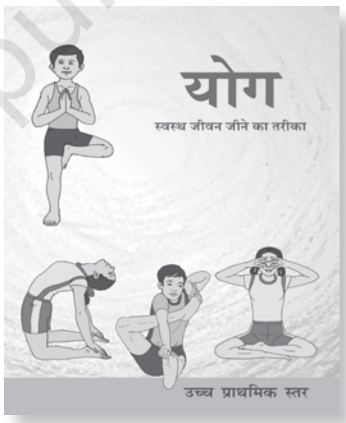

योग
₹65.00 / पृष्ठ 100
कोड—13140
ISBN—978-93-5007-766-5

not to be republished © NCERT

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ncert.nic.in देखिए अथवा कॉपीराइट पृष्ठ पर दिए गए पतों पर व्यापार प्रबंधक से संपर्क करें।

लेखकों के लिए दिशा निर्देश

- लेख सरल भाषा में तथा रोचक होना चाहिए।
- लेख की विषय-वस्तु 2500 से 3000 या अधिक शब्दों में डबल स्पेस में टंकित होना वांछनीय है।
- चित्र कम से कम 300 dpi में होने चाहिए।
- तालिका, ग्राफ़ विषय-वस्तु के साथ होने चाहिए।
- चित्र अलग से भेजे जाएँ तथा विषय-वस्तु में उनका स्थान स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।
- शोध-पत्रों के साथ कम से कम सारांश भी दिया जाए।
- लेखक लेख के साथ अपना संक्षिप्त विवरण तथा अपनी शैक्षिक विशेषज्ञता अवश्य भेजें।
- शोधपरक लेखों के साथ संदर्भ की सूची भी अवश्य दें।
- संदर्भ का प्रारूप एन.सी.ई.आर.टी. हाउस स्टाइल के अनुसार निम्नवत होना चाहिए–
  सेन गुप्त, मंजीत. 2013. *प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा*. पी.एच.आई. लर्निंग प्रा. लि., दिल्ली.

लेखक अपने मौलिक लेख या शोध-पत्र सॉफ़्ट कॉपी (यूनीकोड में) के साथ निम्न पते पर या ई-मेल पर भेंजे –

अकादमिक संपादक

प्राथमिक शिक्षक

प्रारंभिक शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

ई-मेल – prathamik.shikshak@gmail.com

© NCERT not to be republished

रजि. नं. 32427/76

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं के मूल्य

Rates of National Council of Educational Research and Training Educational Journals

पत्रिका	प्रति कॉपी शुल्क	*वार्षिक सदस्यता* शुल्क
School Science (Quarterly) A Journal for Secondary Schools *स्कूल साइंस (त्रैमासिक)* *माध्यमिक विद्यालयों के लिए पत्रिका*	₹ 55.00	₹ 220.00
Indian Educational Review A Half-yearly Research Journal *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (अर्द्ध वार्षिक शोध पत्रिका)*	₹ 50.00	₹ 100.00
Journal of Indian Education (Quarterly) *जर्नल ऑफ़ इंडियन एजुकेशन (त्रैमासिक)*	₹ 45.00	₹ 180.00
भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक) *Bharatiya Aadhunik Shiksha (Quarterly)*	₹ 50.00	₹ 200.00
Primary Teacher (Quarterly) *प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक)*	₹ 65.00	₹ 260.00
प्राथमिक शिक्षक (त्रैमासिक) *Prathmik Shikshak (Quarterly)*	₹ 65.00	₹ 260.00

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पत्रिकाओं की सदस्यता लेने हेतु शिक्षाविदों, संस्थानों, शोधार्थियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें।

मुख्य प्रबंधक अधिकारी, प्रकाशन विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

ई-मेल – gg_cbm@rediffmail.com, फ़ोन – 011-26562708, फ़ैक्स – 011-26851070

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा चन्द्रप्रभु ऑफ़सेट प्रिंटिंग वर्क्स प्रा. लि., सी – 40, सैक्टर – 8, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

© NCERT not to be republished